29वीं वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

उत्तुंग शिखर की ओर

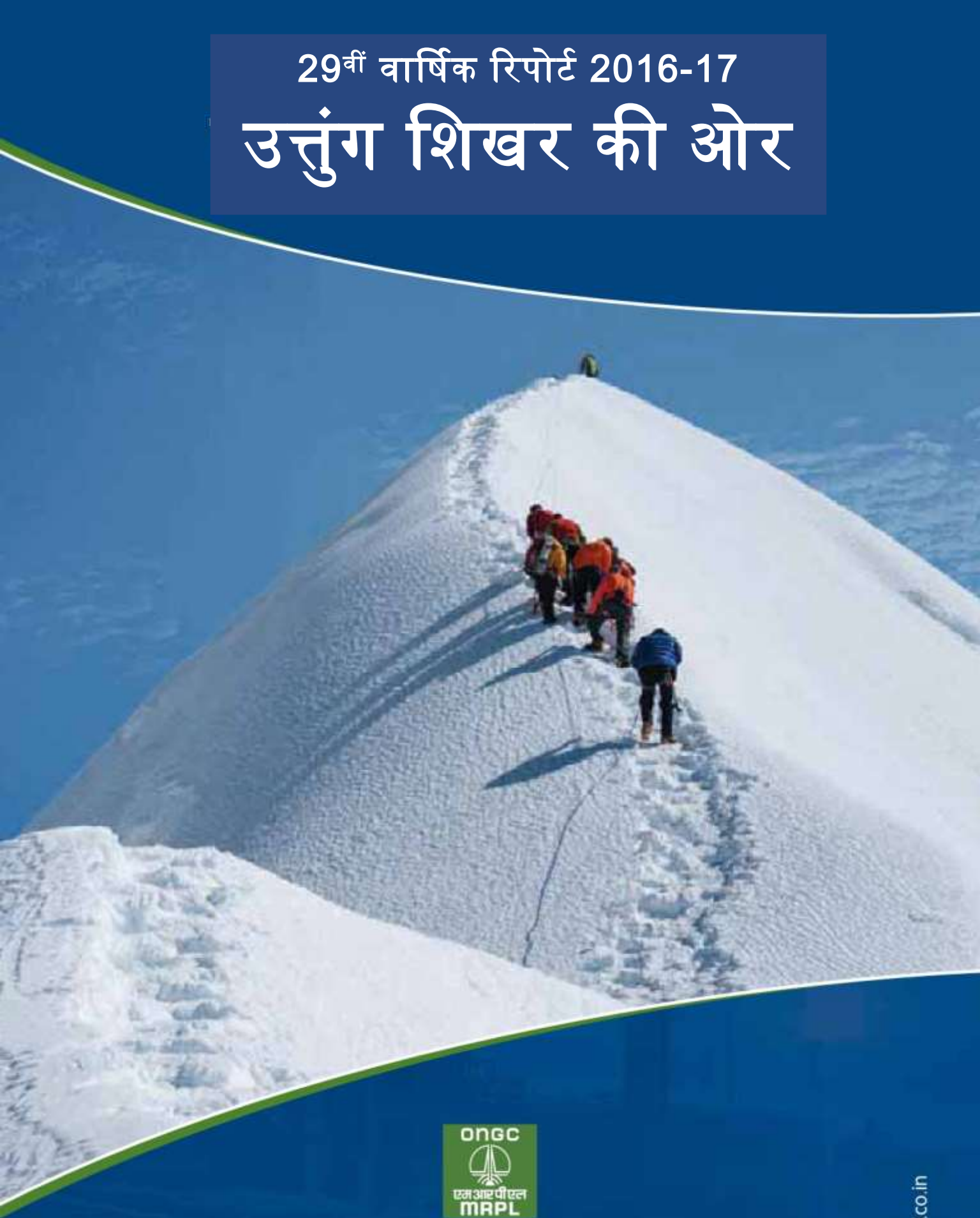

ONGC
एमआरपीएल
MRPL

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम और ओएनजीसी लि. की सहायक कंपनी)

www.mrpl.co.in

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. की सहायक कंपनी)

CIN : L23209KA1988GOI008959

वेबसाइट : www.mrpl.co.in ई-मेल: investor@mrpl.co.in

विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
दूरदर्शिता और मिशन	1
हिस्सेदारों को अध्यक्ष का संदेश	2
मंडल की रिपोर्ट	9
C&AG की टिप्पणियाँ	42
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	43
निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	51
वार्षिक व्यावसायिक जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (ABRR)	67
लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट	76
स्वतंत्र तुलन-पत्र	82
स्वतंत्र लाभ-हानि विवरण	83
स्वतंत्र नकदी प्रवाह विवरण	84
स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	86
लेखा परीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट	146
समेकित तुलन-पत्र	154
समेकित लाभ-हानि विवरण	155
समेकित नकदी प्रवाह विवरण	156
समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	158
गत निष्पादन	231

कंपनी सचिव
श्री दिनेश मिश्रा

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार, मंगलूरु
मेसर्स श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्,
सनदी लेखाकार, चेन्नई

लागत लेखा परीक्षक
मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एण्ड कं,
लागत लेखाकार, कोलकाता

साचिविक लेखा परीक्षक
मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स,
पेशेवर कंपनी सचिव, नोएडा

पंजीकृत कार्यालय और निवेशकर्ता संबंध कक्ष
मुडपदव, कुत्तेतूर, डाक घर, मार्ग काटिपल्ला
मंगलूरु-575030, कर्नाटक
टेलीफोन: 0824-2270400 फैक्स: 0824-2273300

निवेशकर्ता संबंध कक्ष :

दिल्ली :
स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7वीं मंजिल,
कोर-8, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
टेलीफोन : 011-24306400 फैक्स: 011-24361744

मुंबई :
मेकर टावर्स, 'E' विंग, 15वीं मंजिल,
कफ परेड, मुंबई - 400005
टेलीफोन : 022-22173000 फैक्स: 022-22173233

बेंगलूरु :
प्लॉट A-1, KSSIDC A.O. भवन के सामने,
इंडस्ट्रियल एस्टेट
राजाजीनगर, बेंगलूरु – 560010 (कर्नाटक)
टेलीफोन : 080-22642200 फैक्स: 080-23505501

रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट
मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि
सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम),
मुंबई- 400083
टेलीफोन: 22-49186270 फैक्स: 022-49186060
ई-मेल: mrplirc@linkintime.co.in

निदेशक मंडल

श्री दिनेश. के. सर्राफ़
अध्यक्ष

श्री एच. कुमार
प्रबंध निदेशक

श्री एम. वेंकटेश
निदेशक (रिफाइनरी)

श्री ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)

श्री विनोद एस. शेणै
निदेशक (HPCL नामिती)

श्रीमती पेरिन देवी
सरकारी निदेशक

श्री दिवाकर नाथ मिश्रा
सरकारी निदेशक

सुश्री मंजुला
स्वतंत्र निदेशक

दूरदर्शिता और मिशन

दूरदर्शिता	मिशन
उत्पादकता, ग्राहक की संतुष्टि, संरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन, निगमित सामाजिक दायित्व और कर्मचारियों की देखभाल पर अधिक बल देते हुए विश्व दर्जे की परिष्करण और पेट्रोकेमिकल्स कंपनी बनना.	• ऊर्जा की बचत करने, दक्षता, उत्पादकता बढ़ाने और नवीनता लाने वाले नेतृत्व को बढ़ावा देना. • देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उभरते हुए अवसरों का फायदा उठाना. • ग्राहकों के संतोषपर्यंत उनकी अपेक्षाएं पूरी करने की दिशा में भरपूर कोशिश करना. • स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मानदंडों में वैश्विक दर्जा कायम करने के साथ सामुदायिक कल्याण के प्रति अधिक प्रतिबद्धता दिखाना. • कर्मचारियों के कल्याण और कर्मचारियों के साथ संबंधों पर लगातार ध्यान देते रहना. • व्यावसायिक नीति और मूल्यों में सर्वोच्च मानक स्थापित करना.

हिस्सेदारों को अध्यक्ष का संदेश

प्रिय हिस्सेदारों,

हमारे सम्मान्य हिस्सेदारों के साथ अपने विचार बांटने और वर्ष 2016-17 की 29वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है.

मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि वर्ष 2016-17 में एमआरपीएल ने वित्तीय और प्रचालन के छोर पर असाधारण निष्पादन दर्शाया है. मैं, वर्ष 2016-17 के दौरान हासिल की गईं कुछ ख़ास उपलब्धियों को उजागर करना चाहता हूँ जो आपके समर्थन के बगैर संभव नहीं हो पाती थीं.

- आपकी कंपनी ने 2015-16 के ₹ 50,864 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान कुल ₹ 59,415 करोड़ का कारोबार किया.
- आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 3,644 करोड़ का कर उपरांत लाभ अर्जित किया जब कि 2015-16 के दौरान ₹ 1,148 का कर उपरांत लाभ अर्जित किया गया था और 2014-15 के दौरान ₹ 1,712 करोड़ की हानि उठाई गई थी.
- बोर्ड ने प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर पर ₹ 6/- प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश देने की सिफ़ारिश की है जो एमआरपीएल के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक रहा है.
- वर्ष 2015-16 के 15.69 MMT मुकाबले 2016-17 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 16.27 MMT का थ्रूपुट हासिल किया गया जो 3.69% की वृद्धि दर्शाता है. यह उपलब्धि, इष्टतम क्रूड मिश्रण, बेहतर उपकरण विश्वसनीयता, वक्त पर शटडाउन करने का अनुपालन और प्रचालन में असाधारण अनुशासन की बदौलत संभव हो पाई.
- 2015-16 के 5.20 $/bbl के मुकाबले 2016-17 के दौरान 7.75 $/bbl का सर्वाधिक कुल परिष्करण मार्जिन (GRM) हासिल किया गया.
- आपकी कंपनी का बाजार पूंजीकरण, पिछले चार वर्षों में साढ़े तीन गुना बढ़ गया है जो 17 जुलाई 2013 के ₹ 6,073 करोड़ के मुकाबले 17 जुलाई 2017 को ₹ 21,556 करोड़ रहा.
- आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को काम किए गए 4.75 दशलक्ष श्रम घंटे होते हुए 294 दुर्घटना मुक्त दिवस हासिल किए.
- CRISIL और ICRA, दोनों ने मार्च 2017 में सर्वाधिक कार्पोरेट क्रेडिट रेटिंग देने की दोबारा पुष्टि की है.

2016-17 के दौरान, पॉलीप्रॉपीलीन सहित प्रत्यक्ष विपणन उत्पादों की कुल बिक्री की मात्रा, 1858 TMT होते हुए 1610 TMT की बिक्री मात्रा की तुलना में बिक्री का मूल्य ₹ 5,132 करोड़ रहा जब कि 2015-16 में बिक्री का मूल्य, ₹ 3,308 करोड़ रहा. आपकी कंपनी ने अपने विपणन अंचल में अपने MANGPOL ब्रांड शुदा पॉलीप्रॉपीलीन के लिए बहुत की कम समय में प्रमुख बाजार अंश हासिल कर लिया है जिसके चलते अपने पॉलीप्रॉपीलीन ब्रांड के लिए असाधारण गुणवत्ता की प्रतिष्ठा हासिल की है. एमआरपीएल ने, अपने विपणन अंचल में बिटूमेन, गंधक, पेट्र कोक और ज़ाइलॉल की बिक्री में सबसे पहला स्थान बरकरार रखा.

प्रमुख बाज़ारों में तेल की कम कीमतों के कारण अधिक मांग बनी हुई है. 2016 में दुनिया भर में तेल की मांग में 1.6 mb/d तक वृद्धि हुई, जिसमें पहले दो स्थान चीन और भारत ने हासिल किए. वर्ष के दौरान भारत की तेल की मांग में 5.2% तक इज़ाफ़ा हुआ. अब भारत, दुनिया भर में तेल की मांग बढ़ने का एक प्रमुख कारक बन गया है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता हो गया है.

IMF की वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की ताजा जानकारी के अनुसार, सुदृढ़ उपभोक्ता वृद्धि और सरकारी व्यय के चलते भारत की अर्थव्यवस्था में, विव 2016-17 के दौरान 7.1% तक वृद्धि हुई है. GST की पेशकश, एक उल्लेखनीय सुधार उपाय है जिससे भारत को अपनी कर रचना और अनुपालन को सरल बनाने में मदद मिलेगी, जिसकी बदौलत भारतीय व्यवसायी को दुनिया भर में प्रतिस्पर्धात्मक बनना सुसाध्य होगा. भारत, दुनिया में सब से तेजी से तरक्की करने वाले एक प्रमुख देश की तरह उभरा है. संरचनात्मक सुधार के कार्यान्वयन, अधिक प्रयोज्य आय और आर्थिक गतिविधि में सुधार के चलते भारत की अर्थव्यवस्था में, 8% से अधिक दर से तरक्की होने की उम्मीद की जा रही है. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आकर्षक वृद्धि की है जिससे भविष्य में बेहतर कर अनुपालन की अपेक्षाओं के साथ सरकार द्वारा कर दरों में कटौती की संभावना नज़र आती है. ईंधन पर सब्सिडी हटाने और हिताधिकारियों के बैंक खातों में सामाजिक लाभ का प्रत्यक्ष हस्तांतरण करने से केंद्रीय बजट को बेहतर ढंग से संभाला जा सकेगा. GDP का 0.7% का वर्तमान घाटा और वित्तीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ने अर्थव्यवस्था में निवेशकर्ताओं का भरोसा दोबारा जगाया है जिसके परिणामस्वरूप विव 2016-17 में US$35.9 दशलक्ष का निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संभव हो पाया जो अपने आप में एक रेकॉर्ड है.

आपूर्ति के आंकड़ों को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा ने तेजी से तरक्की की है. 2016 में नवीकरणीय ऊर्जा में दुनिया भर में निवेश में एक नया रेकॉर्ड कायम किया गया. लेकिन उद्योग के परिदृश्य के अनुसार, अगले 20-30 वर्षों में दुनिया भर में ऊर्जा की आवश्यकताओं में तेल और गैस का दबदबा बना रहेगा.

08-11-2016 को, सरकार ने एक ऐतिहासिक उपाय की घोषणा की जिसका अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा. अधिक मूल्य की मुद्राओं का तत्काल से " विमुद्रीकरण " किया गया जो कुछ इन-गिने प्रयोजनों को छोड़कर दूसरे प्रयोजनों के लिए विधिमान्य मुद्रा नहीं रहीं. विमुद्रीकरण का मक़सद रहा, काले धन को मिटाना, भ्रष्टाचार, जालसाज़ी की जड़ें काटना और आतंकवाद की मदद करने के इरादे से प्रयोग में लाई जाती रही जाली मुद्रा को मिटाना. विमुद्रीकरण का, अर्थव्यवस्था पर कई दिशाओं में अनुकूल असर पड़ता है. इस उपाय से कर अनुपालन में निश्चित सुधार होगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ज़ेहन में यह भरोसा प्रबल होगा कि भारत, भ्रष्टाचार को मिटाने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर है. इससे बेफ़िक्री से व्यवसाय करने में और भ्रष्टाचार के विभिन्न वैश्विक सूचकांक में भारत का दर्जा बढ़ेगा.

रिफाइनरी कारोबार की दीर्घावधि संधारणीय वृद्धि का समर्थन करने में सुदृढ़ अभिशासन का ढांचा, कंपनी का अधिक अनिवार्य तत्व रहा है. कंपनी, न केवल अपने उत्पादों पर विशेष ध्यान दे रही है बल्कि इस बात पर ज्यादा गौर कर रही है कि वह उसे कितनी जिम्मेदारी से बनाती है. जिम्मेदार उत्पादन के प्रारंभ में स्वच्छ वातावरण की कद्र करते हुए कर्मचारियों और प्रचालन क्षेत्र में आस-पास के समुदायों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जाता है. व्यवसाय में तरक्की होने के साथ-साथ, निवेश करने से न केवल व्यावसायिक हित बरकरार रखना संभव होगा बल्कि स्थानीय विकास के प्रति योगदान देना और सामुदायिक ज़रूरतें पूरी करना भी संभव होगा.

हमारे असाधारण कुशल एवं समर्पित कर्मचारियों ने, वित्तीय वर्ष 2016-17 को एमआरपीएल के इतिहास में सब से सफल वर्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ये, कंपनी के सपनों को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण कर्णधार बने हुए हैं अर्थात्; " कंपनी उत्पादकता, ग्राहक की संतुष्टि, संरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन, निगमित सामाजिक दायित्व और कर्मचारियों की देखभाल पर अधिक बल देते हुए विश्व दर्जे की परिष्करण और पेट्रोकेमिकल्स कंपनी बनना ".

आपकी कंपनी, कर्मचारियों के कल्याण और कर्मचारियों के साथ संबंधों पर पहले की भांति अधिक ध्यान देती रही है और सभी कर्मचारियों के साथ उसके संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहे हैं. परिणामस्वरूप, कंपनी को यह बताने में बड़ा फ़क्र है कि किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया.

हम, एमआरपीएल में अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों और रिफाइनरी में आने वाले सभी आगंतुकों को काम करने का स्वस्थ एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

हमने, बेहतरीन औद्योगिक पद्धतियां अपनाई हैं और सुदृढ़ प्रणालियां एवं मानक बनाए हैं जिससे कि स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण (HSE) से जुड़े रिफाइनरी में अंतर्निहित जोखिम लगातार कम किए जा सके..

संरक्षा, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और लोगों, प्रक्रियाओं और आस्तियों की हिफ़ाजत करने के लिए रिफाइनरी में कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं. ठेकेदारों के स्टाफ की संरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है. एमआरपीएल, पेट्रोलियम परिष्करण में उत्कृष्टता, प्रकृति के अनुरूप हासिल करने के प्रति प्रतिबद्ध है. उत्पाद संविभाग में शामिल हैं, गुणवत्ता उत्पाद, पर्यावरण अनुकूल ग्रेड और प्रसंस्करण, पर्यावरण अनुकूल माहौल में और सुरक्षित वातावरण में, सुदृढ़/दक्ष प्रौद्योगिकियों के सहारे किया जाता है. कच्चा माल, जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों का दक्षता से उपयोग करने के हर संभव प्रयास किए गए हैं. पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की दृष्टि से मंगलूर रिफाइनरी ISO 14001: 2004 प्रमाणित है जिसमें पर्यावरण की हिफ़ाजत करने और उसमें लगातार सुधार करने की दिशा में कई पहल की गईं हैं.

एमआरपीएल में हमारा यह विश्वास है कि ग्राहकों की ज़रूरतें और आकांक्षाएं पूरी करने तथा सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का मुकाबला करने वाले कारोबार घराने, लंबे समय तक अपनी पैठ जमा पाते हैं. एक अर्थ में यह भविष्य की तैयारी करने का बुनियादी ढांचा है. एमआरपीएल, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी संभालते हुए अपने हिस्सेदारों के लिए मूल्य निर्मित करता है. आपकी रिफाइनरी में, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने और रिफाइनरी प्रचालन के दौरान ऊर्जा का अधिक दक्षता से उपयोग करने पर अधिक जोर दिया जाता है.

वर्ष के दौरान, एमआरपीएल ने, ग्रामीण रूपांतरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के क्षेत्रों मे सामुदायिक विकास संबंधी विभिन्न पहल के प्रति ₹ 1.45 करोड़ का योगदान दिया. आपकी कंपनी, सामाजिक दृष्टि से समाविष्ट संधारणीय विकास के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध है जिससे कि अधिकारों से वंचित समुदायों का जीवन स्तर सुधारा जा सके.

मैं, निदेशक मंडल को, उनकी विशेषज्ञता एवं मार्गदर्शन के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ. मंडल की तरफ से, मैं, भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और प्रवर्तक कंपनी, ONGC और HPCL सहित हमारे तमाम हिस्सेदारों को उनके सतत समर्थन, सहयोग, विश्वास और भरोसे के लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ.

(दिनेश के. सर्राफ़)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19/07/2017

नाम	बोर्ड	लेखा परीक्षा	सीएसआर	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति	मानव संसाधन विकास	परियोजना मूल्यांकन और क्रियान्वयन समिति	विपणन व्यवसाय समिति	निदेशकों की समिति	प्रचालन समीक्षा समिति
श्री दिनेश के. सर्राफ़	■									
श्री एच. कुमार	●		●			●	●	■	■	
श्री एम. वेंकटेश	●	●	●			●	●	●	●	●
श्री ए.के. साहू	●		●		●	●	●	●	●	●
श्री विनोद एस. शेणै	●	●	●	●	●	●	●			■
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	●	●	●	●		●	■			
श्रीमती. पेरिन देवी	●	●	■	●	●	■				
सुश्री मंजुला सी.	●	■	●	■	■	●				

क्रम सं.	संरचना	कार्यपालक समिति (EC)	जोखिम प्रबंधन समिति (RMC)
1.	श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक	■	■
2.	श्री एम. वेंकटेश , निदेशक (रिफाइनरी)	●	●
3.	श्री ए.के. साहू , निदेशक (वित्त)	●	●
4.	श्री विजय भटनागर, समप्र (विपणन और व्यावि)	●	
5.	श्री विनयकुमार एम, समप्र (प्रभारी), तसे और व्यावि	●	●
6.	श्री संजय वर्मा, समप्र (एचएसई)	●	
7.	श्री सुशीलचंद्र, समप्र (सीएस व परियोजना)	●	
8.	श्री पंकज अग्रवाल, समप्र (सामग्री)	●	
9.	श्री एस. बंद्योपाध्याय, समप्र (वित्त)	विशेष अतिथि	●

अध्यक्ष- ■

सदस्य- ●

वैशिष्ट्य

कुल कारोबार

₹ 59,415 **करोड़**

बाजार कैप

₹ 21,556 **करोड़**

लाभ

₹ 3,644 **करोड़**

लाभांश

₹ 1,052 **करोड़**

कर्नाटक के उत्पाद शुल्क विभाग(ED) के आयुक्त श्री सुब्रमण्या से सर्वाधिक उत्पाद शुल्क पुरस्कार पाते हुए, श्री एच. कुमार (प्रबंध निदेशक) और श्री ए.के. साहू, निदेशक (वित्त), साथ में हैं श्री एस. बंद्योपाध्याय, समप्र (वित्त) और श्री एस. रवि प्रसाद, मप्र (वित्त).

विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के मौके पर एमआरपीएल कर्मचारियों ने पौधे लगाएं.

विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

DPS-MRPL स्कूल के बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडेल्स का प्रदर्शन

एमआरपीएल कौशल विकास केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सांसद, श्री नलिन कुमार कटील के साथ श्री एच. कुमार, प्रनि, श्री ए.के. साहू, निदेशक (वित्त) और श्री एम. वेंकटेश, निदेशक (रिफाइनरी)

स्वच्छ भारत: एमआरपीएल कर्मचारियों द्वारा शपथग्रहण

मंडल की रिपोर्ट 2016-17

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की तरफ से, मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के वैशिष्ट्य, कार्यकलापों और प्रगति को आपके साथ बांटने एवं मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के व्यवसाय एवं प्रचालन के बारे में तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) की लेखों पर टिप्पणियों समेत उसके लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर 29वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करने में मुझे खुशी हो रही है. आप यह जानकार खुशी से झूम उठेंगे कि वित्तीय वर्ष 2016-17, आपकी कंपनी के लिए उपलब्धियों से भरा एक और वर्ष साबित हुआ. कंपनी ने अब तक का सर्वाधिक 16.27 MMT का थ्रूपुट हासिल किया.

कंपनी के कामकाज की स्थिति:

आपका बोर्ड, विव 2016-17 के लिए कंपनी के कामकाज की स्थिति के बारे में निम्नानुसार रिपोर्ट कर रहा है:

वित्तीय निष्पादन

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के स्वतंत्र / समेकित वित्तीय निष्पादन के वैशिष्ट्य का सारांश यहां नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

	स्वतंत्र		समेकित	
	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
कर पूर्व लाभ	**5,531.41**	**1,158.30**	**5,053.85**	**286.51**
घटाएं: चालू कर	1,185.37	234.56	1,185.38	234.56
आस्थगित कर	702.36	(223.20)	575.26	(453.82)
वर्ष का लाभ	**3,643.68**	**1,146.94**	**3,293.21**	**505.77**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	(5.03)	0.32	(4.90)	(0.12)
वर्ष की कुल व्यापक आय	**3,638.65**	**1,147.26**	**3,288.31**	**505.65**
घटाएं: कुल व्यापक गैर नियंत्रक हित के कारण आय	-	-	(179.55)	(318.13)
कंपनी के मालिकों के कारण कुल व्यापक आय	**3,638.65**	**1,147.26**	**3,467.86**	**823.78**
जोड़ें: लाभ और हानि खाते में शेषराशि (समायोजित)	4,198.67	3,051.41	3,803.47	2,979.69
उप-जोड़	**7,837.32**	**4,198.67**	**7,271.33**	**3,803.47**
विनियोजन				
सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-	-	-
इक्विटी शेयरों पर लाभांश	1051.56	-	1051.56	-
लाभांश पर कर	214.07	-	214.07	-
अंतिम शेष (अन्य व्यापक आय सहित)	**7,837.32**	**4,198.67**	**7,271.33**	**3,803.47**

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 59415करोड़ का कारोबार किया जब कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 50864 का कुल कारोबार किया था. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 3644 करोड़ का कर उपरांत लाभ अर्जित किया जब कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 1147 करोड़ का लाभ अंकित किया गया था. वित्तीय वर्ष 2015-16 के 5.20 $/bbl के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.75 $/bbl का कुल परिष्करण मार्जिन (GRM) हासिल किया गया. आपकी कंपनी ने विव 2016-17 के दौरान अपनी सर्वाधिक कार्पोरेट रेटिंग "[CCR AAA]" बरकरार रखी जिसकी CRISIL और IrAAA ने पुष्टि की है.

परिचालनगत निष्पादन

आपकी कंपनी के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17, बेहद कामयाब वर्ष साबित हुआ.

वर्ष 2016-17 के कुछ प्रमुख वैशिष्ट्य निम्नानुसार हैं:

- वर्ष 2015-16 के 15.69 MMT के मुकाबले 2016-17 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 16.27 MMT का कुल थ्रूपुट प्रोसेस किया गया जिसमें 3.69% की वृद्धि अंकित की गई. यह उच्च निष्पादन, इष्टतम क्रूड मिश्रण, बेहतर उपकरण विश्वसनीयता, वक्त पर शटडाउन करने का अनुपालन और प्रचालन में असाधारण अनुशासन की बदौलत संभव हो पाया.
- विव 2016-17 के दौरान नए क्रूड, पैज़फ्लर (अधिक TAN युक्त), याँबो और सूरोष का प्रोसेसिंग किया गया.
- काँगो के याँबो क्रूड के साथ किए गए प्रोसेसिंग में अब तक का निम्नतम API 16.4 रहा.
- क्रूड तेल का पहला पार्सल प्राप्त हुआ जिसे इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL) के मंगलूर की कंदराओं में सुपुर्द किया जाएगा. VLCC MT DINO में 260 TMT के ईरान मिश्रण का पहला पार्सल प्राप्त हुआ.
- MBPL पाइपलाइन में पॉलीप्रॉपीलीन, LPG, MS, HSD और थ्रूपुट में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन और प्रेषण किया गया.
- एमआरपीएल ने अक्तूबर, 2016 के महीने में HPCL को HSD-यूरो VI का पहला पार्सल भेजा.

- कर्नाटक राज्य में सर्वप्रथम निर्यातकर्ता के रूप में निष्पादन की कद्र करते हुए एमआरपीएल को वर्ष 2014-15 के लिए सर्वोत्कृष्ट विनिर्माता निर्यात पुरस्कार - मध्यम/बड़ी श्रेणी (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद) दिया गया.

विपणन और कारोबार विकास

आपकी कंपनी, कर्नाटक राज्य और उसके आस-पास के राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के प्रत्यक्ष बिक्री खंड में अपना बाजार अंश लगातार बढ़ाती रही है. आपकी कंपनी ने, अपने रिफाइनरी ज़ोन में बिटूमेन, ईंधन तेल, गंधक, डीज़ल, पेट्र कोक और मिश्रित ज़ाइलीन जैसे उत्पादों के लिए उल्लेखनीय बाजार अंश हासिल किए हैं और प्रत्यक्ष ग्राहक संबंध स्थापित किए हैं. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, पॉलीप्रॉपीलीन सहित प्रत्यक्ष विपणन उत्पादों की कुल बिक्री की मात्रा, 1858 TMT होते हुए 1610 TMT की बिक्री मात्रा की तुलना में बिक्री का मूल्य ₹ 5132 करोड़ रहा जब कि पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिक्री का मूल्य, ₹ 3308 करोड़ रहा. एमआरपीएल ने अपने विपणन अंचल में अपने MANGPOL ब्रांड शुदा पॉलीप्रॉपीलीन के लिए बहुत की कम समय में प्रमुख बाजार अंश हासिल कर लिया है. एमआरपीएल ने, अपने विपणन अंचल में बिटूमेन, गंधक, पेट्र कोक और ज़ाइलॉल की बिक्री में सबसे पहला स्थान बरकरार रखा.

आपकी कंपनी ने नई श्रेणी के अपने पॉलिमर उत्पाद बनाए हैं और बाज़ार में अपना दायरा भी बढ़ा दिया है. आपकी कंपनी ने, विव 2015-16 में 264 TMT पॉलीप्रॉपीलीन के मुकाबले विव 2016-17 में 139 TMT पॉलीप्रॉपीलीन की बिक्री हासिल की. आपकी कंपनी ने, पेट्र कोक के समग्र उत्पादन को लगातार बेचने में भी कामयाबी हासिल की है जिसकी बिक्री की मात्रा, 2016-17 में 838 TMT रही. कंपनी, आस पास के राज्यों के प्रमुख ग्राहकों को लक्ष्य बनाते हुए देशी बाजार में अधिक मात्रा में गंधक बेचने में भी कामयाब रही. अतिरिक्त गंधक का बड़े पार्सल आकार में निर्यात किया जा रहा है.

आपकी कंपनी ने एमआरपीएल के साथ लंबे समय से आपूर्ति ठेके से जुड़े रहे स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन, मॉरिशस को वक्त पर आपूर्ति भी बरकरार रखी. कंपनी ने STC मॉरिशस को विव 2016-17 के दौरान ₹ 2860 करोड़ के बिक्री मूल्य के 1049 TMT पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की जब कि विव 2015-16 के दौरान ₹ 2757 करोड़ के बिक्री मूल्य के 1057 TMT पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की गई थी.

आपकी कंपनी ने कर्नाटक और केरल राज्यों में रीटेल आउटलेट के लिए डीलरों की नियुक्ति करने के विज्ञापन प्रसारित करते हुए अपने रीटेल विस्तार योजना की शुरुआत की और अपने रिफाइनरी अंचल में रीटेल जाल बिछाने की प्रक्रिया में है. अंतिम सूची में रखे गए कई आवेदनकर्ताओं को आशय पत्र भेजे गए हैं ताकि नए रीटेल आउटलेट को समयबद्ध तरीके से चालू किया जा सके. अतिरिक्त रीटेल आउटलेट के स्थान के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है और कंपनी को उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में काफ़ी बड़ी संख्या में रीटेल आउटलेट चालू किए जाएंगे.

आपकी कंपनी, शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL) ने भारतीय हवाई अड्डों पर विमानन टर्बाईन ईंधन (ATF) बेचने के लिए स्थाई तौर पर कारोबार हासिल किया है. कंपनी ने पूर्व वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹ 317.97 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 554.29 करोड़ का कुल कारोबार हासिल किया.

मान्यताएँ

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार ने विव 2015-16 के लिए आपकी कंपनी को उत्कृष्ट दर्जा प्रदान किया.

22/04/2017 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनैशनल सेंटर में सृष्टी पब्लिकेशन द्वारा पृथ्वी दिवस के सिलसिले में आयोजित एक भव्य समारोह में एमआरपीएल ने, विशेषज्ञ पेनल द्वारा तीव्र संवीक्षा और सत्यापन के बाद विनिर्माण श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया.

नई दिल्ली में, ' डिजिटल युग में संगठनों का रूपांतरण करने का नेतृत्व ' विषय पर 18वें राष्ट्रीय प्रबंधन शिखर सम्मेलन में संगठनात्मक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए श्री एच कुमार, प्रबंध निदेशक को, ' FORE - शीर्ष रैकर उत्कृष्टता पुरस्कार ' से नवाज़ा गया.

MSE से वस्तुएं और सेवाएं हासिल करना

वर्ष 2016-17 के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE) आदेश, 2012 से संबंधित सार्वजनिक प्रापण नीति के अनुरूप, निर्दिष्ट किए गए 20% के लक्ष्य के मुकाबले आपकी कंपनी ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE) से वस्तुएं और सेवाएं हासिल करने की दिशा में 21.7% और 40.3% (स्वामित्व मदों और उत्प्रेरकों एवं रासायनिक पदार्थों को छोड़कर) हासिल किया.

परियोजनाएं

मौजूदा परियोजनाएं:

BS VI उन्नयन

ऑटो ईंधन नीति और MoP&NG के निदेशों के अनुसार, समग्र देश को MS और HSD के मामले में 01/04/2020 तक BS VI संबंधी गुणवत्ता विनिर्देश की तरफ कदम बढ़ाना होगा. रिफाइनरियों को अपने उत्पाद, 01/01/2020 से BSVI संबंधी गुणवत्ता विनिर्देश के अनुरूप बनाने होंगे. आगे, MoP&NG ने रिफाइनरियों को निदेश दिया है कि वे, आवश्यक रूपांतरण एवं निर्माण गतिविधियां पूरी करें और जुलाई, 2019 तक यांत्रिक कार्य पूरा करते हुए तेल विपणन कंपनियों को 01/01/2020 से अपने उत्पाद बेचना शुरु करें. एमआरपीएल को, HSD के मामले में MS और पुनर्योजन करने/उत्प्रेरक में परिवर्तन करने के लिए अतिरिक्त यूनिटों की ज़रूरत पड़ेगी. इस परियोजना के अंग के तौर पर, नई FCC गैसोलीन उपचार सुविधा, गंधक रिकवरी यूनिट, नाइट्रोजन उपयोगिताएं शुरु की जा रही हैं एवं CHTU तथा DHDT का पुनर्योजन किया जा रहा है.

विभिन्न यूनिटों के लिए लाइसेंसकर्ता हैं, एक्सेन्स, UOP तथा इस कार्य के लिए EILको EPCM सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है. EAC ने 18/04/2017 को परियोजना के लिए पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी देने की सिफ़ारिश की थी.

इन यूनिटों का इंजीनियरी कार्य अपने अंतिम चरणों है और सामग्री एवं कार्य के सिलसिले में टेंडर बुलाने की प्रक्रिया शुरु हो गई है.

CCR2 यूनिट का पुनर्योजन

एमआरपीएल में इस समय NHT/ प्लेट फॉर्मर की दो यूनिटें हैं. दोनों यूनिटों की क्षमता एक समान है और इनके लिए मेसर्स UOP से लाइसेंस प्राप्त किया गया है. यूनिट के लिए फ़ीडस्टॉक के रूप में क्रूड आसवन यूनिटों और हाइड्रोक्रैकर यूनिटों से नैफ़्ता का उपयोग किया जाता है. यूनिट का उद्देश्य है, कम ऑक्टेन अंश युक्त भारी नैफ़्ता का अधिक ऑक्टेन अंश युक्त रीफॉर्मेट में उन्नयन करना.

मौजूदा CCR-2 यूनिट का पुनर्योजन किया जा रहा है जिससे कि अधिक मात्रा में MS का उत्पादन करने वाले रीफॉर्मेट का अधिक प्रमाण में उत्पादन किया जा सके.

मेसर्स यूओपी, इसके लाइसेंसकर्ता हैं और इस परियोजना के लिए मेसर्स L&T, चीयोडा को EPCM सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है. ऑर्डर देने के कार्य प्रगति में हैं और पुनर्योजित यूनिट, 2018-19 में चालू होने की उम्मीद है.

पेट्र कोक के लिए रेलवे साइडिंग

रेलवे वैगनों से प्रेषण करने से परिवहन की सुरक्षा बढ़ेगी, पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा, प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों में एमआरपीएल के उत्पाद आसानी से उपलब्ध होंगे और एमआरपीएल की वाणिज्यिक प्राप्ति में सुधार होगा. पेट्र कोक को आसानी से खाली करने के लिए अत्याधुनिक रेलवे साइडिंग का निर्माण कार्य, मेसर्स कोंकण रेलवे की मदद से किया जा रहा है. रेलवे साइडिंग का क्रियान्वयन, मेसर्स कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि. द्वारा किया जाएगा और रैपिड लोडिंग सिस्टम्स, मापक साधनों, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं आदि के साथ क्लोस्ड कन्वेयर सिस्टम, लोडिंग सिलोस समेत परियोजना के शेष संयंत्र का क्रियान्वयन करने के लिए मेसर्स मेकॉन को EPCM सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है.

परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसका इंजीनियरिंग कार्य पूरा हो चुका है. टेंडर बुलाने की प्रक्रिया चल रही है और यह परियोजना, दिसंबर 2018 तक पूरी होने की उम्मीद है.

भावी परियोजना:-

2G एथनॉल

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG) ने आपकी कंपनी को अधिदेश दिया है कि वह, कर्नाटक राज्य में 2G एथनॉल संयंत्र स्थापित करे. दूसरी पीढ़ी के जैव-ईंधन अथवा " उन्नत जैव-ईंधन " का उत्पादन, संधारणीय फ़ीडस्टॉक से किया जाता है जो चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए (अर्थात्. अतिरिक्त धान का भूसा, गेहूँ का भूसा, मकई के भुट्टे, मकई की डंडियां, कपास की डंडियां आदि) प्रयुक्त नहीं किए जाते.

जैव संहति फ़ीडस्टॉक निर्धारण अध्ययन के आधार पर आपकी कंपनी, 60 KLPD की क्षमता के साथ एक 2G एथनॉल संयंत्र स्थापित करना चाहती है. परियोजना का व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन पूरा हो चुका है. अगली कार्रवाई के रूप में, एमआरपीएल, विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करना चाहता है.

उन्नत जैव-ईंधनों के फायदे इस प्रकार होंगे.

- सरकार की तरफ से एथनॉल मिश्रण के अंग के रूप में एथनॉल का पेट्रोल के साथ मिश्रण किया जाता है, इससे देश का तेल आयात बिल कम होगा.
- CO_2 और CO का उत्सर्जन घटेगा, जिसकी बदौलत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घट जाएगा.
- किसानों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होगा.

खुले स्रोत से विद्युत:

एमआरपीएल, ओपन ऐक्सेस के जरिए विद्युत की खरीदारी करते हुए अपनी तमाम भावी ज़रूरतें पूरी करना चाहता है. इस दिशा में PTC इंडिया लि. ने व्यवहार्यता अध्ययन किया था. इस व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर, एक मार्ग मानचित्र सर्वेक्षण किया गया और 220kv विद्युत हासिल करने के लिए नई सुविधा का लागत संबंधी आकलन किया जा रहा है.

यह परियोजना, वित्त 2019-20 में पूरी होने की संभावना है.

विलवणन संयंत्र:

जल के एकमात्र साधन के रूप में नदी जल का जोखिम मिटाने के लिए जल के वैकल्पिक स्रोत के रूप में विलवणन संयंत्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है. इस परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार ने अपनी मंजूरी दी है. पर्यावरण पर होने वाले असर का निर्धारण करने संबंधी अध्ययन आदि करने सहित व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है. यह परियोजना, वित्त 2019-20 में पूरी होने की अपेक्षा की जा रही है.

उत्पादकता बढ़ाने की खातिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना

एमआरपीएल ने, SAP (डेटा प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम्स और अप्लिकेशन उत्पाद) का सभी व्यावसायिक कामकाज में कार्यान्वयन करते हुए व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने की दिशा में पहल कर रहा है. इन अप्लिकेशन्स को चलाने के लिए मंगलूर साइट में एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर काम कर रहा है जो चौबीसों घंटे व्यावसायिक प्रचालन का समर्थन करता है. हाल में एमआरपीएल ने SAP सिस्टम की कार्य क्षमताएं बढ़ाने की खातिर SAP का EHP 3 से EHP 7 में तकनीकी उन्नयन कार्य पूरा किया. एमआरपीएल ने, सिस्टम में सभी आवश्यक परिवर्तन करते हुए SAP सिस्टम को GST लागू करने के लिए तैयार रखा है और सिस्टम, 01/07/2017 से चालू हुआ. डिजिटलीकरण की तरफ कदम बढ़ाने पर काफ़ी जोर देते हुए एमआरपीएल ने दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने के लिए प्रणालियां शुरु की हैं और इस दिशा में कागज रहित ई-कार्यालय प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया चल रही है. सभी कर्मचारियों से जुड़ी स्वयं सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन सिस्टम्स लागू किए गए हैं जैसे छुट्टी प्रबंधन प्रणाली, चिकित्सा प्रणाली, यात्रा प्रबंधन, समय प्रबंधन, मासिक दावे आदि. इन सिस्टम्स का अप्लिकेशन आधारित समाधान (SAP Fiori) की तरफ रूपांतरण किया जा रहा है. एमआरपीएल, सूचना से जुड़े खतरे की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा का लगातार उन्नयन करता रहा है जिससे कि सभी महत्वपूर्ण सूचना का, किसी प्रकार से दुरुपयोग होने से संरक्षण किया जा सके. कर्मचारियों को अपने नियमित व्यावसायिक कार्यकलाप करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी तमाम बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गईं हैं.

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी निष्पादन

HSE पर कंपनी की नीति है, कानून में अपेक्षित न्यूनतम मानदंड से बेहतर प्रदर्शन करना. पर्यावरण प्रबंधन के छोर पर प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार रहीं:

अ) पर्यावरण

मेसर्स राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI), नागपुर ने पर्यावरण मंत्रालय, वन और वातावरण परिवर्तन, (MoEF&CC), नई दिल्ली से प्राप्त अनुमोदित विचारार्थ विषय (ToR) के अनुरूप प्रस्तावित BS-VI (चरण-1) ऑटो ईंधन गुणवत्ता अनुपालन और संबद्ध परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (EIA) अध्ययन किया.

- रिफाइनरी में मेसर्स राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH), जल-भूविज्ञान जांच और मॉडेलिंग अध्ययन कर रहा है.
- एमआरपीएल चरण III यूनिटों के प्रचालन से आस-पास के गांवों में वायु, भू-जल और ध्वनि की गुणवत्ता पर होने वाले पर्यावरण संबंधी प्रभाव का निर्धारण करने के लिए मेसर्स राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI), नागपुर द्वारा ग्रिड विश्लेषण अध्ययन किया गया. ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण किया गया.
- तेल और गैस संरक्षण माह 2017 के अंग के तौर पर, खाना बनाने के लिए सिर्फ़ जैव साधनों/लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देकर आस-पास के गांव, चैलारु, सूरिंजे, जोकट्टे और पेर्मुदे को ' धुआं मुक्त गांव ' बनाने का अभियान छेड़ा गया.
- एमआरपीएल और मेसर्स रामकी इंजीनियर्स (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित TSDF प्रचालक) के बीच हुए करारनामे के अनुसार 2016-17 के दौरान कुल मिलाकर 1120 MT ठोस खतरनाक अपशिष्ट सामग्री निपटाई गई.
- 2016-17 के दौरान पेट्रो द्रवीकृत उत्प्रेरकी क्रैकिंग यूनिट (PFCCU) से उत्पन्न कुल 287 MT भुक्तशेष उत्प्रेरक, सिमेंट संयंत्र में सह प्रोसेसिंग के जरिए निपटाया गया.
- सड़क पर लगाए गए स्ट्रीट लाइट के स्थान पर LED जुड़नार लगाए गए.
- चरण-3 की एअर कंडीशनिंग पैकेज यूनिटों में R22 (ओज़ोन घटाने वाले कारक)के स्थान पर R407C रेफ्रिजरेंट लगाया गया.
- हरित पट्टी विकास के अंग के तौर पर, पिलिकुला जैव पार्क, मंगलूर में 20 एकड़ की भूमि में पौधे लगाए गए.
- पौधे लगाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने की खातिर नीचे उल्लिखित गतिविधियां चलाई गईं:
  - छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आस-पास के गांवों के स्कूलों में पौधों का वितरण.
  - आस-पास के गांवों के लोगों की सक्रिय सहभागिता की बदौलत कोटि वृक्षारोपण अभियान के तहत बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए.
  - वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रति कर्नाटक राज्य वन विभाग को अंशदान दिया गया.
- 33,25,012 m^3 उपचारित नगरपालिका मल जल का कूलिंग टावर मेकअप के लिए उपयोग किया गया (अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक) ताकि ताजा जल का उपयोग कम किया जा सके.
- दो फॉग जनरेटर्स खरीदकर रिफाइनरी में लगाए गए जिससे कि कोक त्यागने से और गंधक रिकवरी यूनिट के क्षेत्र से कोई धूल निकले तो उसे कम किया जा सके.
- कार्य क्षेत्र में वायु वाहित रासायनिक पदार्थ का असर जानने की दृष्टि से मेसर्स शिवा एनालिटिकल्स, बेंगलूरु ने रिफाइनरी में काम करने के माहौल पर निगरानी रखने का काम किया.
- वर्ष 2015-16 में एमआरपीएल का संधारणीयता निष्पादन समाविष्ट करते हुए ONGC समूह की संधारणीयता रिपोर्ट पेश की गई.
- प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मुद्दे सुलझाने के लिए नीचे उल्लिखित प्रस्ताव पेश किए गए/पूरे किए गए:
  1. गंधक खुले संग्रहण यार्ड और कोक पिट्ट को ढंकना;
  2. DCU कोक ड्रमों के ऊपरी हिस्से पर बंद ब्लो आउट डायवर्टर लगाने का काम पूरा किया गया;
  3. मौजूदा पेट्ट कोक लोडिंग सिलोस का आस-पास के आवासीय इलाके से ~700m की दूरी पर हस्तांतरित किया गया.
  4. SRU इंसिनरेटर ब्लोअर से ध्वनि कम करने की खातिर, डिस्चार्ज लाइन अप से थर्मल इंसिनरेटर तक अकाउस्टिक इंस्यूलेशन प्रदान करने का काम पूरा किया गया;
  5. मौजूदा चरण-3 स्लॉप टैंकों को मौजूदा स्थान से दूर हटाना;
  6. सड़क परिवहन कम करने के लिए रेलवे साइडिंग का निर्माण.

आ) संरक्षा

- OISD द्वारा संरक्षा संबंधी अचानक लेखा परीक्षण, बाह्य संरक्षा लेखा परीक्षण और PESO द्वारा लेखा परीक्षण किया गया.
- 31/03/2017 को, घायल होने पर समय नष्ट हुए बगैर (RLTI) 294 दिनों तक काम किया गया.
- 31/03/2017 के दौरान, 3.41 दशलक्ष श्रम घंटे तक काम किया गया.

इ) स्वास्थ्य

- कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच, कारखाना अधिनियम और कर्नाटका फैक्टरीस रूल्स के तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करते हुए तीन श्रेणियों में की गई.
- चौबीसों घंटे चिकित्सा स्टाफ की उपलब्धता के साथ दो व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (OHC) काम कर रहे हैं.
- एमआरपीएल अस्पताल की सेवाएं न केवल कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए बल्कि बहिरंग रोगियों को भी नसीब होती हैं.

निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास

निगमित सामाजिक दायित्व (CSR)

एमआरपीएल द्वारा सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास की तरफ पहल करते समय शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, स्वास्थ्य की देखभाल और स्वच्छता एवं प्रचालन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द/दक्षिण कन्नड और उडुपी जिले/कर्नाटक राज्य में बुनियादी सुविधाओं का समग्र विकास करने पर ख़ासा ध्यान दिया जाता है. ये परियोजनाएं, काफ़ी हद तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार हैं.

एमआरपीएल ने वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न CSR गतिविधियों के लिए ₹ 1.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.11 करोड़) खर्च किए. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी नीति) नियम, 2014 के नियम 9 का अनुसरण करते हुए, CSR संबंधी गतिविधियों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट, **अनुबंध 'क'** के रूप में संलग्न की गई है.

संधारणीय विकास और निष्पादन

पिछले वर्ष आपकी कंपनी के संधारणीयता के प्रति किए गए प्रयास और पुरजोर करने के साथ-साथ, लगातार चुनौतियों से भरे युग में कंपनी की लंबे समय तक कामयाबी बरकरार रखने की दिशा में कदम उठाए गए. एक कंपनी होने के नाते हमने संगठन के तमाम खंडों में दीर्घावधि व्यवहार्य दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया है. संगठन में पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय व्यावसायिक पद्धतियां अपनाई गईं. बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों पर विचार करते हुए नए-नए समाधान ढूँढने की दृष्टि से संधारणीय व्यावसायिक प्रक्रियाएं शुरु की गईं. पर्यावरण के प्रति सचेत व्यवसाय करने पर कर्मचारियों को शिक्षित करने, कंपनी के सभी खंडों में संधारणीय व्यावसायिक संस्कृति अपनाने पर सर्वाधिक महत्व दिया गया. संगठन में हर कहीं जिम्मेवारी की संस्कृति निर्मित करने की खातिर संधारणीयता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया.

आपकी कंपनी ने, नगर निगम से उपचारित मल जल का उपयोग बढ़ाते हुए अपने जल पद चिह्न बढाएं. पर्यावरण के प्रति सचेत होकर ताजा जल के स्थान पर मंगलूरु से 2 दशलक्ष इंपीरियल गैलन प्रति दिन के समान प्रमाण में उपचारित मल जल का उपयोग किया गया. ताजा जल की खपत कम करने और शहर से शहरी बहिस्राव की खपत करने के दोहरे लाभ का समर्थन करने के लिए कूलिंग टावर्स में अतिरिक्त 1.5 दशलक्ष इंपीरियल गैलन प्रति दिन पुन:चक्रित उपचारित बहिस्राव का उपयोग किया गया. ताजा जल के पद चिह्न कम करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और पुरजोर करने की दृष्टि से आपकी कंपनी, शहर से प्राप्त उपचारित मल जल का अधिक प्रसंस्करण करने के लिए ₹ 15 करोड़ की रिवर्स ऑस्मोसिस प्रणाली स्थापित करने जा रही है जिससे रिफाइनरी की प्रक्रियाओं में इस जल का सीधे उपयोग किया जा सकेगा. आपकी कंपनी ने, रिफाइनरी प्रक्रियाओं के लिए ताजा जल की उपलब्धता पर विचार करते हुए शून्य द्रव विसर्जन (ZLD) की दिशा में कार्रवाई की थीं. रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में नवीन पद्धतियों और इंजीनियरिंग तकनीकों के सहारे जल पद चिह्न बेहतर बनाने की परिकल्पना की गई है.

अपनी ऊर्जा की मांगे पूरी करने के लिए आपकी कंपनी ने नवीकरण स्रोत की तरफ रुख किया. आपकी कंपनी ने, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा बटोरने के लिए प्रक्रियाएं शुरु कीं. सभी उपलब्ध छतों पर 5.6 MWe का सौर विद्युत संयंत्र लगाने के लिए एक रोडमैप (खाका) बनाया गया.

आपकी कंपनी, इस परियोजना के लिए करीब ₹ 40 करोड़ लगाना चाहती है.

आस-पास की स्थलाकृति में सुधार करने के प्रति आपकी कंपनी ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया था. पिलिकुला निसर्ग धाम, मंगलूरु में हरित पट्टी का विकास करने के लिए पिलिकुला निसर्ग धाम, वामंजूर, मंगलूरु के साथ सहमति ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे कि आस-पास के इलाके को अधिक हर भरा बनाया जा सके. एक अद्‌भुत कार्य हासिल करने के लिए जैसे " आइए जंगल का निर्माण करें - हरित पट्टी का विकास करें ", एमआरपीएल ने बागबानी का प्रायोजन किया और पिलिकुला निसर्ग धाम में पश्चिम घटी की देशी प्रजातियों के साथ 2000 पौधे लगाते हुए 20 एकड़ की भूमि की तीन वर्ष तक देखभाल की.

आपकी कंपनी ने, अधिक स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अपने पर्यवेक्षी स्टाफ को बैटरी चालित वाहन देकर रिफाइनरी परिसर में वाहन का उत्सर्जन कम करने का प्रयास किया है.

दिन की रौशनी का उपयोग करते हुए “SkyPipe “ नामक नई तकनीक के सहारे भांडागार को प्रकाशित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सूरज की रौशनी का उपयोग किया जाता है.

आपकी कंपनी ने, सड़क की मौजूदा लाइटों और कार्यालय की लाइटों के स्थान पर कम विद्युत खपाने वाले LED लाइटें लगाने की एक कार्य योजना की परिकल्पना की है. इस छोर पर संधारणीय प्रगति हुई है और हमें आशा है कि 2018 तक 100% LED लाइटें जगमगाती रहेंगी. योजना में कुल 163500 W और भविष्य में अगले एक वर्ष में 80000 W बचाने की परिकल्पना की गई है.

आपकी कंपनी, हमेशा अपने तमाम आगामी प्रयासों में संधारणीयता की पगडंडी अपनाती रही है और अपनाती रहेगी.

सहायक / संयुक्त उद्यमों/सहबद्ध कंपनियों का निष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति

सहायक, सहबद्ध कंपनी और संयुक्त उद्यम के निष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में ब्यौरे, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (MDA) रिपोर्ट में दिए गए हैं. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम (5) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) का अनुसरण करते हुए, सहायक और संयुक्त उद्यमों के निष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में विवरण, समेकित वित्तीय विवरण के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं.

सेबी के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने मटीरियल सब्सिडीयरीस का निर्धारण करने के लिए एक नीति बनाई है जिसे कंपनी के वेबसाइट पर देखा जा सकता है.

आपकी कंपनी की एकमात्र सहायक कंपनी है जिसका नाम है ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL). मटीरियल सब्सिडीयरी नीति के अनुसार OMPL, मटीरियलिटी का परीक्षण लागू करने के लिए कंपनी की मटीरियल सब्सिडीयरी नहीं है.

सहायक एवं समेकित वित्तीय विवरण की वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129

और " सहबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के बारे में Ind AS-28 के साथ पठित " समेकित वित्तीय विवरणों " के बारे में Ind AS 110 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट के ही एक भाग हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों और कंपनी की संबंधित जानकारी और सहायक कंपनी के लेखा परीक्षित लेखे सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. ये दस्तावेज भी, मंगलूर में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे.

भारतीय लेखा मानक (IND AS) – IFRS अभिसरित मानक

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने 16 फरवरी, 2015 को सूचित किया कि भारतीय लेखा मानक (Ind AS), कुछ श्रेणी की कंपनियों के लिए, संक्रमण दिनांक 01/04/2015 होते हुए 1 अप्रैल, 2016 से लागू होंगे. Ind AS ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (" अधिनियम ") की धारा 133 के तहत निर्धारित पूर्व भारतीय GAAP का स्थान ले लिया है जो कंपनी के लिए 01/04/2016 से लागू होगा. पूर्व GAAP से Ind AS में संक्रमण के कारण समाधान के बारे में जानकारी स्वतंत्र और समेकित वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों की टिप्पणी सं.51 में दी गई है.

आरक्षित निधि में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य आरक्षित निधि में कोई रकम अंतरित नहीं की गई.

लाभांश

बोर्ड ने विव 2016-17 के लिए ₹ 6/- प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश देने की सिफ़ारिश की है. वार्षिक महासभा में सदस्यों का अनुमोदन लेने के बाद लाभांश अदा किया जाएगा. लाभांश को, लाभांश वितरण के बारे में कंपनी की नीति के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है. कंपनी की लाभांश वितरण नीति, इस रिपोर्ट के **' अनुबंध ख '** के रूप में संलग्न की गई है.

जमाराशि

आपकी कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए वर्ष के दौरान कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की.

ऋणों, गारंटियों और निवेशों के विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 / 186 के प्रावधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कोई ऋण नहीं दिए गए / गारंटियां अथवा जमानत नहीं दी गईं. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत समाविष्ट निवेशों के ब्यौरे, इस वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिए गए हैं.

शेयर पूँजी

कंपनी ने विव 2016-17 के दौरान कोई शेयर निर्गमित नहीं किए. 31.03.2017 को आपकी कंपनी की निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी ₹ 1,753 करोड़ रही.

वित्तीय वर्ष के अंत में और रिपोर्ट तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वर्ष के दौरान कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. वर्ष की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए न ही कोई प्रतिबद्धताएं की गईं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करें.

मानव संसाधन

आपकी कंपनी, अपने मानव संसाधनों की सर्वाधिक कद्र करती है. उनका मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से, आपकी कंपनी, कर्मचारियों और उनके परिजनों को कई कल्याण फायदे प्रदान करती है जैसे क्षतिपूरक चिकित्सा, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों की खातिर कल्याण से जुड़ी विभिन्न नीतियां लागू कीं.

कंपनी, एमआरपीएल कर्मचारी क्लब (MEC) नामक कर्मचारी क्लब चला रही है. इस क्लब में, कर्मचारियों और उनके आश्रितों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी गतिविधियां चलाई जाती हैं. एमआरपीएल कर्मचारी क्लब (MEC) ने आंतरिक विभागीय क्रिकेट टूर्नमेंट भी आयोजित किया.

एमआरपीएल कर्मचारी क्लब में 20/02/2017 से 04/03/2017 तक 37वें PSPB अंतर यूनिट कैरम टूर्नमेंट का आयोजन किया गया. इस प्रतिष्ठित टूर्नमेंट में विभिन्न तेल PSU का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के खिलाडियों ने भाग लिया. IOCL ने, पुरुष एवं महिला, दोनों प्रतियोगिताओं में विजय हासिल की और ONGC ने दोनों टीम श्रेणियों में दूसरा स्थान प्राप्त किया.

वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी का अपने सहयोगियों के साथ संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहा और इस दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया.

अ.जा; / अ.ज.जा. / पीडब्ल्यूडी के बारे में रिपोर्ट करना

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण देने के बारे में सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेश और अन्य दिशानिर्देश. संधारणीय एवं प्रभावशाली अनुपालन करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र लागू किया गया है. सरकारी निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. निदेशों के अनुसार आरक्षण रोस्टर रखे गए हैं जिनका कंपनी के संपर्क अधिकारी एवं MoP&NG के अधिकारी द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि निदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

एमआरपीएल, नि:शक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को रोजगार के अवसर प्रदान करने से संबंधित नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन भी करता है. यथा 31/03/2017, नि:शक्त 28 स्थाई कर्मचारी एमआरपीएल में काम कर रहे थे.

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 3 महिला कर्मचारियों और अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST)के 46 कर्मचारियों समेत 120 कर्मचारियों की भर्ती की. 31/03/2017 को कुल कर्मचारियों की संख्या 1,917 रही जिनमें 132 महिला कर्मचारी, 252 अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारी और 28 शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारी (पीडब्ल्यूडी) हैं. 821 कर्मचारी, प्रबंधन संवर्ग के हैं जब कि 1,096 कर्मचारी गैर-प्रबंधन संवर्ग के हैं. वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने प्रशिक्षण, विकास और सीखने के लिए 5142 श्रम दिवस लगाए जो प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 3.71 श्रम दिवस और गैर प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 2.42 श्रम दिवस बनता है.

राष्ट्रपति के निदेश के परिच्छेद-29 के अनुसार, निर्धारित प्रोफार्मा में अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यावेदन से संबंधित आंकड़ें, अ.जा./अ.ज.जा./ OBC रिपोर्ट - I और अ.जा./अ.ज.जा./ OBC रिपोर्ट - II, रिपोर्ट के **अनुबंध-ग** के रूप में संलग्न की गई है.

कुशलता विकास केंद्र

भारत सरकार के राष्ट्रीय कुशलता विकास मिशन के अंग के तौर पर एमआरपीएल ने 12/02/2017 को एमआरपीएल कौशल विकास केंद्र (MRPL KVK) खोला. MRPL KVK के पहले बैच के 60 अभ्यर्थी, नेट्टूर टेकनिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन (NTTF), बेंगलूर में " CNC प्रचालक टर्निंग " और " औद्योगिक इलेक्ट्रिशियन " पाठ्यक्रम में कौशल विकास प्रशिक्षण पा रहे हैं.

महिलाओं का सशक्तीकरण

कंपनी के कार्य बल में महिला कर्मचारियों का अनुपात 6.88 प्रतिशत है. वर्ष के दौरान, लिंग सक्रियकरण पर कार्यक्रम सहित महिलाओं के सशक्तीकरण और विकास की खातिर कार्यक्रम चलाए गए. आपकी कंपनी में, कार्य स्थान पर महिला का यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाई है. विव 2016-17 के दौरान समिति को किसी मामले की खबर नहीं दी गई.

राजभाषा

आपकी कंपनी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा नीति का कार्यान्वयन कर रही है. कर्मचारियों में हिन्दी का, प्रचार-प्रसार करने और प्रवर्धन करने की दृष्टि से, मंगलूर, मुंबई, दिल्ली और बेंगलूर कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएँ, नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं. नियमित अंतरालों में आंतरिक विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों के, उपयोग किए जा रहे रेकॉर्डों/दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया और हिन्दी को बढ़ावा दिया गया.

साथ ही सितंबर 2016 के महीने में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिन्दी श्रुतलेख, हस्तलेख, प्रशासनिक शब्दावली, हिन्दी पढ़ो, समझो और टिक् करो, समाचार पत्र पढ़ना आदि जैसी बहुत सारी हिन्दी प्रतियोगिताओं का, कर्मचारियों, उनके बच्चों और परिवार के सदस्यों के लिए आयोजन किया गया.

इसके अलावा कर्मचारियों की खातिर जनवरी 2017 में एक और हिन्दी प्रतियोगिता चलाई गई (प्रशासनिक शब्दावली). राष्ट्रीय संरक्षा दिवस, पर्यावरण दिवस, सुरक्षा जागरूकता सप्ताह और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों लिए प्रतिस्पर्धाएँ, हिन्दी भाषा में आयोजित की गईं. हिन्दी मास संबंधी समारोहों के दौरान मप्र और समप्र जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विशेष प्रश्नोत्तरी प्रतिस्पर्धा चलाते हुए हिन्दी का प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है.

प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञा परीक्षाओं और हिन्दी स्टेनो परीक्षा में अर्हता हासिल करने के लिए कर्मचारियों की खातिर नियमित रूप में हिन्दी कक्षाएं चलाई जाती हैं. नकद पुरस्कार और वैयक्तिक वेतन आदि जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए कर्मचारियों को हिन्दी परीक्षाएं पास करने के लिए प्रेरित किया जाता है. संगठन में हिन्दी पत्राचार बढ़ाने के लिए दैनिक कार्यालय कामकाज में इस्तेमाल किए जाते रहे सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड सुविधाएं सक्षम की गईं.

कक्षा-X की हिन्दी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एमआरपीएल टाउनशिप में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) के 30 छात्रों को विशेष पुरस्कार दिए गए.

आपकी कंपनी ने नराकास स्तर पर आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर आठ पुरस्कार जीते और नराकास स्तर की प्रतियोगिताओं में दूसरा स्थान प्राप्त किया. एमआरपीएल में नराकास सदस्य संगठनों के कर्मचारियों के लिए हिन्दी एकल गायन प्रतियोगिता चलाई गई. इसके अलावा, हिन्दी मास संबंधी समारोहों के अंग के तौर पर नराकास मंगलूर के तत्वावधान में मंगलूर विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज छात्रों के लिए हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई. एमआरपीएल ने, नराकास स्तर पर वर्ष 2016-17 में हिन्दी कार्यान्वयन में असाधारण निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार हासिल किया.

कंपनी में हिन्दी का प्रचार-प्रसार और प्रवर्धन करने की खातिर, " एमआरपीएल प्रतिबिंब " नामक एक गृह पत्रिका, हिन्दी में प्रकाशित की जा रही है. एमआरपीएल, राजभाषा (राभा) के दिशानिर्देशों का पालन करता आया है और इस दिशा में वर्ष की चारों तिमाहियों के दौरान प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (राभाकास) की बैठकें आयोजित की गईं जिनमें एमआरपीएल में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा की गई और हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई गई. आपकी कंपनी, कर्मचारियों को प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और प्रोत्साहन के जरिए प्रेरित करते हुए संगठन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की खातिर लगातार प्रयास कर रही है.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी की आरटीआई पुस्तिका, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसमें तमाम अपेक्षित जानकारी प्रकट की गई है. वर्ष के दौरान, 174 आवेदन पत्र मिले जिनमें से 150 आवेदन पत्र 31/03/2017 से पहले निपटाए गए, 01 आवेदन पत्र, अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी के पास भेजा गया और शेष 23 आवेदन पत्र, 31/03/2017 के बाद निपटाया गए.

सुरक्षा उपाय

रिफाइनरी में सुरक्षा का इंतजाम, तेल क्षेत्र के लिए बुनियादी संरक्षण योजना (OSIPP) में दिए गए दिशानिर्देशों और MHA द्वारा समय-समय पर की गई सुरक्षा लेखा परीक्षा संबंधी सिफारिशों के अनुरूप किया गया है.

रिफाइनरी का प्रत्यक्ष संरक्षण करने की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपी गई है. कंपनी ने, रिफाइनरी के चरण-3 क्षेत्र में अधिक सुरक्षा व्यवस्था करने की खातिर हाल में 62 CISF कर्मियों की एक अतिरिक्त टुकड़ी तैनात की. CISF के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव MHA के विचाराधीन है.

कंपनी, सुरक्षा को हमेशा से प्राथमिकता देती रही है और हर वक्त तत्पर रहने के लिए कार्य स्थान पर नकली प्रदर्शनों का इंतजाम किया जाता है. सभी हिस्सेदारों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वक्त-वक्त पर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जाता है. रिफाइनरी का इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण और मजबूत करने के लिए एक समेकित CCTV सह इलेक्ट्रॉनिक अतिक्रमण जासूसी तंत्र का कार्यान्वयन किया जा रहा है.

सतर्कता कार्य

आपकी कंपनी ने सतर्कता का कामकाज संभालने के लिए एक संरचित तंत्र बनाया है जिसके जरिए सभी हिस्सेदारों के लिए मूल्य निर्मित करने के प्रति अधिक ध्यान दिया जाता है. इस पद्धति में, अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बहुत सारे स्तरों पर जांच-पड़ताल की जाती है और संतुलन बनाए रखा जाता है. वर्ष के दौरान सतर्कता जागरूकता और निवारक सतर्कता संबंधी गतिविधियां लगातार चलाई गईं. नए मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री राजीव कुशवाह, ITS ने 15/04/2017 को अपना कार्यभार संभाला.

CVC के अनुदेशों का अनुपालन करते हुए आपकी कंपनी ने शिकायत संभालने की नीति लागू की है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तमाम शिकायतों का, सतर्कता द्वारा रेकॉर्ड रखकर उनका परीक्षण किया जाता है. एमआरपीएल कार्पोरेट वेबसाइट का पुनर्योजन किया गया है जिसमें ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रणाली शामिल की गई है. एमआरपीएल के कार्पोरेट वेबसाइट में बेहतरीन सतर्कता पद्धतियों के ब्यौरे और विभिन्न उपयोगी वेबसाइटों के लिंक भी दिए गए हैं. आपकी कंपनी ने ई-टेंडर और ई-भुगतान के मामले में उच्चतम अनुपालन स्तर हासिल किया है.

CVC के अनुदेशों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने, भ्रष्टाचार के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम चलाया. मंगलूरु के नागरिकों को ई-ईमानदारी की शपथ लेने के लिए मंगलूरु नगर निगम ने एक सार्वजनिक कीयॉस्क स्थापित किया. सार्वजनिक जिंदगी में पारदर्शिता पर जागरूकता बढ़ाने की खातिर सूरत्कल में पद यात्रा का आयोजन किया गया. इस मौके पर स्कूल के बच्चों की खातिर वाद-विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई. एमआरपीएल और ऑल इंडिया रेडियो ने वर्ष के दौरान कई सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम चलाएं.

DoPT ने सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सतर्कता संबंधी स्थिति के बारे में जानने के लिए एक वेब सक्षम ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया. आपकी कंपनी, बोर्ड स्तर के और बोर्ड स्तर से निचले स्तर के कर्मचारियों की सतर्कता संबंधी स्थिति, वेब सिस्टम में अद्यतन बना रही है.

पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से प्रौद्योगिकी का फायदा उठाना, एक दबाव वाला कार्य क्षेत्र रहा है जिसमें सतर्कता ने उत्प्रेरक की भांति भूमिका निभाई है. कंपनी के वेबसाइट पर, डाउनलोड करने लायक टेंडर दस्तावेज, नामांकन आधार पर दिए गए कार्य की जानकारी का प्रकाशन, ठेके देने के बाद की जानकारी का प्रकाशन प्रदर्शित किया जाता है.

मुखबिर नीति

निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र उपलब्ध कराने के लिहाज से मुखबिर नीति बनाई गई है ताकि अनैतिक बरताव, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा कंपनी की आचरण संहिता अथवा नैतिकता संबंधी नीति के उल्लंघन के बारे में प्रामाणिक मुद्दे उठाए जा सके. इसमें इस तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय भी हैं. प्रतिशोध अथवा उत्पीड़न के कारण सद्भाव से मुखबिर बनते हुए सतर्कता तंत्र का उपभोग करने वाले निदेशकों और कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने और अपवादात्मक मामलों में निदेशकों और कर्मचारियों को सीधे लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से संपर्क करने का मौका प्रदान करने के लिए नीति में आवश्यक रक्षोपाय हैं. यह नीति, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है. वर्ष के दौरान, मुखबिर नीति के तहत कोई शिकायत नहीं मिली.

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी के समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(द) का अनुसरण करते हुए प्रकट करने के लिए अपेक्षित जानकारी **अनुबंध ' घ '** में दी गई है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

प्रबंधन का पारिश्रमिक और कर्मचारियों के विवरण

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के तहत जानकारी पेश करने से छूट दी गई है.

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को, DPE के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमों और शर्तों के अंदर प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; MoP&NG द्वारा नियुक्त किया जाता है.

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

फार्म MGT-9 में दिए गए वार्षिक विवरणी के उद्धरण का भाग बनने वाले ब्यौरे के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(क) का अनुसरण करते हुए प्रकट करने के लिए अपेक्षित जानकारी **अनुबंध ' ङ '** में दी गई है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन और संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए ठेकों अथवा व्यवस्थाओं के विवरण

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए तमाम लेन-देन, नजदीकी तेल भंडारों से और कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए.

साथ ही, वर्ष के दौरान प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारियों के साथ सामग्री से जुड़े कोई लेन-देन नहीं किए गए. कंपनी ने संबद्ध पक्षकार संबंधी नीति और कार्यविधि अपनाई जो कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा किए गए हर एक ठेके अथवा व्यवस्था के, निर्धारित फार्म सं. AOC - 2 में प्रकट विवरण, **अनुबंध -** च के रूप में संलग्न किए गए हैं. MCA ने अपनी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के जरिए, दो सरकारी कंपनियों के बीच हुए लेन-देन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) की अनुप्रयोज्यता से छूट दी है.

निदेशकों और निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कर्मचारियों में हुए परिवर्तन.

एमआरपीएल, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG) द्वारा की जाती है और इस कारण, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक से संबंधित नीति के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ङ) के प्रावधान, MCA की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होते हैं.

श्री ए.के. साहू ने 01-012-2016 को निदेशक (वित्त) के रूप में अपना पद संभाला और इनको 03-09-2016 को संपन्न 28वीं वार्षिक महासभा में, श्री विष्णु अग्रवाल के स्थान पर, जो कंपनी की सेवाओं से निवृत्त हुए, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया. श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (GP), MoP&NG को, 09-03-2016 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 03-09-2016 को संपन्न 28वीं वार्षिक महासभा में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया. श्री बी.के. नामदेव, नामिती निदेशक, HPCL, 31/10/2016 को HPCL की सेवाओं से निवृत्त होने के कारण निदेशक नहीं रहें और श्री विनोद एस. शेणै, निदेशक (रिफाइनरी) HPCL को, 08/11/2016 से आकस्मिक रिक्ति में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया. बोर्ड, संबंधित कार्यकाल के दौरान निर्गामी निदेशकों द्वारा प्रदान की गईं अमूल्य सेवाओं की भूरी-भूरी प्रशंसा करता है.

MoP&NG द्वारा 31/01/2017 से, गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित सुश्री मंजुला, सी. को बोर्ड ने 31/01/2017 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जो, इस AGM में अपना पद खाली करेंगी और पात्र होने के नाते 29वीं वार्षिक महासभा में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की पेशकश करती हैं.

औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन

एक सरकारी कंपनी होने के नाते एमआरपीएल को, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में, बोर्ड समितियों और प्रत्येक निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (प) के प्रावधान लागू नहीं होंगे. लेकिन सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुसार, मंडल ने स्वतंत्र निदेशक का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया था.

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों ने कोई बैठक इसलिए नहीं बुलाई कि कंपनी में एक ही स्वतंत्र निदेशक थे.

निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल, विव 2016-17 के लिए नीचे उल्लिखित बयान देते हैं:

क) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय, महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने के साथ-साथ लागू Ind AS का पालन किया गया है.

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियां अपनाईं और उनको लगातार लागू किया तथा मुनासिब और विवेक पूर्ण ढंग से फ़ैसले और आकलन किए जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज का और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि का सही एवं निष्पक्ष चित्र पेश किया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की हिफ़ाज़त करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी पर्याप्त रेकॉर्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती;

घ) निदेशकों ने वार्षिक वित्तीय विवरण, समुत्थान आधार पर तैयार किए हैं;

ङ) निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रक तय किए हैं जिनका कंपनी द्वारा पालन करना होगा और यह कि ऐसे आंतरिक नियंत्रक, पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से चलाए जा रहे हैं; और

च) निदेशकों ने ऐसे उचित तंत्र बनाए हैं जिससे कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और यह कि ऐसे तंत्र, पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से चलाए जा रहे हैं.

सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति ने निदेशकों की जिम्मेदारी से संबंधित बयान की समीक्षा की है.

बोर्ड की बैठकों की संख्या

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 2016-17 के दौरान छह (6) बैठकें बुलाईं. दो बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि, कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा निर्धारित 120 दिन से अधिक नहीं रही. बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे, निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में पेश किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन, कंपनी (मंडल की बैठकें और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 18 के तहत यथा निर्धारित विचारार्थ विषय और सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया.

ऐसी कोई घटनाएँ नहीं हुईं जहां निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार न किया हो. लेखा परीक्षा समिति के ब्यौरे, निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिए गए हैं जो इस रिपोर्ट का एक ही एक भाग है.

पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध न होने के कारण, लेखा परीक्षा समिति का, कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार गठन नहीं किया गया है.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 तथा CPSE के लिए निगमित अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी ने, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है. नामांकन और पारिश्रमिक समिति के ब्यौरे, निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में प्रकट किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का एक ही एक भाग है.

एमआरपीएल, एक ' अनुसूची--A ' मिनीरत्न श्रेणी-1 का, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति, संबंधित नियम, शर्तें और पारिश्रमिक, सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं. एमआरपीएल, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) द्वारा की जाती है.

पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध न होने के कारण, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का, कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार गठन नहीं किया गया है.

जोखिम प्रबंधन नीति

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुरूप, आपकी कंपनी ने अपने समग्र संगठन में प्रतिष्ठान-व्यापक जोखिम प्रबंधन (ERM) नीति बनाकर लागू की. लेखा परीक्षा समिति, वक्त-वक्त पर, एमआरपीएल में जोखिम निर्धारण और प्रक्रिया के न्यूनतमीकरण की समीक्षा करती है.

विनियामकों/अदालतों द्वारा पारित उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेश

विनियामकों/अदालतों ने ऐसे कोई उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए हैं जो कंपनी की समुत्थान स्थिति और उसके भावी प्रचालन को प्रभावित करें.

निगमित अभिशासन

कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 ने देश में अभिशासन प्रणाली को मजबूत बनाया है. आपकी कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013, SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के अंतर्गत प्रदान की गईं अभिशासन संबंधी अपेक्षाओं का पालन किया है और अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में निदेशक मंडल की संरचना की बात को छोड़कर कंपनी अभिशासन की अपेक्षाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के तमाम आज्ञापक प्रावधानों तथा DPE, भारत सरकार द्वारा CPSE के लिए जारी कंपनी अभिशासन संबंधी अनिवार्य दिशानिर्देशों का पालन किया है.

वित्त 2016-17 की निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का एक भाग है.

SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 की अनुसूची V का अनुसरण करते हुए कंपनी अभिशासन के शर्तों का अनुपालन करने संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र भी वार्षिक रिपोर्ट का ही एक भाग है. लेखा परीक्षकों ने, कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अभ्युक्तियां की हैं. कंपनी, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOPNG) के साथ उठा रही है.

कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 की अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए नीचे उल्लिखित नीतियां/संहिताएं बनाई गईं हैं जिनको कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर अपलोड किया गया है.

क) मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता;
ख) मुखबिर नीति;
ग) संबद्ध पक्षकार के लेन-देन - नीति और कार्यविधियां;
घ) CSR और SD संबंधी नीति;
ङ) मटीरियल सब्सिडीयरी संबंधी नीति;
च) एमआरपीएल की प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने संबंधी आंतरिक कार्यविधि और आचरण संबंधी संहिता;
छ) शेयर बाजारों को घटनाएं प्रकट करने के लिए तात्विकता संबंधी नीति;
ज) दस्तावेजों का परिरक्षण करने संबंधी नीति;
झ) बोर्ड के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति;
ञ) लाभांश वितरण नीति.

कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट

SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 में बाजार के पूंजीकरण के आधार पर 500 सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के अंग के तौर पर कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (BRR) शामिल करना आज्ञापक बनाया गया है. विनियम का पालन करने की दृष्टि से BRR, इस रिपोर्ट का ही एक भाग है.

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार, वित्त 2016-17 की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (MDA), इस रिपोर्ट का ही एक भाग बनती है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी ने सुव्यवस्थित एवं पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और कार्यविधि बनाई है. कंपनी ने अपने विवेकाधीन अधिकारों से संबंधित पुस्तिका (DOP) के जरिए विभिन्न कार्यपालकों को सुव्यवस्थित तरीके से वित्तीय अधिकार दिए हैं. कंपनी में, प्रचालन आकार के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण विभाग काम कर रहा है. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा वक्त-वक्त पर लेखा परीक्षा संबंधी अभ्युक्तियों की समीक्षा की जाती है और जब कभी ज़रूरत पड़े, आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं.

लेखा परीक्षक

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक

वित्र 2016-17 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक रहे, मेसर्स श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्, चेन्नई तथा मेसर्स ए राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स, मंगलूर. इन्होंने 2016-17 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की और अपनी रिपोर्ट पेश की जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में किसी अर्हता का उल्लेख नहीं किया गया है. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निर्दिष्ट लेखों पर टिप्पणियां, स्वत: स्पष्ट हैं और इसलिए इन पर आगे टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है.

सांचिविक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 का अनुसरण करते हुए वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक सांचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, नोएडा को मुर्करर किया है. मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, नोएडा ने वर्ष 2016-17 के लिए सांचिविक लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट जारी की है जो **अनुबंध ' छ '** के रूप में इस रिपोर्ट का ही एक भाग है. लेखा परीक्षकों ने, कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार ओवरटाइम कार्य समय के बारे में अभ्युक्तियां की हैं. कंपनी, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) के साथ उठा रही है. जहां तक कार्य समय के बारे में की गईं अभ्युक्तियों का संबंध है, यह मामला उद्योग समूह द्वारा सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग के साथ उठाया गया है.

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लागत लेखों की लेखा परीक्षा, लागत लेखा परीक्षक, मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एण्ड कं., कोलकाता द्वारा की जा रही है.

मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एण्ड कं., कोलकाता को वित्र 2017-18 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है.

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों पर C&AG की टिप्पणियां

वित्र 2016-17 के लिए समेकित एवं स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (C&AG) की टिप्पणियाँ, इस रिपोर्ट का ही एक अंग हैं और इसे **अनुबंध " ज "** के रूप में संलग्न किया है. आपको यह जानकारी खुशी होगी कि आपकी कंपनी को वर्ष 2016-17 के लिए C&AG से कोई टिप्पणी नहीं मिली है.

आभार

आपका निदेशक मंडल, शेयरधारकों का शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने अपनी कंपनी पर लगातार भरोसा किया. आपके निदेशक, भारत सरकार (GoI), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG), वित्त मंत्रालय (MoF), कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA), सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग(DPE), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF), विदेश मंत्रालय (MEA), जहाजरानी मंत्रालय (MoS), गृह मंत्रालय (MHA) और अन्य मंत्रालयों एवं केंद्र तथा राज्य सरकार के विभागों और कर्नाटक सरकार को उनके अमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन एवं सतत सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता है.

आपके निदेशक, अपनी मूल कंपनी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) से मिलते रहे सतत समर्थन और निर्देश एवं कंपनी के प्रवर्तक होने के नाते, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के समर्थन के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं. आपके निदेशक, नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और बाकी सभी हिस्सेदारों से प्राप्त सतत सहयोग और समर्थन के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं. आपके निदेशक, कंपनी के उत्पादों के लिए बेशकीमती ग्राहकों से मिले सहयोग की कद्र करते हैं और उनके संतोष पर्यंत काम करने का वादा करते हैं. बोर्ड, वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी की उत्कृष्ट उपलब्धि में तमाम कर्मचारियों के, " टीम एमआरपीएल " के रूप में एकजुट होकर एक टीम की भांति संगठित रूप से किए गए सतत प्रयासों एवं अमूल्य सेवाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करता है.

मंडल के लिए और उसकी ओर से

(दिनेश. के. सर्राफ़)
अध्यक्ष
(DIN: 00147870)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19/07/2017

अनुबंध -' क '

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों (CSR) पर वार्षिक रिपोर्ट

[अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (न) और कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के नियम 8(1) के (न) का अनुसरण करते हुए]

1. हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर नज़र डालते हुए कंपनी की CSR और SD नीति का एक संक्षिप्त लेखा-जोखा और CSR नीति एवं परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के प्रति वेब लिंक का संदर्भ.

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) एक मिनीरत्न अनुसूची ' A ' का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) की सहयोगी कंपनी है जो वर्ष-दर-वर्ष भारतीय हाइड्रोकार्बन अनुप्रवाह क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करती आ रही है. प्रारंभ से लेकर एमआरपीएल, " संरक्षण " नाम के साए तले निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियां (CSR) चलाता आ रहा है.

एमआरपीएल की CSR नीति, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII तथा कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी नीति) नियम, 2014 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाई गई है. निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास संबंधी नीति, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर उपलब्ध है.

2016-17 के दौरान कंपनी द्वारा हाथ में ली गईं परियोजनाओं और कार्यक्रमों के वैशिष्ट्य इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किए गए हैं.

2. CSR और SD समिति की संरचना

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती पेरिन देवी	अध्यक्ष
2.	श्री विनोद एस. शेणै	सदस्य
3.	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	सदस्य
4	सुश्री मंजुला सी.	सदस्य
5.	श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक	सदस्य
6.	श्री एम. वेंकटेश, निदेशक (रिफाइनरी)	सदस्य
7.	श्री ए. के. साहू, निदेशक (वित्त)	सदस्य

3. वित्तीय ब्यौरे:

विवरण	₹ करोड़ में
कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ	नकारात्मक
वित्त 2015-16 से आगे लाई गई CSR व्यय के निमित्त खर्च की जाने वाली रकम	कुछ नहीं
* वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए खर्च की जाने वाली कुल रकम	5.00
वित्त 2016-17 के दौरान खर्च की गई रकम	1.45
खर्च न की गई रकम	3.55

* चूंकि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान PBT नकारात्मक रहा इसलिए बोर्ड ने इस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त 2016-17.के दौरान CSR संबंधी गतिविधियों के लिए ₹ 5.00 करोड़ का अनुदान दिया.

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान रकम किस तरह से खर्च की गई

अनुबंध के अनुसार

5. CSR समिति का दायित्व संबंधी यह बयान कि CSR संबंधी नीति का कार्यान्वयन और अनुवीक्षण, कंपनी के CSR उद्देश्यों और नीति के अनुपालन के अनुरूप है.

कंपनी की CSR संबंधी गतिविधियां, कंपनी की CSR एवं SD नीति के अनुरूप हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा DPE के दिशानिर्देशों से मेल खाती है.

6. अगर कंपनी ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ (INR) का 2% या उसका कोई भाग खर्च करने में नाकाम रहा हो तो कंपनी को रकम खर्च न करने की वजह बतानी होगी.

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान PBT नकारात्मक रहा लेकिन बोर्ड ने इस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त 2016-17 के दौरान CSR संबंधी गतिविधियों के लिए ₹ 5.00 करोड़ प्रदान किए. इन बातों के मद्दे नज़र, यह लागू नहीं होता है.

हस्ता/-
एच. कुमार
(प्रबंध निदेशक)
(DIN : 06851988)

हस्ता/-
पेरिन देवी
अध्यक्ष CSR और SD समिति)
(DIN : 07145051)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं	**पहचानी गई CSR परियोजना/गतिविधि**	**किस क्षेत्र में परियोजना को कवर किया गया है**	**परियोजनाएं/ कार्यक्रम 1. स्थानीय इलाका/ अन्य 2. उस राज्य के ज़िले का नाम निर्दिष्ट करें जिसमें कार्यक्रम चलाया गया**	**परिव्यय की रकम (बजट) परियोजना/ कार्यक्रम वार (₹ लाखों में)**	**परियोजना/ पूर्व कार्यक्रम पर खर्च की गई रकम उप शीर्ष: 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवरहेड् (₹ लाखों में)**	**रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (₹ लाखों में)**	**खर्च की गई रकम: सीधे/ कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए (₹ लाखों में)**
I.	**शिक्षा संरक्षण**						
1	मंगलपेटे और शांतलिके में पेर्मुदे पंचायत के लिए आंगनवाड़ी भवन	शिक्षा को बढ़ावा देना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला कर्नाटक राज्य	15.00	वही (जो 5 में दिया गया है) प्रत्यक्ष व्यय,कोई ओवरहेड् नहीं	0.00	लागू नहीं
2	नाडूगोडू स्कूल के भवन की मरम्मत	-वही-	-वही-	5.00	-वही-	3.10	सरकारी हाई स्कूल नाडूगोडू को भुगतान निर्मोचित किया गया है
3	पेजावर हाई स्कूल/उच्चतर प्राथमिक स्कूल कलावर को समर्थन - किताबें, फ़र्नीचर और अन्य रचनात्मक विकास	-वही-	-वही-	5.00	-वही-	5.00	पेजावर हाई स्कूल/उच्चतर प्राथमिक स्कूल को भुगतान निर्मोचित किया गया है
4	सरकारी पी .यू. कॉलेज कृष्णपुरा में विज्ञान प्रयोगशाला का विकास	-वही-	-वही-	5.00	-वही-	3.90	सरकारी पी .यू. कॉलेज कृष्णपुरा भुगतान निर्मोचित किया गया है
5	पेर्मुदे हिंदू सहायता प्राप्त निम्नतर प्राथमिक स्कूल के लिए क्लास रूम	-वही-		5.00		5.00	पेर्मुदे हिंदू सहायता प्राप्त उच्चतर प्राथमिक स्कूल को भुगतान निर्मोचित किया गया है
6	मंगलूरु में आंगनवाड़ी भवन	-वही-	-वही-	7.00	-वही-	2.34	DKNK सूरत्कल को भुगतान निर्मोचित किया गया है
II	**स्वच्छ भारत परियोजनाएं**						
1	जोकट्टे, पेर्मुदे, सूरिंजे और चेलारु ग्राम पंचायत में धुआं मुक्त गांव	निवारक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना	-वही-	10.26	-वही-	10.26	LPG तीन विपणन एजेंसियों को भुगतान निर्मोचित किया गया है
2	स्वच्छ भारत अभियान - रामकृष्ण मिशन मंगलूर को	निवारक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना	-वही-	50.00	-वही-	42.50	स्वच्छ अभियानों की संख्या के आधार पर रामकृष्ण मठ को भुगतान किया गया है
3	माता अमृतानंदमई मठ मंगलूरु को समर्थन	निवारक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना	-वही-	10.00	-वही-	4.00	स्वच्छ अभियानों की संख्या के आधार पर माता अमृतानंदमई मठ को भुगतान किया गया है
4	स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत निर्मित स्कूल के शौचालयों का अनुरक्षण	स्वच्छता को बढ़ावा देना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला कर्नाटक राज्य	15.00	-वही-	0.00	संबंधित स्कूल के खाते में भुगतान किया गया है
5	बलमट्टा स्कूल मंगलूर के शौचालय की पहली मंज़िल का निर्माण	स्वच्छता को बढ़ावा देना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला कर्नाटक राज्य	7.00	-वही-	4.91	कॉलेज की समुन्नति समिति द्वारा चलाए गए खाते में भुगतान किया गया है

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं	**पहचानी गई CSR परियोजना/गतिविधि**	**किस क्षेत्र में परियोजना को कवर किया गया है**	**परियोजनाएं/ कार्यक्रम 1. स्थानीय इलाका/ अन्य 2. उस राज्य के ज़िले का नाम निर्दिष्ट करें जिसमें कार्यक्रम चलाया गया**	**परिव्यय की रकम (बजट) परियोजना/ कार्यक्रम वार (₹ लाखों में)**	**परियोजना/ पूर्व कार्यक्रम पर खर्च की गई रकम उप शीर्ष: 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवरहेड् (₹ लाखों में)**	**रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (₹ लाखों में)**	**खर्च की गई रकम: सीधे/ कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए (₹ लाखों में)**
6	शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता को बढ़ावा देना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला कर्नाटक राज्य	29.48	-वही-	4.98	संबंधित स्कूल के विकास प्रबंधन समिति को भुगतान निर्मोचित किया गया है
7	श्री राम स्कूल कल्लडका को समर्थन	स्वच्छता को बढ़ावा देना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला कर्नाटक राज्य	25.00	-वही-	25.00	श्री राम विद्या केंद्र, कल्लडका को भुगतान किया गया है
III	**आरोग्य संरक्षण**						
1	चैलारु पुनर्वास कालोनी में नि:शुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना	निवारक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला कर्नाटक राज्य	5.00	-वही-	1.90	सीधे डॉक्टर को और किराया, परिसर के मालिक को
2	चैलारु पुनर्वास कालोनी में नि:शुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना	निवारक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना	-वही-	5.00	-वही-	0.87	सीधे डॉक्टर को
IV	**ग्रामीण विकास**						
1	जोकट्टे ग्राम पंचायत में CSR गतिविधि- पुश्ता दीवार	ग्रामीण विकास	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला कर्नाटक राज्य	14.00	-वही-	0.00	लागू नहीं
2	चैलारु पुनर्वास कॉलोनी में ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास	-वही-	23.61	-वही-	0.00	लागू नहीं
3	सरपाडी गांव का ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास	-वही-	40.00	-वही-	0.00	लागू नहीं
V	**अन्य CSR परियोजनाएं**				-वही-		लागू नहीं
1	बाल ग्राम पंचायत के समुदाय कक्ष और आंगनवाड़ी भवन की पेंटिंग, सिविल कार्य	ग्रामीण विकास	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला कर्नाटक राज्य	13.50	-वही-	0.00	लागू नहीं
2	स्थानीय संगठन-स्वास्थ्य केंद्र और अन्य संगठनों को फ़र्नीचर देना	ग्रामीण विकास	-वही-	4.37	-वही-	0.00	लागू नहीं
3	धारवाड़ में CSR परियोजनाएं	ग्रामीण विकास	1. अन्य 2. धारवाड़ ज़िला, कर्नाटक राज्य	46.00	-do-	0.00	लागू नहीं
4	दक्षिण कन्नड ज़िले में अ.जा./अ.ज.जा. के हॉस्टेलों में संरचनात्मक विकास	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कल्याण	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला कर्नाटक राज्य	10.00	-वही-	0.00	लागू नहीं
5	KPT मंगलूर/अन्य संगठनों के जरिए बेरोजगार युवकों/महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ कुशलता विकास कार्यक्रम	रोज़गार बढ़ाने वाली व्यावहारिक कुशलता	-वही-	30.00	-वही-	20.00	प्रशिक्षण चलाने के लिए मेसर्स NTTF को सीधे भुगतान किया गया है

1 क्रम सं	2 पहचानी गई CSR परियोजना/गतिविधि	3 किस क्षेत्र में परियोजना को कवर किया गया है	4 परियोजनाएं/ कार्यक्रम 1. स्थानीय इलाका/ अन्य 2. उस राज्य के ज़िले का नाम निर्दिष्ट करें जिसमें कार्यक्रम चलाया गया	5 परिव्यय की रकम (बजट) परियोजना/ कार्यक्रम वार (₹ लाखों में)	6 परियोजना/ पूर्व कार्यक्रम पर खर्च की गई रकम उप शीर्ष: 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवरहेड् (₹ लाखों में)	7 रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (₹ लाखों में)	8 खर्च की गई रकम: सीधे/ कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए (₹ लाखों में)
6	पेय जल शुद्धीकरण प्रणाली - जिला परिषद	सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	-वही-	25.29	-वही-	0.00	लागू नहीं
7	हरित पोषण परियोजनाएं	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	-वही-	48.50	-वही-	5.82	श्री रामचंद्र पी.यू. कॉलेज, पेरने और DKZP उच्चतर प्राथमिक स्कूल अंगरगुंडी, बैकंपाडी को सीधे भुगतान किया गया
8	पशु कल्याण परियोजनाएं - रामचंद्रापुरा मठ, शिमोगा की महानधी गोलोका परियोजना के लिए समर्थन	पशु कल्याण	-वही-	7.00	-वही-		लागू नहीं
9	शिशु देखभाल केंद्र	महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए घर और हॉस्टेल बनाना	-वही-	5.00	-वही-		लागू नहीं
	मंगला सेवा समिति को समर्थन	महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए घर और हॉस्टेल बनाना	-वही-	5.00	-वही-	5.00	मेसर्स मंगला सेवा समिति को सीधे भुगतान किया गया है
10	केनरा ऑर्गनाइज़ेशन फॉर डेवलपमेंट एण्ड पीस (CODP) द्वारा प्रस्तावित वाटर शेड प्रबंधन परियोजना के लिए समर्थन	प्राकृतिक संसाधनों को परिरक्षण	-वही-	4.25	-वही-	0.00	लागू नहीं
11	असईगोली में वृद्धाश्रम के लिए समर्थन	वृद्धाश्रम की स्थापना	-वही-	5.00	-वही-	0.00	लागू नहीं
12	महिला सांत्वना केंद्र को कंप्यूटर	सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	-वही-	1.845	-वही-	0.00	लागू नहीं
13	चेलइरु में टैंकरों के जरिए पेय जल	सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	-वही-	3.06	-वही-	0.00	लागू नहीं
14	आरक्षित निधि			14.83		0.04	एमआरपीएल और HPCL निर्वासित समिति को सामुदायिक कक्ष के मेस्कॉम बिल के प्रति भुगतान किया गया है
	कुल			**500.00**		**144.63**	

अनुबंध ' ख '

लाभांश वितरण नीति

1. प्रस्तावना

SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 43क के अनुसार, बाजार पूंजीकरण पर आधारित पांच सौ चोटी के प्रतिष्ठानों (हर वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को परिकलित) को लाभांश वितरण नीति बनानी होगी जिसे उनकी वार्षिक रिपोर्टों और वेबसाइटों में प्रकट करनी होगी.

वित्त मंत्रालय के अधीन DIPAM ने अपने कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 27 मई, 2016 के जरिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) की पूंजी संरचना के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें CPSE को अधिदेश दिया गया है कि वे वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन न्यूनतम लाभांश अदा करें.

एमआरपीएल, एक CPSE है जिसे चोटी के 500 सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों में रखा गया है जो SEBI (LODR) विनियम, 2016, DIPAM संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कंपनी (लाभांश की घोषणा और उसका भुगतान), नियम, 2014 एवं यथाशक्य अन्य दिशानिर्देशों का पालन करता है.

2. परिभाषाएं

i. **"अधिनियम "** का मतलब कंपनी अधिनियम 2013

ii. **"कंपनी"** का अर्थ है मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)

iii. " बोर्ड " का मतलब है एमआरपीएल का निदेशक मंडल.

iv. **"SEBI (LODR) विनियम "** से अभिप्राय है भारतीय विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन करने संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015

v. **"DPE"** का मतलब है, सार्वजनिक उद्यम विभाग

vi. **"DIPAM"** का अर्थ है, निवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग

vii. **"DPE"** का मतलब है, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग

viii. **"लाभांश "** में शामिल है कोई अंतरिम लाभांश.

ix. **"PAT"** का मतलब कर पूर्व लाभ.

3. प्रभावी तारीख

यह नीति, मंडल से अनुमोदन मिले दिनांक से अर्थात्; 08/11/2016 से प्रभावी होगी.

4. नीति का उद्देश्य

नीति में उनके शेयरधारकों में लाभांश का वितरण करने और/अथवा शेयरधारकों को पारदर्शिता दिलाने की खातिर लाभ का प्रतिधारण करने अथवा उसका दोबारा विनियोजन करने की दृष्टि से फैसला करने के बारे में स्थूल ढांचा दिया गया है.

नीति में, कंपनी की तरक्की के लिए पर्याप्त धनराशि रखने के बाद लाभ का काफ़ी बड़ा हिस्सा शेयरधारकों को देने का आशय व्यक्त किया गया है.

नति का आशय है, वित्तीय मापदंडों सहित बाह्य एवं आंतरिक कारकों को स्थूल रूप से निर्दिष्ट करना जिन पर, लाभांश घोषित करते समय विचार किया जाएगा और उन परिस्थितियों का जिक्र किया जाएगा जिनके अधीन कंपनी के शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा करे या न करे आदि. नीति को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप स्थूल रूप से बनाया गया है और वित्त मंत्रालय/SEBI/ DPE/DIPAM द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर और यथाशक्य अन्य दिशानिर्देशों पर विचार किया गया है.

5. लाभांश घोषित करते समय किन कारकों पर विचार किया जाएगा

कंपनी का बोर्ड, लाभांश घोषित करने का फैसला करने से पहले नीचे उल्लिखित कारकों पर ध्यान देगा:

बाह्य कारक

- आर्थिक वातावरण
- सांविधिक प्रावधान और दिशानिर्देश
- कराधान और अन्य विनियामक विषय
- उधार लागत

आंतरिक कारक

- नकदी प्रवाह
- भावी पूंजीगत व्यय योजना
- कंपनी का लाभ

उक्त के अलावा कंपनी, अन्य कारकों पर भी विचार कर सकती है जिनमें अन्य बातों के अलावा समाविष्ट है:

- कंपनी के लेनदारों के प्रति दायित्व
- कंपनी के सहायक कंपनियों/सहबद्ध कंपनियों में अतिरिक्त निवेश
- शेयरधारकों/हिस्सेदारों की अपेक्षाएं
- कोई अन्य कारक जो ठीक लगे.

6. वित्तीय मापदंड, जिन पर विचार किया जाएगा

वित्त मंत्रालय के अधीन DIPAM द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, हर एक CPSE को PAT के 30% अथवा निवल मालियत के 5% के समान, जो भी अधिक हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अदा करना होगा बशर्ते कि वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अधीन अधिकतम अनुमत लाभांश अदा किया जाए. लेकिन कंपनी, नीचे उल्लिखित मापदंडों का विश्लेषण करने पर प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का अनुमोदन लेकर कम लाभांश का प्रस्ताव रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि निवल मालियत बढ़ाने वाली निधि को रखकर उसका इष्टतम स्तर तक फायदा इसलिए उठाया जा रहा है कि CPSE द्वारा अधिक निवेश किया जाए.

- ✓ नकद प्रवाह स्थिति
- ✓ भावी पूंजीगत व्यय योजना
- ✓ उधार क्षमता
- ✓ दीर्घावधि उधार

7. ऐसी परिस्थितियां, जिनके अधीन कंपनी के शेयरधारक, लाभांश की अपेक्षा करें या न करें

लाभांश देने का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें लाभांश के जरिए शेयरधारकों को उचित धनराशि देने और भावी तरक्की के लिए लाभ प्रतिधारित करते हुए, दोनों का संतुलन बनाए रखना पड़ता है. कंपनी को, किसी वित्तीय वर्ष में, वर्ष के कर के उपरांत निवल लाभ मिला हो तो लाभांश घोषित करने से पहले इन बातों पर विचार करना पड़ेगा जैसे पूर्व वर्षों के लिए समायोजन, खर्च को प्रलेखित करना, मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करना आदि.

अगर लाभ पर्याप्त न हो अथवा भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित अथवा किसी बाह्य अथवा आंतरिक कारकों के कारण न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध न हो तो कंपनी को लाभांश घोषित करने से रोका जाएगा.

8. विभिन्न श्रेणी के शेयरों के बारे में अपनाए जाने वाले मापदंड

कंपनी ने एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर निर्गमित किए हैं अर्थात्; इक्विटी शेयर. शेयरों के स्वरूप और उससे संबंधित दिशानिर्देशों के आधार पर नई श्रेणी के शेयर निर्गमित करते समय नीति में उपयुक्त परिवर्तन किया जाएगा.

9. लाभांश देने संबंधी कार्यविधि

लाभांश की घोषणा और उसका भुगतान करते समय नीचे उल्लिखित कार्यविधि का पालन किया जाएगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कंपनी (लाभांश की घोषणा और उसका भुगतान) नियम, 2014, SEBI (LODR) विनियम, 2016, DIPAM संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन है.

अंतिम लाभांश:

1. अगर कोई सिफ़ारिश हो तो बोर्ड, सामान्यत: ऐसी सिफ़ारिश अपनी उस बैठक में करता है जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार कर उसे अपनाया जाता है बशर्ते कि कंपनी के शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दिया हो.
2. बोर्ड द्वारा यथा संस्तुत लाभांश के लिए अनुमोदन/उसकी घोषणा, कंपनी की वार्षिक महासभा में दिया जाएगा।/की जाएगी.
3. लाभांश का भुगतान, रेकॉर्ड /बही समापन दिनांक को लाभांश पाने के हकदार शेयरधारकों को घोषणा दिनांक से 30 दिनों के अंदर किया जाएगा.

अंतरिम लाभांश:

1. अगर कोई अंतरिम लाभांश हो(हों) तो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर विचार करने के बाद जो ऐसा लाभांश देने की स्थिति में हो, बोर्ड द्वारा घोषित किया जाएगा.
2. लाभांश का भुगतान, रेकॉर्ड /बही समापन दिनांक को लाभांश पाने के हकदार शेयरधारकों को घोषणा दिनांक से 30 दिनों के अंदर किया जाएगा.
3. अगर कोई अंतिम लाभांश घोषित न किया गया हो तो वर्ष के दौरान कोई अंतरिम लाभांश दिया गया हो तो उसे वार्षिक महासभा में अंतिम लाभांश के रूप में माना जाएगा.

10. लाभांश का वितरण

लाभांश (अंतरिम और अंतिम), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कंपनी (लाभांश की घोषणा और उसका भुगतान) नियम, 2014, SEBI (LODR) विनियम, 2016, के अनुसार शेयरधारकों में वितरित किया जाएगा. निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 के अधीन यथा निर्दिष्ट 7 वर्ष के बाद अदत्त पड़े रहे अदत्त एवं अदावी लाभांश का, निवेशकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण किया जाएगा.

11. संशोधन

इस नीति में तमाम परिवर्तन और संशोधन, कंपनी के निदेशक मंडल का अनुमोदन लेकर किए जाएंगे.

अनुबंध " ग "

SC/ST/OBC रिपोर्ट - II

1 जनवरी 2017 को विभिन्न समूह ' क ' सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण और पूर्व कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान की गईं नियुक्तियों की संख्या.

सार्वजनिक उद्यम का नाम : मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.

वेतन मान (₹ में)	अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी का प्रतिनिधित्व				कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान की गईं नियुक्तियों की संख्या										
	(01/01/2017 को)				प्रत्यक्ष भर्ती से				पदोन्नति से			प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति से			
	कर्मचारियों की कुल संख्या *	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा	ओबीसी	कुल**	अ.जा.	अ.ज.जा	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा	ओबीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24900-50500	92	16	4	28	5	1	0	1	09	-	-	4	-	-	-
29100-54500	62	11	2	16	3	1	0	0	48	-	-	-	-	-	-
32900-58000	91	17	9	17	-	-	-	-	48	05	01	-	-	-	-
36600-62000	27	3	2	5	1	1	0	0	25	-	-	-	-	-	-
43200-66000	17	1	1	4	-	-	-	-	05	-	-	-	-	-	-
51300-73000	3	-	-	1	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
51300-73000	1	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	-	-	-
51300-73000	4	1	-	-	-	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
51300-73000	2	-	-	-	-	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
कुल	**299**	**49**	**18**	**71**	**9**	**3**	**0**	**1**	**164**	**05**	**01**	**5**	**-**	**-**	**-**

*आंकड़ें, 06/01/2005 से (जिस दिन एमआरपीएल PSU हुआ)

**PSU बनने से पहले एमआरपीएल में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं

SC/ST/OBC रिपोर्ट - I

1 जनवरी 2017 को विभिन्न समूह ' क ' सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण और पूर्व कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान की गईं नियुक्तियों की संख्या.

सार्वजनिक उद्यम का नाम : मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.

समूह	अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी का प्रतिनिधित्व				कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान की गईं नियुक्तियों की संख्या										
	(01/01/2017 को)				प्रत्यक्ष भर्ती से				पदोन्नति से			प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति से			
	कर्मचारियों की कुल संख्या *	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा	ओबीसी	कुल**	अ.जा.	अ.ज.जा	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा	ओबीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
समूह क	299	49	18	71	9	3	0	1	164	05	01	5	-	-	-
समूह ख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग	770	106	43	293	38	13	12	0	189	12	04	2	-	-	-
समूह - घ (सफ़ाई कर्मचारियों को छोडकर)	11	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**1080**	**155**	**61**	**369**	**47**	**16**	**12**	**1**	**353**	**17**	**05**	**7**	**-**	**-**	**-**

*आंकड़ें, 06/01/2005 से (जिस दिन एमआरपीएल PSU हुआ)

**PSU बनने से पहले एमआरपीएल में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं

1 जनवरी 2017 को सेवारत असमर्थ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण और कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान प्रत्यक्ष भर्ती/पदोन्नति.

सार्वजनिक उद्यम का नाम : मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.

समूह	कर्मचारियों की संख्या				प्रत्यक्ष भर्ती - 2016							पदोन्नति - 2016							
	(01/01/2017 को)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गईं कुल नियुक्तियां				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गईं कुल नियुक्तियां				
	कुल	VH	HH	OH	VH	HH	OH	कुल	VH	HH	OH	VH	HH	OH	कुल	VH	HH	OH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	299	-	3	6	-	3	3	9	0	2	3	-	-	-		-	-	-	
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
C	770	-	8	11	-	9	9	38	0	9	9	-	-			-	-		
D/DS	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल	**1080**	**-**	**11**	**17**	**-**	**12**	**12**	**47**	**-**	**11**	**12**	**-**	**-**			**-**	**-**		

(I) VH का मतलब है दृष्टिहीनता से पीड़ित व्यक्ति (नेत्रहीनता अथवा कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति).

(II) HH का मतलब है श्रवण हीनता से पीड़ित व्यक्ति (श्रवण दोष से पीड़ित व्यक्ति).

(III) OH का मतलब है, शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्ति (चलने में असमर्थ अथवा प्रमस्तिष्क घात से पीड़ितव्यक्ति).

अनुबंध ' घ '

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

[कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम)]

अ. ऊर्जा की बचत

i) **ऊर्जा बचाने के लिए उठाए गए कदम अथवा ऊर्जा बचाने पर प्रभाव**

कंपनी ने प्रक्रिया का इष्टतम उपयोग करते हुए, लगातार निगरानी रखते हुए और ऊर्जा की बचत करने संबंधी कई आशोधन करते हुए ऊर्जा की बचत पर पहले की भांति बल देना जारी रखा.

वर्ष के दौरान ऊर्जा की बचत करने की दिशा में किए गए ख़ास उपाय:

क) अतिरिक्त भुक्तशेष ताप रिकवरी करने के लिए चरण 1 क्रूड आसवन (CDU1) यूनिट से गैस तेल जलोपचारक डी-सल्फ़्यूराइसिंग (GOHDS) यूनिट में तत्प डीज़ल को प्रवाहित करना.

ख) DCU ब्लो डाउन अधस्तलज से ड्रम शमन तक स्लॉप की कटौती करते हुए ब्लो ओरवहेड को कम करना.

ग) चरण 1/2 गैर प्रक्रियागत संयंत्र क्षेत्र (भवन, सड़कें, नियंत्रण कक्ष, ऑफसाइटें और टाउनशिप - कुल 7575) लाइटों को बदलकर LED लाइटिंग लगाए गए हैं. इसी प्रकार, प्रक्रिया यूनिट (मेरॉक्स यूनिट - 250) में प्रायोगिक आधार पर ज्वाला सह LED लाइटिंग लगाए गए हैं. नए CISF टाउनशिप में, सामान्य लाइटिंग की खातिर सिर्फ़ LED लाइटिंग (380) लगाए गए हैं.

घ) CPP-3 HP BFW पंप की इंपेल्लर ट्रिम्मिंग

उक्त उपायों की बदौलत, 3345 SRFT/वर्ष की मात्रा में ऊर्जा की खपत कम कर पाना संभव हो पाया जो लगभग ₹ 98 लाख के निवेश के साथ लगभग ₹ 659 लाख/वर्ष की निवल बचत के समान है.

ऊर्जा की खपत कम करने के लिहाज से प्रमुख ऊर्जा बचत उपाय लागू किए जा रहे हैं/विचाराधीन हैं.

i) चरण-3 कॉंप्लेक्स लिए संस्फुरण गैस रिकवरी
ii) हाइड्रोक्रैकर - 1 और 2 पुन:चक्रण विपट्टक स्तंभ में डीज़ल पंप का कार्यान्वयन
iii) शीत DM जल की मदद से हाइड्रोक्रैकर -1/2 अपरिवर्तित तेल से ताप रिकवरी
iv) क्रूड आसवन यूनिट-3 क्रूड चार्ज पंप VSD संस्थापना
v) दहन ताप रिकवर करने के लिए अमाइन पुनर्योजित्र (रीजनरेटर) यूनिट-3 के फ़्लैश ड्रम बहिर्गैस को इंसिनरेटर में प्रवाहित करना.

ii) **ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम**

नवीकरणीय स्रोतों के जरिए विद्युत उत्पादन के बारे में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और कर्नाटका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी ने नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा हासिल करने के लिए कदम उठाए हैं.

110 स्काई पाइप्स लगाना: भांडागारों में मौजूदा 220, 250W HPMV लैंपों के स्थान पर भवनों के अंदर सोलर लाइटिंग लगाने 110 स्काई पाइप्स स्थापित किए गए हैं. कुल परिकलित बचत 180675 यूनिट/वर्ष है जो ₹ 20.88 लाख प्रतिवर्ष के निवेश के साथ ₹ 7 लाख / वर्ष की निवल बचत के समान है.

छतों के ऊपर सोलर पेनल लगाना: छत के ऊपर ग्रिड अन्योन्यक्रियात्मक PV सोलर विद्युत संयंत्र लगाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो चुका है. व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट में रिफाइनरी परिसर के अंदर भवनों में छाया मुक्त 60 छतों को पहचाना गया है जिनकी, ₹ 44.5 करोड़ की अनुमानित लागत पर संचई क्षमता 5.63MW है.

iii) **ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजीगत निवेश**

₹ 118.70 लाख

आ. प्रौद्योगिकी का समावेश

i) **प्रौद्योगिकी का समावेश करने की दिशा में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण**

वित्त 2016-17 के दौरान कंपनी ने PFCC यूनिट की क्षमता को सफलता से बढ़ाया.

ii) **उत्पाद में सुधार, लागत में कटौती, उत्पाद का विकास, आयात का प्रतिस्थापन आदि जैसे लाभ.**

रिफाइनरी के थ्रूपुट में स्थिरता कायम की गई जो 15.965 MMTPA रहा जब कि स्वच्छ ईंधन संबंधी विनिर्देशों की पूर्ति की गई.

iii) **आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले 3 वर्ष के दौरान आयातित)**

क) आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे
वित्त 2014-15 में HGU3, DHDT, PFCC, CHT और DCU यूनिटें चालू की गईं. वित्त 2015-16 में PPU यूनिट चालू की गई.

ख) आयात वर्ष 2014-2015, 2015-16

ग) क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है?
जी हां.

घ) अगर पूरी तरह से समावेश न किया गया हो तो किन क्षेत्रों में समावेश नहीं किया गया है, उसकी वजह क्या हैं और भावी कार्य योजना क्या है.
लागू नहीं

इ. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(₹ करोड़ों में)

	वित्त 2016- 17	वित्त 2015- 16
विदेशी मुद्रा अर्जन - (FOB निर्यात का मूल्य)	10,031	8,746
विदेशी मुद्रा व्यय	45,122	31,201

अनुबंध ' ङ '

फार्म सं. MGT-9

वार्षिक विवरणी का सारांश

यथा 31/03/2016 को समाप्त वर्ष

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) का अनुसरण करते हुए]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे

i)	CIN	:	L85110KA1988GOI008959
ii)	पंजीकरण दिनांक	:	07/03/1988
iii)	कंपनी का नाम	:	मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	:	अनुसूची "A" की मिनी रत्न श्रेणी 1 का सरकारी उपक्रम
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क करने संबंधी ब्यौरे	:	मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूरु- 575 030, फोन: 0824 - 2270400
vi)	क्या कंपनी को सूचीबद्ध किया गया है	:	हां
	रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट हो तो उनका नाम, पता और संपर्क करने संबंधी ब्यौरे	:	मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि., सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. विक्रोली पश्चिम, मुंबई - 400 083 टेलीफोन.:+91 22 49186270 फैक्स सं.:+91 22 49186060 ई-मेल: mrplirc@linkintime.co.in वेबसाइट: www.linkintime.co.in

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली तमाम व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा:-

क्रम सं.	प्रमुख उत्पादों /सेवाओं का नाम और वर्णन	उत्पाद/सेवा का NIC कूट. *विनिर्माण क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय उत्पाद वर्गीकरण (NPCMS)	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	रिफाइनरी	192 - परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	100

III. नियंत्रक सहयोगी और सहबद्ध / संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों के विवरण :

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	CIN	नियंत्रक/ सहयोगी/ सहबद्ध कंपनी	धारित इक्विटी का %	कंपनी अधिनियम, 2013 का लागू खंड
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	L74899DL1993GOI054155	नियंत्रक	71.63	2(46)
2	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)	U40107KA2006PLC041258	सहयोगी	51.00	2(87)
3	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)	U51909KA2008PLC045558	संयुक्त उद्यम / सहबद्ध	50.00	2(6)
5	मंगलूर SEZ लिमिटेड	U45209KA2006PLC038590	सहबद्ध	कुछ नहीं	2(6)
6	पेट्रोनेट MHB लिमिटेड	U85110KA1998PLC024020	सहबद्ध	कुछ नहीं	2(6)

IV. 31/03/2017 को, शेयर धारण का स्वरूप(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विश्लेषित विवरण)

1. श्रेणी वार शेयरधारण

शेयरधारकों की श्रेणी			वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
			डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक											
(1) भारतीय											
क)	व्यक्ति/एचयूएफ		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख)	केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग)	कंपनी निकाय		1552507615	0	1552507615	88.58	1552507615	0	1552507615	88.58	0.00
घ)	बैंक/वित्तीय संस्थाएं		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ)	कोई अन्य		0	0	0	0.00	0	0	0	0.000	0.00
उप योग : (क) (1)			**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.58**	**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.58**	**0.00**
(2) विदेशी											
क)	एनआरआई-व्यक्ति		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख)	अन्य व्यक्ति		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग)	कंपनी निकाय		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ)	बैंक/वित्तीय संस्थाएं		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ)	कोई अन्य		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप योग (क) (2)			**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
प्रवर्तक का कुल शेयर धारण (क)= (क)(1)+(क)(2)			**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.58**	**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.58**	**0.00**
ख. सार्वजनिक शेयरधारण											
(1) **संस्थाएं**											
क)	म्यूचुअल फंड		24931625	143458	25075083	1.43	24067747	144958	24212705	1.38	-0.05
ख)	बैंक/										
ग)	वित्तीय संस्थाएं		33173432	49650	33223082	1.90	30122169	46950	30169119	1.72	-0.17
घ)	केंद्र सरकार		2400	0	2400	0.00	2400	0	2400	0.00	0.00
ङ)	राज्य सरकार		300	0	300	0.00	300	0	300	0.00	0.00
च)	वेंचर कैपिटल निधि		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
छ)	बीमा कंपनियां		239505	0	239505	0.01	239505	0	239505	0.01	0.00
ज)	FIIS		7282980	100	7283080	0.42	5345663	100	5345763	0.31	-0.11
झ)	विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकर्ता		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ञ)	भारतीय यूनिट ट्रस्ट		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप योग (ख)(1):			65630242	193208	65823450	3.76	59777784	192008	59969792	3.42	-0.33
(2) गैर संस्थाएं											
क)	कंपनी निकाय										
	i)	भारतीय	13839832	128452	13968284	0.80	7697584	127752	7825336	0.45	-0.35
	ii)	समुद्रपारीय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख)	व्यक्ति						0	0.00			0
	i)	₹1 लाख तक नाम मात्र शेयर पूंजी रखने वाले प्रत्येक शेयर धारक	60830964	34646280	95477244	5.45	54372455	34043996	88416451	5.04	-0.40
	ii)	₹1 लाख से अधिक नाम मात्र शेयर पूंजी रखने वाले प्रत्येक शेयर धारक	7794977	80000	7874977	0.45	7204407	0	7204407	0.41	-0.04

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(ग)	**अन्य (निर्दिष्ट करें)**			0	0.00					
	अनिवासी भारतीय (स्वदेश नहीं लौटे)	683951	200	684151	0.04	673289	200	673489	0.04	0.00
	अनिवासी भारतीय (स्वदेश लौटे)	1825800	5157450	6983250	0.40	1584505	5121650	6706155	0.38	-0.02
	विदेशी नागरिक	1900	0	1900	0.00	700	0	700	0.00	0.00
	विदेश संविभाग निवेशकर्ता (कार्पोरेट)	6130524	0	6130524	0.35	26202242	0	26202242	1.50	1.15
	हिंदू अविभाजित परिवार	1749183	100	1749283	0.10	1598470	100	1598570	0.09	-0.01
	निदेशक / रिश्तेदार	500	0	500	0.00	500	0	500	0.00	0.00
	न्यास	18500	1125	19625	0.00	8920	1125	10045	0.00	0.00
	समाशोधन सदस्य	1377974	0	1377974	0.08	1483475	0	1483475	0.08	0.01
	उप योग (ख)(2):	**94254105**	**40013607**	**134267712**	**7.66**	**100826547**	**39294823**	**140121370**	**8.00**	**0.33**
	कुल सार्वजनिक शेयरधारण (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)	**159884347**	**40206815**	**200091162**	**11.42**	**160604331**	**39486831**	**200091162**	**11.42**	**0.00**
ग.	**GDR और ADR के लिए अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	सकल योग (क+ख+घ)	**1712391962**	**40206815**	**1752598777**	**100.00**	**1713111946**	**39486831**	**1752598777**	**100.00**	**0.00**

ii) प्रवर्तकों का शेयर धारण

क्रम सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण			वर्ष के अंत में शेयर धारण			वर्ष के दौरान शेयर धारण का % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी रखे गए/भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी रखे गए/भारग्रस्त शेयरों का %	
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1255354097	71.63	0.00	1255354097	71.63	0.00	0.00
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297153518	16.95	0.00	297153518	16.95	0.00	0.00
	कुल	**1552507615**	**88.58**	**0.00**	**1552507615**	**88.58**	**0.00**	**0.00**

(iii) प्रवर्तकों के शेयर धारण में परिवर्तन

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचई शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	1552507615	88.58	1552507615	88.58
	वर्ष के दौरान वृद्धि/अवनति के कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों के शेयर में दिनांक-वार वृद्धि/अवनति (उदा: आबंटन/हस्तांतरण/ बोनस/ अतिरिक्त इक्विटी आदि):	कुछ नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में	1552507615	88.58	1552507615	88.58

2014-15 के दौरान प्रवर्तकों के धारण में कोई परिवर्तन नहीं रहा.

(iv) चोटी के दस शेयरधारकों (GDR और ADR के निदेशकों, प्रवर्तकों और धारकों से भिन्न) का शेयर धारण स्वरूप:

क्रम सं.	चोटी के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के मामले में	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचई शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**भारतीय जीवन बीमा निगम**	**32617348**	**1.861**	**32617348**	**1.861**
	19/08/2016 (बाजार में व्यापार)	-500000	-0.029	32117348	1.833
	26/08/2016 (बाजार में व्यापार)	-929040	-0.053	31188308	1.780
	02/09/2016 (बाजार में व्यापार)	-743237	-0.042	30445071	1.737
	09/09/2016 (बाजार में व्यापार)	-144730	-0.008	30300341	1.729
	21/10/2016 (बाजार में व्यापार)	-67776	-0.004	30232565	1.725
	11/11/2016 (बाजार में व्यापार)	-100000	-0.006	30132565	1.719
	02/12/2016 (बाजार में व्यापार)	-200554	-0.011	29932011	1.708
	09/12/2016 (बाजार में व्यापार)	-30719	-0.002	29901292	1.706
	06/01/2017 (बाजार में व्यापार)	-200000	-0.011	29701292	1.695
	वर्ष के अंत में			**29701292**	**1.695**
2	**HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - HDFC प्रूडेंस फंड**	**812394**	0.046	**812394**	0.046
	30/06/2016 (बाजार में खरीदारी)	246000	0.014	1058394	0.060
	01/07/2016 (बाजार में खरीदारी)	200000	0.011	1258394	0.072
	15/07/2016 (बाजार में खरीदारी)	289000	0.017	1547394	0.088
	22/07/2016 (बाजार में खरीदारी)	930000	0.053	2477394	0.141
	29/07/2016 (बाजार में खरीदारी)	1771000	0.101	4248394	0.242
	05/08/2016 (बाजार में खरीदारी)	910000	0.052	5158394	0.294
	12/08/2016 (बाजार में खरीदारी)	1700000	0.097	6858394	0.391
	19/08/2016 (बाजार में खरीदारी)	736000	0.042	7594394	0.433
	26/08/2016 (बाजार में खरीदारी)	383000	0.022	7977394	0.455
	02/09/2016 (बाजार में खरीदारी)	683000	0.039	8660394	0.494
	09/09/2016 (बाजार में खरीदारी)	926000	0.053	9586394	0.547
	23/09/2016 (बाजार में खरीदारी)	300000	0.017	9886394	0.564
	25/11/2016 (बाजार में खरीदारी)	43000	0.003	9929394	0.567
	02/12/2016 (बाजार में खरीदारी)	84400	0.005	10013794	0.571
	30/12/2016 (बाजार में खरीदारी)	100000	0.006	10113794	0.577
	06/01/2017 (बाजार में खरीदारी)	523000	0.030	10636794	0.607
	13/01/2017 (बाजार में व्यापार)	-621000	-0.035	10015794	0.572
	20/01/2017 (बाजार में व्यापार)	-329000	-0.019	9686794	0.553
	27/01/2017 (बाजार में व्यापार)	-602300	-0.034	9084494	0.518
	03/02/2017 (बाजार में व्यापार)	-205000	-0.012	8879494	0.507
	10/02/2017 (बाजार में व्यापार)	-100000	-0.006	8779494	0.501
	17/02/2017 (बाजार में व्यापार)	-474000	-0.027	8305494	0.474
	24/02/2017 (बाजार में व्यापार)	-122000	-0.007	8183494	0.467
	10/03/2017 (बाजार में व्यापार)	-49100	-0.003	8134394	0.464
	31/03/2017 (बाजार में खरीदारी)	62000	0.004	8196394	0.468
	वर्ष के अंत में			**8196394**	**0.468**

क्रम सं.	चोटी के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के मामले में	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचई शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
3	**L एण्ड T म्युचुअल फंड ट्रस्टी लि - L एण्ड T इंडिया व्याल्यू फंड**	**268061**	**0.015**	**268061**	**0.015**
	08/04/2016 (बाजार में खरीदारी)	1084613	0.062	1352674	0.077
	22/04/2016 (बाजार में खरीदारी)	51502	0.003	1404176	0.080
	29/04/2016 (बाजार में खरीदारी)	698464	0.040	2102640	0.120
	06/05/2016 (बाजार में खरीदारी)	339059	0.019	2441699	0.139
	13/05/2016 (बाजार में खरीदारी)	842200	0.048	3283899	0.187
	10/06/2016 (बाजार में व्यापार)	-211569	-0.012	3072330	0.175
	17/06/2016 (बाजार में व्यापार)	-175238	-0.010	2897092	0.165
	30/06/2016 (बाजार में व्यापार)	-220593	-0.013	2676499	0.153
	15/07/2016 (बाजार में खरीदारी)	517776	0.030	3194275	0.182
	22/07/2016 (बाजार में खरीदारी)	25	0.000	3194300	0.182
	02/12/2016 (बाजार में व्यापार)	-6600	-0.000	3187700	0.182
	06/01/2017 (बाजार में खरीदारी)	549600	0.031	3737300	0.213
	13/01/2017 (बाजार में खरीदारी)	213000	0.012	3950300	0.225
	31/03/2017 (बाजार में खरीदारी)	648400	0.037	4598700	0.262
	वर्ष के अंत में			**4598700**	**0.262**
4	**वैनगार्ड एमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड A सीरीस आफ वैनगार्ड इंटनैशनल इक्विटी इंडेक्स फंड**	**3607801**	**0.206**	**3607801**	**0.206**
	08/04/2016 (बाजार में खरीदारी)	27524	0.002	3635325	0.207
	22/04/2016 (बाजार में खरीदारी)	19000	0.001	3654325	0.209
	10/06/2016 (बाजार में खरीदारी)	23046	0.001	3677371	0.210
	29/07/2016 (बाजार में खरीदारी)	25170	0.001	3702541	0.211
	05/08/2016 (बाजार में खरीदारी)	23538	0.001	3726079	0.213
	12/08/2016 (बाजार में खरीदारी)	37260	0.002	3763339	0.215
	19/08/2016 (बाजार में खरीदारी)	52992	0.003	3816331	0.218
	09/09/2016 (बाजार में खरीदारी)	25710	0.002	3842041	0.219
	07/10/2016 (बाजार में खरीदारी)	27424	0.002	3869465	0.221
	14/10/2016 (बाजार में खरीदारी)	18854	0.001	3888319	0.222
	21/10/2016 (बाजार में खरीदारी)	64275	0.004	3952594	0.226
	28/10/2016 (बाजार में खरीदारी)	25710	0.002	3978304	0.227
	11/11/2016 (बाजार में खरीदारी)	55705	0.003	4034009	0.230
	25/11/2016 (बाजार में खरीदारी)	60240	0.003	4094249	0.234
	02/12/2016 (बाजार में खरीदारी)	38565	0.002	4132814	0.236
	वर्ष के अंत में			**4132814**	**0.236**
5	**रिलाएंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि- A/C रिलाएंस कैपिटल बिल्डर फंड 2 Sr B**	**5379780**	**0.307**	**5379780**	**0.307**
	13/05/2016 (बाजार में व्यापार)	-112700	-0.006	5267080	0.301
	03/02/2017 (बाजार में व्यापार)	-1619160	-0.092	3647920	0.208
	वर्ष के अंत में			**3647920**	**0.208**

क्रम सं.	चोटी के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के मामले में	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचई शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	02/12/2016 (बाजार में व्यापार)	-93000	-0.005	1958297	0.112
	30/12/2016 (बाजार में खरीदारी)	100000	0.006	2058297	0.117
	13/01/2017 (बाजार में खरीदारी)	544275	0.031	2602572	0.149
	वर्ष के अंत में			**2602572**	**0.149**
7	**बिड़ला सन्न लाइफ ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड A/C बिड़ला सन्न लाइफ स्मॉल एण्ड मिडकैप फंड**	**8050054**	**0.459**	**8050054**	**0.459**
	08/04/2016 (बाजार में खरीदारी)	115000	0.007	8165054	0.466
	15/04/2016 (बाजार में खरीदारी)	200000	0.011	8365054	0.477
	22/04/2016 (बाजार में खरीदारी)	525000	0.030	8890054	0.507
	06/05/2016 (बाजार में व्यापार)	-85255	-0.005	8804799	0.502
	13/05/2016 (बाजार में व्यापार)	-869217	-0.050	7935582	0.453
	20/05/2016 (बाजार में व्यापार)	-279745	-0.016	7655837	0.437
	03/06/2016 (बाजार में खरीदारी)	113000	0.006	7768837	0.443
	29/07/2016 (बाजार में व्यापार)	-655000	-0.037	7113837	0.406
	12/08/2016 (बाजार में व्यापार)	-2034850	-0.116	5078987	0.290
	26/08/2016 (बाजार में व्यापार)	-400500	-0.023	4678487	0.267
	02/09/2016 (बाजार में व्यापार)	-129487	-0.007	4549000	0.260
	07/10/2016 (बाजार में व्यापार)	-790000	-0.045	3759000	0.215
	14/10/2016 (बाजार में व्यापार)	-771000	-0.044	2988000	0.171
	21/10/2016 (बाजार में व्यापार)	-300000	-0.017	2688000	0.153
	28/10/2016 (बाजार में व्यापार)	-288000	-0.016	2400000	0.137
	18/11/2016 (बाजार में खरीदारी)	76000	0.004	2476000	0.141
	25/11/2016 (बाजार में खरीदारी)	124000	0.007	2600000	0.148
	वर्ष के अंत में			**2600000**	**0.148**
8	**वैनगार्ड टोटल इंटरनैशनल स्टॉक इंडेक्स फंड**	**1914836**	**0.109**	**1914836**	**0.109**
	08/04/2016 (बाजार में खरीदारी)	77047	0.004	1991883	0.114
	20/05/2016 (बाजार में खरीदारी)	132472	0.008	2124355	0.121
	29/07/2016 (बाजार में खरीदारी)	237500	0.014	2361855	0.135
	13/01/2017 (बाजार में खरीदारी)	148527	0.009	2510382	0.143
	वर्ष के अंत में			**2510382**	**0.143**
9	**ओल्ड म्यूचुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स सीरिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी**	**0**	**0.000**	**0**	**0.000**
	29/07/2016 (बाजार में खरीदारी)	869181	0.050	869181	0.050
	19/08/2016 (बाजार में खरीदारी)	106611	0.006	975792	0.056
	26/08/2016 (बाजार में खरीदारी)	480000	0.027	1455792	0.083
	07/10/2016 (बाजार में खरीदारी)	575659	0.033	2031451	0.116
	14/10/2016 (बाजार में खरीदारी)	150000	0.009	2181451	0.125
	वर्ष के अंत में			**2181451**	**0.125**

क्रम सं.	चोटी के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के मामले में	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचई शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
10	**HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड**	**3575210**	**0.204**	**3575210**	**0.204**
	06/05/2016 (बाजार में व्यापार)	-11000	-0.001	3564210	0.203
	29/07/2016 (बाजार में व्यापार)	-411350	-0.024	3152860	0.180
	23/09/2016 (बाजार में व्यापार)	-100000	-0.006	3052860	0.174
	07/10/2016 (बाजार में खरीदारी)	23500	0.001	3076360	0.176
	02/12/2016 (बाजार में व्यापार)	-275000	-0.016	2801360	0.160
	09/12/2016 (बाजार में व्यापार)	-243630	-0.014	2557730	0.146
	30/12/2016 (बाजार में व्यापार)	-138561	-0.008	2419169	0.138
	06/01/2017 (बाजार में व्यापार)	-260836	-0.015	2158333	0.123
	13/01/2017 (बाजार में व्यापार)	-81973	-0.005	2076360	0.119
	वर्ष के अंत में			**2076360**	**0.119**

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों का शेयर धारण:

क्रम सं.	चोटी के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के मामले में	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचई शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**श्री डी.के. सर्राफ़, अध्यक्ष**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**100**	**0.00**	**100**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**100**	**0.00**
2	**श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**200**	**0.00**	**200**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**200**	**0.00**
3	**श्री एम. वेंकटेश , निदेशक (रिफाइनरी)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
4	**श्री ए.के. साहू, निदेशक (वित्त)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
5	**श्री विनोद एस. शेणै, निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**

क्रम सं.	चोटी के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के मामले में	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचई शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
6	**श्रीमती पेरिन देवी, निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
7	**श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
8	**सुश्री मंजुला सी.**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
9	**श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के प्रारंभ में			**0**	**0.00**

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित ब्याज सहित कंपनी का ऋण जो भुगतान के लिए देय नहीं है

(₹ करोड़ों में)

		जमाराशियों को छोड़कर जमानती ऋण	गैर जमानती ऋण	जमाराशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता					
i)	मूल धनराशि	4682.82	3417.46	-	8100.28
ii)	देय परंतु अदा न किया गया ब्याज	-	-	-	-
iii)	उपचित परंतु देय न हुआ ब्याज	36.38	-	-	36.38
कुल (i+ii+iii)		4719.20	3417.46	-	8136.66
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन					
i)	परिवर्धन	19.88	-	-	19.88
ii)	कटौतियां	658.37	731.53	-	1389.90
निवल परिवर्तन		(638.49)	(731.53)	-	(1370.02)
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता					
i)	मूल धनराशि	4037.75	2685.93	-	6723.68
ii)	देय परंतु अदा न किया गया ब्याज	-	-	-	-
iii)	उपचित परंतु देय न हुआ ब्याज	42.96	-	-	42.96
कुल (i+ii+iii)		4080.71	2685.93	-	6766.64

VI. निदेशकों और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक:

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के विवरण	श्री एच. कुमार, प्रनि	श्री एम. वेंकटेश निदेशक (रिफाइनरी)	श्री ए.के. साहू निदेशक (वित्त)	कुल रकम
1.	कुल वेतन				
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	0.47	0.35	0.31	1.13
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	0.04	0.03	0.03	0.10
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	स्टॉक विकल्प	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	अतिरिक्त इक्विटी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल	**0.51**	**0.38**	**0.34**	**1.23**

पारिश्रमिक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा के अंदर है.

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशक	बैठक शुल्क (₹)
सुश्री मंजुला सी.	15,000

ग. प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों से भिन्न महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के विवरण	दिनेश मिश्रा (कंपनी सचिव)
1.	कुल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	0.23
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	0.02
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	NIL
2.	स्टॉक विकल्प	NIL
3.	अतिरिक्त इक्विटी	NIL
4.	अन्य	NIL
	कुल	**0.25**

VII. जुर्माना/दंड/अपराध शमन: कुछ नहीं

वित्त 2016-17 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जुर्माने, दंड अथवा अपराध शमन की कोई घटना नहीं हुई.

ANNEXURE 'F'

फ़ॉर्म AOC-2

[कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) का अनुसरण करते हुए]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पक्षकारों के साथ एवं उसके तीसरे परंतुक के तहत नज़दीकी तेल भंडारों के साथ कंपनी के लेन-देन सहित ठेकों/व्यवस्थाओं के विवरण प्रकट करने संबंधी फार्म.

1. नज़दीकी तेल भंडारों के साथ किए गए ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के ब्यौरे

संबद्ध पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं/लेन-देनों का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं /लेन-देनों की अवधि	अगर कोई मूल्य हो तो मूल्य सहित ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की मुख्य शर्तें	ऐसे ठेके अथवा व्यवस्थाएं अथवा लेन-देन करने का औचित्य	निदेशक मंडल की अनुमोदन तारीख (खें)	अगर कोई पेशगी दी गई हो उसकी रकम	धारा 188 के पहले परंतुक के तहत यथा अपेक्षित सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प की तारीख
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

2. नज़दीकी तेल भंडारों के साथ सामग्री संबंधी ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के ब्यौरे

	संबद्ध पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं / लेन-देनों का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं/ लेन-देनों की अवधि	अगर कोई मूल्य हो तो मूल्य सहित ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की मुख्य शर्तें	मंडल/लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन दिनांक	अगर कोई पेशगी दी गई हो उसकी रकम
1	ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड - (सहयोगी कंपनी) *	OMPL को सुकरण सेवाएं प्रदान करते हुए MRPL से फ़ीड स्टॉक का और OMPL से वापसी धाराओं का अंतरण	चालू ठेका	परस्पर सम्मत कीमत पर OMPL को सुकरण सेवाएं प्रदान करते हुए MRPL से फ़ीड स्टॉक का और OMPL से वापसी धाराओं का अंतरण	08/02/2014	
2	ONGC*	क्रूड तेल की बिक्री संबंधी करारनामा	01/04/2016 से 31/03/2018	कीमत निर्धारण सूत्र के अनुसार तय की गईं कीमतों पर आबंटित परिमाण के सुपुर्दगी स्थान पर ONGC से क्रूड तेल की खरीदारी.	07/02/2017	कुछ नहीं
3	ONGC*	सावधि ऋणों पर ब्याज	31/12/2020 तक 7 वर्ष	चरण-3 और पॉलीप्रॉपीलीन परियोजना के लिए दीर्घावधि सावधि ऋण. ब्याज दर है, FIMMDA + 40 आधार बिंदुओं के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के लिए G-Sec प्रतिफल. हर वर्ष 1 अप्रैल को दर दोबारा तय की जाएगी.	03/09/2016	कुछ नहीं
4	ONGC *	ONGC के अपतटीय स्थानों पर HFHSD की आपूर्ति	02/09/2016 to 30/09/2019	जब कभी ज़रूरत पड़े एमआरपीएल जेटी, मंगलूर में नि:शुल्क सुपुर्दगी से ONGC के अपतटीय स्थानों पर HFHSD की सुपुर्दगी	07/02/2017	कुछ नहीं
5	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)*-प्रवर्तक कंपनी	ONGC और HPCL के बीच उत्पाद के क्रय-विक्रय के बारे में MOU, ऊर्जा और संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और सहयोग प्रदान करना.	चालू ठेका	1) उत्पाद का क्रय-विक्रय, ऊर्जा और संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और सहयोग प्रदान करना. जब तक परस्पर अन्यथा सहमति न हुई हो, उत्पादों (MS/HSD/SKO/ATF/एलपीजी) का कीमत निर्धारण, समय-समय पर विद्यमान PSU OMC के मौजूदा शर्तों के अनुरूप होगा. (2) HPCL, अपने मंगलूर, हासन और देवगुंथी टर्मिनलों से ONGC को आतिथ्य की व्यवस्था के अंतर्गत सड़क और रेल टर्मिनलिंग सेवाएं प्रदान करेगा ताकि RO/ग्राहकों को आपूर्ति करना संभव हो.	07/02/2017	कुछ नहीं
6	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	जेट ईंधन के क्रय-विक्रय और संरचना को बांटने संबंधी करारनामा	चालू ठेका	भारत में तेल विपणन कंपनी को देशी बिक्री के अनुरूप जेट ईंधन का क्रय और विक्रय तथा कीमत निर्धारण सूत्र के अनुसार तय की गईं कीमतों पर संरचना को बांटना	07/02/2017	कुछ नहीं

	संबद्ध पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं / लेन-देनों का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं/ लेन-देनों की अवधि	अगर कोई मूल्य हो तो मूल्य सहित ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की मुख्य शर्तें	मंडल/लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन दिनांक	अगर कोई पेशगी दी गई हो उसकी रकम
7(क)	मंगलूर SEZ लिमिटेड	जल की आपूर्ति और उपचारित बहिस्राव के निपटान के लिए करार	चालू ठेका	MSEZL द्वारा खरीदी गई जमीन में एमआरपीएल के लिए जल संबंधी संरचनाओं और उपचारित बहिस्राव के निपटान संबंधी संरचनाओं का विकास, जिसमें शामिल हैं, जल स्रोत संबंधी संरचना, एमआरपीएल की बैटरी सीमाओं तक पाइपलाइन हस्तांतरण तंत्र, संग्रहण और जल वितरण तथा उपचारित बहिस्राव के निपटान के लिए आवश्यक संरचना स्थापित करना.	14/09/2014	कुछ नहीं
7(ख)	मंगलूर SEZ लिमिटेड	पाइपलाइन सह रोड कॉरिडॉर स्थापित करना	19/03/2016 से	एमआरपीएल को हक है कि वह अपने प्रचालन के लिए पाइपलाइन-सह-रोड कॉरिडॉर के पाइप रैक/स्लीपर्स खंड का उपयोग करे और साथ ही प्रयुक्त "प्रभावी जगह" की सीमा तक प्रवेश करे.	09/03/2016	₹ 90.00 करोड़
7(ग)	मंगलूर SEZ लिमिटेड	PP-पेट्ट कोक रिक्तीकरण सड़क और ट्रक पार्किंग बनाना	05/12/2016 से	एमआरपीएल ने, ट्रक पार्किंग क्षेत्र (1.30 एकड़) के साथ रिक्तीकरण सड़क (10.1757 एकड़) के निर्माण के प्रति MSEZL को वापस न करने योग्य ₹ 11.34 करोड़ की एक बारगी रकम अदा की है. उक्त करारनामे की पट्टा 05.12.2016 से शुरु होगी जो 27.01.2060 तक विधिमान्य होगी.	07/02/2017	₹ 11.34 करोड़

* सरकारी कंपनियां

लागू नहीं

टिप्पणी: MCA, अपनी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के जरिए और SEBI लिस्टिंग विनियम के विनियम 23 के अनुसार, रिपोर्ट करने के सिलसिले में दो सरकारी कंपनियों के बीच संबंधित पक्षकारों को लेन-देन करने की छूट देती है. .

अनुबंध 'छ'

फार्म सं. MR-3

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 का अनुसरण करते हुए]

सेवा में,
सदस्य,
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : मुडपदव,
कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग: काटिपल्ला,
मंगलूर -575030

हमने, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "कंपनी" कहा गया है) के लिए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इनके द्वारा अपनाई जाती रही अच्छे कंपनी व्यवहार के अनुपालन को लेकर साचिविक लेखा परीक्षा की. साचिविक लेखा परीक्षा इस तरह से की गई जिससे मुझे/हमें कंपनी के आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला.

साचिविक लेखा परीक्षा के दौरान, कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त संबंधी बहियों, फाइल किए गए फार्मों और विवरणियों और साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का मेरी ओर से किए गए सत्यापन के आधार पर मैं यह रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी ने, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाते हुए लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कंपनी ने अपने यहां मंडल संबंधी प्रक्रियाओं और अनुपालन तंत्र को उस हद तक, उस तरीके से लागू किया है जिसका जिक्र इसके आगे रिपोर्टिंग में किया गया है:

हमने, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "कंपनी" कहा गया है) द्वारा रखी गईं बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त संबंधी बहियों, फाइल किए गए फार्मों और विवरणियों एवं अन्य रेकॉर्डों का, यहां नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया:

i. कंपनी अधिनियम, 2013(दी ऐक्ट) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
ii. प्रतिभूति संबंधी ठेका (विनियम) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और उसके अधीन बनाए गए नियम;
iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप-नियम;
(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार;
(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('SEBI Act') के तहत निर्धारित नीचे उल्लिखित विनियम और दिशानिर्देश:-
   (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;
   ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) विनियम, 1992;
   ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2009;
   घ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार करने संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993
(vi) कारखाना अधिनियम, 1948, ठेका मजदूर (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946, मज़दूरी भुगतान अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 1956.
(vii) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और उसके अधीन बनाए गए नियम.
(viii) गैस सिलिंडर नियम, पेट्रोलियम नियम और भारतीय बॉइलर विनियम और भारतीय बॉइलर अधिनियम के प्रावधान
(ix) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के और O.M. सं .1898/2005-GM दिनांक 14/05/2010 में यथा निर्दिष्ट केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन संबंधी DPE दिशानिर्देश.
(x) समीक्षाधीन अवधि के दौरान नीचे उल्लिखित विनियम और दिशानिर्देश, कंपनी के लिए लागू नहीं हुए:
   क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014;
   ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्ज प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम 2008;
   ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम 2009;
   घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीदारी) विनियम 1998;

हमने, नीचे उल्लिखित खंडों में से लागू खंडों के अनुपालन को लेकर भी परीक्षण किया:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साचिविक मानक.
ii. कंपनी द्वारा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. और बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज लि. के साथ किए गए एक समान लिस्टिंग संबंधी करारनामे.
iii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित के अधीन, ऊपर उल्लिखित अधिनियम, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है.

i. कंपनी ने कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत अपेक्षित ओवरटाइम कार्य समय के बारे में कानून/नियमों/ दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है.

ii. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(4) और SEBI (LODR), विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे और इस तरह से मंडल, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन पारिश्रमिक समिति और निगमित सामाजिक (CSR) और संधारणीय विकास (SD) समिति की रचना से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है.

मैं/हम आगे यह रिपोर्ट करता हूँ/करते हैं कि

ऊपर क्रम सं. i और ii में दी गईं अभ्युक्तियों के अधीन, कंपनी के निदेशक मंडल में, 13/3/2017 को एमआरपीएल के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर कार्यकारी निदेशक, गैर कार्यकारी निदेशक हैं. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किए गए.

बोर्ड की बैठकों की अनुसूची के बारे में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है और कार्यसूची एवं कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजी गई थीं और बैठक से पहले कार्यसूची संबंधी मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और हासिल करने एवं बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र मौजूद है.

वर्ष के दौरान बोर्ड के तमाम फ़ैसले, कंपनी के प्रवर्तक, ओएनजीसी और एचपीसीएल के बीच हुए शेयरधारकों के करारनामे के अनुरूप रहें.

आगे हम यह रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी में ऐसे पर्याप्त तंत्र और प्रक्रियाएं हैं जो कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप हैं जिससे कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

हम आगे यह रिपोर्ट करता हूँ कि उक्त लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, ऊपर उल्लिखित कानून, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों का अनुसरण करते हुए ऐसी कोई निर्दिष्ट घटनाएं नहीं हुईं/कार्रवाई नहीं की गईं जिनका कंपनी के कामकाज पर ख़ास असर पड़े.

कृते कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता/-
नरेश कुमार सिन्हा
मालिक
FCS 1807, CP सं. 14984

दिनांक: 09/06/2017

स्थान: मंगलूरु

सेवा में,
सदस्य,
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर,
मार्ग, कटिपल्ला, मंगलूर - 575 030
कर्नाटक

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट, इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

1. साचिविक रेकॉर्ड रखना, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन साचिविक रेकॉर्डों पर राय व्यक्ति करना.
2. हमने, लेखा परीक्षा संबंधी ऐसी पद्धतियाँ और प्रक्रियाएं अपनाई हैं जो साचिविक रेकॉर्डों के अंतर्वस्तुओं की यथातथ्यता के बारे में उचित आश्वासन पाने के लिए उचित थीं. सत्यापन करते समय यादृच्छिक परीक्षण किया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साचिविक रेकॉर्डों में सही तथ्य परिलक्षित हुए हैं. हमें विश्वास है कि हमारी ओर से अपनाई गईं प्रकियाओं और पद्धतियां, हमारी राय में उचित आधार प्रदान करती हैं.
3. हमने, कंपनी के वित्तीय रेकॉर्डों और लेखा बहियों की यथातथ्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.
4. जहां कहीं आवश्यक लगा, हमने, कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है.
5. कंपनी के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना, प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारा परीक्षण, यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर कार्यविधियों का सत्यापन करने तक सीमित रहा.
6. साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का न ही कंपनी का कामकाज संभालते रहे प्रबंधन की प्रभावोत्पादकता का अथवा प्रभाविता का आश्वासन देती है.

कृते कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता/-
नरेश कुमार सिन्हा
मालिक
FCS: 1807, COP: 14984

दिनांक: 09/06/2017
स्थान : मंगलूरु

अनुबंध 'ज'

भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है. नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5)के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक , अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित स्वतंत्र लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं. यह मान लिया गया है कि उन्होंने दिनांक 17/05/2017 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए ऐसा किया है.

मैं ने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की तरफ से, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है . सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य करने के कागजात देखें बगैर अनुपूरक लेखा परीक्षा की गई है और यह, सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कर्मचारियों और कुछ लेखा मानकों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है. मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है जिस पर टिप्पणी करना पड़े अथवा जो सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए संपूरक हो.

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक और उनकी तरफ से

हस्ता/-

स्थान: चेन्नई

(जी. सुधर्मिणी)
प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक और
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, चेन्नई

दिनांक : 10/07/2017

भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है. नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5)के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं. यह मान लिया गया है कि उन्होंने दिनांक 17/05/2017 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए ऐसा किया है.

मैं ने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की. हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की. आगे, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ख), एक निजी उद्यम होने के नाते शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड को लागू नहीं होती है. तदनुसार C&AG ने न सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की है न ही इस कंपनी की अनुपूरक लेखा परीक्षा की. सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य करने के कागजात देखे बगैर यह अनुपूरक लेखा परीक्षा की गई है और यह, मूल रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कर्मचारियों की पूछताछ और कुछ लेखा रेकॉर्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है.

मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है जिस पर टिप्पणी करना पड़े अथवा जो सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुपूरक हो.

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक और उनकी तरफ से

हस्ता/-

स्थान: चेन्नई

(जी. सुधर्मिणी)
प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक और
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, चेन्नई

दिनांक : 10/07/2017

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (2016-17)

1.0 आर्थिक परिदृश्य

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था

उम्मीद की जा रही है कि 2016 में छाई रही मंद प्रवृत्ति से उभरकर 2017 और 2018 में आर्थिक गतिविधि, विशेषकर उभरते हुए बाजारों और विकासशील देशों में जोर पकड़ेगी. लेकिन कुर्सी पर काबिज होने वाले आगामी अमेरिकी प्रशासन की नीति के इर्द-गिर्द मंडराने वाली अनिश्चितताओं और परिणामस्वरूप दुनिया भर में नज़र आनी वाली जटिल परिस्थितियों के चलते इन कल्पनाओं के इर्द-गिर्द व्यापक बिखराव की संभावनाएं भी नज़र आ रही हैं. दुनिया के विकसित देशों के आर्थिक परिदृश्य में 2017-18 में सुधार नज़र आया जिसमें 2016 के दूसरे भाग में कुछ हद तक सुदृढ़ गतिविधि परिलक्षित हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय उत्तेजना होने का प्रक्षेपण किया गया.

दुनिया भर में उत्पादन में वृद्धि 3% (वार्षिक दर पर) के करीब होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें स्थूल रूप से कोई बदलाव नज़र नहीं आया है. लेकिन यह स्थिर औसत वृद्धि दर, विभिन्न देश समूहों में नजर आए विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों पर परदा डालती है. ख़ासकर स्टॉक में कमी और विनिर्माण उत्पादन में कुछ हद तक बहाली के कारण विकसित देशों में अपेक्षा से बढ़कर अधिक वृद्धि होने की उम्मीद की जा रही है. इसके विपरीत, कुछ उभरते हुए बाजारों में अनपेक्षित मंदी नज़र आई. अग्रदर्शी सूचकों में जैसे क्रय सूचियों में अधिकतर क्षेत्रों में पहले की भांति सुदृढ़ संकेत नजर आए. विकसित देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका की गतिविधियों में, 2016 के पहले भाग में कमज़ोर प्रवृत्ति के बाद जबरदस्त उछाल नजर आई और अर्थव्यवस्था, संपूर्ण रोज़गार की तरफ़ बढ़ रही है. अन्य बहुत सारे विकसित देशों में, विशेषकर यूरो क्षेत्रों में उत्पादन, संभावनाओं से कम रहा. कुछ देशों में जैसे स्पेन और युनाइटेड किंगडम में ब्रेक्सिट मतदान की उथल-पुथल के बाद देशी मांग में उम्मीद से बढ़कर बेहतर स्थिति नज़र आई. ऐतिहासिक वृद्धि में हुए परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि 2016 में और पूर्ववर्ती वर्षों में जापान की वृद्धि दर, पहले के आकलन के मुकाबले मजबूत रही. उभरते हुए बाजारों और विकासशील देशों में नज़ारा पहले की भांति, वैविध्यपूर्ण रहा है. चीन में वृद्धि दर, नीति की बदौलत मिली उत्तेजना की मदद से, अपेक्षा से अधिक कुछ हद तक सुदृढ़ रही. लेकिन अर्जेंटीना और ब्राजिल जैसे कुल लातिन अमेरिकी देशों में, मौजूदा आर्थिक मंदी के कारण, गतिविधियों में अपेक्षा से कम मंद प्रवृत्ति छाई रही. अमेरिका और यूके के नेतृत्व में बदलाव के चलते बाजारों ने भौगोलिक-राजनीतिक गतिविधियों पर ख़ास ध्यान दिया.

1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (IMF) के अनुसार भारत, दुनिया का सब से तेजी से तरक्की करने वाला ख़ास देश बन गया है. IMF के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की ताज़ा ख़बर के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था में, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, वैश्विक बाजार में छाई रही अनिश्चितता के बावजूद 7.1% की वृद्धि हुई है जिसमें संरचनात्मक सुधार के धीरे-धीरे से कार्यान्वयन, अधिक प्रयोज्य आय और आर्थिक गतिविधि में सुधार के चलते भविष्य में 8% तक इज़ाफ़ा होने की संभावना है.

ईंधन पर आर्थिक सहायता हटाने और सामाजिक लाभ को लक्ष्य बनाने से केंद्रीय बजट का 3.5% का GDP का लक्ष्य हासिल करना संभव हुआ. GDP का 0.7% का वर्तमान घाटा और वित्तीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ने अर्थव्यवस्था में निवेशकर्ताओं का भरोसा दोबारा जगाया है जिसके परिणामस्वरूप वित्त 2016-17 में US$35.9 दशलक्ष का निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संभव हो पाया जो अपने आप में एक रेकॉर्ड है.

वर्ष 2016 में, भारत में, दो अहम घटनाएं हुईं; एक रहा विमुद्रीकरण और दूसरा, GST का कार्यान्वयन. सरकार ने एक ऐतिहासिक उपाय की घोषणा की जिसका अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा. दो बड़ी मुद्राओं के नोटों, ₹ 500 और ₹ 1000 के नोटों का तत्काल प्रभाव से " विमुद्रीकरण " किया गया जो कुछ इन-गिने प्रयोजनों को छोड़कर दूसरे प्रयोजनों के लिए विधिमान्य मुद्रा नहीं रहीं. विमुद्रीकरण का दीर्घावधि मक़सद है, कम नकद निर्मित करना अथवा कैश-लाइट अर्थव्यवस्था का निर्माण करना क्योंकि यह औपचारिक वित्तीय प्रणाली के जरिए अधिक बचत और कर संबंधी अनुपालन करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है.

दूसरा पहलू है वस्तु और सेवा कर (GST) जिसका मक़सद है सरकार और राज्यों द्वारा लगाए गए जाने वाले सभी करों के स्थान पर एक ही केंद्रीय कर लागू करना. 01-07-2017 से वस्तु और सेवा (GST) कर लागू करना बेहद महत्वपूर्ण कदम है जिससे भारत में सही मायने में एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्मित होगा.

वृद्धिशील तेल मांग को देखें तो वैश्विक तेल मांग में हुई वृद्धि में भारत ने दूसरा सबसे बड़ा योगदान दिया है. भविष्य में भारत की क्रूड तेल की मांग में और इज़ाफ़ा होने की उम्मीद है. तेल उत्पादों की मांग में अगले 5-10 वर्षों में सालाना 7-9% तक वृद्धि होने की संभावना है. प्राकृतिक गैस की मांग में भी उल्लेखनीय बढ़त होने के आसार है. LNG टर्मिनल क्षमता का उपयोग, वर्तमान करीब 16 दशलक्ष टनों से 2022 तक 30 दशलक्ष टन प्रति वर्ष तक बढ़ने की संभावना है.

2015-16 में भारत का देशी गैस उत्पादन 31.14 अरब घन मीटर रहा. 2020-21 तक देशी गैस उत्पादन, उछलकर 4% की वृद्धि दर से 103 दशलक्ष मानक घन मीटर प्रति दिन तक पहुंचने की संभावना है जिसके लिए प्रेरक होंगी, गभीर जल और अति गभीर जल ब्लॉक्स के संबंध में नई कीमत निर्धारण नीति और गैस विपणन में आजादी तथा नए उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण. भारत, अपने तेल आयात को 10% तक घटाने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 तक मांग में 5% प्रति वर्ष की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि होने की अपेक्षा है.

2.0 उद्योग का सिंहावलोकन

2.1 वैश्विक परिदृश्य

अगले पांच वर्षों में तेल की मांग बढ़ने की संभावना है जो 2019 में 100 mb/d की सीमा पार करते हुए 2022 तक 104 mb/d के करीब पहुंचने की आशा है. सारी तरक्की, विकासशील देशों ने की है और इसमें एशिया का दबदबा रहा है, जहां दुनिया भर में खपाए जा रहे हर अतिरिक्त 10 बैरलों में से करीब 7 बैरलों की खपत हो रही है. भारत की तेल मांग में वृद्धि, 2016-17 में चीन से आगे निकल चुकी है. हालांकि तेल की मांग के लिए इलेक्ट्रिकल वाहन एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं लेकिन IEA का अनुमान है ये वाहन, 2022 तक परिवहन ईंधन का सीमित मात्रा तक ही विस्थापन कर पाएंगे. OPEC के अंदर, अधिक मात्रा में नई आपूर्तियां, कम लागत वाले प्रमुख खाड़ी देश जैसे इराक, ईरान और युनाइटेड अरब अमीरात के निर्माताओं से पाई जाएंगी. नाइजीरिया, अल्जीरिया और वेनेज़ुएला जैसे देशों से आपूर्तियां कम होंगी. पूर्वानुमान लगाया गया है कि अगले पांच वर्षों में रूस में उत्पादन में स्थिरता बनी रहेगी.

यह देखा गया है कि दुनिया भर में ऊर्जा बास्केट में नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि, सबसे तेज गति से हो रही है, जिसमें भारत, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए दूसरा सबसे अधिक आकर्षक गंतव्य बन गया है. जीवाश्म ईंधनों में प्राकृतिक गैस बेहतरीन काम करता है जिसकी बढ़ती हुई खपत को देखते हुए वैश्विक तेल आपूर्ति में, 2020 के बाद मांग के साथ कदम बढ़ाने में कठिनाइयां नज़र आ सकती हैं जिसके चलते, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के नवीनतम पांच वर्ष के तेल बाजार के पूर्वानुमान के मुताबिक अगर नई परियोजनाओं के लिए जल्द ही अनुमोदन न मिले तो कीमतों में एकदम उछाल हो सकता है. अगले तीन साल के लिए वैश्विक चित्र अनुकूल नज़र आता है लेकिन उसके बाद आपूर्ति में वृद्धि धीमी हो जाएगी, IEA के बाजार विश्लेषण और पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार, मांग और आपूर्ति की प्रवृत्तियां इस ओर संकेत देती है कि वैश्विक तेल बाजार में तंगी छाई रहेगी, जब कि 2022 में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता 14 वर्षों में सबसे निचले पायदान पर होगी.

अगले कुछ वर्षों में, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्राजिल में तेल आपूर्ति की मात्रा बढ़ने वाली है लेकिन अगर 2015 और 2016 में निवेश में दो वर्ष की गिरावट में कोई सुधार नहीं हुआ तो इस तरक्की में 2020 तक बाधा उत्पन्न हो सकती है.

एशिया को अपनी आयात की बढ़ती ज़रूरतें पूरी करने के लिए ख़ाडी के परे देशों की तरफ रुख करना पड़ेगा. OPEC के देशों में, स्थानीय मांग की पूर्ति करने और परिष्कृत उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए देशी परिष्करण क्षमता को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जब कि ब्राजिल और कनाडा से अतिरिक्त क्रूड तेल के निर्यात में खाड़ी के मुकाबले अधिक बढ़त होगी. ऊर्जा क्षेत्र में रूपांतरणात्मक परिवर्तन अनिवार्य है क्योंकि यह, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कम से कम दो तिहाई हिस्से का स्रोत बना हुआ है. ऊर्जा क्षेत्र में पहले से ही परिवर्तन हो रहे हैं जो कम कार्बन युक्त ऊर्जा की संभावना प्रकट करते हैं जिससे मौसम में परिवर्तन होने पर अर्थपूर्ण कार्रवाई की विश्वसनीयता बढ़ जाती है.

ऊर्जा से जुड़े CO_2 के उत्सर्जन में बढ़त कम हुई. ख़ासकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की प्रबलता में 1.8% सुधार होने के कारण ही यह संभव हो पाया, इस प्रवृत्ति के चलते ऊर्जा की दक्षता में इज़ाफ़ा हुआ है और दुनिया भर में अधिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का, अधिकतर मात्रा में नवीकरणीय स्रोतों का अधिक उपयोग किया जाने लगा है. ऊर्जा क्षेत्र में प्रति वर्ष करीब $1.8 करोड़ खरब का निवेश, स्वच्छ ऊर्जा में उस वक्त किया जा रहा है जब प्रति प्रवाह तेल और गैस में निवेश की मात्रा में एकदम गिरावट नजर आ रही है. जीवाश्म तेल की खपत में आर्थिक सहायता का मूल्य, 2015 में पूर्व वर्ष के मुकाबले लगभग $500 अरब से $325 अरब तक गिरा था जो निम्नतर जीवाश्म-ईंधन कीमतें दर्शाता है लेकिन साथ ही आर्थिक सहायता धनराशि में सुधार होने की ओर संकेत देता है जिसने कई देशों में जोर पकड़ लिया है.

खाड़ी में हाल में नजर आए राजनीतिक घटनाक्रम से यह बात उजागर हुई है कि देशों के बीच आर्थिक एकीकरण के फायदों के बारे में आपसी सहमति नहीं है. नीति में ख़ास फेरबदल होने की प्रतिक्रिया में विनिमय दरों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव के साथ-साथ वैश्विक असंतुलन का दायरा बढ़ाने की संभावनाओं के चलते संरक्षणवादी दबाव और बढ़ सकता है. वैश्विक व्यापार और प्रवास पर अधिक प्रतिबंध से उत्पादकता एवं आय चोट खा सकती है जिसका बाजार के रुझान पर फौरन असर पड़ सकता है.

रिफाइनरी का उत्पादन और निर्यात बढ़ने के कारण दुनिया के अधिकतर औद्योगिक देशों के तेल के स्टॉक में अप्रैल में 18.6 दशलक्ष बैरलों से 3 अरब बैरलों तक उन्नत हुई. IEA ने कहा कि स्टॉक 292 दशलक्ष बैरल से अधिक रहा जो पांच वर्ष के औसत से अधिक है. एजेंसी इस बात का पूर्वानुमान लगाती रही कि इस वर्ष की द्वितीय तिमाही में मांग की तुलना में आपूर्ति में कमी होने की संभावना है. लेकिन उसने कहा कि विशेषकर चीन यूरोप में मांग में वृद्धि में धीमापन नज़र आएगा जब कि आपूर्ति में बढ़त होगी, जिसका मतलब यह निकलता है कि इसमें घाटा, 500,000 bpd तक सिकुड जाएगा जब कि इससे पहले 700,000 bpd का आकलन किया गया था.

2.2 भारत का परिदृश्य

भारत के ऊर्जा क्षेत्र को सुप्रवाही बनाने की दृष्टि से सरकार का चिंतक वर्ग, नीति आयोग, देश में विनिर्माण एवं अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं स्थापित करने के लिए दुनिया के प्रमुख तेल देशों को प्रोत्साहन देने का विचार कर रहा है. नीति आयोग ने, देशी उत्पादन और खोजबीन उल्लेखनीय सीमा तक बढ़ाने के साथ-साथ भारत की आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तेल और गैस का परिष्करण एवं वितरण बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में क्षेत्र के लिए एक नये ब्लू प्रिंट के कार्यान्वयन पर MoPNG से चर्चा शुरु की है. नीति आयोग ने, अपने तीन वर्षीय प्रारूपी कार्य योजना में, अन्य पहल का तेजी से क्रियान्वयन करने पर जोर दिया गया है जिसमें शामिल है, खुली एकड़वार लाइसेंसिंग नीति और अब तक की गईं तमाम खोजबीन का युक्तीकरण. सरकार, पहले से ही कुछ क्षेत्रों में मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्यात प्रोत्साहन और पूंजीगत व्यय पर आर्थिक सहायता दे रही है.

केंद्र सरकार, नोडल मंत्रालय के साथ काम करते हुए, अल्पावधि में अर्थात्; आयोग के 15 वर्ष के दूरदर्शिता दस्तावेज में क्षेत्र के लिए बनाई गई प्रारूपी कार्य योजना में की गईं ख़ास सिफ़ारिशों को हासिल करने की ओर ध्यान दे रही है. नीति आयोग ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को अंतिम देते हुए भारत को तेल और गैस, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा में स्वयं निर्भरता हासिल करने में मदद करने के लिए दीर्घावधि में ऊर्जा क्षेत्र में ज़रूरी हस्तक्षेप करने के बारे में विस्तृत वर्णन दिया है.

भारत की तेल और गैस की खपत, देशी उत्पादन क्षमताओं से बहुत ज्यादा है. देश में उपलब्ध तेल के भंडारों को देखते हुए अधिक खोजबीन करने और उत्पादन एवं विदेशी दायरा बढ़ाने की खूब संभावनाएं हैं. भारत में तेल और गैस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं. बाउर्स, इसका साक्षी है. S&P, BSE तेल और गैस सूचकांक में, लंबी शीत निष्क्रियता के बाद 2014 के प्रारंभिक दौर से 50 प्रतिशत से अधिक उछाल नजर आया है. इस अवधि में कई क्षेत्रों के स्टॉक में जबरदस्त उछाल नजर आई है. अब भारत, दुनिया के ऊर्जा बाजार में एक अहम स्थान हासिल करने की तरफ आगे बढ़ता रहा है. भारत की रिफाइनरियां, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका देशों की अपेक्षाओं की पूर्ति करती रही हैं. भारत की रिफाइनरियों की वर्तमान क्षमता 230 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) है और करीब 70 दशलक्ष मेट्रिक टन के साथ हरित पट्टी परियोजनाओं का कार्य चल रहा है और 55 mmt के विस्तार के साथ ब्राउनफील्ड परियोजना को भी हाथ में लेने पर विचार किया जा रहा है.

तेल और गैस की अपेक्षाएं, 2040 तक 600 mmt तक बढ़ने की आशा है जो वर्तमान स्तर का तीन गुना है. रिफाइनरियां, BS-IV ईंधन से BS-VI ईंधन की तरफ मुडने वाली हैं जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा. अच्छे प्रदर्शन में कई कारकों ने अपना योगदान दिया है - क्रूड तेल की मात्रा में गिरावट, ईंधन कीमत निर्धारण में सुधार, स्वस्थ परिष्करण मुनाफे, शहर के गैस वितरकों को अधिक प्राथमिकता और विदेशी गैस आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए शर्तों को अधिक अनुकूल बनाना. लेकिन महत्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन रहा है, कीमत निर्धारण में सुधार. इससे काफ़ी बड़ी बुनियादी समस्या सुलझ गई है जिसने क्षेत्र को लंबे समय से ईंधन की कीमत पर नियंत्रण रखने से वंचित किया था और इससे सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को फायदा हुआ जिन्होंने अपनी आर्थिक सहायता का बोझ हलका किया. देशी उत्पादन बढ़ाने की खातिर सरकार ने हाल में खोजे गए परंतु अभी विकसित न किए गए ONGC और ऑयल इंडिया के छोटे क्षेत्रों का दोबारा आबंटन किया. सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण शासन का भी पुनर्योजन किया.

इस बीच, देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से सरकार, इस समय विशाखपट्टणम्, मंगलूरु और पदूर में स्थापित किए गए 3 भंडारों के अतिरिक्त ओड़ीशा और राजस्थान में दो और महत्वपूर्ण क्रूड तेल भंडार स्थापित करना चाहती है. इससे देश के निर्णायक भंडारों की क्षमता मौजूदा 5.33 mmt से 15.33 दशलक्ष टन तक बढ़ जाएगी.

हालांकि ईंधन के कीमत निर्धारण से जुड़ी चिंताएं काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं लेकिन क्षेत्र को परेशान करती रहीं बड़ी समस्याएं - गतिहीन हुआ देशी उत्पादन और आयात पर निर्भरता, अभी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है. भारत, इस समय अपने क्रूड तेल की आवश्यकताओं में 80 प्रतिशत से अधिक तेल और प्राकृतिक गैस की ज़रूरतों में 40 प्रतिशत का आयात करता है.

PSU तेल कंपनियां, तेल कीमतें गिरने के बाद अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आस्तियां खरीद रही हैं. हाल में रूसी आस्तियों में पूंजी लगाकर भारतीय ऊर्जा कंपनियों के सहायता संघ द्वारा की गई खरीदारी इस ओर इशारा करती है.

साथ ही, हाल में पेश किए गए बजट में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में एकीकृत ' ख़ास तेल उद्यम ' बनाने का प्रस्ताव रखा. इतनी जबरदस्त वित्तीय ताकत के साथ ऐसा विशालकाय ऊर्जा उद्यम, बड़ी-बड़ी विदेशी आस्तियों में पूजी लगाने के लिए बेहतर होगा क्योंकि इनमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तीव्र प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं.

2016-17 के दौरान भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और उत्पादन स्वरूप

('000 MT)

	खपत		उत्पादन	
उत्पाद	**2016-17**	**2015-16**	**2016-17**	**2015-16**
LPG	21548	19551	11252	10600
MS	23765	21846	36524	35321
नैफ़्ता	13254	13402	19757	17676
ATF	7019	6220	13809	11793
SKO	5396	6826	5978	7503
HSD	76012	74639	102121	98587
F.O और LSHS	7188	6673	11985	10791
पेट्रो कोक	23589	18323	12915	12298
कुल	**177771**	**167480**	**214341**	**204569**

(सूत्र : PPAC)

भारत की कुल क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता है 245396 ('000 MT) और आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 15965 ('000 MT) का प्रोसेसिंग किया.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एमआरपीएल का उत्पादन

उत्पाद	**('000 MT)**
हाइड्रोजन	0.07
LPG	858
ईंधन गैस	15
MS	1306
ज़ाईलोल	249
नैफ़्ता	1584
SKO	184
HSD	6565
ATF	1425
वीजीओ	248
ईंधन तेल	549
एस्फाल्ट	199

उत्पाद	('000 MT)
CRMB	2
गंधक	162
पेट्रो कोक	771
पॉलीप्रॉपीलीन	264
A7	79
A9	82
LSWR	86
कुल	14628.07

2016-17 के दौरान एमआरपीएल द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात.

('000 MT)

	एमआरपीएल	
उत्पाद	2016-17	2015-16
MS	167	174.23
नैफ़्ता	844	928.38
ATF	1185	818.68
डीज़ल	675	668.25
ईंधन तेल	467	629.96
कुल	3338	3219.50

3.0 भारत द्वारा क्रूड का आयात:

देश में क्रूड तेल का आयात, पिछले कुछ वर्षों से बढ़ता रहा है जो परिष्करण क्षमता में वृद्धि के अनुरूप है. भारत ने वर्ष 2016-17 के दौरान 249 दशलक्ष टन क्रूड तेल का आयात किया जब कि 2015-16 के दौरान 232 दशलक्ष टन क्रूड तेल का आयात किया गया था. भारत ने वर्ष 2016-17 के दौरान 65 दशलक्ष टन क्रूड तेल का निर्यात किया जब कि 2015-16 के दौरान 60 दशलक्ष टन क्रूड तेल का निर्यात किया गया था.

नवंबर 30, 2016 को अपनी बैठक में ओपेक देशों ने क्रूड तेल उत्पादन घटाने का फैसला किया जिसकी बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्रूड तेल की कीमतों में निम्नतर स्तर से उछाल नजर आई. ओपेक देश, भरमार हटाने के लिए जनवरी 2017 से 1.2 दशलक्ष बैरल प्रति दिन (bpd) तक अथवा 3 प्रतिशत से अधिक, 32.5 दशलक्ष bpd तक उत्पादन घटाने के लिए सहमत हुए. 100% से अधिक कटौती करते हुए अनुपालन दर अपनाने से क्रूड कीमतें बढ़ाने में मदद मिली है. OPEC द्वारा उत्पादन घटाने की अपनी शपथ के प्रति अडिग रहने के बावजूद, यूएस शेल्ल के उत्पादन में बढ़त, गैर ओपेक देशों के उत्पादकों के आपूर्ति फायदों और साथ ही उत्पादन घटाने का अनुपालन करने से छूट प्राप्त ईरान, नाइजीरिया और लिबिया जैसे देशों में उत्पादन बढ़ने के कारण कीमतों पर दबाव बना रहा. वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रूड तेल की कीमतों में आम तौर पर स्थिरता नज़र आई. 2016-17 के दौरान ब्रेंट और दुबई क्रूड तेल की कीमत औसतन $48.70 प्रति बैरल और $46.95 प्रति बैरल रही जिसमें पिछले वर्ष की $47.44 और $45.54 प्रति बैरल की कीमत की तुलना में 3% की वृद्धि नज़र आती है.

एमआरपीएल, अपनी क्रूड की आवश्यकताओं की पूर्ति, क्रूड तेल निर्यात करने वाले देशों की विभिन्न राष्ट्रीय तेल कंपनियों से मुद्दती आधार पर और खुले बाजार में हाजिर बिक्री से करता है. कंपनी ने 2016-17 में कुछ नए ग्रेड के क्रूड तेल जैसे; पैज़फ्लर (अंगोला) और याँबो (काँगो) का प्रोसेसिंग किया और 2017-18 के दौरान भी अपना क्रूड बास्केट बढ़ाना जारी रखेगी. क्रूड तेल के नए स्रोतों की खोजबीन करने और उनका इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से एमआरपीएल, वर्तमान आपूर्तिकर्ताओं से अपनी मात्रा बढ़ाने के अलावा क्रूड तेल की आपूर्ति के लिए देशों/स्रोतों से संभावित / नए मुद्दती तेल आपूर्तिकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहा है. चरण-III चालू होने के साथ, कंपनी ने अधिक भारी और अधिक अम्ल युक्त क्रूड तेल(लों) का प्रोसेसिंग करना शुरु किया था.

पेट्रोलियम उत्पादों के निवल निर्यात में, तीन वर्षों में 42% अवनति इसलिए हुई है कि पेट्रो कोक और अधिकतर घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिक स्वच्छ कुकिंग गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस (LPG) के लिए देश में मांग बढ़ गई है.

इससे परिष्करण क्षमता नियमित रूप से बढ़ रही है लेकिन तेजी से बढ़ती रही अर्थव्यवस्था में तेल उत्पादों की बढ़ती रही मांग के कारण पिछले तीन वर्षों में आयात-निर्यात का फ़ासला धीरे-धीरे घटता जा रहा है. पेट्रोलियम उत्पादों के लिए देशी मांग में 23% की वृद्धि हुई जब कि 2013-14 के बाद तीन वर्षों में उत्पादन में सिर्फ़ 10% तक इज़ाफ़ा हुआ है.

4.0 अवसर और खतरे:

भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जिसकी प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कम है, तरक्की के लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी. अफ्रीका के अलावा समग्र ऐशिया पेसिफिक क्षेत्र के लिए, तरक्की और विकास के पथ पर ऊर्जा की जबरदस्त ज़रूरत पड़ेगी. भारत सरकार ने हाल में पश्चिमी तट पर दो चरणों में 60 दशलक्ष टन (mtpa) प्रति वर्ष की मेगा रिफाइनरी स्थापित करने की अपनी योजनाएं घोषित की.

तेल की कम कीमतों से तेल निर्यातकर्ताओं और आयातकर्ताओं, दोनों को ऊर्जा संबंधी सहायता धनराशि और करों में सुधार करने का मौका भी मिलता है. एक तेल आयातकर्ता होने के नाते, सामान्य ऊर्जा संबंधी उपदान को हटाने से होने वाली बचत का अधिक लक्षित अंतरण करने, जहां प्रासंगिक हो, बजट की कमी पूरी करने और स्थिति सही हो तो सार्वजनिक आधारिक संरचना बढ़ाने के प्रति इस्तेमाल करना चाहिए.

LPG के उपयोग में इसलिए बढ़त हुई कि सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया था जिसका मक़सद रहा, अधिक से अधिक घरों, ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बावर्ची खाने में आज भी खतरनाक जंगली लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तेजी से कुकिंग गैस अपनाना. पिछले तीन वर्षों में LPG उपभोग में तीन गुना बढ़त हुई है.

भविष्य में तेल की कीमत के बारे में अनिश्चितता और कीमत की गिरावट में अंतर्निहित कारकों ने वैश्विक वृद्धि की परिकल्पना को जोखिम का एक नया आयाम दिया है. दूसरी ओर तेल की कम कीमतों से दुनिया को मिला प्रोत्साहन, ख़ासकर विकसित देशों में इस समय किए गए प्रक्षेपणों से कई अधिक हो सकता है. लेकिन तेल की कीमतों में भी नकारात्मक गिरावट आ सकती थी और अगर आपूर्ति का जवाब, पूर्वानुमान से अधिक तगड़ा न हो तो अपेक्षा से पहले अथवा बाद में कीमतें पलट सकती हैं.

गौरतलब है कि नकारात्मक पहलू से जुड़े अन्य जोखिम ज्यों के त्यों हैं. वैश्विक वित्तीय बाजारों में, उथल-पुथल से जुड़े जोखिम एवं उतार-चढ़ाव का सिलसिला और तीखा होता जा रहा है. बढ़ते रहे असम वैश्विक विस्तार के संदर्भ में प्रमुख देशों की गतिविधि में आश्चर्यजनक करवट बदलने अथवा अमेरिका में मौद्रिक नीति को सामान्य बनाने की राह पर आश्यर्चजनक मोड़ आने की संभावना हो सकती है. ख़ासकर उभरते हुए बाजारों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनके पूंजी अंतर्वाह में उलट हो सकता है. तेल की कीमतों में तीक्ष्ण गिरावट के साथ तेल आयातकर्ताओं में ये जोखिम बढ़ गए हैं जहां बाह्य एवं तुलन-पत्र की आलोचनीयता बढ़ गई है जब कि तेल आयातकर्ताओं को बफर मिले हैं. यूरो क्षेत्र में, मुद्रास्फ़ीति में और अवनति हुई है तथा देश या विदेश में प्रतिकूल झटकों के चलते निम्नतर मुद्रास्फ़ीति अथवा कीमत में गिरावट का दौर, लंबे समय तक कायम रह सकता है क्योंकि मुद्रा नीति के प्रति प्रतिक्रिया मिलने में वक्त लगता है. बहुत सारे प्रमुख देशों में भविष्य में मांग के रूप में उभरने वाले संभावित आउटपुट के नकारात्मक पहलू से जुड़े कुछ जोखिम अभी भी मौजूद हैं. भौगोलिक-राजनीतिक जोखिम बढ़ते रहने की आशा है जब कि वैश्विक तेल बाजार में टूट-शिकस्त से जुड़े जोखिमों का दर्जा, पर्याप्त निवल अंतर्वाह की आपूर्ति के चलते, घटाया गया है.

उद्योग द्वारा पेट्र कोक और ईंधन तेल का अधिक उपयोग, पर्यावरण के लिए ख़ास, चिंता का विषय बन गया है. कोयले के लिए एक सस्ते विकल्प के रूप में पेट्र कोक का उपयोग, सिमेंट और विद्युत उद्योग में बढ़ रहा है लेकिन पर्यावरण पर पड़ने वाले खतरों को देखते हुए नीति संबंधी अधिक सख्त प्रतिबंधों का सामना करने की नौबत आ सकती है.

तेल रिफाइनरी कारोबार में US डालर (USD) का दबदबा बना हुआ है. क्रूड तेल और उत्पाद, दोनों की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय कोट के आधार पर तय की जाती हैं, जब कि रुपया बनाम डालर की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का अपने आप फैक्टरिंग किया जाता है जो सामान्य क्रम में विनिमय दर में अस्थिरता के प्रति स्वाभाविक सुरक्षा प्रदान करता है. लेकिन अचानक और अधिक उतार-चढ़ाव का असर पड़ सकता है. अंतर्राष्ट्रीय क्रूड कीमतों में किसी भी तरह का उतार-चढ़ाव, काफ़ी हद तक बिक्री कीमत में नज़र आता है बशर्ते कि उत्पादों की कीमतों में वही रुख नज़र आए जो क्रूड तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव में नज़र आता है.

आपकी कंपनी, आयात एवं निर्यात करती है जिससे विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रति स्वाभाविक सुरक्षा मिलती है. जहां तक हो सके USD में एक्सपोशर के साथ मेल बिठाने के प्रयास किए जाते हैं जिससे जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है. क्रूड और उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता का परिष्करण मुनाफे पर असर पड़ता है. आपकी कंपनी, अपनी क्रूड तेल की आवश्यकताओं में से करीब 80% का आयात करती है और कुल उत्पादन के लगभग 47% का निर्यात करती है जहां बिक्री प्राप्तियों को USD में प्राप्त किया जाता है. देशी बिक्रियों के मामले में भी कीमतों का, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद व्यापार/आयात समता कीमतों पर निर्धारण किया जाता है जिसमें काफ़ी हद तक स्वाभाविक सुरक्षा मिलती है. लेकिन क्रूड और उत्पाद की कीमतों में अचानक उतार-चढ़ाव का आपकी कंपनी के मुनाफ़े पर काफ़ी असर पड़ेगा.

5.0 <u>खतरे और चिंताएं:</u>

1. खूबियां

- एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स संयंत्र से मूल्य चेन में संपूर्ण मौजूदगी सुनिश्चित करना और विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर मुनाफ़ा हासिल करना संभव होगा.
- प्रॉपीलीन के विनिर्माण से GRM में $1-1.5/bl तक बढ़त होगी
- तेल जेटियां क्रूड प्राप्त कर पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर सकती हैं; एमआरपीएल, अधिक मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात कर अधिक मार्जिन हासिल कर सकता है.
- अधिक जटिल रिफाइनरियों में से एक है (जिसका NCI, 10.63 है),जिसका आसुत उत्पादन अधिक है
- रिफाइनरी में अधिक भारी क्रूड का प्रोसेसिंग करने की क्षमता है जिसके अधस्तलज पर रूपांतरण की सुविधाएं हैं
- ONGC की सहायता एवं सुदृढ़ छत्रछाया है.

2. कमज़ोरी

- निर्दिष्ट क्रूड स्रोतों पर निर्भरता
- उत्पाद बेचने के लिए बुनियादी सुविधाएं

3. अवसर

- भारत में ईंधन की मांग 6.5% प्रति वर्ष बढ़ रही है (बनाम ~2% विश्व भर में)
- ईंधन का खुदरा व्यापार करने के अवसर क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल को विनियमित किया गया है
- दक्षिण भारत में स्थानीय फ़ायदे हैं जो भारत के कुल ईंधन खपत का ~30% का भागीदार है

4. ख़तरे

- अपेक्षाकृत बड़े PSU और निजी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा का खतरा
- क्रूड की कीमतें कम हैं इसलिए निर्यात और उत्पादन में न के बराबर कमी हुई है जो 3/5 वर्ष के बाद मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी जिसके चलते क्रूड की लागत में बढ़त होगी जिसका अनुप्रवाह उद्योगों को खतरा हो सकता है.

आपकी कंपनी एक ऐसे व्यावसायिक माहौल में काम करती है जिसमें वैश्वीकरण बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा तीव्र होती जा रही है और अधिक जटिल प्रौद्योगिकियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें कारोबार को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित खतरों और चिंताओं से जूझना पड़ता है. हमने, एमआरपीएल में, कारोबार में निहित नीचे उल्लिखित जोखिमों को पहचानने के साथ-साथ इनको कम करने की दिशा में एक रूपरेखा भी बनाई है.

5. जोखिम

- **क्रूड आपूर्ति में निहित जोखिम :**
  रिफाइनरियों को, निर्बाध रूप से उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्रूड तेल की वक्त पर आपूर्ति का जोखिम उठाना पड़ता है जिससे कि क्रूड का अभाव टाला जा सके क्योंकि क्रूड के अभाव

से थ्रूपुट घट जाता है. अपने प्रचालन स्वरूप के कारण, अगर आपूर्तिकर्ता देश की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति पर कोई दबाव हो, उपयुक्त जहाज न मिले और पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों (OPEC) के संगठन द्वारा क्रूड की आपूर्ति घटाई जाए तो क्रूड की आपूर्ति में निहित जोखिम उठाने की नौबत आ सकती है.

आपकी कंपनी, क्रूड हासिल करने के स्रोतों का विविधीकरण करती रही है और इस दिशा में अधिक देशों को जोड़ती रही है और क्रूड की श्रेणी बढ़ाती रही है. आपकी कंपनी ने प्रारंभ में सिर्फ़ NIOC (नैशनल इरानियन ऑइल कंपनी ऑफ़ ईरान) के साथ मुद्दती ठेका मुकर्रर किया था लेकिन इस समय क्रूड खरीदने के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं जैसे साउदी अरैमेको (नैशनल ऑइल कंपनी ऑफ किंगडम ऑफ साउदी अरेबिया), ADNOC (नैशनल ऑइल कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी) और KPCL(कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन) के साथ मुद्दती ठेके तय किए गए हैं. आपकी कंपनी, अतिरिक्त आपूर्तिकर्ताओं के जरिए आयात बढ़ाना चाहती है. आपकी कंपनी ने रव्वा, नाइल ब्लेंड और सखलीन जैसे नज़दीकी विभिन्न तेल भंडारों से क्रूड हासिल करने के लिए ONGC समूह के साथ आपूर्ति संबंधी करार भी किया है. आपकी कंपनी, लचीली कीमतों का फायदा उठाने की खातिर, हाजिर टेंडर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय हाजिर बाजारों में लगभग 15-20% क्रूड हासिल करना चाहती है.

- **कीमत का जोखिम**

यह जोखिम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड तेल की कीमतों और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुड़ा है. दुनिया भर में तेल की एक पण्य के रूप में अधिक मांग होने के कारण संभव है कि कीमत में ख़ास उतार-चढ़ाव का आर्थिक दशा पर गहरा असर पड़े. तेल की कीमत को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं, आपूर्ति एवं मांग तथा बाजार की नाजुकता. तेल व्यापार में, तेल के व्यापार में, तेल की मांग का इशारा, दुनिया के प्रमुख देशों की तेल की खपत के स्वरूप की तरफ होता है और आपूर्ति का मतलब, OPEC (पेट्रोलियम देशों का संगठन) से क्रूड तेल के आउटपुट और अन्य तेल उत्पादन से है. जब कि बाज़ार का रुझान, भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति पर निर्भर होता है जैसे कि हम इस समय खाड़ी, अफ्रीका और युक्रेन में तनाव से भरा माहौल देख रहे हैं.

रिफाइनरी की लाभप्रदता, क्रूड तेल की कीमतों और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों के बीच मुनाफे पर निर्भर होती है. आपकी कंपनी ने, हाजिर/प्रायोगिक क्रूड तेल का अनुपात इष्टतम स्तर पर बनाए रखते हुए क्रूड तेल की खरीदारी के लिए सोच-समझकर व्यावसायिक रणनीति अपनाई है जिससे कि प्रक्षेपित बाजार के परिदृश्य में क्रूड का लागत प्रभावी ढंग से क्रय किया जा सके.

कीमत में घट-बढ़ का जोखिम कम करने की खातिर आपकी कंपनी, प्रतिस्पर्धात्मकता कीमतों पर क्रूड तेल हासिल करने के लिए दीर्घावधि ठेके तय करती है और खुले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सहारा लेती है. प्रबंधन ने, तीन महीने पहले प्रवाही योजना (रोलिंग प्लान) बनाई जिससे कि कीमत में घट-बढ़ का जोखिम पहचानकर वक्त पर उचित कार्रवाई की जा सके. लागत घटाने के लिए सस्ते सख्त क्रूड का उपयोग बढ़ाया जाता है और उत्पाद स्लेट में सुधार करने की खातिर सम्मिश्रण का सहारा लिया जाता है. कंपनी में विदेशी मुद्रा की अस्थिरता से बचने के लिए प्रतिरक्षा का सहारा नहीं लिया जाता है.

- **विदेशी मुद्रा में निहित जोखिम**

कंपनी के सामान्य प्रचालन के अंग के तौर पर विदेशी मुद्रा आयात/निर्यात करने के प्रति कंपनी के एक्सपोज़र के कारण विदेशी विनिमय में घट-बढ़ के प्रभाव के कारण, इस तरह का जोखिम उठाना पड़ता है.

विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ को, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित "जोखिम प्रबंधन नीति" में परिभाषित दिशानिर्देशों और परिसीमाओं के अनुसार संभाला जाता है. आपकी कंपनी ने, विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ की वक़्त पर समीक्षा करते हुए कंपनी के जोखिम परिदृश्य पर गौर करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन पहले ही कर दिया है.

आपकी कंपनी ने, विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ से उत्पन्न जोखिम पर सलाह देने और जोखिम मिटाने के उपाय सुझाने के लिए एक सलाहकार मुर्करर किया है. लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता की तुलना में बचाव-व्यवस्था की अधिक लागत को देखते हुए कंपनी ने कोई बचाव व्यवस्था नहीं की. कंपनी, प्रतिरक्षा का सहारा नहीं लेती है.

- **रिफाइनरी के मुनाफे में निहित जोखिम**

प्रचालन दक्षता और अपेक्षित मात्रा, गुणवत्ता और कीमत वाले क्रूड तेल तक पहुंच का कंपनी के निष्पादन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है. हालांकि परिष्कृत उत्पाद की फीड स्टॉक कीमतों में सामान्यत: परिवर्तन होता है लेकिन इसमें एक अंतराल बना रहता है जिसका अल्पावधि कार्यकारी पूंजीगत अपेक्षाओं और लाभप्रदता पर असर पड़ता है.

प्रौद्योगिकीय उन्नति और भरोसेमंद प्रचालन के जरिए उत्पादन की दक्षता बढ़ाने से लगातार जोखिम मिटाना संभव होगा. कारोबार की प्रक्रिया का इष्टतमीकरण करने संबंधी बैठकें, आंतरिक रूप से की जाती हैं जिससे कि मार्जिन बढ़ाने के लिए आने वाले महीनों में प्रवृत्तियों और आगे की चाल का विश्लेषण कर कदम बढ़ाए जा सकें.

लेकिन आपकी कंपनी ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए कार्यान्वयन कार्यविधि एवं निगरानी तंत्र सहित व्यवस्थित ढंग से परिभाषित नीतिगत ढांचा बनाया है.

जोखिम प्रबंधक, पहचाने गए जोखिमों का मासिक आधार पर मूल्यांकन कर रहे हैं और साथ ही नए जोखिमों को पहचानने के साथ-साथ उनको मिटाने के उपाय भी कर रहे हैं.

- **पानी की उपलब्धता**
  हाल में मंगलूरु में जल संकट के कारण रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की यूनिटों को भागश: शटडाउन करना पड़ा था. इस जोखिम से बचने के लिए, आपकी कंपनी ने एक अल्पावधि योजना बनाई है जिसमें ETP से पुन:चक्रित जल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और शहर से वाहित मल का उपचार करने के बाद प्राप्त जल का अधिक उपयोग किया जाएगा. एमआरपीएल, दीर्घावधि में, विलवणन (डीसलाइनेशन) संयंत्र स्थापित करते हुए जल के वैकल्पिक स्रोत की खोजबीन कर रहा है.

6.1 कूटनीतिक कारोबार की तरफ पहल और भावी दृष्टिकोण

- उपलब्ध अवसरों को देखते हुए और भारत सरकार की ऑटो ईंधन नीति के अनुसार उत्पाद के विनिर्देशों की पूर्ति करने की दृष्टि से आपकी कंपनी, 2020 तक BS VI ग्रेड का उत्पादन करने के लिए परियोजनाएं लागू करने वाली है.
- अधिक मूल्य वर्धन करने की दृष्टि से रिफाइनरी क्षमता को 18/25 MMTPA तक बढ़ाने की खातिर कॉन्फ़िगरेशन अध्ययन किया जा रहा है.
- राज्य उच्च स्तरीय क्लीयरेंस समिति (SHLCC) GOK, ने रिफाइनरी के स्थान के बगल में 1050 एकड़ की भूमि आबंटित की है. अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है.
- 2025 तक भविष्य में तरक्की की रणनीति का रास्ता तय करने की दृष्टि से, सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहचाना गया है और विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए समूह बनाए गए हैं तथा अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि में एमआरपीएल की भावी वृद्धि की रूपरेखा बनाई गई है. समूहों ने परियोजनाएं बनाई हैं जिनको तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा.
- सुधार और विकास की खातिर विभिन्न अन्य परियोजनाएं भी हाथ में ली जा रही हैं जैसे CCR-2 का परिष्करण, MS,HSD,ATF डे-टैंक और पार्किंग सुविधा के साथ विपणन टर्मिनल, रेलवे साइडिंग सुविधा पर वैगन लोडिंग के लिए पेट्रो कोक सिलोस को हाथ में लिया गया है जिससे कि संभार के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा सके. इन सभी परियोजनाओं के लिए, EPCM ठेकेदारों की मदद ली जाएगी.

7.0 आंतरिक नियंत्रक प्रणालियाँ

आपकी कंपनी ने सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण समीक्षा तंत्र अपनाया है जिससे लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण माहौल का आश्वासन दिया जा सकेगा. आपकी कंपनी, अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र में लगातार सुधार कर उन्नयन करती रही है जिससे कि प्रबंधन की प्रभावशीलता और दक्षता, प्रचालन और वित्तीय स्थिति पर भरोसेमंद रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके और उच्च स्तरीय कानूनी अनुपालन और जोखिम प्रबंधन हासिल किया जा सके. आपकी कंपनी ने, अपने आकार और प्रचालन के स्वरूप के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र लागू किया है. ये तंत्र, भरोसेमंद वित्तीय और प्रचालन संबंधी जानकारी, रेकॉर्ड उपलब्ध कराने, लागू कानूनों का अनुपालन करने, आस्तियों को अनधिकृत उपयोग अथवा हानि से बचाने, उचित प्राधिकरण के साथ लेन-देन करने और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन दिलाने के इरादे बनाए गए हैं. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की देखरेख, लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है जो निदेशक मंडल को संगठन के जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और अभिशासन संबंधी प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और उचित आश्वासन दिलाने के उद्देश्य से आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर लगातार निगरानी रखती है. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, व्यावसायिक प्रक्रियाओं, तंत्रों और नियंत्रणों में सुधार करने के अवसरों का आकलन करता है, संगठन का मूल्य बढाने के लिए ज़रूरी सिफ़ारिशें करता है और लेखा परीक्षा समिति और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा करने के बाद निवारक कार्रवाई लागू करने और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार करने के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करता है.

कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र, उसके कारोबार के स्वरूप और उसके आकार एवं उसकी प्रचालन की जटिलता के अनुरूप हैं. इनका नेमी तौर पर परीक्षण किया जाता है और सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में सभी कार्यालयों, संयंत्रों और महत्वपूर्ण कारोबार क्षेत्रों में शामिल किया जाता है. इनके बारे में की गईं लेखा परीक्षा संबंधी उल्लेखनीय लेख-टिप्पणियों और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में लेखा परीक्षा समिति को इत्तला किया जाता है. लेखा परीक्षा समिति, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण माहौल की पर्याप्तता और प्रभाविता की समीक्षा करती है और कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और तंत्रों को सुदृढ़ बनाने की सिफ़ारिशों सहित लेखा परीक्षा संबंधी सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखती है.

8.0 निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, भौतिक और वित्तीय मापदंड, दोनों के लिहाज से आपकी कंपनी का निष्पादन, नई ऊंचाइयों को छूते हुए गत निष्पादन के मानक पार कर गया और भविष्य के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए.

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 59415 करोड़ का कारोबार किया जब कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 50864 का कुल कारोबार किया था. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अर्जित ₹ 1147 करोड़ के लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 3644 करोड़ का कर उपरांत

लाभ अर्जित किया. वित्तीय वर्ष 2015-16 के 5.20 $/bbl के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.75 $/bbl का कुल परिष्करण मार्जिन (GRM) हासिल किया गया.

सहायक कंपनी

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL), एकमात्र सहायक कंपनी है. आपकी कंपनी के OMPL में पहले की भांति 51% इक्विटी शेयर हैं जब कि ONGC के 49% इक्विटी शेयर हैं. ओएमपीएल ने मंगलूर के विशेष आर्थिक अंचल में 914 KTPA पैरा-ज़ाइलीन और 283 KTPA बेंज़ीन की वार्षिक क्षमता के साथ ऐरोमैटिक कांप्लेक्स की स्थापना की है. वर्ष के दौरान 0.53 MMT पैरा-ज़ाइलीन और 0.19 MMT बेंज़ीन का निर्यात किया गया. विव 2016-17 में प्रचालन से ₹ 5257 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया. जब कि 2015-16 के दौरान ₹ 4,188 करोड़ का राजस्व संपादित किया गया था. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने ₹ 366 करोड़ की कर उपरांत हानि उठाई जब कि पूर्व वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ख़ासकर ब्याज, मूल्यह्रास और निम्नतर क्षमता उपयोग के कारण ₹ 649 की कर उपरांत हानि उठाई गई थी.

संयुक्त उद्यम

कंपनी के दो संयुक्त उद्यम हैं जैसे शेल्ल बी.वी. नेदरलैंड्स के साथ शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL), जहां आपकी कंपनी की शेयर पूँजी 50% और खाड़ी तेल के साथ मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (MRSL), जो एक हिंदूजा समूह की कंपनी है जिसमें आपकी की शेयर पूँजी 49.98% है. SMAFSL के खातों का, एमआरपीएल के खातों के साथ समेकन किया गया है.

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)

कंपनी की शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ़्यूएल्स एण्ड सर्वीसस लि. में 50% इक्विटी शेयर पूंजी और शेष पूंजी, शेल्ल गैस BV नेदरलैंड में है. SMAFSL, भारत के कई हवाई अड्डों पर देशी और अंतर्राष्ट्रीय एअरलाइनों, दोनों के लिए एविएशन टर्बाईन ईंधन (ATF) की आपूर्ति करती है. ₹ 14.05 करोड़ के कर पूर्व लाभ (पिछले वर्ष ₹ 4.88 करोड़) और ₹ 9.06 करोड़ के कर उपरांत लाभ (पिछले वर्ष ₹ 3.92 करोड़)के साथ विव 2016-17 के लिए राजस्व ₹ 560.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 324.37 करोड़) रहा.

कंपनी ने विव 2015-16 के दौरान चेन्नई में अपना प्रचालन शुरु किया. कंपनी इस समय 10 हवाई अड्डों पर मौजूद है और तीन हवाई अड्डों के लिए HPCL के साथ सुकरण मॉडेल के लिए करार किया गया है. कंपनी ने विव 2016-17 के लिए ₹ 0.75 करोड़ लाभांश की सिफ़ारिश की.

9.0 मानव संसाधन :

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी का अपने सहयोगियों के साथ संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहा और इसके सबूत के तौर पर, इस दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया.

31/03/2017 को कुल कर्मचारियों की संख्या 1917 रही जिनमें 132 महिला कर्मचारी, 252 अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारी और 29 शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारी हैं. 821 कर्मचारी, प्रबंधन संवर्ग के हैं जब कि 1096 कर्मचारी गैर-प्रबंधन संवर्ग के हैं.

10.0 अग्रदर्शी बयान:

भविष्य के बारे में उम्मीदों अथवा प्रक्षेपणों को लेकर दिए गए ऐसे तमाम बयान जो वृद्धि, उत्पाद विकास, बाजार की स्थिति, व्यय और वित्तीय परिणामों के लिए कंपनी की रणनीति तक सीमित न हों, अग्रदर्शी बयान माने जाएंगे. चूंकि ये बयान, भावी घटनाओं को लेकर की गईं कुछ परिकल्पनाओं और उम्मीदों पर आधारित हैं इसलिए कंपनी, यह गारंटी नहीं दे सकती कि ये सही हैं या इनको साकार किया जाएगा. कंपनी के वास्तविक परिणामों, निषादन अथवा उपलब्धियों में, अग्रदर्शी बयानों में किए गए प्रक्षेपणों से फर्क हो सकता है. कंपनी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह, भावी घटनाओं, सूचनाओं अथवा गतिविधियों के आधार पर दिए गए इन बयानों में से किसी में सार्वजनिक रूप से संशोधन, रूपांतरण अथवा परिवर्तन करे. जब तक कानून में अपेक्षा न की गई हो, कंपनी, इन अग्रदर्शी बयानों को अद्यतन बनाने के प्रति अपने दायित्व का दावा नहीं करता है.

निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

1. हमारे निगमित अभिशासन का सिद्धांत

निगमित अभिशासन में प्रणालियों और पद्धतियों का समावेश होता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के कामकाज इस तरह से निभाया जा रहा है जिससे व्यापक रूप से तमाम लेन-देनों में जिम्मेवारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता नजर आए. एमआरपीएल, हिस्सेदारों के हितों का संरक्षण और प्रवर्तन करते समय शेयरधारकों के मूल्य बढ़ाने के साथ-साथ नैतिकता और आचरण संहिता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता बरकरार रखता है. निगमित अभिशासन के बारे में कंपनी का सिद्धांत है, हिस्सेदार का मूल्य बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य से अपने प्रचालन के हर एक आयाम में सर्वाधिक पारदर्शिता, जिम्मेवारी और नैतिकता हासिल करना.

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015) में निगमित अभिशासन के क्षेत्र में किए गए परिवर्तन का पालन करती है. SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन करने के अलावा, कंपनी, कंपनी के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपलब्धता की बात को छोड़कर बाकी के मामलों में, सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए कंपनी अभिशासन पर दिशानिर्देशों का भी पालन करती है. एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान (CPSE) होने के नाते, कंपनी के बोर्ड पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है. अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार (GoI) के साथ उठाया जाता है.

कंपनी की यह मान्यता है कि निगमित अभिशासन के सर्वोच्च मानदंड सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय, अच्छी तरह से सुविज्ञ एवं स्वतंत्र बोर्ड की ज़रूरत है. कंपनी का निदेशक मंडल, निगमित अभिशासन की बेहतरीन पद्धतियां अपनाने में सर्वोपरि है. इस प्रकार से बोर्ड, प्रबंधन के कामकाज पर निगरानी रखता है और अपने हिस्सेदारों के दीर्घावधि हितों की रक्षा करता है.

कंपनी के निगमित अभिशासन का ढांचा, नीचे उल्लिखित सिद्धांतों पर बनाया गया है:

- शेयरधारकों के अधिकारों की हिफ़ाजत करना और अधिकारों का प्रयोग सुसाध्य बनाना.
- पारदर्शी प्रणाली और मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्धता; जिसमें हिस्सेदारों के अधिकारों को मान्यता दी जाती है और कंपनी एवं हिस्सेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है;
- कंपनी की वित्तीय स्थिति, निष्पादन, स्वामित्व और अभिशासन सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, वक़्त पर और ठीक तरह से प्रकट करना;
- ईमानदारी और जिम्मेवारी पर बल देते हुए आंतरिक नियंत्रण की सुदृढ़ प्रणाली के बलबूते पर काम करना;
- तमाम हिस्सेदारों को समस्त महत्वपूर्ण जानकारी वक़्त पर और पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराना;
- लागू कानूनों, दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- अपने हिस्सेदारों और समाज के लोगों के साथ न्याय संगत तरीके से और निष्पक्ष रूप से पेश आना;
- हिस्सेदारों के लिए प्रभावशाली मुखबिर नीतिगत तंत्र बनाना.

1. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल, निगमित अभिशासन संबंधी मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में पारदर्शी और प्रभावशाली तरीके से अपना काम करता है. कंपनी में विस्तृत प्रत्यायोजित अधिकारों की पुस्तिका और अन्य पुस्तिकाएं जैसे सामग्री प्रबंधन, कार्य पुस्तिका आदि हैं जिनमें प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई हैं और उस स्तर को परिभाषित किया गया है जिस स्तर पर (मंडल/कार्यकारी समिति/कार्यात्मक निदेशक) फैसला लिया जाता है और वक़्त-वक़्त पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि इनको अद्यतन बनाकर संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है. कंपनी के बोर्ड पर 8 समितियां हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर बोर्ड को, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देती है.

अ. 31/03/2017 को निदेशकों की संरचना : 8

कार्यपालक निदेशक : 3
गैर कार्यपालक निदेशक : 5

आ. 31/03/2017 को निदेशक मंडल

निदेशक	कार्यपालक / गैर-कार्यपालक	श्रेणी / पदनाम	निदेशक पदों की संख्या		बाह्य समितियों की संख्या	
			सार्वजनिक	निजी	सदस्य	अध्यक्ष
श्री दिनेश के. सर्राफ़	अध्यक्ष गैर-कार्यपालक	अध्यक्ष	7	-	1	-
श्री एच. कुमार	कार्यपालक	प्रबंध निदेशक	4	-	2	-
श्री एम. वेंकटेश	कार्यपालक	निदेशक (रिफाइनरी)	3	-	3	-

निदेशक	कार्यपालक / गैर-कार्यपालक	श्रेणी / पदनाम	निदेशक पदों की संख्या		बाह्य समितियों की संख्या	
			सार्वजनिक	निजी	सदस्य	अध्यक्ष
श्री ए.के. साहू	कार्यपालक	निदेशक (वित्त)	2	-	2	-
श्री विनोद एस. शेणै	गैर कार्यपालक	(एचपीसीएल) नामिती निदेशक	4	-	-	-
श्रीमती पेरिन देवी	गैर कार्यपालक	सरकारी निदेशक	1	-	3	2
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	गैर कार्यपालक	सरकारी निदेशक	-	-	-	-
सुश्री मंजुला सी.	गैर कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-

(i) SEBI (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015') के विनियम 36(3) के अनुसार नए निदेशक की नियुक्ति अथवा निदेशक की पुनर्नियुक्ति के विवरण

नियुक्त अथवा पुन:नियुक्त किए जाने वाले नीचे उल्लिखित निदेशकों का संक्षिप्त सारवृत्त जैसे उनकी अर्हता, विशेषज्ञता, उन कंपनियों के नाम जिनके बोर्ड पर वे अध्यक्ष/निदेशक रहें और बोर्ड की उप-समिति के अध्यक्ष/निदेशक रहें, इन कंपनियों में इनका शेयरधारण और शेयर बाजार से संबंधित SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 36(3) का परस्पर अनुसरण करते हुए निदेशक के बीच संबंध, 29वीं वार्षिक महासभा संबंधी नोटिस में दिया गया है जो वार्षिक रिपोर्ट का ही एक भाग है.

- श्री विनोद एस. शेणै (DIN: 07632981) आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं
- अपर निदेशक के रूप में नियुक्त सुश्री मंजुला सी. (DIN: 07733175) को गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है.

(ii) गत निदेशक

निदेशक	कार्यपालक / गैर-कार्यपालक	श्रेणी	निदेशक पदों की संख्या		बाह्य समितियों की संख्या	
			सार्वजनिक	निजी	सदस्य	अध्यक्ष
श्री बी.के. नामदेव	कार्यपालक	(HPCL) नामिती निदेशक	6	-	-	-

(iii) 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

निदेशक	नियुक्ति तारीख	कब से निदेशक नहीं रहे	कार्यकाल	टिप्पणियां
श्री विनोद एस. शेणै	08/11/2016	लागू नहीं	कार्यकाल, HPCL द्वारा नामांकन पर आधारित.	आकस्मिक रिक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
सुश्री मंजुला सी.	31/01/2017	लागू नहीं	उनकी नियुक्ति की अधिसूचना तारीख से 3 वर्ष अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
श्री बी.के. नामदेव	01/07/2013	31/10/2016	लागू नहीं	HPCL की सेवाओं से निवृत्त होने के फलस्वरूप 31/10/2016 से निदेशक नहीं रहें.

(iv) 31/03/2017 के बाद निदेशक मंडल में परिवर्तन

31/03/2017 के बाद निदेशक मंडल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ.

इ. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संपन्न बोर्ड की बैठकों और 03/09/2016 को संपन्न 28वीं वार्षिक महासभा में निदेशकों की उपस्थिति.

(i) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संपन्न बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे

वर्ष 2016-17 के दौरान, मंडल की छह (6) बैठकें हुईं.

क्रम सं.	बैठक की तारीख	बैठक सं.	स्थान
1	20/04/2016	203	नई दिल्ली
2	12/05/2016	204	बेंगलूरु
3	01/08/2016	205	नई दिल्ली
4	03/09/2016	206	मंगलूरु
5	08/11/2016	207	नई दिल्ली
6	07/02/2017	208	नई दिल्ली

(ii) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति.

निदेशक	कितनी बैठकों में भाग लिया	क्या पिछली AGM में भाग लिया
श्री दिनेश के. सर्राफ़	5	हां
श्री एच. कुमार	6	हां
श्री एम. वेंकटेश	6	हां
श्री ए.के. साहू	6	हां
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	4	नहीं
श्रीमती पेरिन देवी	6	हां
श्री विनोद एस. शेणै	2	लागू नहीं*
सुश्री मंजुला सी.	1	लागू नहीं*

*निदेशक का पद, श्री विनोद एस. शेणै ने, 08/11/2016 से और सुश्री मंजुला सी. ने 31/01/2017 से सँभाला.

(iii) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान गत निदेशकों की उपस्थिति.

निदेशक	कितनी बैठकों में भाग लिया	क्या पिछली AGM में भाग लिया
श्री बी.के. नामदेव	4	हां

ई. निदेशकों के बीच संबंध का प्रकटन

बोर्ड के निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है.

उ. निदेशक का शेयरधारण:

31/03/2017 को निदेशकों द्वारा धारित कंपनी के इक्विटी शेयरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	धारित कुल शेयर
श्री डी.के. सर्राफ़ (संयुक्त रूप से पत्नी के साथ)	100
श्री एच. कुमार(संयुक्त रूप से पत्नी के साथ)	200

ऊ. स्वतंत्र निदेशक

एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG), भारत सरकार द्वारा की जाती है. अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, MoP&NG के साथ उठाया जा रहा है. इस समय सुश्री मंजुला सी. अकेली स्वतंत्र निदेशक हैं जिनको MoP&NG द्वारा 31/01/2017 को नियुक्त किया गया. स्वतंत्र निदेशक का मूल्यांकन, SEBI के परिपत्र दिनांक 05/01/2017 में दिए गए मूल्यांकन संबंधी मानदंडों के अनुसार किया जाता है.

3. लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (" लेखा परीक्षा समिति") को कंपनी की आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस समिति की संरचना, कोरम, अधिकार, भूमिका और व्याप्ति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 18 के प्रावधानों के अनुसार है. लेखा परीक्षा समिति के सारे सदस्य, वित्तीय दृष्टि से साक्षर हैं और वित्त, कराधान, अर्थशास्त्र, जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं. लेकिन लेखा परीक्षा समिति की संरचना में अनुपालन नहीं किया गया है क्योंकि इसमें SEBI (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुसरण करते हुए दो तिहाई सदस्यों की आज्ञापक अपेक्षा की तुलना में स्वतंत्र निदेशक के रूप में बहुसंख्यक के रूप में एक ही स्वतंत्र निदेशक हैं. कंपनी, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG) के साथ उठा रही है.

क) विचारार्थ विषय :

लेखा परीक्षा समिति, अन्य बातों के साथ-साथ ये कार्य करती है जैसे वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा योजना के लिए अनुमोदन देना, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करना, तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों पर चर्चा करना, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ परस्पर विचार-विमर्श करना. लागत लेखा परीक्षकों/आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक की समीक्षा और सिफ़ारिश करना, कारोबार जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा करना, विदेशी मुद्रा नीति की समीक्षा करना, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की, संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए उल्लेखनीय लेन-देन की समीक्षा करना. बोर्ड ने, लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 18 तथा CPSE के लिए निगमित अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों का प्रभावशाली ढंग से पालन करने के प्रयोजन से बनाए हैं. इस भूमिका का निर्वाह करने के लिए, लेखा परीक्षा समिति को अधिकार है कि वह, अपने विचारार्थ विषय के अंदर किसी भी गतिविधि की तहकीकात करे, कर्मचारियों से जानकारी मांगे और बाहर से कानूनी और पेशेवर सलाह पाए.

ख) **31/03/2017 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना**

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	श्रेणी
सुश्री मंजुला सी.	अध्यक्ष
श्रीमती पेरिन देवी	सदस्य
श्री विनोद एस. शेणै	सदस्य
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	सदस्य
श्री एम. वेंकटेश	सदस्य

टिप्पणी:

- कंपनी ने, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के साथ लेखा परीक्षा समिति का गठन करने के बारे में SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(ख) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं की है. लेकिन कंपनी, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, MoP&NG के साथ उठा रही है.
- निदेशक (वित्त) और आंतरिक लेखा परीक्षकों को, लेखा परीक्षा की बैठकों में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है.
- कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति के सचिव होते हैं.
- लेखा परीक्षा समिति द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा करते समय, संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों को विशेष अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया जाता है.

ग) **वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संपन्न लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के ब्यौरे**

वर्ष 2016-17 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की पाँच (5) बैठकें हुईं.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
12/05/2016	80	4
01/08/2016	81	4
03/09/2016	82	3
08/11/2016	83	3
07/02/2017	84	3

घ) **वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संपन्न लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति.**

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
सुश्री मंजुला सी. (31/01/2017 से)	लागू नहीं
श्रीमती पेरिन देवी	5
श्री विनोद एस. शेणै (08/11/2016 से)	1
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	3
श्री एम. वेंकटेश	5
श्री बी.के. नामदेव (31/10/2016 तक)	3

4. नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

एमआरपीएल, 'अनुसूची A' का, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति, संबंधित नियम, शर्तें और पारिश्रमिक, सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं.

SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 19 तथा CPSE के लिए निगमित अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी ने, अप्रैल, 2009 में पारिश्रमिक समिति का गठन किया.

क) **31/03/2017 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना:**

कंपनी ने, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने के बारे में SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 19(1)(ग) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा की पूर्ति नहीं की है. लेकिन कंपनी, अपेक्षित संख्या में निदेशकों की नियुक्ति का मामला, MoP&NG के साथ उठा रही है.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य	श्रेणी
सुश्री मंजुला सी.	अध्यक्ष
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	सदस्य
श्री विनोद एस. शेणै	सदस्य
श्रीमती पेरिन देवी	सदस्य

ख) **वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संपन्न नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के ब्यौरे**

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की एक (1) बैठक हुई.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
21/09/2016	10	3

ग) **वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संपन्न नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में उपस्थिति**

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	1
श्रीमती पेरिन देवी	1
श्री विनोद एस. शेणै (08/11/2016 से)	लागू नहीं
श्री बी.के. नामदेव (31/10/2016 तक)	1

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी, ' अनुसूची - " A" केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम होने के कारण, निदेशकों और अन्य प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रदत्त पारिश्रमिक, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर निर्धारित होता है. कंपनी की पारिश्रमिक नीति, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है.

क) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक (बैठक शुल्क) के ब्यौरे:

स्वतंत्र निदेशक	बैठक शुल्क (₹)
सुश्री मंजुला सी.	15,000

ख) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (रिफाइनरी) को प्रदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे: :

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रबंध निदेशक (श्री एच. कुमार)	निदेशक (रिफाइनरी) (श्री एम. वेंकटेश)	निदेशक (वित्त) (श्री ए. के. साहू)	कुल
वेतन, भत्ते और अनुलाभ	0.51	0.38	0.34	1.23
भ.नि. व अन्य निधियों के प्रति अंशदान	0.04	0.04	0.04	0.12
कुल	**0.55**	**0.42**	**0.38**	**1.35**

ग) सेवा संबंधी ठेके की शर्तें: :

विवरण	प्रबंध निदेशक	निदेशक (रिफाइनरी)	निदेशक (वित्त)
कार्यकाल	नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तारीख तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तारीख तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तारीख तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.
नोटिस अवधि	तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान.	तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान.	तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान.
पृथक्करण शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टॉक विकल्प के ब्यौरे (अगर कोई हो तो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्या बट्टे पर दिया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कितनी अवधि में उपचित हुआ और उसे लागू किया जा सकेगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

घ) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशक के लिए बनाए गए परिचय कार्यक्रम के ब्यौरे कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in में दिए गए हैं.

6. स्टेक होल्डर रिलेशनशिप समिति

क) स्टेक होल्डर रिलेशनशिप समिति को अधिदेश दिया गया है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों की शिकायतों की समीक्षा कर उनका निवारण करे.

ख) विचारार्थ विषय:

- कंपनी के हिस्सेदारों की शिकायतों पर विचार करना और उनका निवारण करना.
- शेयरों के हस्तांतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश न मिलने आदि के बारे में हिस्सेदारों और निवेशकर्ताओं की शिकायतों का निवारण करने पर ध्यान देना
- हिस्सेदारों के अधिकारों की हिफ़ाजत करना और वक्त पर एवं सही जानकारी का प्रकटन तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना.

ग) 31/03/2017 को स्टेक होल्डर रिलेशनशिप समिति की संरचना:

स्टेक होल्डर रिलेशनशिप समिति के सदस्य	श्रेणी
सुश्री मंजुला सी.	अध्यक्ष
श्रीमती पेरिन देवी	सदस्य
श्री विनोद एस. शेणै	सदस्य
श्री ए.के. साहू	सदस्य

घ) **वित्तीय 2016-17 के दौरान संपन्न स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति की बैठकों के ब्यौरे:**

वित्तीय 2016-17 के दौरान स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति की चार (4) बैठकें हुईं.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
12/05/2016	51	6
21/09/2016	52	6
08/11/2016	53	5
06/02/2017	54	5

ङ) **वित्तीय 2016-17 के दौरान संपन्न स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति की बैठकों में उपस्थिति:**

स्टेक होल्डर रिलेशनशिप समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
सुश्री मंजुला सी. (31/01/2017 से)	लागू नहीं
श्रीमती पेरिन देवी	4
श्री विनोद एस. शेणै (08/11/2016 से)	1
श्री ए.के. साहू	4
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	3
श्री एम. वेंकटेश	4
श्री एच. कुमार	4

च) **अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम :**

श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी.

छ) **2016-17 के दौरान निवेशकर्ताओं से प्राप्त एवं जवाब दी गईं शिकायतें और उनके संदर्भ:**

क्रम सं.	पत्राचार का स्वरूप	31/03/2017 को समाप्त वर्ष के लिए
1	शेयर अंतरण व उससे जुड़े मुद्दे/डीमैट/वारंट का परिवर्तन	4
2	शेयरों का प्रेषण/शेयरों का नामांकन	5
3	डुप्लिकेट शेयर/बोनस/शेयरों में सुधार करना	6
4	लाभांश से संबंधित मुद्दे/ ECS/ बैंक के अधिदेश	17
5	पता बदलने की दरख्वास्त	1
6	ROC/SEBI/ NSE/ BSE/ NSDL/ CDSL जैसे सांविधिक/ विनियामक निकायों के जरिए हवाला देना	0
7	अन्य	23
	कुल	**56**

7. शेयर अंतरण समिति (STC)

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का अनुसरण करते हुए निदेशक समिति (शेयर अंतरण समिति) का गठन, शेयरों का अंतरण शेयरों का प्रेषण और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अनुमोदन देने के लिए किया गया है.

(ii) शेयर अंतरण समिति में, प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (रिफाइनरी) हैं, जो शेयरों का अंतरण, शेयरों का प्रेषण और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अनुमोदन देते हैं और उससे प्रासंगिक मामले संभालते हैं. समिति का कोरम बनने के लिए कोई दो निदेशक होने चाहिए.

(iii) कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 6(2)(क) का अनुसरण करते हुए, खो दिए गए अथवा नष्ट हुए शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र, शेयर अंतरण समिति का अनुमोदन लेकर दिए जाते हैं क्योंकि बोर्ड ने, MCA सामान्य परिपत्र सं. 19/2014 दिनांक 12 जून, 2014 का अनुसरण करते हुए STC को डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया है.

(iv) SEBI लिस्टिंग संबंधी विनियम, 2015 के विनियम 40 का अनुसरण करते हुए, शेयरों के लेन-देन के त्रैमासिक ब्यौरे बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं.

8. मानव संसाधन प्रबंधन समिति

क) **विचारार्थ विषय:**

- अनुमोदनार्थ बोर्ड के समक्ष मासं संबंधी नीतियों की सिफ़ारिश करना.
- संदिग्धता दूर करने के लिए अनुमोदित मासं संबंधी नीतियों की समीक्षा करना.

ख) **31/03/2017 को मानव संसाधन प्रबंधन समिति की संरचना.**

1.	**श्रीमती पेरिन देवी**	**अध्यक्ष**
2.	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	सदस्य
3.	श्री विनोद एस. शेणै	सदस्य
4.	श्री एच. कुमार	सदस्य
5.	श्री एम. वेंकटेश	सदस्य
6.	श्री ए.के. साहू	सदस्य
7.	सुश्री मंजुला सी.	सदस्य

ग. **वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संपन्न हुई HRM समिति की बैठक के ब्यौरे:**

वर्ष 2016-17 के दौरान HRM समिति की पांच बैठकें हुईं. बैठक की तारीखों और उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
01/08/2016	40	6
06/02/2017	41	5

घ) **वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संपन्न HRM समिति की बैठकों में उपस्थिति:**

HRM समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्रीमती पेरिन देवी	2
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	1
श्री विनोद एस. शेणै	1
श्री एच. कुमार	2
श्री एम. वेंकटेश	2
श्री ए.के. साहू	2
श्री बी.के. नामदेव (31.10.2017 तक)	1

9. परियोजना मूल्यांकन और कार्यान्वयन / स्वास्थ्य की देखभाल और पर्यावरण संबंधी समिति

क) **विचारार्थ विषय:**

- पूंजीगत परियोजनाओं की समीक्षा करना और बोर्ड के समक्ष उनकी सिफ़ारिश करना.
- बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के, वक्त-वक्त पर, कार्यान्वयन की समीक्षा करना.
- स्वास्थ्य की देखभाल और पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करना और उस बारे में सलाह देना.

ख) **31/03/2017 को** PAE/HSE **समिति की संरचना :**

1.	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	अध्यक्ष
2.	श्री विनोद एस. शेणै	सदस्य
3.	श्री एच. कुमार , प्रबंध निदेशक	सदस्य
4.	श्री एम. वेंकटेश , निदेशक (रिफाइनरी)	सदस्य
5.	श्री ए.के. साहू , निदेशक (वित्त)	सदस्य

ग) **वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संपन्न** PAE/HSE **समिति की बैठक के ब्यौरे**

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान PAE/HSE **समिति की 4 बैठकें हुईं और बैठकों की तारीखों और उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं.**

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
24/05/2016	29	5
21/09/2016	30	5
22/10/2016	31	4
06/02/2017	32	4

घ) **वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संपन्न** PAE/HSE **समिति की बैठकों में उपस्थिति:**

PAE/ HSE समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	2
श्री विनोद एस. शेणै (08/11/2016 से)	1
श्री एच. कुमार	4
श्री एम. वेंकटेश	4
श्री ए.के. साहू	4
श्री बी.के. नामदेव 31/10/2016 तक)	3

10. वार्षिक महासभा के ब्यौरे

क) **पिछली तीन AGM कब और कहां हुईं**

वर्ष	स्थान	दिनांक	समय
2016 28वीं AGM	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030	03/09/2016	अपराह्न 4.00 बजे
2015 27वीं AGM	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030	08/08/2015	अपराह्न 4.30 बजे
2014 26वीं AGM	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030	13/09/2014	अपराह्न 4.00 बजे

ख) **क्या पिछली 3 AGM में कोई विशिष्ट संकल्प पारित किया गया?**
जी हां.

AGM	विशेष संकल्प
28वीं AGM	इनका अनुसरण करते हुए दो विशेष संकल्प पारित किए गए: i) NCD/बांडों का निर्गमन करते हुए ₹ 3,000 करोड़ तक धनराशि जुटाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42. ii) कंपनी के शेयरधारण को 25% तक बढ़ाने की दृष्टि से शेयरों का निर्गमन करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62.
27वीं AGM	इनका अनुसरण करते हुए दो विशेष संकल्प पारित किए गए: i) बोर्ड की उधार देने की शक्ति को ₹ 15,000 करोड़ से ₹ 25,000 करोड़ तक बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1) (ग). ii) उधार के संबंध में कंपनी की, वर्तमान और भावी, दोनों तरह की चल एवं अचल संपत्तियों पर प्रभार निर्मित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क).
26वीं AGM	कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 का अनुसरण करते हुए एक विशेष संकल्प पारित किया गया.

ग) **क्या पिछले वर्ष, डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशिष्ट संकल्प पारित किया गया:**

पिछली AGM में डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशिष्ट संकल्प पारित नहीं किया गया.

घ) **किन-किन व्यक्तियों ने डाक मतपत्रों की प्रक्रिया पूरी की:**

लागू नहीं.

ङ) **क्या डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशिष्ट संकल्प पेश करने का प्रस्ताव है?**

नहीं.

च) **डाक मतपत्रों के लिए क्रियाविधि:**

लागू नहीं.

11. प्रकटन और पारदर्शिता:

कंपनी ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपलब्धता की बात को छोड़कर लिस्टिंग विनियम के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (क) से (थ) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति की है. कंपनी, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) के साथ उठा रही है.

विनियम 46 में उल्लिखित प्रकटन के बारे में जानकारी निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दी गई है.

कंपनी, यह सुनिश्चित करती है कि उन सभी मामलों पर, जिनको सार्वजनिक करना पड़ेगा, जानकारी, वक्त पर और संपूर्ण रूप से प्रकट की जाती है. कंपनी के वेबसाइट में और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में, एमआरपीएल के कामकाज, वित्तीय स्थिति, स्वामित्व और अभिशासन के हर एक पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.

कंपनी के तमाम प्रकटन, लेखा पद्धति, वित्तीय और वित्तियेतर मामलों के बार में संबद्ध विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूपों के अनुसार किए जाते हैं.

एमआरपीएल, ऐसी जानकारी, प्रेस विज्ञप्ति के जरिए, अपने वेबसाइट पर, शेयर बाजारों आदि को प्रकट करता है. सभी उपयोगकर्ताओं को इन तमाम माध्यमों तक निर्बाध रूप से पहुंच है.

कंपनी, सभी बैठकों (बोर्ड/समितियों/सामान्य बैठकों आदि) की कार्रवाई के रेकॉर्ड रखती है.

कंपनी, लेखा मानकों (IND AS) का अक्षरशः पालन करती है. वार्षिक लेखा परीक्षा, C&AG द्वारा संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षा के जरिए कराई जाती है. आगे, एमआरपीएल की C&AG द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा की जाती है. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है, इसके अलावा भारत सरकार और संसदीय समितियों द्वारा वक्त-वक्त पर निगरानी रखी जाती है.

बोर्ड के सदस्य और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी, कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले लेन-देनों अथवा मामलों के बारे में, चाहे उनमें उनका प्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से अथवा तीसरे पक्षकार की तरफ से कोई महत्वपूर्ण हित हो या न हो, बोर्ड को जानकारी प्रकट करते हैं.

एमआरपीएल के निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन का यह प्रयास रहा है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हिस्सेदारों को सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में खबर देने के साथ-साथ संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखी जाती है.

(i) वस्तुत: महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार के लेन-देन

1.0 संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन, समय-समय पर सेबी और MCA द्वारा जारी परिपत्रों और अधिसूचनाओं के साथ-साथ SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 23 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं.

2.0 कंपनी ने संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन संबंधी नीति और कार्यविधियां अपनाई है और इसे, कंपनी के वेबसाइट अर्थात्; www.mrpl.co.in पर प्रदर्शित किया गया है.

(ii) महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी:

1.	श्री एच. कुमार	: प्रबंध निदेशक और CEO
2.	श्री एम. वेंकटेश	: निदेशक (रिफाइनरी)
3.	श्री ए.के. साहू	: निदेशक (वित्त) और CFO
4.	श्री दिनेश मिश्रा	: कंपनी सचिव

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को प्रदत्त पारिश्रमिक को छोड़कर उनके साथ कोई लेन-देन नहीं किया गया. महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों का पारिश्रमिक, बोर्ड की रिपोर्ट के MGT-9 के खंड (VI) के तहत प्रकट किया गया है.

(iii) ऐसे उद्यम जिन पर काफ़ी दबाव डाला जाता है:

नाम	संबंध	लेन-देन का स्वरूप
ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	सहायक कंपनी	ब्यौरे, वित्त 2016-17 के वित्तीय विवरण की टिप्पणी 9 में दिए गए हैं.
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	

(iv) पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर, कंपनी द्वारा गैर अनुपालन, किसी शेयर बाजार अथवा SEBI अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्माने, किए गए अवक्षेप के ब्यौरे:

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित मामले पर, कंपनी ने कोई गैर अनुपालन नहीं किया और किसी शेयर बाजार अथवा SEBI अथवा किसी प्राधिकरण ने कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया न ही कोई अवक्षेप किया.

शेयर अंतरण प्रचालन के साधारण क्रम के दौरान शेयरों के स्वत्व को लेकर विवाद से संबंधित कतिपय कानूनी मामलों में कंपनी को अभियोजित किया गया है. लेकिन इनमें से कोई भी मामला महत्वपूर्ण नहीं है जिससे कंपनी को कोई नुकसान हो या खर्च उठाना पड़े.

(v) कंपनी ने अपने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए मुखबिर नीति अपनाई है. कंपनी ने किसी भी कर्मचारी और निदेशक को सक्षम प्राधिकारी से मिलने से मना नहीं किया है और मुखबिर को प्रतिकूल कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया है. यह नीति, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर उपलब्ध है.

(vi) कंपनी ने SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 16(ग) के अनुसार मटीरियल सब्सिडीयरीस के बारे में नीति बनाई है जो कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर उपलब्ध है.

(vii) गैर-आज्ञापक अपेक्षाएं:

क) कंपनी, अपने खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय चलाती है.

ख) एमआरपीएल, एक ' अनुसूची-A' , केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति, संबंधित नियम, शर्तें और पारिश्रमिक, सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं.

ग) चूंकि कंपनी के तिमाही / अर्ध वार्षिक वित्तीय परिणाम, कंपनी के वेबसाइट पर प्रकट कर समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं इसलिए, अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक शेयरधारक के निवास पर नहीं भेजी जाती है.

घ) कंपनी के शेयरधारकों की खातिर, वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई विशेषक नहीं हैं.

ङ) कंपनी के बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षित कराने से संबंधित एक औपचारिक नीति बनाई गई है जिसे कंपनी के वेबसाइट अर्थात्; www.mrpl.co.in में प्रदर्शित किया गया है. निदेशकों को, उपयुक्तता और सुविधा के आधार पर विभिन्न सेमिनारों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और अभिविन्यास कार्यक्रमों में प्रायोजित किया जाता है.

च) कंपनी, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 16/02/2015 की अधिसूचना के जरिए अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का अनुसरण करते हुए Ind AS का पालन करती है.

(viii) बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए आचरण संहिता

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह आचरण संहिता, एक व्यापक संहिता है जो कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों अर्थात्; कंपनी के महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों, कंपनी के विभागाध्यक्षों सहित महा प्रबंधक और उससे उच्चतर श्रेणी के प्रबंधकीय कर्मचारियों को लागू होती है. आचरण संहिता, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर उपलब्ध है.

प्रबंध निदेशक ने घोषणा की है कि बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के तमाम सदस्यों ने यह अभिपुष्टि की है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आचरण संहिता का पालन किया है.

(ix) मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड(MRPL) की प्रतिभूतियों का लेन-देन करने में भेदिया व्यापार की रोकथाम करने की आंतरिक कार्यविधि और आचरण संहिता:

1.0 सेबी (भेदिया व्यापार) (संशोधन) विनियम, 2002 का अनुसरण करते हुए कंपनी के मामले में " भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता " के लिए 22 जून, 2002 को संपन्न बोर्ड की 89वीं बैठक में अनुमोदन दिया गया. सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) (संशोधन) विनियम, 2008 के परिप्रेक्ष्य में 20/01/2009 को संपन्न 135वीं बैठक में बोर्ड ने इसमें संशोधन किया.

2.0 SEBI ने SEBI (भेदिया व्यापार) विनियम, 1992 का निरसन करते हुए 15/01/2015 को सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया जो 15/05/2015 से समस्त सूचीबद्ध कंपनियों को लागू हुआ. तदनुसार, कंपनी ने अपनी प्रतिभूतियों का व्यापार करते समय, भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए आंतरिक कार्यविधियों और आचरण से संबंधित संहिता, 22 मई, 2015 को संपन्न अपनी 197वीं बैठक में यथा संशोधित के रूप में अपनाई.

3.0 आगे SEBI ने अपने दिनांक 16/09/2015 के परिपत्र के जरिए, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना (UPSI) अपने पास रखते हुए ESOP का प्रयोग करने, संविदागत व्यापार का क्रियान्वयन करने और जमानत लागू करने के लिए गिरवी का निर्माण अथवा गिरवी लागू करने के बारे में SEBI (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 के विनियम 7 के तहत प्रकट करने के लिए बनाए गए प्रारूपों में संशोधन किया है. तदनुसार, बोर्ड ने "एमआरपीएल की प्रतिभूतियों का व्यापार करते समय, भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए आंतरिक कार्यविधियों और आचरण से संबंधित संहिता ", 29 अक्तूबर, 2015 को संपन्न अपनी 200वीं बैठक में यथा संशोधित के रूप में अपनाई. जिसे कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर प्रदर्शित किया गया है.

(x) CEO और CFO प्रमाणीकरण :

वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरणों की यथातथ्यता, आंतरिक नियंत्रण उपायों की पर्याप्तता और लेखा परीक्षा समिति को मामले की रिपोर्ट भेजने की पुष्टि करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ SEBI लिस्टिंग विनियमों के अनुसार CEO और CFO का प्रमाणपत्र भी संलग्न किया गया है.

(xi) कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (BRR)

SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) (च) का अनुसरण करते हुए, वर्ष 2016-17 के लिए BRR बनाई गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का ही एक अंग है.

(xii) शेयरों का अमूर्तीकरण और चल निधि

कंपनी के 97.75% इक्विटी शेयरों का यथा 31 मार्च, 2017, अमूर्तीकरण (NSDL – 44.89% और CDSL 52.86%)किया गया है. कंपनी ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के साथ करारनामे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत शेयरधारकों को दोनों निक्षेपागारों में से किसी में भी अपने शेयरों का अमूर्तीकरण कराने का और इलेक्ट्रॉनिक मतदान करने का विकल्प होगा.

(xiii) पूंजी संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान

जैसे कि SEBI ने निर्दिष्ट किया है, अर्हता प्राप्त पेशेवर कंपनी

सचिव, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के पास कुल स्वीकृत पूंजी और कुल निर्गमित और सूचीबद्ध पूंजी का समाधान करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षा करते हैं. यह लेखा परीक्षा, हर तिमाही में की जाती है और उस पर रिपोर्ट, उस शेयर बाजार को पेश की जाती है जिसमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध किए गए हों. लेखा परीक्षा में यह पुष्टि की जाती है कि कुल सूचीबद्ध और प्रदत्त पूंजी, अमूर्त रूप में (NSDL और CDSL के पास) रखे गए शेयरों की कुल संख्या और मूर्त रूप में रखे गए शेयरों की कुल संख्या के सकल योग के अनुरूप है.

(xiv) नामांकन

अकेले अथवा संयुक्त रूप से मूर्त रूप में शेयर रखने वाले अलग-अलग शेयरधारक, किसी ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जिसके नाम, पंजीकृत शेयरधारक(कों) की मृत्यु होने पर शेयरों का हस्तांतरण किया जा सकेगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में भी नामांकन सुविधा, NSDL और CDSL को लागू उप-विधि और व्यावसायिक नियमों के अनुसार निक्षेपागार सहभागियों के पास उपलब्ध है. नामांकन फ़ार्म, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से प्राप्त किया जा सकता है.

(xv) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों का अनुरक्षण

हरित पहल के अंग के तौर पर, ई-मेल से नोटिस/दस्तावेज पाने के इच्छुक सदस्य, अपना ई-मेल का पता, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड को उनके समर्पित ई-मेल ID अर्थात्; mrplirc@linkintime.co.in पर सूचित कर सकते हैं.

(xvi) सहयोगी कंपनी का अभिशासन

कंपनी की सहयोगी कंपनी, OMPL की बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त के साथ-साथ उल्लेखनीय लेन-देन के ब्यौरे, तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष पेश किए जाते हैं. सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष तिमाही आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं. इस रिपोर्ट की तारीख को कंपनी की कोई ऐसी मटीरियल सब्सिडीयरी नहीं है जिसकी निवल मूल्यवत्ता, समेकित निवल मूल्यवत्ता के 20% से अथवा आपकी कंपनी की समेकित आय के 20% की आय से अधिक हो.

(xvii) कार्पोरेट अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देश

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं जो अब आज्ञापक स्वरूप के हो गए हैं.

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रपति के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं. एमआरपीएल, इन दिशानिर्देशों का जहां तक हो सके अनुपालन कर रहा है.

(xviii) साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015, DPE के दिशानिर्देशों और पूंजी बाजार से संबंधित दूसरे सभी संबंधित नियमों और विनियमों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त की गई है जो बोर्ड की रिपोर्ट का ही एक अंग है.

12. संचार के साधन:

i)	तिमाही परिणाम	:	कंपनी के तिमाही परिणाम अंग्रेजी, हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और साथ ही कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर प्रदर्शित किए जाते हैं.
ii)	समाचार प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण आदि	:	आधिकारिक समाचार प्रकाशन और आधिकारिक मीडिया प्रकाशन, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
iii)	संस्थागत निवेशकर्ताओं/ विश्लेषकों के सामने प्रस्तुतीकरण	:	हां
iv)	वेबसाइट	:	कंपनी की वेबसाइट www. mrpl.co.in में एक अलग समर्पित खंड है जिसका नाम है 'Stakeholders', जिसमें शेयरधारकों की जानकारी उपलब्ध है. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी वेबसाइट पर उपलब्ध है.
v)	वार्षिक रिपोर्ट	:	लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और निगमित अभिशासन रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारकों को भेजी जाती है. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (MD&A) संबंधी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का ही एक अंग है जिसे कंपनी की वेबसाइट www.mrpl.co.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है.
vi)	अध्यक्ष की विज्ञप्ति	:	अध्यक्ष के भाषण की मुद्रित प्रति वार्षिक महासभा में शेयरधारकों में वितरित की जाती है. इसे, कंपनी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है और शेयर बाजारों के पास भेजा जाता है.

vii)	निवेशकर्ताओं को अनुस्मारक भेजना	:	अदावी मूर्त शेयर प्रमाणपत्रों के बारे में शेयरधारकों को अनुस्मारक भेजे गए. ई-मेल के जरिए पत्राचार करने के लिए ई-मेल अद्यतन बनाने के बारे में शेयरधारकों को कई अनुस्मारक भेजे गए.
viii)	BSE इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफार्म	:	BSE लिस्टिंग केंद्र, सभी सूचीबद्ध उद्यमों के लिए एक्सचेंज के पास अपने विभिन्न अनुपालन / प्रस्तुतीकरण दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है. ' Listing Centre' एक ऐसा एकमात्र साधन है जिसके सहारे अनुपालन/प्रस्तुतीकरण फाइल किया जा सकता है और गत फाइलिंग का पता लगाया जा सकता है.
ix)	NSE इलेक्ट्रॉनिक आवेदन पत्र प्रोसेसिंग प्रणाली (NEAPS)	:	NEAPS, एक वेब आधारित अप्लिकेशन है जिसे NSE ने कंपनियों की खातिर बनाया है. विभिन्न अनुपालन, NEAPS पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज किए जाते हैं.
x)	SEBI शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES)	:	निवेशकर्ताओं की शिकायतों का SEBI द्वारा प्रदान की गई एक केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के जरिए निवारण किया जाता है.
xi)	नामोद्दिष्ट अनन्य ई-मेल id	:	कंपनी ने, निवेशकर्ता सर्वीसिंग के लिए ही investor@mrpl.co.in ई-मेल-id नामोद्दिष्ट किया है.

13. सामान्य शेयरधारकों के बारे में जानकारी

29वीं वार्षिक महासभा

(i)	कंपनी के पंजीकरण के ब्यौरे	:	CIN : L23209KA1988GOI008959
(ii)	दिन, दिनांक, समय और स्थान	:	शनिवार, 19 अगस्त, 2017, 16:00 बजे. MRPL एंप्लाईस क्लब मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूरु - 575 030
(iii)	वित्तीय वर्ष	:	01/04/2016 से 31/03/2017
(iv)	बही समापन दिनांक	:	28/07/2017 to 04/08/2017 (दोनों दिन सहित)
(v)	लाभांश भुगतान दिनांक	:	अंतिम लाभांश 19/08/2017 को या उसके बाद अदा किया जाएगा.
(vi)	ई-मतदान:	:	कंपनी ने, SEBI (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44; कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार शेयरधारकों को रिमोट ई-मतदान करने की सुविधा प्रदान की है.
(vii)	शेयर बाजार में लिस्टिंग	:	
अ)	इक्विटी शेयर ISIN: INE103A01014	:	1) BSE लिमिटेड, फिरोज़ जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- 400 001 **स्क्रिप कूट सं: : 500109** 2) दी नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा(पू), मुंबई – 400 051 **व्यापार चिह्न: MRPL**
आ)	लिस्टिंग शुल्क का भुगतान		कंपनी ने BSE लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क अदा किया गया है.
इ)	निक्षेपागार शुल्क का भुगतान		कंपनी ने CDSL और NSDL को वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क अदा किया है

(viii) वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 का वित्तीय कैलेंडर:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2017-18	
लेखा अवधि	01/04/2016 से 31/03/2017		01/04/2017 से 31/03/2018	
वार्षिक परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	03/09/2016	पहली तीन तिमाहियों के	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के अंदर घोषणा
	दूसरी तिमाही	08/11/2016		
	तीसरी तिमाही	07/02/2017		
	चौथी तिमाही के और वार्षिक वित्तीय परिणाम	17/05/2017	चौथी तिमाही के और वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के अंदर घोषणा

(ix) बाजार कीमत संबंधी आंकड़ें

माह (2016-2017)	BSE लिमिटेड		नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	
	अधिक (₹)	कम (₹)	अधिक (₹)	कम (₹)
अप्रैल 16	73.00	63.15	73.05	63.30
मई-16	73.65	64.10	73.60	64.10
जून-16	69.00	63.05	69.10	63.00
जुलाई-16	92.55	67.45	92.65	67.45
अगस्त-16	83.00	74.40	83.00	74.25
सितंबर-16	91.50	78.45	91.50	78.50
अक्तूबर-16	97.30	86.10	97.45	87.00
नवंबर-16	104.35	78.25	104.50	78.30
दिसंबर-16	105.70	85.80	105.70	85.60
जनवरी-16	116.00	97.20	115.95	97.10
फरवरी-17	114.40	97.50	114.55	97.75
मार्च-17	110.45	98.90	110.80	98.80

(x) NSE NIFTY और BSE सेन्सेक्स जैसे स्थूल आधारित सूचियों की तुलना में निष्पादन:

NSE (NIFTY) 2016-17

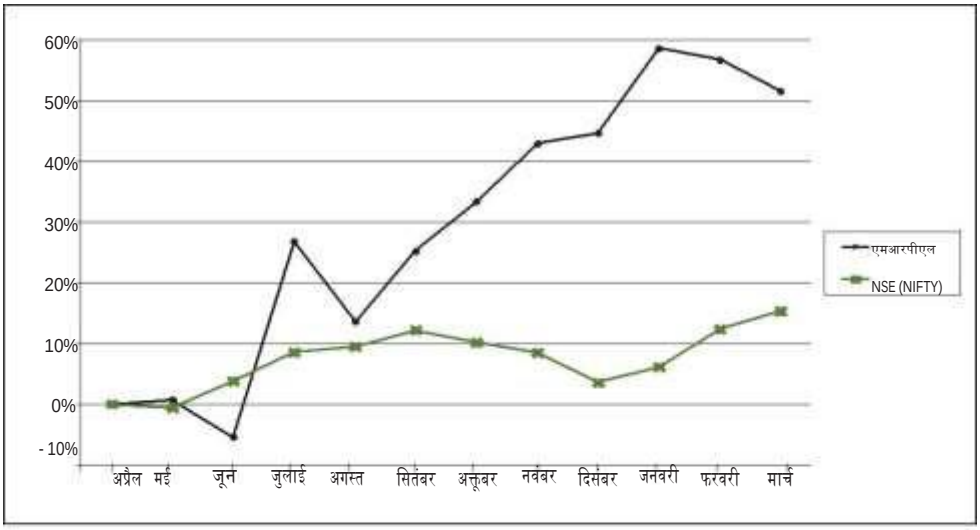

BSE (सेन्सेक्स) 2016-17

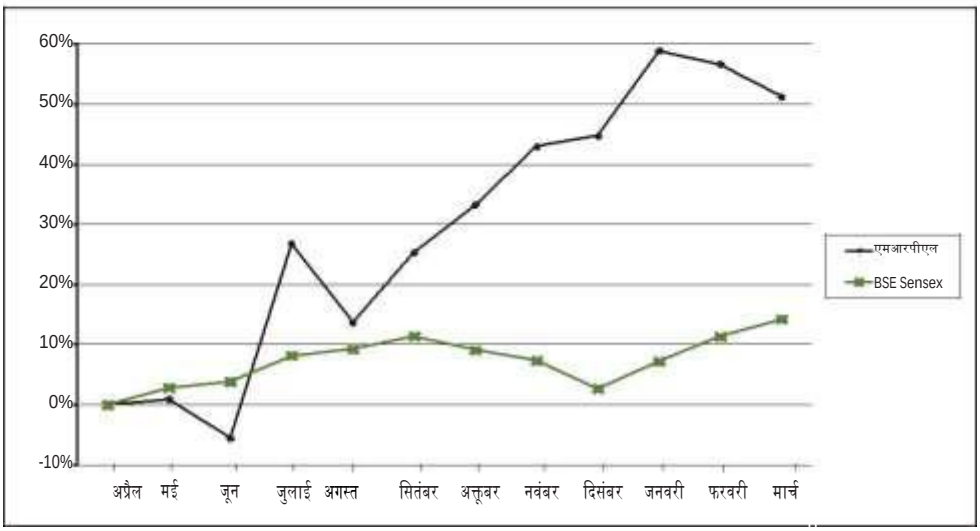

वर्ष 2016-17 के दौरान एमआरपीएल की शेयर कीमत ने सूचियों को पछाड़ दिया और 31/03/2017 को एमआरपीएल का बाजार पूंजीकरण 18,691.47 करोड़ रहा.

रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट: मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड, सी 101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई - 400 083, टेलीफोन: 022-49186270, ई-मेल ID: mrplirc@linkintime.co.in.

(xi) शेयर अंतरण प्रणाली:

मूर्त रूप में शेयरों का अंतरण, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट द्वारा, उसकी प्राप्ति दिनांक से सात दिनों के अंदर प्रोसेस कर पूरा किया जाता है बशर्ते कि सारे दस्तावेज ठीक हों. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के मामले में, अंतरण, संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के जरिए NSDL/CDSL द्वारा प्रोसेस किया जाता है. शेयर बाजारों से संबंधित SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 का अनुपालन करते हुए, पेशेवर कंपनी सचिव, अंतरण प्रणाली की लेखा परीक्षा करते हैं और उस बारे में एक प्रमाणपत्र जारी करते हैं. शेयरों के अंतरण / नाम हटाने और प्रेषण करने से संबंधित पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आंकड़ें, निम्नानुसार हैं.

वर्ष	अनुमोदित/प्रोसेस किए गए अंतरण विलेखों/हटाए गए नामों/किए गए प्रेषणों की संख्या	हस्तांतरित शेयरों की संख्या
2016-17	897	170675
2015-16	1425	257600
2014-15	2690	460975

(xiii) निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में लाभांश और शेयरों की अदावी रकम का अंतरण:

IEPF नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 वर्षों के अदत्त अथवा अदावी लाभांश का, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में नियत तारीखों को अंतरण किया. निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास पडी अदत्त एवं अदावी रकम के बारे में सूचना का अपलोडिंग) नियम, 2012 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 03/09/2016 को (पिछली वार्षिक महासभा की तारीख) कंपनी के पास पड़ी रही अदत्त एवं अदावी लाभांश रकम के ब्यौरे, कंपनी की वेबसाइट (www.mrpl.co.in) पर और साथ ही कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए हैं.

विव 2009-10 के अदावी लाभांश का, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए 09/10/2017 तक या उससे पहले निवेशकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में अंतरण करना पड़ेगा.

MCA ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05/09/2016 के जरिए 28.02.2017 को निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 और निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) संशोधन, नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं. इन नियमों के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए उन शेयरों को, जिनके संबंध में शेयरधारकों ने अब तक लाभांश का दावा न किया हो, प्राधिकरण के डीमैट खाते में जमा किया जाएगा. तदनुसार, कंपनी ने उन प्रत्येक शेयरधारकों को, जिन्होंने पिछले 7 वर्षों में लाभांश का दावा नहीं किया है, 28/11/2016 और 02/05/2017 को दो नोटिसें जारी करने के साथ-साथ उनको 03/12/2016 और 29/04/2017 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए शेयरधारकों से अनुरोध किया कि वे, वर्ष 2009-10 से आगे अदावी लाभांश का दावा करने के लिए अपने आवेदन पत्र, कंपनी/आरटीए के पास भेजें. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे, अदावी लाभांश का दावा करें जिससे शेयरों का IEPF प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण न किया जा सके. कृपया नोट करें कि IEPF प्राधिकरण में अंतरित अदावी लाभांश और शेयरों के संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. लेकिन अदावी शेयरों और लाभांश का, IEPF से दावा करने के लिए वेबसाइट www.iepf.gov.in. पर उपलब्ध निर्धारित फार्म (IEPF-5) में आवश्यक आवेदन पत्र देना होगा.

(xiv) 31/03/2017 को शेयरधारण का वितरण

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने इस रूप में शेयर रखे हैं		धारित शेयर किस रूप में हैं		धारित इक्विटी पूंजी का %	
	मूर्त रूप में	डी-मैट रूप में	मूर्त रूप में	डी-मैट रूप में	मूर्त रूप में	डी-मैट रूप में
1 - 500	216535	190164	38118841	32611970	2.175	1.861
501 - 1000	844	11569	644850	9272724	0.037	0.529
1001 -2000	136	4214	197757	6394109	0.011	0.365
2001 -3000	21	1186	54175	3049801	0.003	0.174
3001 -4000	6	493	21608	1773352	0.001	0.101
4001 -5000	14	443	65450	2093160	0.004	0.119
5001 -10000	11	566	80950	4102257	0.005	0.234
10001 व उससे अधिक	8	523	303200	1653814573	0.017	94.364
कुल	**217575**	**209158**	**39486831**	**1713111946**	**2.253**	**97.747**

(xv) 31/03/2017 को शेयरधारण का स्वरूप:

विवरण	कुल शेयर	प्रतिशत
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.	1255354097	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297153518	16.96
निवासी व्यक्ति	95621358	5.46
अनिवासी व्यक्ति	7379644	0.42
देशी कंपनियां	7825336	0.45
विदेशी लिखत निवेशकर्ता/ विदेशी संविभाग निवेशकर्ता (कंपनी)/विदेशी नागरिक	31548705	1.80
GIC व सहयोगी कंपनियां/बैंक/विदेशी बैंक व वित्तीय संस्थाएं/ बीमा/ म्यूचुअल फंड	54621329	3.12
केंद्र/राज्य सरकार की संस्थाएं	2700	0.00
न्यास	10045	0.00
समाशोधन सदस्य	1483475	0.08
हिन्दू अविभाजित परिवार	1598570	0.09
कुल	**1752598777**	**100.00**

(xvi) 31/03/2017 को अदावी/सुपुर्द न किए गए शेयर.

क्रम सं	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयर
1	शेयरधारकों की कुल संख्या जिनके शेयर वर्ष के प्रारंभ में सुपुर्द / दावा किए बगैर पड़े रहे.	9085	1028225
2	परिवर्धन - शेयरधारकों की कुल संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान सुपुर्द / दावा किए बगैर पड़े रहे. (अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017).	55	10691
3	उन शेयरधारकों की कुल संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उनके हवाले न किए गए शेयरों के सिलसिले में कंपनी से संपर्क किया और शेयर निर्गमित किए.	27	5041
4	शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर, जो वर्ष के अंत में 'अदावी शेयर उचंत खाते' में पड़े रहे.	9113	1033875
5	इन शेयरों के मताधिकार पर, तब तक रोक लगाई जाएगी जब तक इन शेयरों के वैध मालिक, शेयरों का दावा न करें.		

(xvii) बकाया GDR/ ADR/वारंट अथवा किसी परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तारीख और इक्विटी पर उसका प्रभाव: **कुछ नहीं**

(xviii) रिफाइनरी का स्थान: **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड**
मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला,
मंगलूर - 575 030,कर्नाटक, भारत.

(xix) पत्राचार का पता:

श्री दिनेश मिश्रा

कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी और मुख्य निवेशकर्ता संबंध अधिकारी

- **पंजीकृत कार्यालय/कंपनी का निवेशकर्ता संबंध कक्ष:**
  मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर मार्ग
  काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030 , कर्नाटक.
  टेलीफोन.: सं.:0824-2270400 ई-मेल: investor@mrpl.co.in. वेबसाइट: www.mrpl.co.in
- SCOPE कॉम्प्लेक्स,
  7वीं मंज़िल, कोर-8, लोधी रोड
  नई दिल्ली-110003.
  टेलीफोन.: 011-24306400 ई-मेल: investor@mrpl.co.in
- मेकर टावर्स,
  15वीं मंज़िल, " E" विंग, कफ परेड, मुंबई – 400005.
  टेलीफोन.: 022-22173000 ई-मेल: investor@mrpl.co.in
- **मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया (प्रा.) लि.,(R&T एजेंट)**
  यूनिट: MRPL
  C 101, 247 पार्क,
  एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई - 400 083
  टेलीफोन.: +91 22 49186270 फैक्स सं.: +91 22 49186060
  ई-मेल: mrplirc@linkintime.co.in
  वेबसाइट: www.linkintime.co.in

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करने के बारे में लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

सदस्य,

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर

1. हमने, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में यथा निर्दिष्ट और सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन के बारे में दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है.

2. निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारा परीक्षण, उक्त लिस्टिंग विनियमों और दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में अपनाई गई कार्यविधियों एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित था. यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के बराबर है न ही उस पर हमारी राय व्यक्त करने जैसा है.

3. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा निदेशकों और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा अभ्यावेदन के बलबूते पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने, SEBI (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और DPE के दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जब कि इसके लिए अपवाद हैं:

क. वर्ष के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति -

अवधि	निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशक	अपेक्षा
01/04/2016-31/01/2017	7	0	कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए
01/02/2017-31/03/2017	8	1	

ख. 01/04/2016-31/01/2017 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में अध्यक्ष के रूप में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे.

ग. सभी बोर्ड समितियों में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे.

घ. वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों का कोरम नहीं हो पाया.

ङ. कंपनी में एक ही स्वतंत्र निदेशक होने के कारण वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों ने कोई बैठक नहीं बुलाई.

4. हम आगे यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन, न कंपनी की भावी व्यवहार्यता का न ही प्रबंधन द्वारा चलाए गए कंपनी के कामकाज की दक्षता अथवा प्रभाविता का आश्वासन देता है.

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 003324S

हस्ता/-
सीए. ए. कुमार भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041

कृते **श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003957S

हस्ता/-
सीए.वी.सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई 2017

CEO और CFO प्रमाणीकरण

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (" कंपनी ") के CEO/प्रबंध निदेशक और CFO/निदेशक(वित्त) के रूप में अपनी संबंधित हैसियत से, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार यह प्रमाणित करते हैं कि:

अ. हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह कि अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम यह व्यक्त करते हैं कि:

1. इन विवरणों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण असत्य विवरण नहीं है, न ही इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य अथवा ऐसा कोई बयान दिया गया है जो भ्रामक हो.
2. ये विवरण एक साथ कंपनी के कामकाज का सही एवं निष्पक्ष चित्र पेश करते हैं और इनमें मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का पालन किया गया है.

आ. हम आगे स्पष्ट करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेन-देन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हों अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करें.

इ. हम, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रक स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और यह कि हमने, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्रों की प्रभाविता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को, आंतरिक नियंत्रकों के डिज़ाइन अथवा प्रचालन में उन कमियां को, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को ठीक करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं अथवा उठाना चाहते हैं, उनके बारे में प्रकट किया है.

ई. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को यह संकेत दिया है:

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण में अगर कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हों तो उनके बारे में.
2. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हों तो उनके बारे में और यह कि उनको वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; और
3. उल्लेखनीय धोखाधड़ी की ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हमें जानकारी मिली हो और जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले प्रबंधन के कर्मचारी अथवा कर्मचारी शामिल हुए हों.

हस्ता/-

ए.के. साहू

निदेशक (वित्त) और CFO

DIN: 07355933

हस्ता/-

एच. कुमार

प्रबंध निदेशक और CEO

DIN: 06851988

वार्षिक कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (ABRR) 2016-17

खंड क: सामान्य जानकारी

1	**कंपनी की कार्पोरेट पहचान संख्या** (CIN)	:	L23209KA1988GOI008959
2	**कंपनी का नाम**	:	मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
3	**पंजीकृत पता**	:	मुडपदव, डाक घर कुत्तेतूर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूरु- 575 030, कर्नाटक
4	**वेबसाइट**	:	www.mrpl.co.in
5	**ई-मेल** id	:	investor@mrpl.co.in
6	**रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष**	:	2016-17
7	**कंपनी किस क्षेत्र(त्रों) से जुड़ी है (औद्योगिक: गतिविधि कूट-वार)***	:	पेट्रोलियम एवं पेट्रोकेमिकल्स

समूह	श्रेणी	उप-श्रेणी	वर्णन
232	2320		परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण
		23201	द्रवीभूत अथवा गैस सदृश्य ईंधनों, प्रदीपक तेल, स्नेहन तेल अथवा ग्रीस अथवा क्रूड पेट्रोलियम से अन्य उत्पादों का उत्पादन
		23209	अन्य पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोलियम बिटूमेन का विनिर्माण

*NIC-2004-कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसार

8 **तीन महत्वपूर्ण उत्पादों/सेवाओं की, जिनका कंपनी विनिर्माण करती है/जिनको कंपनी प्रदान करती हैं, सूची दें (जिसे तुलन पत्र में दर्शाया गया हो):**

- हाई स्पीड डीज़ल (HSD)
- ईंधन तेल
- विमानन टर्बाईन ईंधन

1	**कंपनी द्वारा कुल कितने स्थानों पर कारोबार गतिविधि चलाई जाती है**	:	9
i	**अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 ख़ास स्थानों के ब्यौरे दें)**	:	**कुछ नहीं**
ii	**राष्ट्रीय स्थानों की संख्या**		• एमआरपीएल, विनिर्माण गतिविधियों सहित अपनी प्रमुख कारोबार गतिविधियां कर्नाटक राज्य में मंगलूरु नामक एक ही स्थान पर चलाता है. • एमआरपीएल, अपनी विपणन गतिविधियां, बेंगलूर स्थित विपणन प्रधान कार्यालय से चलाता है. • कंपनी के 4 कार्यालय हैं जो मंगलूरु, बेंगलूरु, मुंबई और दिल्ली में हैं जहां से उत्पादन, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विपणन जैसे विविध कामकाज संभाले जाते हैं. • डिपो, कासरगोड़ (केरल), हिंदूपुर (आंध्र प्रदेश) और होसूर (तमिल नाडु) में एक-एक. • 4 खुदरा केंद्र, कर्नाटक राज्य में मद्दूर और हुब्ली में एक-एक और मंगलूरु में 2.
10	**कंपनी किन-किन बाजारों को कवर करती है– स्थानीय/राज्य/ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय**	:	एमआरपीएल, अपने उत्पाद ख़ास तौर से भारतीय बाजार में बेचता है और मॉरिशियस के साथ आपूर्ति करने का दीर्घावधि ठेका तय किया है.

खंड ख: वित्तीय परिणाम (वित्त-2016-17)

1	**प्रदत्त पूंजी**	:	₹ 1,752 करोड़
2	**कुल कारोबार**	:	₹ 59,415 करोड़
3	**कर उपरांत लाभ** (PAT)	:	₹ 3,644 करोड़
4	**निगमित सामाजिक दायित्व** (CSR) **पर किया गया कुल खर्च.** कंपनी ने 2016-17 के दौरान **CSR** पर ₹ 1.45 करोड़ खर्च किए		
5	**उन गतिविधियों की सूची जिन पर** CSR **संबंधी व्यय किया गया.** उक्त व्यय इन प्रमुख क्षेत्रों में किया गया जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, जीविकोपार्जन के लिए समर्थन और सामुदायिक विकास परियोजनाएं.		

खंड ग: अन्य ब्यौरे

1 सहयोगी कंपनी.

कंपनी की एकमात्र सहयोगी कंपनी है ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL). कंपनी का, OMPL की शेयर पूंजी में 51% का हिस्सा है.

2 मूल कंपनी की BR संबंधी पहल में सहयोगी कंपनी/कंपनियों की सहभागिता.

चूंकि OMPL एक अलग उद्यम है इसलिए वह कंपनी के लिए लागू नीतियों के अनुसार अपनी तरफ से कारोबार जिम्मेदारी संबंधी पहल करती है.

3 कंपनी के साथ कारोबार करने वाली कंपनी की BR संबंधी पहल में भाग लेने वाले अन्य उद्यम/उद्यमों (उदा: आपूर्तिकर्ता/वितरक आदि) की सहभागिता और प्रतिशतता

एक सूचीबद्ध PSE होने के नाते एमआरपीएल, निगमित अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नीतियों, SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 और विशेषकर DPE के और आम तौर पर भारत सरकार के अन्य दिशानिर्देशों एवं नीतियों के अनुसार नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के साथ कारोबार और शासन चलाता है. एमआरपीएल, अपनी स्वेच्छा से नीति संबंधी कुछ पहल करता है और ये हिस्सेदार, एमआरपीएल को उसकी कारोबार जिम्मेदारी संभालने में मदद करते हैं. यह बताना मुश्किल है कि एमआरपीएल की कारोबार जिम्मेदारी संबंधी पहल सुसाध्य बनाने में इनका समर्थन किस हद तक कारगर सिद्ध हुआ है.

खंड घ: BR संबंधी जानकारी

1 **BR के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे**

क) BR संबंधी नीति/नीतियों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे

श्री एम. वेंकटेश, निदेशक(रिफाइनरी) और अधिष्ठाता (DIN : 07025342)

ख) BR संभालने वाले के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरे
1	DIN	07025342
2	नाम	श्री एम. वेंकटेश
3	पदनाम	निदेशक (रिफाइनरी)
4	टेलीफोन संख्या	0824-2270400
5	ई-मेल id	venky_m@mrpl.co.in

2. सिद्धांत(P)-वार (NVG के अनुसार) BR संबंधी नीति/नीतियां

P 1	कारोबार, नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के साथ चलाना होगा.
P 2	कारोबार में ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी होंगी जो सुरक्षित हों और उनके जीवन चक्र के दौरान हर दम संधारणीयता से योगदान दें.
P 3	कारोबार से तमाम कर्मचारियों का कल्याण हो.
P 4	कारोबार करते समय, सभी हिस्सेदारों और खासकर अल्प सुविधा प्राप्त, दुर्बल एवं दरकिनार किए गए लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रति अनुक्रियाशील होना चाहिए.
P 5	कारोबार करते समय मानव अधिकारों की कद्र करनी चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए.
P 6	कारोबार करते समय पर्यावरण के प्रति आदर होना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे बरकरार रखने के प्रयास किए जाने चाहिए.
P 7	सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने वाले कारोबार करते समय जिम्मेदारी के साथ पेश आना चाहिए.
P 8	कारोबार करते समय समावेशी वृद्धि और समान विकास का समर्थन करना चाहिए.
P 9	कारोबार करते समय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को मूल्य दिलाने में जिम्मेदार तरीके से पेश आना चाहिए.

क्रम सं.	प्रश्न	कारोबार की नैतिकता	उत्पाद की जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	हिस्सेदारों को मुकर्रर करना व CSR	मानव अधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	CSR	ग्राहक संबंध
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	**क्या आप कोई नीति/नीतियां अपना रहे हैं**	हां एक सूचीबद्ध PSE होने के नाते एमआरपीएल, निगमित अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नीतियों, SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 और विशेषकर DPE के एवं आम तौर पर भारत सरकार के अन्य दिशानिर्देशों तथा नीतियों के अनुसार नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के साथ कारोबार और शासन चलाता है.	हां- उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी मैनुअल (BIS / अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित)	हां कंपनी ने तमाम कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की मा.सं. नीतियां बनाई हैं	हां	हां कंपनी की तमाम नीतियों में न केवल कर्मचारियों के बल्कि कंपनी के प्रचालन से प्रभावित होने वाले लोगों के मानव अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है.	हां	एमआरपीएल, सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने का काम नहीं करता है. लेकिन PSE होने के नाते अपना कारोबार हमेशा जिम्मेदारी के साथ निभाता है और हमेशा बेहतरीन नैतिक व्यावहारिक पद्धति अपनाता है.	हां	हां
2	**क्या निति बनाते समय संबंधित हिस्सेदारों के साथ परामर्श किया जाता रहा है?**	हां	हां	हां	हां	एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम होने के नाते एमआरपीएल, भारत सरकार की नीतियों का पालन करता है.	हां	हां	हां. CSR और SD संबंधी नीति, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और DPE के दिशानिर्देशों के अनुरूप है.	हां
3	**क्या नीति, किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? अगर हां तो निर्दिष्ट करें?**	हां नीति व निर्धारित कार्यविधियां, कानून एवं भारत सरकार की नीतियां, DPE व अन्य सांविधिक निकायों के अनुरूप हैं.	हां (BIS/अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशों और मानकों के अनुसार है)	हां	हां. नीति व निर्धारित कार्यविधियां, कानून एवं भारत सरकार, की नीतियों के अनुरूप हैं.	हां. प्रचालन और कारोबार की दृष्टि से नीतियां, राष्ट्रीय मानकों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार हैं.	हां. ISO 14001: 2004 मानक	हां. कंपनी, अपना कारोबार जिम्मेदार तरीके से चलाती है.	हां. DPE के दिशानिर्देशों के अनुरूप है	हां. (गुणवत्ता के मामले में ISO:9001 और पर्यावरण के मामले में ISO:14001)
4	**क्या नीति के लिए बोर्ड ने अनुमोदन दिया है? अगर हां तो उस पर** MD/**मालिक**/CEO/ **उचित निदेशक मंडल ने अपने हस्ताक्षर किए हैं?**	हां. भारत सरकार, DPE और अन्य भारतीय सांविधिक निकायों के अधिदेशों के अनुसार सभी नीतियों का, कंपनी के बोर्ड से अनुमोदन मिलने के बाद पालन किया जाता है.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां. कंपनी, भारत सरकार की नीतियों का पालन करती है. कंपनी की सभी नीतियों के लिए निदेशक मंडल का अनुमोदन लिया जाता है.	हां.	हां.

5	**क्या निति पर निगरानी रखने के लिए कंपनी में बोर्ड/ निदेशक/अधिकारी समेत किसी निर्दिष्ट समिति का गठन किया गया है?**	हां.	मंडल की समितियां, नीति के अनुपालन और कार्यान्वयन पर निगरानी रखती हैं.	हां.	हां. CSR और SD संबंधी समिति द्वारा इस पर निगरानी रखी जाती है.	हां.	हां. नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कंपनी में PAEC/ HSE समिति का गठन किया गया है.	हां. निगमित अभिशासन रिपोर्ट में कंपनी की अनेक बोर्ड समितियों का जिक्र किया गया है.	हां.	हां.
6	**नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक प्रदान करें?**	मुखबिर नीति और सत्यनिष्ठा संबंधी समझौते को www.mrpl.co.in में देखा जा सकता है	www.mrpl.co.in	कर्मचारी पोर्टल पर उपलब्ध है	www.mrpl.co.in	www.mrpl.co.in	www.mrpl.co.in	कंपनी की विभिन्न नीतियों को www.mrpl.co.in में देखा जा सकता है	www.mrpl.co.in	www.mrpl.co.in
7	**क्या नीति के बारे में औपचारिक रूप से सभी संबंधित आंतरिक एवं बाह्य हिस्सेदारों को सूचित किया गया है?**	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.
8	**नीति/नीतियों का कार्यान्वयन करने के लिए क्या कंपनी में कोई आंतरिक ढांचा है?**	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.
9	**नीति/नीतियों के बारे में हिस्सेदारों की शिकायतों का निवारण करने के लिए क्या कंपनी ने नीति/नीतियों से संबंधित कोई निवारक तंत्र बनाया है?**	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.
10	**क्या कंपनी ने इस नीति के कार्य संचालन की किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से स्वतंत्र लेखा परीक्षण/ मूल्यांकन करवाया है?**	निगमित अभिशासन के बारे में SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां. ISO सिस्टम संबंधी लेखा परीक्षा लागू की गई है.	हां. एक PSE होने के नाते कंपनी की CAG लेखा परीक्षा की जाती है .	हां.	हां.

क्रम सं.	प्रश्न	कारोबार की नैतिकता	उत्पाद की जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	हिस्सेदारों को मुकर्रर करना व CSR	मानव अधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	CSR	ग्राहक के साथ संबंध
		P1	P2	P 3	P 4	P 5	P 6	P7	P8	P 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है.	लागू नहीं								
2	कंपनी एक ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर नीतियां बनाकर लागू करे.									
3	कंपनी के पास अपने कार्य करने के लिए कोई वित्तीय अथवा श्रम शक्ति संबंधी संसाधन नहीं हैं									
4	अगले 6 महीनों के अंदर करने का विचार है.									
5	अगले 1 वर्ष के अंदर करने का विचार है.									
6	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें).									

3. BR से संबंधित अभिशासन

1. कंपनी के BR संबंधी निष्पादन का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा CEO की बारंबारता

बोर्ड, कंपनी के कारोबार जिम्मेदारी संबंधी निष्पादन का वर्ष में एक बार आकलन करता है.

2. BR अथवा संधारणीयता रिपोर्ट का प्रकाशन, प्रकाशित रिपोर्टों की बारंबारता और हाइपरलिंक.

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट 2016-17, 29वीं वार्षिक रिपोर्ट का ही एक अंग है. यह कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर भी उपलब्ध है.

खंड ङ: सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1 - नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी

1. **नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति में कंपनी और उसके समूह/संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/एनजीओ/दूसरों को शामिल किया जाता है.**

नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित कंपनी की नीति में कर्मचारियों और निदेशकों एवं अन्य हिस्सेदारों को शामिल किया जाता है.

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हिस्सेदार की शिकायतें और प्रबंधन ने, कितने प्रतिशत तक शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निवारण किया.**

कंपनी में स्टेक होल्डर रिलेशनशिप समिति का गठन किया गया है. यह समिति, शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश का भुगतान, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र न मिलने और विचारार्थ विषय के अनुसार दूसरे मुद्दों से संबंधित शेयरधारकों और निवेशकर्ताओं की शिकायतों का निवारण करने पर विशेष रूप से ध्यान देती है. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निवेशकर्ताओं से 56 शिकायतें प्राप्त कीं जिनमें से 31/03/2017 को 54 शिकायतों का निवारण किया गया और 2 शिकायतें लंबित रहीं जिनका बाद में निवारण किया गया.

सिद्धांत 2 - उत्पाद जीवन चक्र की संधारणीयता

1. 3 उत्पादों अथवा सेवाओं की सूची दें जिनके डिज़ाइन में सामाजिक अथवा पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और/ अथवा अवसरों को समाविष्ट किया गया है

(क) मोटर स्पिरिट उत्पाद की गुणवत्ता, BS III और BS IV के अनुरूप है.

(ख) हाई स्पीड डीज़ल उत्पाद (HSD) की गुणवत्ता, BS III और BS IV विनिर्देश के अनुरूप है.

(ग) विमानन टर्बाईन ईंधन

2. प्रति यूनिट उत्पाद, संसाधन के उपयोग के संबंध में ब्यौरे (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) (वैकल्पिक):

i. मूल्य चेन के दौरान पिछले वर्ष से हासिल किए गए सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण में कटौती?

प्रोसेस किए गए प्रति यूनिट क्रूड फ़ीड, उपयोग किए गए संसाधनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं.

निर्दिष्ट जल की खपत, निर्दिष्ट ऊर्जा की खपत (MBN) में कटौती और 2015-16 की तुलना में आसुत उत्पादन में सुधार के ब्यौरे नीचे की तालिका में दिए गए हैं.

क्रम सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1	निर्दिष्ट जल की खपत	0.96	1.16
2	MBN	79.61	80.24
3	आसुत	77.39	76.68

ii. उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग (ऊर्जा, जल) के दौरान कटौती पिछले वर्ष से हासिल की गई है?

i. कंपनी ने प्रक्रिया का इष्टतम उपयोग करते हुए, लगातार निगरानी रखते हुए, ऊर्जा की बचत करने संबंधी कई आशोधन करते हुए ऊर्जा की बचत पर पहले की भांति बल देना जारी रखा.

ii. कच्चा जल की निवल खपत, वर्ष 2015-16 के 15312447 m^3 से वर्ष 2016-17 में 18092428 m^3 तक घटाई गई.

iii. वर्ष के दौरान ऊर्जा की बचत करने की दिशा में किए गए ख़ास उपाय और उनके प्रभाव के बारे में जानकारी बोर्ड की रिपोर्ट के **" अनुबंध घ "** में दी गई है. :

3. संधारणीय सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए लागू की गई कार्यविधि और संधारणीय तरीके से उपलब्ध कराई गई निविष्टियों का प्रतिशत.

कंपनी में, सुपरिभाषित क्रूड खरीदारी संबंधी कार्यविधि अपनाई जा रही है.

4. समुदायों सहित स्थानीय एवं छोटे उत्पादकों से वस्तुएं और सेवाएं हासिल करने के लिए उठाए गए कदम और स्थानीय एवं छोटे विक्रेताओं की खातिर चलाई गईं क्षमता वर्धन गतिविधियां**?**

क्रूड तेल का परिष्करण करने वाली कंपनी होने के नाते कंपनी, अधिकतर उपकरणों, अतिरिक्त पुर्जों और रासायनिक पदार्थों की खरीदारी, हमेशा, स्थापित स्रोतों से करती है. ये निविष्टियां, उस स्थानीय इलाके में, जहां रिफाइनरी स्थापित की गई है, उपलब्ध नहीं हैं. लेकिन हाउसकीपिंग, बगीचे की देखभाल जैसी सेवाओं के लिए स्थानीय समुदाय को मुकर्रर किया गया.

5. उत्पादों और अपशिष्ट का पुन:चक्रण करने का तंत्र और उत्पादों एवं अपशिष्ट के पुन:चक्रण का प्रतिशत (अलग रूप से <5%, 5-10%, >10% के रूप में).

कंपनी, उपचारित बहिस्राव जल के कम से 70% का पुन:चक्रण करती है और उसका प्रतिपूरक जल की तरह दोबारा उपयोग करती है. आगे, कंपनी ने उपचारित बहिस्राव पुन:चक्रण बढ़ाने के लिए RO संयंत्र स्थापित किया है.

सिद्धांत 3- कर्मचारी का कल्याण

1. कर्मचारियों की कुल संख्या

1917

2. अस्थाई/ठेके/अनियत आधार पर मुर्करर किए गए कर्मचारियों की संख्या.

ठेके के आधार पर लगभग 2900 कर्मचारी मुकर्रर किए गए हैं.

3. स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या

132

4. अपंगता से ग्रस्त स्थाई कर्मचारियों की संख्या.

28

5. क्या आपके यहां कोई ऐसा कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन ने मान्यता दी है.

जी हां. ब्यौरे यहां नीचे दिए गए हैं:

MSA, MEU, MSSEWA, WIPS

6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में सदस्यों के रूप में आपके स्थाई कर्मचारियों का प्रतिशत?

100%

7. पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बाल मज़दूर, बलात् मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें मिलीं और इनमें से वित्तीय वर्ष के अंत में कितनी लंबित रहीं.

क्रम सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गईं शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूर/बलात् मजदूर/अनैच्छिक मजदूर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	यौन उत्पीड़न	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	कुछ नहीं	कुछ नहीं

8. पिछले वर्ष नीचे उल्लिखित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को संरक्षा और कुशलता उन्नयन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने प्रशिक्षण, विकास और सीखने के लिए 5142 श्रम दिवस लगाए जो प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 3.71 श्रम दिवस और गैर प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 2.42 श्रम दिवस बनता है. कुशलता विकास केंद्र के अधीन कुशलता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

सिद्धांत 4 - हिस्सेदारों को मुकर्रर करना

1. अपने आंतरिक और बाह्य हिस्सेदारों को मुकर्रर किया गया.

हां, हिस्सेदारों को नीचे बताए गए तरीके से मुकर्रर किया गया:

क. निवेशकर्ता और हिस्सेदार
ख. कर्मचारी
ग. स्थानीय समुदाय
घ. आपूर्तिकर्ता और ग्राहक.
ङ. सरकारी नियामक प्राधिकारी

2. वंचित, दुर्बल और दर किनारे किए गए हिस्सेदारों को पहचानना.

एमआरपीएल, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का और अपंगता से पीड़ित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की खातिर सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी अपंगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की सूची का पालन करता है.

3. वंचित, दुर्बल और दर किनारे किए गए हिस्सेदारों को मुकर्रर करने के लिए कंपनी द्वारा की गईं विशेष पहल.

एमआरपीएल, आरक्षित श्रेणी में कमी की पूर्ति करने के लिए अकसर विशेष भर्ती अभियान चलाता है.

सिद्धांत 5 - मानव अधिकार

1. मानव अधिकार संबंधी कंपनी नीति की व्याप्ति और उसमें समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/दूसरों को शामिल करना.

एमआरपीएल, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का एक प्रतिष्ठान है जो सरकारी दिशानिर्देशों और लागू कानूनों से मार्गदर्शित होता है जो आम तौर पर मानव अधिकारों का संरक्षण करता है और यह बात दूसरे हिस्सेदारों के लिए लागू होती है.

2. पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हिस्सेदारों की शिकायतें और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से सुलझाई गईं शिकायतों का प्रतिशत.

वर्ष 2016-17 के दौरान मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली.

सिद्धांत 6 - पर्यावरण प्रबंधन

1. सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी नीति की व्याप्ति और उसमें समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/दूसरों को शामिल करना.

दीर्घावधि संधारणीयता के लिए पर्यावरण का पोषण और संरक्षण करना, एमआरपीएल की पर्यावरण नीति का मूल उद्देश्य है. यद्यपि यह नीति सिर्फ़ कंपनी तक सीमित है लेकिन कंपनी, पर्यावरण का परिरक्षण करने की जिम्मेदारी बांटने के लिए ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और स्थानीय समुदाय जैसे अन्य हिस्सेदारों के समूहों में , पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास करती है.

2. मौसम में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दे सुलझाने के लिए कंपनी की रणनीतियां/पहल

छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए निकटतम स्कूलों में पौधों का वितरण. उत्तरजीविता के लिए वनरोपण की ज़रूरत पूरी करने की दिशा में सार्वजनिक को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वन महोत्सव 2016 में सहभागिता. आस-पास के गांवों के लोगों की सक्रिय सहभागिता की बदौलत कोटि वृक्ष आंदोलन के अंग के तौर पर बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए. पिलिकुला जैव पार्क में 20 एकड़ की भूमि में हरित पट्टी का विकास करने के साथ-साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रति कर्नाटक वन विभाग को अंशदान दिया गया.

3. राजनीतिक पर्यावरण में निहित जोखिम को पहचानना और आंकना.

जी हां. प्रचालन से जुड़े पर्यावरण में निहित जोखिम का निर्धारण कर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है.

4. स्वच्छ विकास तंत्र की दिशा में कंपनी की पहल?

कंपनी ने स्वच्छ विकास तंत्र के तहत किसी परियोजना के लिए आवेदन नहीं किया है. लेकिन कंपनी, ऊर्जा बचाने के कई उपाय अपनाते हुए और संस्फुरण घटाते हुए GHG का उत्सर्जन घटाने की दिशा में सक्रिय है.

कंपनी में नीचे उल्लिखित पहल करने का प्रस्ताव है.

क) 10,000 m^2 क्षेत्रफल में छत पर सोलर पेनल लगाना.

ख) हाइड्रोकार्बन संस्फुरण गैसों को रिकवर करने के लिए संस्फुरण गैस रिकवरी तंत्र स्थापित किया जाएगा और प्रोसेस हीटरों में उपयोग करने के लिए उसे ईंधन गैस हेडरों में लगाया जाएगा.

5. स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा की बचत, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के बारे में कंपनी की पहल.

क) ऊर्जा बचाने के लिए किए गए विभिन्न उपाय / विद्युत बचाव उपायों की बदौलत, रिफाइनरी में ईंधन में ख़ास गिरावट हुई जिससे काफ़ी हद तक CO_2 का उत्सर्जन कम हुआ. 2015-16 में इन उपायों की बदौलत, लगभग 3046 SRFT/वर्ष की मात्रा में ऊर्जा की खपत कम कर पाना संभव हो पाया जो लगभग ₹ 53.1 करोड़/प्रति वर्ष के निवेश के साथ लगभग ₹ 0.09 करोड़/वर्ष की निवल बचत के समान है.

ख) 10,000 m^2 क्षेत्रफल में छत पर सोलर पेनल लगाने का प्रस्ताव है.

ग) दिन के समय भांडागार में स्काई पाइपों का उपयोग करते हुए दिन में कटाई करना. लाइटिंग / सूरज की प्रत्यक्ष रौशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होगी.

घ) सड़क पर लगाए गए जुड़नारों के स्थान पर LED जुड़नार लगाना. (400 जुड़नार बदले गए हैं)

ङ) चरण-3 की एअर कंडीशनिंग पैकेज यूनिटों में R22 (ओज़ोन घटाने वाले कारक)के स्थान पर R407C रेफ्रिजरेंट लगाया गया.

6. CPCB/SPCB द्वारा अनुमत सीमाओं के अंदर कंपनी के उत्सर्जन/अपशिष्ट के बारे में रिपोर्ट करना.

जी हां. कंपनी के उत्सर्जन/अपशिष्ट, CPCB/SPCB के मानदंडों द्वारा अनुमत सीमाओं के अंदर हैं.

7. वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में लंबित (अर्थात्; जिनको संतोषजनक ढंग से न निपटाया गया हो), CPCB/SPCB से प्राप्त कारण बताओ नोटिस/कानूनी नोटिस की संख्या.

कुछ नहीं

सिद्धांत 7 - सार्वजनिक वकालत

1. व्यापार और चेंबर अथवा संघ में अभ्यावेदन.

हां, कंपनी ने नीचे उल्लिखित संघों/निकायों में सदस्यता ली है.

1. कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII),
2. सार्वजनिक प्रतिष्ठान संबंधी स्थाई समिति (SCOPE),
3. पेट्रोलियम कंज़र्वेटिव रिसर्च एसोसिएशन (PCRA),
4. राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला मान्यता बोर्ड (NABL),

5. पेट्रोलियम फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (PETROFED)

6. फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (FIEO).

2. जनता की उन्नति के लिए उक्त संघों में वकालत की गई/तरफदारी की गई.

लोगों की उन्नति के लिए कंपनी, संघ के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती रही है.

सिद्धांत 8: समावेशी वृद्धि

1. सिद्धांत 8 से संबंधित नीति लागू करने की दिशा में विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं.

एमआरपीएल ने CSR और SD नीति बनाई है जिसमें समावेशी तरक्की और सामुदायिक विकास पर जोर दिया गया है, इसके अलावा कंपनी CSR के संबंध में विभिन्न पहल की गई है (मंडल की रिपोर्ट **" अनुबंध-क "** में ब्यौरे दिए गए हैं).

2. आंतरिक टीम/खुद के फाउंडेशन/बाह्य/सरकारी ढांचे/किसी दूसरे संगठन के जरिए हाथ में लिए गए कार्यक्रम/परियोजनाएं

कंपनी द्वारा CSR के अधीन परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं.

3. पहल का प्रभाव आंकना.

परियोजना पूरी होने के बाद आंगनवाड़ी के हिताधिकारियों, शौचालय के निर्माण के बारे में स्कूलों से मिले फ़ीडबैक के आधार पर प्रभाव का आकलन किया जाता है. इसके अलावा, छात्रों की उपस्थिति में सुधार, छात्र वृत्ति के बाद छात्रों के समग्र विकास और शैक्षिक निष्पादन तथा शौचालय ब्लॉक के निर्माण के बारे मे स्कूल के प्राधिकारियों से फ़ीडबैक लिया जाता है. अगर पंचायत की खातिर कोई परियोजना हाथ में ली गई हो तो ग्राम पंचायत से भी सुधार के बारे में इसी प्रकार का फ़ीडबैक लिया जाता है.

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान.

वर्ष 2016-17 के दौरान एमआरपीएल ने शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, जीविकोपार्जक समर्थन आदि से संबंधित सामुदायिक विकास परियोजनाओं के प्रति ₹ 1.45 करोड़ खर्च किए.

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि समुदाय, इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाता है.

कंपनी की सीएसआर संबंधी पहल को समुदाय ने सफलतापूर्वक अपनाया है. गांव और समाज के पददलित समुदायों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए हैं. गांवों में बसे अ.जा./अ.ज.जा. के समुदायों में स्वच्छता को लेकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. कंपनी द्वारा गांव को धुवां मुक्त करने के कार्यक्रम की तरफ की गई पहल से गांवों में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है. शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के समर्थन के लिए, एमआरपीएल/ONGC द्वारा नकली अवयव/कैलिपर/हाथ दिलाए जाते हैं. गांव वाले, डॉक्टरों की सेवा से लाभान्वित हुए हैं और आस-पास के दो गांवों में एमआरपीएल द्वारा मुफ़्त में दवाएं बांटी जाती हैं.

सिद्धांत 9: ग्राहकों के लिए मूल्य.

1. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहकों की शिकायतों/उपभोक्ता से संबंधित मामलों का प्रतिशत.

कुछ नहीं

2. उत्पाद के लेबलिंग पर उत्पाद की जानकारी.

MANGPOL ब्रांड के अधीन पॉलीप्रॉपीलीन थैलियों पर उत्पाद/ब्रांड नाम/विनिर्माता के ब्यौरे जैसे पता, संपर्क, ई-मेल आईडी/ग्रेड/लॉट संख्या प्रदर्शित किए जाते हैं.

3. पिछले पांच वर्ष के दौरान और वित्तीय वर्ष के अंत में, अनुचित व्यापार प्रथा, गैर-जिम्मेदार तरीके से विज्ञापन देने और/अथवा प्रतिस्पर्धात्मक विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ़ हिस्सेदार द्वारा दर्ज किया गया कोई मामला.

कुछ नहीं

4. कंपनी द्वारा किया गया उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता के संतोषपर्यंत प्रवृत्ति.

अर्ध वार्षिक आधार पर किए गए ग्राहक संतोष के बारे में सर्वेक्षण के दौरान ग्राहक के संतोष में विव 2015-16 के 95.02% से विव 2015-16 में 96.35% तक सुधार हुआ है.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के सदस्य

स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट.

हमने, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. (" कंपनी ") के संलग्न किए गए स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2017 तक का तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), उस वर्ष को समाप्त नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी समाविष्ट की गई है.

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, ये स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (" अधिनियम ") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम के अधीन जारी संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कामकाज (वित्तीय स्थिति), लाभ अथवा हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाते हैं.

इस जिम्मेदारी में ऐसी बातें भी शामिल हैं जैसे कंपनी की आस्तियों की हिफ़ाजत करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन कर उनको लागू करने, ऐसे फैसले और आकलन करने के लिए जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की रूपरेखा बनाने, उसका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के, जो सही और निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले और चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त Ind AS वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, लेखा रेकॉर्ड की यथातथ्यता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ठीक तरह से काम कर रहे हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रेकॉर्ड रखना.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन स्वतंत्र Ind AS वित्तीय रिपोर्टिंग पर राय व्यक्त करने तक सीमित है.

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण एवं लेखा परीक्षा मानकों और उन मामलों पर ध्यान दिया है जिनको अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है.

हमने, Ind AS वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की. इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम, नैतिक अपेक्षाएं पूरी करें और योजना बनाकर लेखा परीक्षा का इस तरह से निर्वाह करे जिससे यह उचित आश्वासन मिले कि क्या स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरण, महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त हैं.

लेखा परीक्षा में शामिल है, स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों में रकम और प्रकटन के बारे में लेखा परीक्षा संबंधी सबूत पाने के लिए कार्यविधियां अपनाना. चुनी गईं कार्यविधियां, चाहे धोखाधडी के कारण हों या गलती के कारण, स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों में दी गई महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं. जोखिम संबंधी ऐसे निर्धारण करते समय, लेखा परीक्षक, कंपनी का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों से प्रासंगिक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं जिससे कि लेखा परीक्षा से संबंधित क्रियाविधियां इस तरह से बनाई जाएं जो परिस्थितियों के अनुरूप हों. लेखा परीक्षा में यह भी शामिल हैं जैसे; प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखा संबंधी आकलन का निर्धारण करना एवं स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना.

हम मानते हैं कि हमें लेखा परीक्षा के बारे में जो सबूत मिले हैं वे स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा संबंधी हमारी राय देने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं.

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों में, 31 मार्च, 2017 तक के कंपनी के कामकाज की स्थिति (वित्तीय स्थिति) और उस तारीख को समाप्त वर्ष की उसका लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन) तथा नकदी प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने वाली, अधिनियम में अपेक्षित तरीके से जानकारी दी गई है जो भारत में आम तौर पर अपनाए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाती है.

अन्य मामले

इन स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों में समाविष्ट, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी एवं 1 अप्रैल, 2015 को संक्रमण दिनांक का प्रारंभिक तुलन-पत्र, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार कर इससे पहले जारी किए गए सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित है और इनकी निम्नानुसार लेखा परीक्षा की गई है:-

क. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक **(मेसर्स गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन्, सनदी लेखाकार)** और एक वर्तमान लेखा परीक्षक **(मेसर्स ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार)** द्वारा लेखा परीक्षित 1 अप्रैल, 2015 तक का प्रारंभिक तुलन पत्र, जिनकी 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की, दिनांक 22 मई, 2015 की रिपोर्ट में उन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई है.

ख. वर्तमान उन दोनों लेखा परीक्षकों द्वारा, जिनकी 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की दिनांक 12 मई, 2016 की रिपोर्ट में उन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई थी, लेखा परीक्षित 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय जानकारी.

इन स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों में समाविष्ट, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी एवं 1 अप्रैल, 2015 को संक्रमण दिनांक का प्रारंभिक तुलन-पत्र का, Ind AS की तरफ संक्रमण होने पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखा सिद्धांतों में पाए अंतर की भरपाई करने के लिए समायोजन किया जिसकी हमने लेखा परीक्षा की है. इस मामले में हमारी राय सीमित नहीं है.

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (" आदेश ") की अपेक्षाओं के अनुरूप, हमने, आदेश के परिच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण, अनुबंध ''क'' में दिया है.

2. कंपनी के रेकॉर्डों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के बलबूते पर, हम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर यहां नीचे अपनी रिपोर्ट देते हैं.

क. पूर्ण स्वमित्व वाली और पट्टाधृत भूमि के संबंध में कंपनी के पास स्पष्ट हक/पट्टा संबंधी विलेख हैं सिवाय उस पट्टाधृत भूमि के(18.18 एकड़) जिसकी लागत ₹ 28.82 दशलक्ष है जो कंपनी के कब्जे में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा संबंधी विलेख अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं. स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 5 देखें.

ख. कंपनी ने लाभ-विवरण में ₹ 59.37 दशलक्ष की रकम की ऐसी प्राप्य व्यापार राशियां बट्टे खाते लिखी हैं जिनको वसूल करना इसलिए संभव नहीं है कि यह रकम लंबे समय से लंबित है और पक्षकारों ने यह विवाद खड़ा किया है कि यह रकम देय नहीं है. स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं-34 देखें.

ग. कंपनी ने अन्य पक्षकारों के पास पड़े रहे स्टॉक के संबंध में पर्याप्त रेकॉर्ड रखे हैं. कंपनी को सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई आस्तियां नहीं मिली हैं.

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने ऐसी तमाम जानकारी और स्पष्टीकरण मांग कर प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे.

ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी परीक्षा से लगता है कि कंपनी ने कानून द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां ठीक तरह से रखी हैं.

ग. इस रिपोर्ट में समाविष्ट किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

घ. हमारी राय में, उक्त स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

ङ. अधिनियम की धारा 164(2) के अधीन उल्लिखित निदेशकों की अनर्हता, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं होती है.

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की पर्याप्तता और इन नियंत्रकों की प्रचालन प्रभाविता के संबंध में अनुबंध ख में अलग रूप से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें.

छ. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i) कंपनी ने, अपने स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित कानूनी मामलों का प्रभाव प्रकट किया है - देखें स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 44.1 और 44.2;

ii) कंपनी ने, पूर्वानुमान लगाने लायक महत्वपूर्ण हानि के बारे में यथा लागू कानून अथवा लेखा मानकों के तहत यथापेक्षित प्रावधान किया है. कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घावधि ठेके नहीं हैं और इसलिए हानि के बारे में रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता.

iii) कंपनी ने निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित करने के लिए अपेक्षित रकम का हस्तांतरण करने में कोई विलंब नहीं किया है.

iv) कंपनी ने, 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोट रखने और उनमें व्यापार करने के बारे में वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटन किया है. लेखा परीक्षा संबंधी कार्यविधियों और प्रबंधन के अभ्यावेदन के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि ये प्रकटन, कंपनी द्वारा रखे गए और प्रबंधन द्वारा पेश की गईं लेखा बहियों के अनुसार हैं - देखें स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.-16.

.

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 003324S

हस्ता/-
सीए. ए. कुमार भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003957S

हस्ता/-
सीए.वी.सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई 2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'क' – 31 मार्च 2017

(जिसे हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया है)

i.

क. कंपनी ने परिमाणात्मक ब्योरों और अचल आस्तियों के स्थान सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रेकॉर्ड रखे हैं.

ख. प्रबंधन ने, वर्ष के दौरान तमाम आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया लेकिन सत्यापन करने का एक नियमित कार्यक्रम बनाया गया है जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए उचित है. कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा सत्यापन करने पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नजर नहीं आई हैं.

ग. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और हमारी ओर से किए गए कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार अचल संपत्ति के स्वत्व विलेख, कंपनी के नाम हैं सिवाय उस पट्टाधृत भूमि के(18.18 एकड़) जिसकी लागत ₹ 28.82 दशलक्ष है जो कंपनी के कब्जे में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा संबंधी विलेख अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं. स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 5 देखें.

(ii) हमें बताया गया है कि निरंतर स्टॉक कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है. अन्य मदों के स्टॉक का वर्षांत में प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है. सत्यापन की बारंबारता, हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके कारोबार स्वरूप को देखते हुए उचित है. कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा सत्यापन करने पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नजर नहीं आई हैं.

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फ़र्मों अथवा सीमित देयताओं वाले साझेदारों अथवा अन्य पक्षकारों को कोई ऋण, चाहे जमानती हो या गैर-जमानती, नहीं दिया है. तदनुसार आदेश के खंड 3 (iii) (क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 185 के तहत आने वाले पक्षकारों को कोई ऋण, कोई गारंटी अथवा कोई जमानती नहीं दी है और कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है न ही कोई निवेश किया है. तदनुसार आदेश के खंड 3 (iv) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संबंधित प्रावधानों के अर्थ के अंदर कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है. तदनुसार आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा 1 के तहत लागत संबंधी रेकॉर्ड रखने के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुए कंपनी द्वारा रखे गए लागत संबंधी रेकॉर्डों की स्थूल रूप से समीक्षा की और हमारी राय में , प्रथम दृष्टि में, निर्धारित लेखे और रेकॉर्ड तैयार कर रखे गए हैं. लेकिन, हमने रेकॉर्डों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है.

(vii)

क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी तरफ से परखे गए कंपनी के रेकॉर्डों के अनुसार कंपनी, वर्ष के दौरान, उचित प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और अन्य सांविधिक देयताओं सहित विवादरहित सांविधिक देयताएं आम तौर पर नियमित रूप से जमा कराती रही है. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2017 को बकाया भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और अन्य सांविधिक देयताओं के संबंध में देय विवादरहित रकम, देय हुए दिनांक से छह महीने से अधिक समय तक बाकी नहीं रही.

ख. हमें दी गई जानकारी और कंपनी के रेकॉर्डों का सत्यापन करने से ऐसी विवादित कर देयता, जिसे 31 मार्च, 2017 तक उचित प्राधिकरणों के पास जमा नहीं कराया गया है, निम्नानुसार है:

अधिनियम का नाम	देय राशि का स्वरूप	कुल मांग (₹ दशलक्ष)	कुल रकम अभ्यापत्ति के तहत प्रदत्त/ समायोजित (₹ दशलक्ष)	(वित्तीय वर्ष) जिस अवधि से राशि का ताल्लुक है	विवाद, किस मंच पर लंबित है
दी कर्नाटका बिक्री कर अधिनियम, 1957/ केंद्रीय बिक्री अधिनियम, 1956	मूल्य वर्धित कर – ब्याज	0.43	0.21	2006-07	अपील प्राधिकारी - मंगलुरु
	मूल्य वर्धित कर – ब्याज	4.80	2.48	2011-12	कर्नाटका अपील न्यायाधिकरण
	मूल्य वर्धित कर – दंड	1.69	कुछ नहीं	2011-12	कर्नाटका अपील न्यायाधिकरण
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर/ब्याज/ दंड	296.31	296.31	AY 1993-03	मुंबई उच्च न्यायालय
		10.93	10.93	AY 2003-04	आय कर अपील न्यायाधिकरण-मुंबई
		233.58	182.05	AY 2006-07	आय कर अपील न्यायाधिकरण– मुंबई
		129.39	129.39	AY 2007-08	आय कर अपील न्यायाधिकरण– मुंबई
		362.49	362.49	AY 2008-09	आय कर अपील न्यायाधिकरण– मुंबई
		1,014.82	1,014.82	AY 2009-10	आय कर अपील न्यायाधिकरण– मुंबई
		126.72	126.72	AY 2008-09	आय कर आयुक्त (अपील) – मंगलूरु
		754.77	754.77	AY 2010-11	आय कर आयुक्त (अपील) – मंगलुरु
		594.02	594.02	AY 2011-12	आय कर आयुक्त (अपील) – मंगलूरु
		546.71	546.71	AY 2012-13	आय कर आयुक्त (अपील) – मंगलूरु
		76.74	38.37	AY 2013-14	आय कर आयुक्त (अपील) – मंगलूरु
		35.70	17.75	AY 2014-15	आय कर आयुक्त (अपील) – मंगलूरु
		29.78	14.89	AY 2015-16	आय कर आयुक्त (अपील) – मंगलूरु
		32.13	16.07	AY 2016-17	आय कर आयुक्त (अपील) – मंगलूरु
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क / ब्याज / दंड	55.57	कुछ नहीं	1997-2000	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
		721.97	कुछ नहीं	1997-2000	CESTAT – बेंगलूरु
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा कर/ब्याज/ दंड	1.94	0.08	2015-16	आयुक्त (अपील) – मंगलूरु
		4212.15	128.84	2002-03 से 2016-17	CESTAT – बेंगलूरु
		1.71	0.75	2002-03 से 2015-16	संयुक्त सचिव, MOF
		5.82	0.50	2010-11	आयुक्त – मंगलूरु
		20.31	-	1996-97 से 2003 -2004	सर्वोच्च न्यायालय

(viii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी तरफ से कंपनी के रेकॉर्डों को परखने से,कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी बैंक अथवा सरकार को ऋण या उधार चुकाने में कोई चूक नहीं की है. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा वित्तीय संस्थाओं अथवा डिबेंचर धारकों को कोई रकम देना बाकी नहीं रहा.

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश के रूप में (कर्ज संबंधी लिखतों सहित) कोई पैसे नहीं जुटाए हैं.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 6,766.88 दशलक्ष (पिछले वर्ष – ₹ 8,078.42 दशलक्ष), जो पूर्व वर्षों में लिए गए सावधि ऋण की अनुपभुक्त रकम है, ब्याज रहित खाते में रखी गई है. स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 17.4 देखें.

(x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी तरफ से कंपनी की लेखा बहियों को परखने पर हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे ध्यान में कंपनी में धोखाधड़ी की कोई घटना नज़र नहीं आई न ही कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी करने की कोई घटना नज़र आई.

(xi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी तरफ से कंपनी के रेकॉर्डों को परखने पर हमारी राय में प्रबंधकीय पारिश्रमिक को DPE के दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किया गया है.

(xii) चूंकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 उसे लागू नहीं होते हैं, इसलिए आदेश का खंड 3(xii), कंपनी के लिए लागू नहीं होता है.

(xiii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए संबंधित पक्षकारों के साथ कोई लेन-देन नहीं किए हैं. संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए इन लेन-देनों के ब्यौरे लागू लेखा मानकों के अधीन अपेक्षानुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं.

(xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णत: अथवा अंशत: परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आबंटन अथवा निजी विक्रय नहीं किया है. तदनुसार आदेश के खंड 3 (xiv) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान निदेशकों अथवा निदेशकों के साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई नकद रहित लेन-देन नहीं किया है.

तदनुसार आदेश के खंड 3(xv) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45--IA के तहत पंजीकृत कराने की ज़रूरत नहीं है. तदनुसार आदेश का खंड 3(xvi), कंपनी के लिए लागू नहीं होता है.

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S
हस्ता/-
सीए. ए. कुमार भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई 2017

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S
हस्ता/-
सीए.वी.सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख – 31 मार्च 2017

(जिसे हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया है)

कंपनी अधिनियम, 2013 (" अधिनियम ") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के बारे में रिपोर्ट

हमने, 31 मार्च, 2016 को मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ("कंपनी ") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ की.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वह, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रक के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित कर बनाए रखे. इन जिम्मेदारियों में शामिल हैं, प्रभावशाली ढंग से काम करते रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की रूपरेखा बनाना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की नीतियों का अनुपालन किया जाता है, उसकी आस्तियों की हिफ़ाज़त की जाती है, धोखाधड़ी और गलतियां होने से रोका जाता है और उनका पता लगाया जाता है, लेखा संबंधी अभिलेखों की यथातथ्यता और परिपूर्णता बरकरार रखी जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथापेक्षित भरोसेमंद वित्तीय प्रकटन की, वक्त पर तैयारी करने सहित कारोबार को व्यवस्थित ढंग से और दक्षता से चलाया जाता है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है. हमने अपनी लेखा परीक्षा, ICAI द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित किए गए मान लिए गए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा से संबंधित मानकों पर मार्गदर्शन नोट (" मार्गदर्शन नोट ") के अनुसार, उस हद तक की जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं और जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, दोनों के लिए लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. इन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षा की गई है कि हम, नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा करते हुए इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित किए गए हैं और बनाए रखे गए हैं तथा ऐसे नियंत्रक, सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ऐसी कार्यविधियां अपनाई गईं जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभाविता के बारे में लेखा परीक्षा के जरिए सबूत प्राप्त किया जा सके. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की हमारी लेखा परीक्षा में शामिल था, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों को समझना, ख़ास कमजोरी में निहित जोखिम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और प्रचालन प्रभाविता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना. चुनी गईं कार्यविधियां, चाहे धोखाधडी के कारण हो या गलती के कारण, वित्तीय विवरणों में दिए गए महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं.

हम मानते हैं कि हमने, लेखा परीक्षा संबंधी जो सबूत हासिल किया है वह, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन दिलाने और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने की दृष्टि से बनाया गया है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं जो

3.5. ऐसे रेकॉर्ड रखने से संबंधित है जो उचित ब्यौरे के साथ कंपनी के लेन-देनों और आस्तियों के निपटान का सही एवं निष्पक्ष चित्रण पेश कर सके.

3.6. ऐसा उचित आश्वासन दिलाए कि लेन-देनों के यथा आवश्यक रेकॉर्ड रखे जाते हैं जिससे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति मिले और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय, प्रबंधन एवं कंपनी निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जाते हैं; और

3.7. कंपनी की उन आस्तियों के, अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम करने अथवा उसका वक्त पर पता लगाने के बारे में, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण असर पड़े, उचित आश्वासन दिलाए.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के परे अनुचित सांठगांठ अथवा प्रबंधन की संभावना सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण गलती अथवा धोखाधड़ी से ऐसे महत्वपूर्ण गलत बयान दिए जा सकते हैं

जिनका पता लगाना कठिन हो. भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन पर आधारित प्रक्षेपण में जोखिम की ऐसी संभावना होती है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों का अनुपालन करने की मात्रा अथवा कार्यविधियों की अवनति के कारण पर्याप्त न लगे.

राय

हमारी राय में, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाई हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, 31.03.2017 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S
हस्ता/-
सीए. ए. कुमार भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई 2017

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S
हस्ता/-
सीए.वी.सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष में इक्विटी में परिवर्तन संबंधी स्वतंत्र विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

अ. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	रकम
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2017 को शेषराशि	**17,526.64**

आ. अन्य इक्विटी

विवरण	मानी गई इक्विटी	आरक्षित निधि और अधिशेष				
		सामान्य आरक्षित निधि	पूंजीगत प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन	कुल
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**26.05**	**1,192.00**	**91.86**	**3,490.53**	**30,514.06**	**35,314.50**
वर्ष का लाभ		-	-	-	11,469.37	11,469.37
		-	-	-	3.23	3.23
परिभाषित लाभ योजनाओं, निवल आय कर का पुन: मापन						
वर्ष की कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,472.60**	**11,472.60**
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**26.05**	**1,192.00**	**91.86**	**3,490.53**	**41,986.66**	**46,787.10**
वर्ष का लाभ		-	-	-	36,436.87	36,436.87
		-	-	-	(50.34)	(50.34)
परिभाषित लाभ योजनाओं, निवल आय कर का पुन: मापन						
वर्ष की कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**36,386.53**	**36,386.53**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4.48					4.48
31 मार्च, 2017 को शेषराशि	**30.53**	**1,192.00**	**91.86**	**3,490.53**	**78,373.19**	**83,178.11**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. ए. कुमार भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17/05/2017

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए. वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN: 06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2017 तक का स्वतंत्र तुलन-पत्र

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
आस्तियां				
I **अप्रचलित आस्तियां**				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5	141,581.42	148,806.37	140,164.23
[ख] प्रगति में पूंजीगत कार्य	6	2,198.74	1,882.26	13,826.60
(ग) सुनाम	7	4.04	4.04	4.04
(घ) अन्य अगोचर आस्तियां	8	20.40	0.81	1.38
(e) वित्तीय आस्तियां				
(i) निवेश	9	13,496.42	13,496.73	13,496.73
(ii) ऋण	10	415.98	381.77	368.59
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	11	68.74	46.66	34.94
(च) अप्रचलित कर आस्तियां (निवल)	12	4,575.49	4,628.58	4,554.60
(छ) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	24	-	2,230.27	-
(ज) अप्रचलित आस्तियां	13	7,685.76	2,279.57	1,452.16
कुल गैर चालू आस्तियां (I)		**170,046.99**	**173,757.06**	**173,903.27**
II **चालू आस्तियां**				
(क) स्टॉक	14	40,390.02	31,967.20	33,996.05
(ख) वित्तीय आस्तियां				
(i) प्राप्य व्यापार राशियां	15	26,211.64	23,952.47	23,681.63
(ii) नकद और नकदी समतुल्य	16	2,331.66	13,541.07	13,670.00
(iii) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	17	18,976.79	123,585.30	89,016.18
(iv) ऋण	10	59.58	52.88	48.14
(v) अन्य वित्तीय आस्तियां	11	3,144.97	1,698.71	1,546.20
(ग) अन्य चालू आस्तियां	13	2,806.60	4,208.03	6,886.60
उप-जोड़ चालू आस्तियां		**93,921.26**	**199,005.66**	**168,844.80**
बिक्री के लिए धारित अप्रचलित आस्तियां	18	77.96	77.96	77.96
कुल चालू आस्तियां (II)		**93,999.22**	**199,083.62**	**168,922.76**
कुल आस्तियां (I+II)		**264,046.21**	**372,840.68**	**342,826.03**
इक्विटी और देयताएं				
I **इक्विटी**				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19	17,526.64	17,526.64	17,526.64
[ख] अन्य इक्विटी	20	83,178.11	46,787.10	35,314.50
कुल इक्विटी (I)		**100,704.75**	**64,313.74**	**52,841.14**
देयताएं				
II **अप्रचलित देयताएं**				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	21	48,157.83	68,060.40	78,369.76
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	22	-	-	0.13
[ख] प्रावधान	23	596.67	403.72	346.27
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	24	4,766.63	-	-
कुल अप्रचलित देयताएं (II)		**53,521.13**	**68,464.12**	**78,716.16**
III **चालू देयताएं**				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	21	18,172.88	25.61	108.73
(ii) देय व्यापार राशियां	25	60,339.67	213,388.71	183,310.01
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	22	26,203.10	21,682.34	21,684.98
(ख) अन्य चालू देयताएं	26	1,805.57	1,422.33	4,067.62
(ग) प्रावधान	23	2,851.24	3,543.83	2,097.39
(घ) चालू कर देयताएं	12	447.87	-	-
कुल चालू देयताएं (III)		**109,820.33**	**240,062.82**	**211,268.73**
IV **कुल देयताएं (II+III)**		**163,341.46**	**308,526.94**	**289,984.89**
कुल इक्विटी और देयताएं (I+IV)		**264,046.21**	**372,840.68**	**342,826.03**

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें(1-51)

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : : 003324S

हस्ता/-
सीए. ए. कुमार भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041

कृते **श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : : 003957S

हस्ता/-
सीए. वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17/05/2017

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN: 06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का स्वतंत्र लाभ-हानि विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

	विवरण	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
i.	प्रचालन से राजस्व	27	594,304.86	508,795.78
II.	अन्य आय	28	4,232.01	8,572.55
iii.	**कुल आय (I + II)**		**598,536.87**	**517,368.33**
iv.	**व्यय:**			
	खपाई गई सामग्री की लागत	29	374,887.61	345,516.10
	तैयार माल, प्रक्रिया में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन	30	(2,883.03)	6,831.66
	वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		162,226.14	112,321.37
	कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	31	3,520.06	2,855.19
	वित्त लागत	32	5,171.74	5,904.93
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	33	6,779.19	7,104.71
	अन्य खर्च	34	9,493.87	23,421.45
	कुल खर्च (IV)		**559,195.58**	**503,955.41**
V.	**अपवादात्मक मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)**		**39,341.29**	**13,412.92**
VI.	अपवादात्मक मदें (आय/खर्च (निवल)	35	(15,972.91)	1,829.94
vii.	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**55,314.20**	**11,582.98**
VIII.	कर संबंधी खर्च:	36		
	(1) वर्तमान कर		11,853.78	2,345.58
	(2) आस्थगित कर	24	7,023.55	(2,231.97)
	कर संबंधी कुल खर्च (VIII)		**18,877.33**	**113.61**
IX.	**वर्ष का लाभ (VII - VIII)**		**36,436.87**	**11,469.37**
X.	**अन्य व्यापक आय**			
	ऐसी मदें जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा			
	(क) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन		(76.99)	4.93
	(ख) उक्त से संबंधित आय कर		26.65	(1.70)
	कुल अन्य व्यापक आय (X)		**(50.34)**	**3.23**
XI.	**वर्ष की कुल व्यापक आय (IX+X)**		**36,386.53**	**11,472.60**
XII.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:	37		
	(1) मूल (₹ में)		20.79	6.54
	(2) आंशिक (₹ में)		20.79	6.54

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें(1-51)

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : : 003324S

हस्ता/-
सीए. ए. कुमार भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041

कृते **श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : : 003957S

हस्ता/-
सीए. वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN: 06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17/05/2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का स्वतंत्र नकदी प्रवाह विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
अ प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर उपरांत लाभ		**36,436.87**	**11,469.37**
इनके लिए समायोजन:			
कर संबंधी खर्च		18,877.33	113.61
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च		6,779.27	7,104.79
हानि/(लाभ),संपत्ति,संयंत्र और उपकरण की बिक्री से, निवल		56.70	3.82
प्रतिलेखित, अब ज़रूरी न पड़ने वाली देयता		(65.67)	(363.45)
संदिग्ध प्राप्य व्यापार राशियों का ह्रास		302.80	378.49
प्रतिलेखित प्राप्य व्यापार राशियां		59.37	0.70
विनिमय में घट-बढ़ (निवल)		(1,565.83)	8,094.00
वित्त लागत		5,171.74	5,904.93
ब्याज आय		(3,838.87)	(6,964.36)
लाभांश आय		(262.86)	(1,177.10)
पूर्व भुगतान का परिशोधन		9.83	10.15
अन्य		(76.99)	82.14
		61,883.69	**24,657.09**
कार्यकारी पूंजीगत में चलन			
- प्राप्य व्यापार और अन्य राशियों में (वृद्धि)/अवनति		(2,652.27)	(715.86)
- ऋणों में वृद्धि/(अवनति)		(40.91)	(17.92)
- अन्य आस्तियों में वृद्धि/(अवनति)		102,623.83	(34,817.01)
- स्टॉक में वृद्धि/(अवनति)		(8,422.82)	2,028.85
- प्राप्य व्यापार और अन्य देयताओं में वृद्धि/(अवनति)		(150,732.13)	24,341.15
प्रचालन से उत्पन्न नकद		**2,659.39**	**15,476.30**
प्रदत्त आय कर, निवल धन वापसी		(11,176.30)	(1,721.17)
प्रचालन से उत्पन्न / (इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	(क)	**(8,516.91)**	**13,755.13**
आ निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रति भुगतान		(8,618.26)	(3,923.91)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से प्राप्तियां		1.59	2.52
प्राप्त ब्याज		5,402.93	7,004.02
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश		7.50	9.00
म्यूचुअल फंड में निवेश से प्राप्त लाभांश		255.36	1,168.10
संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों में निवेश		0.31	-
ब्याज आय पर प्रदत्त कर		(416.30)	(667.63)
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न / (इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	[ख]	**(3,366.87)**	**3,592.10**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
ग वित्तपोषक गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
दीर्घावधि उधार की चुकौती		(12,855.78)	(11,624.56)
अल्पावधि उधार से प्राप्तियां, निवल		18,494.45	(83.12)
प्रदत्त वित्त लागत		(4,964.30)	(5,768.48)
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न / (इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	(ग)	**674.37**	**(17,476.16)**
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ (अवनति)	(क+ख+ग)	**(11,209.41)**	**(128.93)**
अवधि के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य		**13,541.07**	**13,670.00**
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य		**2,331.66**	**13,541.07**
		(11,209.41)	**(128.93)**

1 उक्त नकदी प्रवाह विवरण, Ind AS 7 " नकदी प्रवाह विवरण " में यथा निर्दिष्ट " परोक्ष पद्धति " के अधीन तैयार किया गया है.

2 कोष्ठकों में नकदी प्रवाह दर्शाए गए हैं.

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें(1-51)

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : : 003324S

हस्ता/-
सीए. ए. कुमार भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041

कृते **श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : : 003957S

हस्ता/-
सीए. वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

हस्ता/-
एच कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN: 06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17/05/2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के स्वतंत्र समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

1. कंपनी के बारे में जानकारी

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (' एमआरपीएल ' अथवा ' कंपनी ') एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है जो भारत में स्थित और निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर, कर्नाटक - -575030 में है. कंपनी के इक्विटी शेयर, बीएसई लिमिटेड और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जैसे शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं और शेयरों का इन शेयर बाजारों में व्यापार होता है. कंपनी, क्रूड तेल का परिष्करण करने का व्यवसाय चलाती है. कंपनी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी है जिसके पास 71.63% इक्विटी शेयर हैं.

2. नए और संशोधित भारतीय लेखा मानक का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को प्राधिकृत करने तक, ये समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी और अधिसूचित सभी भारतीय लेखा मानकों पर विचार किया गया है.

2.1. जारी किए गए परंतु अभी प्रभावी न हुए मानक/संशोधन

मार्च 2017 में, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने Ind AS 7 ' नकदी प्रवाह विवरण और Ind AS 102 ' शेयर आधारित भुगतान ' में संशोधनों को अधिसूचित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2017 जारी किए. ये संशोधन, अंतर्राष्ट्रीय मानक बोर्ड (IASB) द्वारा क्रमश: IAS 7, ' नकदी प्रवाह विवरण' और IFRS 2, ' शेयर आधारित भुगतान ' में हाल में किए गए संशोधनों के अनुसार हैं. ये संशोधन, कंपनी को 1 अप्रैल, 2017 से लागू होंगे.

Ind AS 7 में संशोधन:

Ind AS 7 में संशोधन करने के लिए प्रतिष्ठानों को ऐसे प्रकटन करने पड़ेंगे जिससे प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलन पत्र में प्रारंभिक और अंतिम शेषराशि के बीच समाधान समाविष्ट करने का सुझाव देते हुए वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को नकदी प्रवाह और नकदेतर परिवर्तन, दोनों के कारण हुए परिवर्तन सहित वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में हुए परिवर्तन का मूल्यांकन करना पड़े.

कंपनी, संशोधन की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और समेकित वित्तीय विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

Ind AS 102 में संशोधन:

Ind AS 102 में किए गए संशोधन में नकद से निपटाए गए अधिनिर्णयों को मापने, नकद से निपटाए गए अधिनिर्णयों और ऐसे अधिनिर्णयों में, जिसमें कर को रोक रखने के संबंध में निवल निपटान का पहलू शामिल हो, आशोधन करने के प्रति निर्दिष्ट मार्गनिर्देश दिए गए हैं.

चूंकि कंपनी ने स्टॉक विकल्प संबंधी कोई योजना जारी नहीं की है इसलिए इस संशोधन का कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

3. उल्लेखनीय लेखा नीतियां

3.1. अनुपालन का विवरण

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ***दिनांक 16 फरवरी, 2015*** की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (जिसे "Ind AS" के रूप में निर्दिष्ट किया है) अपनाए हैं.

वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित Ind AS के अनुसार तैयार किए गए हैं. भारतीय लेखा मानक की तरफ संक्रमण तारीख है, 1 अप्रैल, 2015. पहली बार अपनाने से संबंधित ब्यौरों - अनिवार्य अपवादों और कंपनी द्वारा उपभोग किए गए वैकल्पिक अपवादों के लिए देखें टिप्पणी 3.24.

वित्तीय विवरणों में पूर्व अवधि वाले आंकड़ों को, Ind AS का अनुपालन करते हुए दोबारा दर्शाया गया है.

31 मार्च, 2016 तक कंपनी ने, अपने वित्तीय विवरण, भारत में लागू सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (इससे पहले GAAP) के अनुसार और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत यथा निर्धारित लागू लेखा मानकों के अनुसार उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रूढ़ी के अंतर्गत तैयार किए थे.

Ind AS-01 - " भारतीय लेखा मानको को पहली बार अपनाना (Ind AS 101) " के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को, पूर्व GAAP और Ind AS के तहत शेयर धारकों के इक्विटी का और पूर्व GAAP के अनुसार कर उपरांत लाभ / (हानि) का तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए Ind AS के अंतर्गत कुल व्यापक आय का समाधान पेश किया है.

3.2. तैयार करने का आधार

जैसे कि नीचे दी गईं लेखा संबंधी नीतियों में स्पष्ट किया गया है, वित्तीय विवरण, उन वित्तीय विवरणों को छोड़कर जो प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं.

ऐतिहासिक लागत, आम तौर पर, वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती है.

तमाम आस्तियों और देयताओं का, कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य मापदंडों के आधार पर चालू अथवा गैर चालू के रूप में वर्गीकरण किया गया है

वित्तीय विवरण, भारतीय रुपयों में दर्शाए गए हैं और सारे मूल्यों को, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निकटतम दो दशमलव दशलक्ष में पूर्णांकित किया गया है.

उचित मूल्य मापना.

उचित मूल्य, ऐसी कीमत होती है कि जो आस्ति बेचने पर प्राप्त होगी अथवा जिसे चालू बाजार स्थितियों में मापन दिनांक को बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन करते समय देयता का अंतरण करने के लिए अदा किया जाएगा.

कंपनी, मापन करते समय नियोजित निविष्टियों पर नज़र रखने की क्षमता के आधार पर उचित मूल्य पर मापी गईं आस्तियों और देयताओं का तीन स्तरों में वर्गीकरण करती है जिनका वर्णन यहां नीचे किया गया है:

(क) स्तर 1 की निविष्टियां, एक ही तरह की आस्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में कोट की गईं कीमतों (असमायोजित) के समान होती हैं.

(ख) स्तर 2 की निविष्टियां, आस्ति अथवा देयता के लिए स्तर 1 के अंदर समाविष्ट कोट की गईं कीमतों से भिन्न होती हैं जिन पर, यातो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से नज़र रखना सुसाध्य होगा.

(ग) स्तर 3 की निविष्टियां, नज़र रखने लायक संबंधित बाजार के आंकड़ों अथवा बाजार के सहभागियों द्वारा कीमत निर्धारण के बारे में कंपनी की परिकल्पनाओं में उल्लेखनीय आशोधन परिलक्षित करने वाली आस्ति या देयता से संबंधित नजर न रखने लायक निविष्टियां होती हैं.

3.3. सुनाम

व्यवसाय का अधिग्रहण करने पर उत्पन्न सुनाम, व्यावसायिक अधिग्रहण दिनांक को संचित हानि के कारण उत्पन्न नुकसान हुआ हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर स्थापित किया जाता है.

हानि संबंधी परीक्षण के प्रयोजन से, सुनाम, कंपनी की नकद उत्पन्न करने वाली उन इकाइयों को आबंटित किया जाता है जिनसे संयोजन की सहक्रिया से फायदा हासिल करने की उम्मीद की जाती है.

नकद उत्पन्न करने वाली उस यूनिट का, जिसे सुनाम आबंटित किया गया हो, वर्ष में एक बार अथवा अकसर ह्रास की निगाहों से परीक्षण तब किया जाता है जब यह संकेत मिले कि यूनिट द्वारा हानि उठाने की संभावना है. अगर नकद उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूल करने लायक रकम, बही मूल्य से कम हो तो सबसे पहले ह्रासित हानि को आबंटित किया जाता है जिससे कि इकाई को आबंटित सुनाम के बही मूल्य को कम किया जा सके और तदनंतर इकाई में प्रत्येक आस्ति के बही मूल्य के आधार पर यथानुपात इकाई की अन्य आस्तियों में आबंटन किया जाता है. सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि को सीधे लाभ अथवा हानि में दर्शाया जाता है. सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि का, बाद में किसी अवधि में प्रत्यावर्तन नहीं किया जाता है.

संबंधित उत्पन्न करने वाली इकाई को निपटाने के बाद सुनाम के कारण उत्पन्न रकम को लाभ अथवा हानि का निर्धारण करते समय समाविष्ट किया जाएगा.

3.4. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

3.4.1 कंपनी, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को, अगर कोई ह्रास हुआ हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर रेकॉर्ड करती है.

3.4.2 प्रारंभ में लेखाबद्ध करने के बाद कंपनी यह तय करेगी कि क्या, सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में निवल निवेश को प्रारंभ में स्वीकार करने के बाद हुई एक या उससे अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुनिष्ठ सबूत है और यह कि कोई ऐसी घटना है (घटनाएं हैं) जिसका भरोसेमंद तरीके से आकलन करने लायक निवल निवेश से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर असर पड़े. अगर हानि का ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ सबूत हो तो सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में कंपनी के निवेश के संबंध में ह्रासित नुकसान को लेखाबद्ध करना आवश्यक है.

3.4.3 जब ज़रूरत पड़े तब निवेश लागत का, Ind AS 36 " आस्तियों में ह्रास " के अनुसार एक ही आस्ति के रूप में, उसके वसूल करने लायक रकम का (प्रयोग में उच्चतर मूल्य और उचित मूल्य घटाएं निपटान लागत) उसके बही मूल्य के साथ तुलना करते हुए हानि को लेकर परीक्षण किया जाता है. हानि के रूप में हुए नुकसान का कोई प्रत्यावर्तन हो तो उसे Ind AS 36 के अनुसार उस हद तक स्वीकार किया जाता है जिस हद तक निवेश की वसूल करने लायक रकम में बाद में बढ़त हो.

3.4.4 सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश का निपटान करने पर, अभिलाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है जिसका

परिकलन करते समय,

(क) प्राप्त प्रतिफल के उचित मूल्य का जोड़ निकाला जाता है

(ख) और सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश के पूर्व बही मूल्य के योग के बीच अंतर निकाला जाता है.

3.8. बिक्री के लिए धारित अप्रचलित आस्तियां

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत अप्रचलित आस्तियों को बेचते समय, लागत घटाने के बाद कमतर बही मूल्य पर और उचित मूल्य पर मापा जाता है.

अप्रचलित आस्तियों का बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब लगातार उपयोग करने के बजाय बिक्री संबंधी लेन-देन के जरिए उनका बही मूल्य वसूल करना पड़े. इस शर्त की पूर्ति तभी मानी जाएगी जब बिक्री होने की अधिक संभावना हो और आस्ति, उसकी वर्तमान दशा में फौरन बेचने के लिए उपलब्ध हो जब कि इन आस्तियों की बिक्री के लिए मामूली और प्रथागत नियम लागू होंगे.

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण करते ही संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा.

3.9. राजस्व को लेखाबद्ध करना

3.6.1. बिक्री तभी मानी जाएगी जब उससे जुड़े जोखिम और अधिनिर्णय (वस्तुओं की अभिरक्षा का हस्तांतरण), ग्राहक के हवाले किए जाएं जिसमें मूल्य वर्धित कर (VAT) को छोड़कर सारे सांविधिक लेवी शामिल होते हैं जो निवल बट्टे के समान होते हैं.

3.6.2. लाभांश आय तब स्वीकार की जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध किया जाए.

3.6.3. ब्याज सहित आय का समय आधार पर उपचय करते समय प्रारंभ में स्वीकार करने पर आस्ति के निवल बही मूल्य की तुलना में वित्तीय आस्ति की अनुमानित अवधि के जरिए बकाया मूल धनराशि और लागू प्रभावी ब्याज दर (ऐसी दर जो अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को ठीक तरह से काटें) का हवाला दिया जाता है.

3.6.4. वित्तियेतर आस्तियों के मामले में, ब्याज सहित आय को समय अनुपात आधार पर स्वीकार किया जाता है.

3.6.5. स्क्रैप की बिक्री से राजस्व को तभी लेखाबद्ध किया जाता है जब उससे जुड़े जोखिम और अधिनिर्णय (वस्तुओं की अभिरक्षा का हस्तांतरण), ग्राहक के हवाले किए जाएं.

3.6.6. परिसमाप्त हर्जाने के संबंध में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से राजस्व को तभी लेखाबद्ध किया जाता है जब यह तय किया जाए कि ऐसा राजस्व देय नहीं है.

3.6.7. लाभ-हानि विवरण में उत्पाद शुल्क को खर्च के रूप में दर्शाया जाता है. उत्पाद शुल्क देने लायक वस्तुओं के अंतिम और प्रारंभिक स्टॉक के बीच अंतर के संबंध में उत्पाद शुल्क " अन्य खर्च " के अधीन दर्शाया जाता है.

3.7. पट्टे

पट्टे का, वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब पट्टे के नियमों के अनुसार सारे जोखिम और स्वत्व के अधिनिर्णय, पट्टाधृती के हवाले किए जाएं. दूसरे सभी पट्टे का वर्गीकरण, प्रचालन पट्टे के रूप में किया जाता है.

पट्टाधृत भूमि का, जहां भूमि का स्वामित्व, पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. प्रचालन पट्टे के संबंध में पहले किए गए भुगतानों को पूर्व भुगतानों के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसका पट्टे की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधन किया जाता है. पट्टाधृत भूमि का, जहां भूमि का स्वत्व, पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाएगा, वित्त पट्टे के रूप में विचार किया जाता है. ऐसी पट्टाधृत भूमि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधीन दर्शाया जाता है जिसका मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

3.8. विदेशी मुद्राएं

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा, भारतीय रुपया है जो उस प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा दर्शाती है जिसमें वह अपना कामकाज चलाती है.

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राएं) से भिन्न मुद्राओं में किए गए लेन-देनों को, लेन-देनों के दिनांकों को मौजूद विनिमय दरों पर लेखाबद्ध किया जाता है. प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों को, रिपोर्ट अवधि के अंतिम दिन मौजूद अंतिम मुद्रा दर के आधार पर रुपयों में रूपांतरित किया जाता है.

दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय में नजर आए अंतर को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है जब कि 31 मार्च 2016 को दर्शाई गईं दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय अंतर को उस हद तक नहीं जोड़ा जाता है, जिस हद तक उनका मूल्यह्रास करने लायक आस्तियों का अधिग्रहण करने का संबंध हो, तदनंतर इन आस्तियों की लागत के प्रति समायोजन किया जाता है और आस्ति की बची हुई आयु में उक्त समायोजन को कम किया जाता है.

3.9. उधार लागत

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण की दृष्टि से निर्दिष्ट रूप से पहचानी गईं उधार लागत का, इन आस्तियों के अंग के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. अर्हक आस्ति उसे कहते हैं जिसे अभिप्रेत उपयोग करने की दृष्टि से तैयार रखने के लिए काफ़ी समय लगता है. दूसरी अन्य उधार लागतों को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.10. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक दर्शाया नहीं जाता है जब तक यह उचित आश्वासन न मिला हो कि कंपनी, उनसे संबंधित शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किए जाएंगे.

सरकारी अनुदानों को लाभ अथवा हानि विवरण में व्यवस्थित ढंग से उस अवधि में जिसमें कंपनी, जिस लागत के लिए अनुदान की प्रतिपूर्ति करने के इरादे से उपयोग किया जाएगा, खर्च के रूप में स्वीकार न करे .

निर्दिष्ट रूप से उन सरकारी अनुदानों को, जिनके संबंध में मूल रूप से यह शर्त रखी जाती है कि कंपनी को, अप्रचलित आस्तियां खरीदनी पड़ेंगी, उनका निर्माण अथवा अन्यथा अधिग्रहण करना पड़ेगा, तुलन-पत्र में आस्थगित राजस्व के रूप में दर्शाकर संबंधित आस्तियों की उपयोग अवधि में व्यवस्थित एवं युक्तियुक्त तरीके से लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बाजार ब्याज दर से कम दर पर सरकारी ऋण का लाभ, सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है जिसका मापन, प्राप्त प्राप्तियों और मौजूदा बाजार ब्याज दर पर उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाता है.

3.11. कर्मचारियों को लाभ

कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ में शामिल हैं, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि, उपदान निधि, क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां, रोजगार उपरांत चिकित्सा लाभ और पुन:व्यवस्थापन भत्ते.

परिभाषित अंशदायी योजनाएं

भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि सहित परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को, योजना के प्रति कंपनी के दायित्व के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. इनका भुगतान, क्रमशः भविष्य निधि प्राधिकरणों और भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाता है और इनको वर्ष के दौरान खर्च के अधीन दर्शाया जाता है.

परिभाषित लाभ योजनाएं

उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और अन्य दीर्घावधि सेवानिवृत्ति लाभ सहित परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं को, जिनको परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और इसका परिकलन प्रक्षेपित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट अवधि के अंत में किया जाता है. इनको वर्तमान कर्मचारी लागत के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है अथवा यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट किया जाता है.

निवल परिभाषित देयता पर निवल ब्याज का परिकलन करते समय, अवधि के प्रारंभ में बट्टा दर, निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता अथवा आस्ति पर लगाया जाता है और यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट मदों को छोड़कर इनको लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बीमांकिक अभिलाभ और हानि समेत पुन: मापन, आस्ति की उच्चतम सीमा में परिवर्तन के प्रभाव और योजना आस्तियों (ऊपर परिभाषित निवल ब्याज को छोड़कर) पर प्रतिफल को, उन मदों को छोडकर जिनको उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न हों, अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में शामिल करने के बाद लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है.

कंपनी, उपदान के संबंध में एमआरपीएल उपदान निधि न्यास (MGFT) में सभी पता लगाने लायक देयताओं का अंशदान करता है. अन्य परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की जाती है.

तुलन-पत्र में दर्शाया गया सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति दायित्व, कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक घाटा अथवा अधिशेष दर्शाता है. बीमांकिक परिकलन से प्राप्त किसी अधिशेष को, योजनाओं के प्रति भावी अंशदानों में कटौती के रूप में उपलब्ध किसी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित किया जाता है.

कर्मचारी को अल्पावधि लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गईं सेवाओं के बदले कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले लाभ की बट्टा रहित रकम को उस वर्ष, जिसमें कर्मचारियों ने ऐसी सेवा प्रदान की हो, दर्शाया जाता है. इन लाभों में शामिल हैं, निष्पादन प्रोत्साहन और क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां जो, कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीनों के अंदर होने की संभावना होती हैं.

क्षतिपूर्त अल्पावधि अनुपस्थितियों की लागत को निम्नानुसार लेखाबद्ध किया गया है:

(क) संचित क्षतिपूर्त अनुपस्थितियों के मामले में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करें जिससे भावी क्षतिपूर्त अनुपस्थितियों की उनकी हकदारी बढ़े; और

(ख) गैर-संचई क्षतिपूर्त अनुपस्थितियों के मामले में, जब ऐसी अनुपस्थियां हों.

कर्मचारी को दीर्घावधि लाभ

ऐसी क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां जो, कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीनों के अंदर

होने की संभावना न हों, तुलन पत्र की तारीख को, जिन योजना आस्तियों के उचित मूल्य से दायित्व निपटाने की संभावना हो उसे घटाने के बाद परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है.

3.12. कराधान

आय कर खर्च, इस समय देय कर और आस्थगित कर का जोड़ दर्शाता है.

(i) वर्तमान कर

इस समय देय कर का निर्धारण, वर्ष के कर योग्य लाभ के आधार पर किया गया है. कर योग्य लाभ, लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए ' कर पूर्व लाभ ' से भिन्न होता है क्योंकि आय अथवा खर्च की कुछ मद, दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा काटने योग्य होती हैं और कुछ मद, कभी भी कर योग्य अथवा काटने योग्य नहीं होती हैं. कंपनी की वर्तमान कर का परिकलन करते समय कर संबंधी उन दरों का प्रयोग किया गया है जिनका अधिनियमन किया गया था अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत तक वास्तव में अधिनियमन किया गया.

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देयताओं के बही मूल्य और कर योग्य लाभ में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधार के बीच अस्थाई अंतर के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. आस्थगित कर देयताओं को, सामान्यत: सभी कर योग्य अस्थाई अंतर के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों को, सामान्यत: सभी काटने योग्य अस्थाई अंतर के रूप में उस हद तक लेखाबद्ध किया जाता है जिससे यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ इस तरह से उपलब्ध होंगे जिसके प्रति काटने योग्य अस्थाई अंतर का प्रयोग करना संभव हो.

अस्थाई करों को, ऐसे अस्थाई अंतर के संबंध में लेखाबद्ध किया जाता है जो करावकाश अवधि के दौरान उत्पन्न तो होते हैं लेकिन जिनका करावकाश अवधि के बाद प्रत्यावर्तन किया जाता है. इस प्रयोजन के लिए अस्थाई अंतर का प्रत्यावर्तन करते समय प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति का प्रयोग किया जाता है.

आस्थगित कर आस्तियों के बही मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में की जाती है और इसे उस हद तक घटाया जाता है जिससे कभी यह संभावना न बने कि तमाम आस्ति अथवा उसका अंश वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों का मापन, अधिनियमित अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत में वास्तव में अधिनियमित (और कर संबंधी कानूनों) कर संबंधी उन दरों के आधार पर किया जाता है जिनको उस अवधि में लागू करने की उम्मीद हो जिसमें देयता निपटाई जाए अथवा आस्ति की वसूली हो.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों के मापन से कर संबंधी ऐसी परिस्थितियां परिलक्षित होती हैं जिसमें कंपनी द्वारा यह उम्मीद की जाती है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में उसकी आस्तियों और देयताओं का बही मूल्य वसूल किया जाएगा अथवा उसका निपटान होगा.

आस्थगित कर आस्तियों में शामिल है, भारत में मौजूदा कर संबंधी कानून के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) जिसके चलते भावी आय कर देयता का मुजरा करने की उपलब्धता के रूप में भावी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना होती है. तदनुसार, MAT को तुलन पत्र में आस्थगित कर आस्ति के रूप में तब दर्शाया जाता है जब आस्ति का भरोसेमंद तरीके से मापन करना संभव हो और ऐसी संभावना हो कि आस्ति से जुड़े भावी आर्थिक लाभ अर्जित किए जाएंगे.

वर्ष का वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर, लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया गया है, सिवाय उन मदों को जिनको अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है, ऐसी सूरत में वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमश: अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है.

3.13. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE)

उत्पादन में अथवा वस्तुओं की आपूर्ति करने अथवा सेवाएं प्रदान करने अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की खातिर रखी गई भूमि और भवन को तुलन पत्र में, संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

उत्पादन, आपूर्ति अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए निर्माण के दौरान PPE को, लेखाबद्ध ह्रासित हानि को घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. आस्ति की लागत में समाविष्ट किया जाता है उसकी क्रय कीमत अथवा उसकी निर्माण लागत (लागू निवल कर जमा प्रविष्टियां).और आस्ति को उसके स्थान पर और उस स्थिति में लाने के लिए जिससे वह प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके से चलाना संभव हो, प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई लागत इसमें शामिल है, पेशेवर शुल्क और कंपनी की लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत अर्हक आस्तियों की उधार लागत. पूरा होने पर और अभिप्रेत उपयोग

के लिए तैयार होने पर इन संपत्तियों का PPE की उचित श्रेणी में वर्गीकरण किया जाता है. PPE की मद के उन अंशों को, जिसकी प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार विभिन्न उपयोगी अवधि हो और महत्वपूर्ण मूल्य हो और जिसे बाद में संपत्ति पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, संयंत्र और उपकरणों को अलग घटकों के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है.

PPE को संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

PPE का मूल्यह्रास करना तब शुरु किया जाता है जब आस्तियां, उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार हों.

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथा निर्दिष्ट विभिन्न आस्तियों के घटकों की उपयोगी आयु की तुलना में सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए PPE की उपयोगी आयु के आधार पर उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद PPE (पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों से भिन्न) की लागत पर मूल्यह्रास किया जाता है जब कि इसके लिए संयंत्र और उपकरणों के कुछ ऐसे घटक, अपवाद हैं जिनकी उपयोग आयु का निर्धारण, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और कर्मचारी वाहन तथा फर्नीचर योजना के लिए बनाई गई कंपनी की नीति के तहत उपयोगी आयु पर विचार किया जाता है.

अनुमानित उपयोगी आयु, अपशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर लेखाबद्ध किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है.

योजनाबद्ध शटडाउन के निमित्त ओवरहॉल और मरम्मत पर व्यय का, जिनका मूल्य उल्लेखनीय होता है (निर्दिष्ट आस्तियों के मूल्य का 5%), PPE के संबंधित मदों के घटक के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और इनका अगले शटडाउन तक सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास किया जाता है. उत्प्रेरक का, जिसकी आयु एक वर्ष से अधिक होती है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और उत्प्रेरक का उपयोग करने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा निर्दिष्ट गारंटीकृत उपयोगी आयु के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है.

संयंत्र अथवा उपकरण के साथ प्राप्त और निर्दिष्ट मशीनों की खातिर बाद में खरीदे गए बीमा संबंधी उन पुर्जों का, जिनका नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा, पूंजीकरण किया जाता है.

प्रमुख पूंजीगत अतिरिक्त पुर्ज़ों का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत इन अतिरिक्त पुर्जों पर मूल्यह्रास करना, तब से शुरु किया जाता है जब इन पुर्जों को सेवा में लगाया गया और उनकी उपयोगी अल्प आयु तक जारी रखते हुए उससे संबंधित आस्ति की शेष अपेक्षित उपयोगी आयु तक जारी रखा जाता है और अतिरिक्त पुर्ज़ें का ह्रासित मूल्य, जब कभी उसे बदला जाए, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

वर्ष के दौरान जोड़े गए/हटाए गए PPE पर मूल्यह्रास के लिए, जोडे गए/हटाए गए दिनांक के संदर्भ में यथानुपात आधार पर प्रावधान किया जाता है जब कि अधिकतम ₹ 5,000/ के कम मूल्य की मदें, (कर्मचारियों से संबंधित कंपनी क्रय योजना को छोड़कर) इसके लिए अपवाद हैं जिनको जोड़ते समय पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है.

आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1.	भवन	1-60
2.	संयंत्र और उपकरण - उत्प्रेरक	2-10
3.	संयंत्र और उपकरण - कंप्यूटर	3-7
4.	संयंत्र और उपकरण - लगातार चलने वाले प्रक्रिया संयंत्र, जिसे निर्दिष्ट उद्योगों में शामिल नहीं किया गया हो (तीन शिफ्ट)	7.5
5.	संयंत्र और उपकरण - इलेक्ट्रिकल/प्रयोगशाला/कैंटीन/ स्कूल	10
6.	संयंत्र और उपकरण - यंत्रीकरण: मद/ DCS/ अस्पताल/ अन्य	15
7.	संयंत्र और उपकरण - रिफाइनरी की आस्तियां	25
8.	संयंत्र और उपकरण - पाइपलाइनें/SPM/अपतट घटक/सिविल संरचना	30
9.	संयंत्र और उपकरण - विद्युत संयंत्र	40
10.	कार्यालय उपकरण	5
11.	फर्नीचर और जुड़नार	6-10
12.	वाहन	4-8

वित्तीय पट्टे के अधीन रखी गईं आस्तियों का उनकी अपेक्षित उपयोगी आयु में मूल्यह्रास उसी आधार पर किया जाता है जैसे स्वत: आस्तियों पर.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को, निपटाए जाने, बदले जाने पर अथवा जब आस्ति का लगातार उपयोग करने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की कोई संभावना न हो, कोई मान्यता नहीं दी जाती है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद का निपटाने करने अथवा उसे हटाए जाने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि का निर्धारण, बिक्री प्राप्तियों और आस्ति के बही मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाता है जिसे लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.14. अगोचर आस्तियां

3.14.1.अलग रूप से खरीदी गईं अगोचर आस्तियां

अलग रूप से खरीदी गईं निश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों को, संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि को घटाने के लिए लागत पर दर्शाया जाता है. परिशोधन को उनकी अनुमानित उपयोगी आयु पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. अनुमानित उपयोगी आयु और परिशोधन पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर लेखाबद्ध किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है. अलग रूप से खरीदी गईं अनिश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों को, कोई संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

3.14.2. अगोचर आस्तियों को स्वीकार न करना

अगोचर आस्ति को, निपटाए जाने, बदले जाने पर अथवा जब आस्ति का उपयोग करने पर अथवा उसे निपटाने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की संभावना न हो, कोई मान्यता नहीं दी जाती है. अगोचर आस्ति को मान्यता न देने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि को निवल निपटान प्राप्तियों और आस्ति के बही मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और आस्ति को मान्यता न दिए जाने पर उसे लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.14.3. अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

अगोचर आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3-10
2.	लाइसेंस और क्रयाधिकार	3

3.15. सुनाम से भिन्न गोचर और अगोचर आस्तियों का ह्रास

कंपनी, अपनी अगोचर आस्तियों और " नकद से उत्पन्न करने वाली यूनिट " (CGU) की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (प्रगति में पूंजीगत कार्य सहित) के बही मूल्य की समीक्षा करती है जिससे कि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या कोई ऐसा संकेत मिला है कि उन आस्तियों में ह्रासित हानि हुई है. अगर ऐसा कोई संकेत मिला हो तो ह्रासित हानि (कोई हो तो) की मात्रा तय करने के लिए वसूल करने योग्य आस्ति की रकम का आकलन किया जाता है. जब किसी प्रत्येक आस्ति की वसूल करने योग्य रकम का आकलन करना संभव न हो, तब कंपनी, नकद उत्पन्न करने वाली जिस यूनिट की आस्तियां हों, उस यूनिट की वसूल करने योग्य रकम का आकलन करती है.

वसूल करने योग्य रकम, निपटान लागत और उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य घटाने के बाद उच्चतम उचित मूल्य के बराबर होती है. उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य निर्धारण करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व बट्टा दर का उपयोग करते हुए उसके वर्तमान मूल्य तक घटाया जाता है, जो उस आस्ति के लिए, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह का समायोजन न किया गया हो, निर्दिष्ट धन और जोखिम के समय मूल्य का चालू बाजार निर्धारण परिलक्षित करता है.

अगर आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट) की वसूल करने योग्य रकम, उसके बही मूल्य से कम हो तो आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट) के बही मूल्य को उसकी वसूल करने योग्य रकम तक घटाया जाता है. ह्रासित हानि को फौरन लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

वर्ष में एक बार निर्धारण इसलिए किया जाता है कि यह देखा जा सके कि क्या कोई ऐसे संकेत हैं कि इससे पहले लेखाबद्ध की गईं ह्रासित हानियां अब नहीं हैं या कम हुई हैं. अगर पिछली बार लेखाबद्ध की गई ह्रासित हानि के बाद आस्ति की वसूल करने योग्य रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त आकलन में परिवर्तन हो तो ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन किया जाता है. अगर ऐसा हो और पूर्व वर्षों में आस्ति के मामले में ह्रासित हानि को पहचाना न होता तो, आस्ति के बही मूल्य को उसकी निम्नतर वसूल करने योग्य रकम तक और निवल मूल्यह्रास के बराबर निर्धारित बही मूल्य तक बढ़ाया जाता है. प्रत्यावर्तन के बाद, मूल्यह्रास प्रभार का, भावी अवधियों में समायोजन किया जाता है जिससे कि आस्ति की संशोधित बही मूल्य का, उसकी शेष उपयोगी आयु में व्यवस्थित ढंग से उसका अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद आबंटन किया जा सके. ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन करने पर उसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.16. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को परोक्ष पद्धति के सहारे रिपोर्ट किया जाता है जिसमें कर उपरांत लाभ का नकद रहित स्वरूप के, गत अथवा भावी प्रचालन नकदी प्राप्तियों अथवा भुगतान के किसी प्रकार के स्थगन अथवा उपचय और नकद प्रवाह में निवेश करने अथवा उसका वित्त पोषण करने से आय अथवा खर्च की मद से संबंधित लेन-देन के प्रभाव का समायोजन किया जाता है. नकदी प्रवाह का, प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों में पृथक्करण किया जाता है.

3.17. अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय

अनुसंधान और विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय का संबंधित अचल आस्तियों के अधीन पूंजीकरण किया गया है. उस पर राजस्व व्यय को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है.

3.18. स्टॉक

स्टॉक का मूल्यांकन, निम्नतर लागत और निवल वसूल करने योग्य मूल्य पर किया गया है. स्टॉक लागत में शामिल है, क्रय

लागत और स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तक और उनकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए उठाई गई अन्य लागत. लागत का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:-

कच्चा माल	प्रथम आवक प्रथम जावक (FIFO) आधार पर
तैयार उत्पाद	कच्ची सामग्री, रूपांतरण लागत और उत्पाद शुल्क पर
प्रक्रिया में स्टॉक	कच्चा माल और यथानुपात रूपांतरण लागत पर
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	भारित औसत लागत के आधार पर

3.19. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां.

जब समूह का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) हो तब गत घटना के परिणामस्वरूप प्रावधान को मान्यता दी जाती है, ऐसी सूरत में संभव है कि कंपनी को दायित्व निपटाना पड़े और दायित्व की रकम का भरोसेमंद आकलन किया जा सकता है.

प्रावधान के रूप में लेखाबद्ध रकम, दायित्व में अंतर्निहित जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल के बेहतरीन आकलन के बराबर होती है. जब वर्तमान दायित्व निपटाने की खातिर अनुमान लगाए गए नकदी प्रवाह का उपयोग करते हुए प्रावधान को मापा जाता है तब बही मूल्य, उस नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य बनता है(जब समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है).

जब आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव हो तब आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

जब तक आर्थिक लाभ के रूप में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना न हो, आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

3.20. वित्तीय लिखत

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब कंपनी, लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है.

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है. ऐसी लेन-देने लागत को, जो सीधे वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं (वित्तीय आस्तियों और देयताओं से भिन्न, उचित मूल्य पर, लाभ अथवा हानि के जरिए) के अधिग्रहण अथवा निर्गम के कारण उत्पन्न हुई हों, प्रारंभ में मान्यता देने पर यथोचित तरीके से वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा उचित मूल्य से काटा जाता है. ऐसी लेन-देने लागत को, जो सीधे वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण अथवा निर्गम के कारण उत्पन्न हुई हों, फौरन लाभ अथवा हानि में दर्शाया जाता है.

3.21. वित्तीय आस्तियां

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों को, वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर, बाद में पूरी तरह से या तो परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापा जाता है.

(i) नकद और नकदी समतुल्य

समूह, सभी अधिक अर्थ सुलभ वित्तीय लिखतों पर विचार करता है जिनका ज्ञात नकद में आसानी से रूपांतरण करना संभव हो और जिनका मूल्य बदलने पर जोखिम नगण्य हो और जिनकी क्रय तारीख से तीन महीनों की मूल परिपक्वता हो जो नकद में बदलने लायक हो. नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों के पास शेषराशि रहती है जिनका आहरण और उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है.

(ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय आस्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसके लिए प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग किया जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस मकसद से रखा गया हो जिसे हासिल करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है और इन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों से निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज के भुगतान के रूप में होते हैं.

(iii) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

इन आस्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए मापा जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस मकसद से रखा गया हो जिसे हासिल करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है, जिन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों से निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज के भुगतान के रूप में होते हैं.

(iv) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

जब तक उनको परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा न जा रहा हो,

वित्तीय आस्तियों को, उचित मूल्य पर लाभ अथवा हानि के जरिए मापा जाता है

(v) वित्तीय आस्तियों में ह्रास

कंपनी, प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को यह निर्धारण करती है कि क्या किसी वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय आस्तियों के समूह में ह्रास हुआ है या नहीं. Ind AS 109 में अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित क्रेडिट हानि को हानिपरक भत्ते के जरिए मापा जाए. कंपनी, व्यापार से प्राप्य रकम के मामले में जीवनपर्यंत अपेक्षित उन हानियों को लेखाबद्ध करती है जो वित्तीय लेन-देन के बराबर नहीं होती हैं. सभी अन्य वित्तीय आस्तियों के मामले में, अपेक्षित क्रेडिट हानियों को उस रकम पर मापा जाता है जो 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि अथवा उस रकम के बराबर हो जो जीवनपर्यंत अपेक्षित हानि के समान हों, बशर्ते कि वित्तीय आस्ति पर क्रेडिट जोखिम में, प्रारंभिक पहचान के बाद काफ़ी उल्लेखनीय बढ़त हुई हो.

(vi) वित्तीय आस्तियों को बही में न दर्शाना

कंपनी, वित्तीय आस्ति को तब मान्यता नहीं देती है जब आस्ति से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाएं अथवा जब वह वित्तीय आस्तियों को और आस्ति के स्वत्व से जुड़े तमाम जोखिमों और अधिनिर्णयों को किसी दूसरे पक्षकार के नाम हस्तांतरित करे.

वित्तीय आस्ति को पूरी तरह से मान्यता न देने पर आस्ति की बही मूल्य रकम और प्राप्त एवं प्राप्य प्रतिफल की रकम के बीच का अंतर, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.22. वित्तीय देयताएं और इक्विटी लिखत

3.22.1 इक्विटी लिखत

किसी भी ठेके में इक्विटी लिखत उसे कहते हैं जो अपनी तमाम देयताओं को काटने के बाद समग्र आस्तियों में अवशिष्ट हित का सबूत बनता है. कंपनी द्वारा निर्गमित इक्विटी लिखतों को प्राप्त प्राप्तियों पर दर्शाया जाता है. प्रत्यक्ष रूप से नए साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गमन के कारण उठाई गईं वृद्धिशील लागत को, इक्विटी से कटौती यानी निवल कर प्रभाव के रूप में दर्शाया जाता है.

3.22.2 वित्तीय देयताएं

क) वित्तीय गारंटी

जब कंपनी को अपनी नियंत्रक कंपनी से वित्तीय गारंटी मिले तब वह गारंटी शुल्क को उचित मूल्य पर मापता है. कंपनी, नियंत्रक कंपनी से प्राप्त वित्तीय गारंटी के लिए शुल्क के प्रारंभिक उचित मूल्य को " माना गया इक्विटी " के रूप में अभिलिखित करती है जब कि उसकी तदनुरूपी आस्ति को पूर्वदत्त गारंटी शुल्क के रूप में रेकॉर्ड करती है. ऐसे माने गए इक्विटी को तुलन पत्र में ' अन्य इक्विटी ' शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है. पूर्वदत्त गारंटी शुल्क को प्राप्त वित्तीय गारंटी की अवधि में लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

ख) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को उत्तरवर्ती लेखा अवधियों के अंत में परिशोधित लागत पर मापा जाता है. बाद में परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताओं के बही मूल्य का निर्धारण, प्रभावी ब्याज पद्धति पर किया जाता है. अगर ब्याज खर्च का आस्ति की लागत के अंग के रूप में पूंजीकरण न किया गया हो तो उसे ' वित्त लागत ' के अधीन दर्शाया जाता है.

ग) वित्तीय देयताओं को बही में न दर्शाना

कंपनी, वित्तीय देयताओं को किसी भी सूरत में तभी अमान्य करती है जब समूह का दायित्व निभाया गया हो, रद्द किया गया हो अथवा समाप्त हुआ हो. बहियों में दर्शाई वित्तीय देयता के बही मूल्य और प्रदत्त एवं देय प्रतिफल के बीच का अंतर, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.23. बीमा संबंधी दावे

आस्ति की पूरी तरह से हानि होने पर, बीमाकर्ता को सूचित करने पर, यातो आस्ति का बही मूल्य अथवा बीमा मूल्य (काटने लायक अतिशय रकम के अधीन), जो भी कम हो, बीमा कंपनी से वसूल करने योग्य दावे के रूप में माना जाएगा. अगर बीमा दावा, आस्ति के बही मूल्य से कम हो तो अंतर रकम को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

आंशिक अथवा अन्य हानियों के मामले में इन आस्तियों का दोबारा उपयोग करने लायक स्थिति में लाने की खातिर, अगर अन्य पक्षकार की देयता अथवा अन्य देयताएं हों तो (काटने लायक अतिशय रकम को घटाने के बाद) उनको चुकाने की दृष्टि से किए गए व्यय/भुगतान को बीमा कंपनी से प्राप्य दावे के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. बीमा पॉलिसी के निमित्त काटने लायक अतिशय रकम को उस वर्ष खर्च किया जाता है जिसमें तदनुरूपी व्यय किया गया हो.

जब कभी अंत में बीमा कंपनी से दावे प्राप्त हों, बीमा कंपनी से प्राप्य और प्राप्त दावे के बीच कोई अंतर हो तो उसका लाभ-हानि विवरण में समायोजन किया जाता है.

सभी अन्य दावों और प्रावधानों को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर दर्ज किया गया है.

3.24. पहली बार अपनाना - अनिवार्य अपवाद और वैकल्पिक अपवाद

3.24.1. समग्र सिद्धांत

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 (' संक्रमण दिनांक ') को Ind AS के अनुसार प्रारंभिक तुलन-पत्र तैयार करते समय, उन सभी आस्तियों और देयताओं को दर्शाया था जिनको Ind AS के अनुसार दर्शाना ज़रूरी नहीं था, आस्तियों अथवा देयताओं की उन मदों को नहीं दर्शाया था जिनको Ind AS के अनुसार दर्शाना आवश्यक नहीं था जब कि ऐसा करते समय पूर्व GAAP की मदों का Ind AS के अधीन वर्गीकरण किया गया और दर्शाई गईं आस्तियों और देयताओं का मापन Ind AS के अनुसार किया गया. लेकिन इस सिद्धांत के लिए कुछ अपवाद हैं और कुछ वैकल्पिक अपवाद हैं जिनको कंपनी ने नीचे बताए गए तरीके से अपनाया है.

3.24.2. वित्तीय आस्तियों और देयताओं को बही में न दर्शाना

कंपनी ने, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद हुए लेन-देनों के सिलसिले में वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को बहियों में उत्तर व्यापी प्रभाव से न दर्शाने की अपेक्षा की पूर्ति की है.

3.24.3. व्यावसायिक संयोजन

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 के लेन-देन दिनांक से पहले हुए व्यावसायिक संयोजन के मामले में Ind AS 103 को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू न करने का विकल्प चुना.

3.24.4. कर्ज लिखतों का वर्गीकरण

कंपनी ने कर्ज लिखतों का वर्गीकरण, परिशोधित लागत मानदंड के अनुसार, संक्रमण तारीख को मौजूद तथ्यों एवं परिस्थिति के आधार पर निर्धारित किया है.

3.24.5. वित्तीय आस्तियों में ह्रास

कंपनी ने ह्रास के संबंध में Ind AS 109 की अपेक्षा, संक्रमण दिनांक से उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू की है.

3.24.6. सरकारी ऋण

कंपनी ने उपलब्ध अपवाद लागू किया गया है और तदनुसार सरकारी ऋणों से संबंधित रकम, संक्रमण दिनांक को पूर्व GAAP के अधीन बही मूल्य पर दर्शाई है.

3.24.7. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों की मानी गई लागत

कंपनी ने, पूर्व GAAP के अनुसार मापे गए 1 अप्रैल को दर्शाई गई अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों का बही मूल्य जारी रखना और बही मूल्य को, संक्रमण दिनांक को अपनी मानी गई लागत रूप में उपयोग करने का विकल्प चुना है.

3.24.8. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

कंपनी ने, सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों में अपना निवेश, मानी गई लागत पर, जो संक्रमण दिनांक को पूर्व GAAP के तहत बही मूल्य की रकम है, करने का विकल्प चुना है.

3.24.9. यह निर्धारित करना कि क्या व्यवस्था में कोई पट्टा है

कंपनी ने संक्रमण दिनांक को, उस दिन मौजूद तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर Ind AS 17 " यह निर्धारण करना कि क्या व्यवस्था में कोई पट्टा है ' के परिशिष्ट **ग** लागू किया है.

3.24.10. दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें

कंपनी ने वही लेखा नीति अपनाई है जो, 31 मार्च, 2016 को दर्शाई गईं दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रूपांतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर को लेखाबद्ध करने के लिए पूर्व GAAP के अनुसार अपनाई गई.

3.24.11. बिक्री के लिए धारित अप्रचलित आस्तियां

कंपनी ने बिक्री के लिए धारित अप्रचलित आस्तियों को निम्नतर बही मूल्य और उचित मूल्य पर मापा है जिससे कि उनको संक्रमण दिनांक को Ind AS 105 के अनुसार बेचा जा सके.

4. लेखाकरण के बारे में नाजुक फ़ैसले, परिकल्पनाएं और आकलन के महत्वपूर्ण स्रोत

जैसे कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय अपनाई गईं लेखा नीतियों को लागू करते समय यह बात अंतर्निहित है कि प्रबंधन को ऐसे फ़ैसले,

आकलन करने पड़ेंगे और परिकल्पनाएं करनी पड़ेंगी जो रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की रकम, आकस्मिक आस्तियों और देयताओं का प्रकटन, राजस्व एवं खर्च की रिपोर्ट की गई रकम को प्रभावित करे. वास्तविक परिणाम, किए गए आकलन और परिकल्पनाओं से भिन्न हो सकते हैं.

आकलन और उसकी अंतर्निहित परिकल्पनाओं की, अविरत आधार पर समीक्षा की जाती है. लेखाकरण संबंधी आकलन में किए गए संशोधन को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें आकलन में संशोधन किया गया हो जो भावी अवधि को प्रभावित करती है.

वित्तीय विवरण तैयार करते समय फैसला, परिकल्पनाएं और आकलन करने में अनिश्चितता के महत्वपूर्ण स्रोत, जिसकी बदौलत, अगले वित्तीय वर्ष के अंदर आस्तियों एवं देयताओं के बही मूल्य में महत्वपूर्ण समायोजन करने की नौबत आए, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की उपयोगी आयु, कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व, आय कर के लिए प्रावधान एवं आस्थगित कर आस्तियों के संबंध में होते हैं.

4.1. लेखा नीतियां लागू करते समय नाज़ुक फ़ैसले करना

नीचे दिए गए फ़ैसले, आकलन से जुड़े फ़ैसलों के अलावा महत्वपूर्ण हैं, (देखें टिप्पणी 4.2), प्रबंधन को, कंपनी की ऐसी लेखा नीतियां लागू करते समय, जिनका वित्तीय विवरणों में दर्शाई गईं रकम पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़े, नीचे उल्लिखित नाज़ुक फ़ैसले करने पड़ेंगे.

(क) कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण

प्राथमिक आर्थिक माहौल में ऐसी मुद्रा जिसमें कंपनी, अपना काम चलाती है (" कार्यात्मक मुद्रा "), भारतीय रुपया है (₹) जिसमें कंपनी, मूल रूप से नकद उत्पन्न कर खर्च करती है. तदनुसार, प्रबंधन ने तय किया है कि उसकी कार्यात्मक मुद्रा होगी, भारतीय रुपया (₹)

4.2. आकलन में अनिश्चितता की परिकल्पनाएं और महत्वपूर्ण संसाधन

ऐसे आकलन और परिकल्पनाओं के बारे में सूचना, जिनका आस्तियों, देयताओं, आय और खर्च को दर्शाने और मापने पर उल्लेखनीय प्रभाव होता है, नीचे दी गई है. वास्तविक परिणाम, इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं.

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

प्रबंधन, PPE और अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु के बारे में अपने आकलन की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्ट तारीख को, आस्तियों की खपत से मिलने वाले भावी आर्थिक लाभ के आधार पर करता है.

ख) परिभाषित लाभ के प्रति दायित्व (DBO)

प्रबंधन का DBO का आकलन, अंतर्निहित नाजुक परिकल्पनाओं की संख्या पर आधारित है जैसे मुद्रास्फ़ीति का मानक दर, चिकित्सा लागत की प्रवृत्तियां, मृत्यु-दर, बट्टा दर और भविष्य में प्रत्याशित वेतन वृद्धि. इन परिकल्पनाओं में घट-बढ़ हो सकती है जिसका DBO की रकम और वार्षिक परिभाषित लाभ संबंधी खर्च पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है.

ग) आय कर के लिए प्रावधान

अनिश्चित कर देयताओं के संबंध में अदा/वसूल की जाने वाली रकम सहित आय करों के लिए प्रावधान तय करने से जुड़े उल्लेखनीय फ़ैसले लेने पड़ते हैं.

घ) आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध करना

जिस हद तक आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध किया जा सकता है उसका निर्धारण कंपनी की उस भावी कर योग्य आय की संभावनाओं पर निर्भर होता है जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करना संभव हो. इसके अलावा, कानूनी अथवा आर्थिक सीमाओं अथवा अनिश्चितताओं के प्रभाव का निर्धारण करते समय काफ़ी बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे.

5 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

इनका बही मूल्य:	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	17.65	17.65	17.65
पट्टाधृत भूमि **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी क और ख)**	253.26	253.26	249.97
भवन	2,893.52	2,464.47	2,451.77
संयंत्र और उपकरण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी ग]**	138,073.07	145,942.99	137,314.33
फर्नीचर और जुड़नार	311.49	94.17	90.68
वाहन	18.47	14.35	14.77
कार्यालय उपकरण	13.96	19.48	25.06
कुल	**141,581.42**	**148,806.37**	**140,164.23**

लागत अथवा मानी गई लागत	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**17.65**	**249.97**	**2,451.77**	**137,314.33**	**90.68**	**14.77**	**25.06**	**140,164.23**
जोड़ें: परिवर्धन	-	3.29	149.40	15,576.32	19.36	4.65	0.02	15,753.04
घटाएं: आस्तियों का निपटान / समायोजन / हस्तांतरण	-	-	-	3.80	0.44	1.75	0.35	6.34
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**17.65**	**253.26**	**2,601.17**	**152,886.85**	**109.60**	**17.67**	**24.73**	**155,910.93**
जोड़ें: परिवर्धन	-	-	581.16	(1,233.24)	251.94	7.76		(392.38)
घटाएं: आस्तियों का निपटान / समायोजन / हस्तांतरण	-	-	-	56.51	0.61	0.02	1.16	58.30
31 मार्च, 2017 को शेषराशि	**17.65**	**253.26**	**3,182.33**	**151,597.10**	**360.93**	**25.41**	**23.57**	**155,460.25**

परिशोधित मूल्यह्रास	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
जोड़ें: मूल्यह्रास संबंधी खर्च	-	-	136.70	6,943.86	15.43	3.32	5.25	7,104.56
घटाएं: आस्तियों का निपटान/ समायोजन / हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**-**	**-**	**136.70**	**6,943.86**	**15.43**	**3.32**	**5.25**	**7,104.56**
जोड़ें: मूल्यह्रास संबंधी खर्च	-	-	152.11	6,580.17	34.01	3.62	4.36	6,774.27
31 मार्च, 2017 को शेषराशि	**-**	**-**	**288.81**	**13,524.03**	**49.44**	**6.94**	**9.61**	**13,878.83**

क इन पट्टाधृत भूमियों को, वित्त पट्टा के रूप में माना जाता है क्योंकि पट्टा अवधि के अंत में स्वत्व को कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाएगा. इन पट्टाधृत भूमियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

ख पट्टाधृत भूमियों में शामिल है ऐसी भूमि जिसकी रकम है ₹ 28.82 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 28.82 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 28.82 दशलक्ष),जो कंपनी के कब्जे में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा संबंधी विलेख अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं.

ग संयंत्र और उपकरण में शामिल है ₹ 39.15 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 39.15 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 39.15 दशलक्ष),जो किसी दूसरी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली आस्ति में कंपनी का हिस्सा है.

5.1 कंपनी ने, Ind AS 101 'भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना' के परिच्छेद D7AA के अनुसार पूर्व GAAP के अनुसार मापे गए 1 अप्रैल 2015 को दर्शाई गई अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों का बही मूल्य जारी रखना और बही मूल्य को, संक्रमण दिनांक को अपनी मानी गई लागत रूप में उपयोग करने का विकल्प चुना है **[देखें टिप्पणी 3.24.7].** 1 अप्रैल, 2015 को मानी गई लागत को उधार पर अपरिशोधित लेन-देन लागत तक और घटाया गया है जिसका इससे पहले संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के साथ पूंजीकरण किया गया था.

5.2 जमानत के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार और ऋण के लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है. संघीय बैंक से लिए गए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टॉक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य व्यापार रकमों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेके, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी, दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और आगे, कंपनी की, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है **[देखें टिप्पणी 21].**

5.3 विदेशी विनिमय में अंतर और पूंजीकृत उधार लागत

विदेशी मुद्रा अंतर के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में किए गए परिवर्धन में शामिल है ₹ (766.49) दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2,406.17 और पूंजीकृत उधार लागत शून्य रही (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 124.17 दशलक्ष) आस्ति वार परिवर्धन के ब्यौरे यहां नीचे प्रकट किए गए हैं:-

वर्ष	**31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए**		**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए**	
आस्ति की श्रेणी	**विनिमय में अंतर**	**उधार लागत**	**विनिमय में अंतर**	**उधार लागत**
भवन	(7.97)	-	18.17	2.11
संयंत्र और उपकरण	(758.52)	-	2,388.00	122.06
कुल	**(766.49)**	**-**	**2,406.17**	**124.17**

5.4 पूंजीकरण के लिए योग्य उधार लागत की रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त दर शून्य रही (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए 6.94 %) जो उधार पर प्रभावी ब्याज दर है.

5.5 पूर्व GAAP के अंतर्गत, कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को संयंत्र और उपकरण के बही मूल्य की रकम ₹ 138,226.10 दशलक्ष के रूप में दर्शाया. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II की अपेक्षाओं की पूर्ति करने की खातिर ₹ 499.67 दशलक्ष का समायोजन किया. इसी रकम को, 1 अप्रैल, 2015 को प्रतिधारित अर्जन के प्रति तदनुरूपी समायोजन के साथ संयंत्र और उपकरण की प्रारंभिक शेषराशि के रूप में लिया गया है. तदनुसार, ₹ 137,726.43 दशलक्ष (₹ 138,226.10 दशलक्ष घटाएं ₹ 499.67 दशलक्ष) को संक्रमण दिनांक को मानी गई लागत रूप में लिया गया है. इस समायोजन के कारण आस्थगित कर पर ₹ 172.93 दशलक्ष का असर पड़ा.

5.6 कंपनी, कुछ आर्थिक लाभ के लिए पात्र हैं जैसे पूर्व वर्षों में पूंजीगत वस्तुओं के आयात/स्थानीय खरीदारी पर ₹ 3,622.28 दशलक्ष तक की रकम के लिए प्रवेश कर, उत्पाद शुल्क आदि से छूट. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मूल्य में पूर्वव्यापी प्रभार समायोजन नहीं किया है क्योंकि ये मद, Ind AS 20 में यथा परिभाषित सरकारी अनुदान के बदले सरकारी सहायता के रूप में हैं.

6. प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP)

लागत अथवा मानी गई लागत	**यथा 31 मार्च, 2017**	**यथा 31 मार्च, 2016**	**यथा 1 अप्रैल, 2015**
पट्टाधृत भूमि	717.86	717.86	717.86
भवन	352.25	454.78	388.26
संयंत्र और उपकरण	1,128.63	709.62	12,720.48
कुल	**2,198.74**	**1,882.26**	**13,826.60**

6.1 CWIP में किए गए परिवर्धन में शामिल है, विनिमय में अंतरण के निमित्त शून्य रकम (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 5.26 दशलक्ष) और इसमें शामिल है उधार लागत जो ₹ शून्य है (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2.61 दशलक्ष) जिसका विभिन्न श्रेणी के आस्तियों में आबंटन किया गया है. पूंजीकरण के लिए योग्य उधार लागत की रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त दर शून्य रही (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए 6.94 %) जो उधार पर प्रभावी ब्याज दर है.

6.2 निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत मूल्यह्रास के संबंध में CWIP में शामिल की गई रकम शून्य है (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए , ₹ 0.42 दशलक्ष).

6.3 कंपनी ने, Ind AS 101 'भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना' के परिच्छेद D7AA के अनुसार पूर्व GAAP के अनुसार मापे गए 1 अप्रैल 2015 को दर्शाई गई अपनी CWIP का बही मूल्य जारी रखना और बही मूल्य को, संक्रमण दिनांक को अपनी मानी गई लागत रूप में उपयोग करने का विकल्प चुना **है [देखें टिप्पणी 3.24.7].**

7 सुनाम

विवरण	रकम
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**4.04**
घटाएं: ह्रास	-
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**4.04**
घटाएं: ह्रास	-
31 मार्च, 2017 को शेषराशि	**4.04**

7.1 सुनाम, नाइट्रोजन संयंत्र का अधिग्रहण करने की खातिर निवल आस्तियों पर प्रदत्त अतिशय प्रतिफल दर्शाता है.

7.2 कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 के संक्रमण दिनांक से पहले हुए नाइट्रोजन संयंत्र के अधिग्रहण के मामले में Ind AS 103 ' व्यावसायिक संयोजन ' को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू न करने का विकल्प **चुना [देखें टिप्पणी 3.24.3].**

8. अन्य अगोचर आस्तियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	20.40	0.81	1.38
कुल	**20.40**	**0.81**	**1.38**

लागत अथवा मानी गई लागत	रकम
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**1.38**
जोड़ें: परिवर्धन	-
घटाएं: निपटान/समायोजन/हस्तांतरण	-
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**1.38**
जोड़ें: परिवर्धन	24.49
घटाएं: निपटान/समायोजन/हस्तांतरण	-
31 मार्च, 2017 को शेषराशि	**25.87**

संचित परिशोधन	रकम
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**-**
जोड़ें: परिशोधन खर्च	0.57
घटाएं: निपटान/समायोजन/हस्तांतरण पर हटाए गए	-
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**0.57**
जोड़ें: परिशोधन खर्च	4.90
घटाएं: निपटान/समायोजन/हस्तांतरण पर हटाए गए	-
31 मार्च, 2017 को शेषराशि	**5.47**

8.1 कंपनी ने, Ind AS 101 'भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना' के परिच्छेद D7AA के अनुसार, पूर्व GAAP के अनुसार मापे गए 1 अप्रैल 2015 को दर्शाई गई अपनी अन्य अगोचर आस्तियों का बही मूल्य जारी रखने और बही मूल्य को, संक्रमण दिनांक को अपनी मानी गई लागत रूप में उपयोग करने का विकल्प चुना है **[देखें टिप्पणी 3.24.7].**

9. निवेश

9.1 इक्विटी लिखतों में निवेश

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	संख्या दशलक्ष में	रकम	संख्या दशलक्ष में	रकम	संख्या दशलक्ष में	रकम
(i) सहायक कंपनी में निवेश						
(क) ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (कोट न किए गए - पूर्णत: प्रदत्त) (अंकित मूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर)	957.62	13,346.23	957.62	13,346.23	957.62	13,346.23
(ii) संयुक्त उद्यमों में निवेश						
(क) शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (कोट न किए गए पूर्णत: प्रदत्त) (अंकित मूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर)	15.00	150.00	15.00	150.00	15.00	150.00
(ख) मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (लागत पर) (कोट न किए गए पूर्णत: प्रदत्त) (अंकित मूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर)	-	-	0.05	0.50	0.05	0.50
(iii) निवेश						
(ख) मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (उचित मूल्य पर) (कोट न किए गए पूर्णत: प्रदत्त) (अंकित मूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर)	0.02	0.19	-	-	-	-
कुल निवेश		**13,496.42**		**13,496.73**		**13,496.73**
कोट न किए गए निवेश का कुल बही मूल्य		**13,496.42**		**13,496.73**		**13,496.73**
निवेश में ह्रास की कुल रकम		-		-		-

9.1.1 समूह ने, Ind AS 101 के परिच्छेद D15(ख)(ii) के अनुसार पूर्व GAAP के अनुसार मापे गए सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश का बही मूल्य जारी रखने और Ind AS के परिच्छेद D15(b)(ii) के अनुसार उसका 1 अप्रैल, 2015 के संक्रमण दिनांक को उपयोग करने का विकल्प चुना है.

9.1.2 ONGC पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में शेयरों के विनिवेश पर लगाए गए प्रतिबंध, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुमोदन मिलने पर लागू होंगे.

9.1.3 शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ़्यूएल्स एण्ड सर्वीसेस लि. और मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड में शेयरों के विनिवेश पर लगाए गए प्रतिबंध, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुमोदन मिलने पर लागू होंगे.

9.1.4 **सहायक कंपनी के ब्यौरे**

सहायक कंपनी का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और प्रधान व्यवसाय स्थान	स्वत्व हित का अनुपात / कंपनी द्वारा धारित मताधिकार		
			यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
(क) ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	पेट्रोकेमिकल्स	भारत	51.00%	51.00%	51.00%

सहायक कंपनी में निवेश को लेखाबद्ध करने लिए अपनाई पद्धति के बारे में जानने के लिए **देखें टिप्पणी 3.4**

9.1.5 संयुक्त उद्यम के ब्यौरे

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और प्रधान व्यवसाय स्थान	स्वत्व हित का अनुपात / धारित मताधिकार		
			यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
(क) शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	विमानन ईंधनों का व्यापार	भारत	50.00%	50.00%	50.00%
[ख] मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड	पेट्रोलियम उत्पादों का रीटेल आउटलेट और परिवहन टर्मिनल के जरिए वितरण	भारत	-	49.98%	49.98%

सहायक कंपनी में निवेश को लेखाबद्ध करने लिए अपनाई पद्धति के बारे में जानने के लिए **देखें टिप्पणी 3.4**

9.1.6 **निवेश के ब्यौरे**

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और प्रधान व्यवसाय स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वत्व हित का अनुपात / धारित मताधिकार		
			यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
[ख] मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड	पेट्रोलियम उत्पादों का रीटेल आउटलेट और परिवहन टर्मिनल के जरिए वितरण	भारत	18.98%	-	-

वर्ष के दौरान, कंपनी ने MRSL में अपने हिस्से में से 31% इक्विटी शेयर बेचे जिसके परिणामस्वरूप MRSL पर संयुक्त नियंत्रण खोना पड़ा. 31 मार्च, 2017 को, MRSL में निवेश को लाभ-हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा गया है. प्रबंधन ने ऐसे निवेश के उचित मूल्य को (स्तर 3 के सोपान पर), प्रत्येक रिपोर्ट अवधि पर बही मूल्य के समतुल्य माना है.

10. ऋण

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
(जमानत रहित, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)						
(क) जमाराशियाँ						
संबंधित पक्षकारों के पास:	12.68	-	12.68	-	5.27	-
ग्राहकों के पास						
- संदिग्ध समझे गए	-	4.40	-	6.84	-	6.87
घटाएं: संदिग्ध जमाराशियों के निमित्त ह्रास	-	4.40	-	6.84	-	6.87
	-	-	-	-	-	-
विक्रेताओं के पास	100.42	4.98	109.06	6.00	108.35	5.36
	113.10	**4.98**	**121.74**	**6.00**	**113.62**	**5.36**
(ख) कर्मचारियों को दिए गए ऋण	301.89	55.17	258.80	47.45	254.71	43.55
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के निमित्त ह्रास	-	0.81	-	0.81	-	0.81
	301.89	**54.36**	**258.80**	**46.64**	**254.71**	**42.74**
(ग) निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋण	0.99	0.24	1.23	0.24	0.26	0.04
कुल	**415.98**	**59.58**	**381.77**	**52.88**	**368.59**	**48.14**

11. अन्य वित्तीय आस्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
(जमानत रहित, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)						
(क) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपचित ब्याज	68.74	0.42	46.66	-	34.94	-
(क) बैंक जमाराशियां पर ऐसा ब्याज जो उपचित हुआ हो परंतु देय न हो	-	111.23	-	1,698.66	-	1,546.15
(ग) बीमा कंपनी से प्राप्य दावे	-	0.05	-	0.05	-	0.05
(घ) अन्य से प्राप्य	-	3,033.27	-	-	-	-
कुल	**68.74**	**3,144.97**	**46.66**	**1,698.71**	**34.94**	**1,546.20**

12. कर आस्तियां/ (देयताएं)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कर आस्तियां (क)						
(i) अग्रिम कर	45,296.13	-	34,324.10	-	32,729.76	-
(ii) प्रदत्त विवादग्रस्त आय कर	3,994.28	-	3,373.70	-	2,579.25	-
कर देयताएँ (ख)						
आय कर	44,714.92	447.87	33,069.22	-	30,754.41	-
कुल (क-ख)	**4,575.49**	**(447.87)**	**4,628.58**	**-**	**4,554.60**	**-**

13. अन्य आस्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(जमानत रहित, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)						
(i) पूंजीगत अग्रिम						
- संबंधित पक्षकारों को	980.61	-	904.50	-	80.00	-
- अन्य पक्षकारों को	5,938.05	-	737.15	-	718.14	-
- अन्य पक्षकारों को: संदिग्ध समझे गए	-	-	3.40	-	3.40	-
घटाएं: संदिग्ध पूंजीगत अग्रिमों के निमित्त ह्रास	-	-	3.40	-	3.40	-
	6,918.66	**-**	**1,641.65**	**-**	**798.14**	**-**
(ii) जमाराशियाँ						
सीमा शुल्क प्राधिकरण/पोर्ट ट्रस्ट आदि के पास	378.73	-	378.73	-	378.73	**-**
(iii वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम						
संबंधित पक्षकारों से	-	10.22	-	26.00	-	20.26
अन्य पक्षकारों से	-	1,127.52	-	573.01	-	1,055.79
	-	**1,137.74**	**-**	**599.01**	**-**	**1,076.05**
(iv सरकारी प्राधिकरण के पास शेषराशि	**-**	1,566.97	**-**	3,513.41	**-**	5,706.08
(v) पूर्व भुगतान						
पट्टाधृत भूमि	6.73	0.08	6.81	0.08	6.88	0.08
गारंटी शुल्क	-	-	-	7.68	7.68	18.37
अन्य	381.64	100.90	252.38	86.94	260.73	85.08
	388.37	**100.98**	**259.19**	**94.70**	**275.29**	**103.53**
(vi सोने के सिक्के	**-**	**0.91**	**-**	**0.91**	**-**	**0.94**
कुल	**7,685.76**	**2,806.60**	**2,279.57**	**4,208.03**	**1,452.16**	**6,886.60**

14. स्टॉक

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	रकम	कुल	रकम	कुल	रकम	कुल
कच्चा माल						
(क) हाथ में	13,162.94		9,053.33		6,383.37	
[ख] मार्ग में	6,938.24	20,101.18	6,013.76	15,067.09	4,785.51	11,168.88
प्रक्रिया में स्टॉक		4,517.38		3,185.52		3,757.27
तैयार माल	12,464.28		10,913.11		17,173.02	
घटाएं: स्टॉक हानि के लिए प्रावधान	5.91	12,458.37	5.91	10,907.20	5.91	17,167.11
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे						
(क) हाथ में	3,272.12		2,742.54		1,765.06	
[ख] मार्ग में	126.45		150.33		223.21	
घटाएं: ऐसे स्टॉक के निमित्त ह्रास जिनका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है/जो बेकार पड़े हैं	85.48	3,313.09	85.48	2,807.39	85.48	1,902.79
कुल		**40,390.02**		**31,967.20**		**33,996.05**

14.1 लगातार चलते रहे प्रचालन के संबंध में वर्ष के दौरान खर्च के रूप में दर्शाई गई स्टॉक लागत (बिक्री लागत) ₹ 385,732.81 दशलक्ष रही (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 368,305.20 दशलक्ष).

14.2 स्टॉक की मूल्यांकन पद्धति के बारे में जानकारी **टिप्पणी 3.18** में दी गई है.

15. प्राप्य व्यापार राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
जमानती (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 15.4)			
- शोध्य समझे गए	363.08	318.20	515.50
गैर जमानती			
- शोध्य समझे गए	25,848.56	23,634.27	23,166.13
- संदिग्ध समझे गए	1,714.71	1,468.95	1,091.16
घटाएं: प्राप्य संदिग्ध रकम के निमित्त ह्रास	1,714.71	1,468.95	1,091.16
कुल	**26,211.64**	**23,952.47**	**23,681.63**

15.1 सामान्यत:, कंपनी, मुद्दती ठेकों और हाजिर अंतर्राष्ट्रीय टेंडरों और एसईज़ड् ग्राहकों को आपूर्तियों के जरिए उत्पादों का निर्यात करने के अलावा देशी बिक्री के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ दीर्घावधि बिक्री व्यवस्था करती है. बिक्री पर औसत क्रेडिट अवधि 7 से 45 दिन तक होती है. बीजक दिनांक से लागू क्रेडिट अवधि तक प्राप्य व्यापार रकम पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है. अगर भुगतान करने में विलंब हो तो संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार ब्याज वसूल किया जाता है जो बकाया शेषराशि पर लागू बैंक दर पर 3% प्रति वर्ष तक होता है.

15.2 प्राप्य व्यापार राशियों में से 31 मार्च, 2017 को ₹ 24,308.83 दशलक्ष(31 मार्च, 2016 को ₹ 21,531.97 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 23,180.40 दशलक्ष) की शेषराशि, नीचे उल्लिखित ग्राहकों से देय है. दूसरे ऐसे कोई ग्राहक नहीं हैं जिनसे नीचे उल्लिखित से भिन्न, प्राप्य व्यापार शेषराशि के 5%से अधिक रकम देय हो.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
ग्राहक 1	6,239.93	5,072.24	6,988.58
ग्राहक 2	9,070.12	6,870.70	5,986.25
ग्राहक 3	3,425.16	2,415.33	2,055.91
ग्राहक 4	1,903.24	4,693.62	1,483.65
ग्राहक 5	1,695.95	2,480.08	4,559.04
ग्राहक 6	-	-	2,106.97
ग्राहक 7	1,974.43	-	-
कुल	**24,308.83**	**21,531.97**	**23,180.40**

15.3 सामान्यत:, कंपनी, अपने ग्राहकों से प्राप्य सभी रकम, लागू क्रेडिट अवधि के अंदर ही वसूल करती है. कंपनी, प्रत्येक लेन-देन से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अपने तमाम ग्राहकों से प्राप्य व्यापार रकम पर ह्रास का निर्धारण करती है.

15.4 ग्राहकों से प्राप्त बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत.

15.5 कंपनी का, ऋण देने में निहित जोखिम का सांद्रण इस कारण है कि कंपनी को, ग्राहकों से **टिप्पणी 15.2** में बताए गए तरीके से काफ़ी हद तक रकम प्राप्त होनी है लेकिन ये ग्राहक, प्रतिष्ठित हैं और साख पात्र हैं.

15.6 प्राप्य व्यापार राशियों की उम्र

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
क्रेडिट अवधि के अंदर	25,958.23	20,586.55	22,768.11
1-30 दिन बीत गए हैं, देय दिनांक से	276.24	2,911.84	619.80
31-90 दिन बीत गए हैं, देय दिनांक से	135.07	639.84	394.00
90 दिन से अधिक दिन बीत गए हैं, देय दिनांक से	1,556.81	1,283.19	990.88

15.7 प्राप्य संदिग्ध रकम के निमित्त ह्रास का चलन

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	1,468.95	1,091.16
जोड़ें: अपेक्षित क्रेडिट हानि के प्रावधान में परिवर्धन	302.80	378.49
घटाएं: पुनर्वर्गीकरण/अन्य समायोजन	57.04	0.70
वर्ष के अंत में शेषराशि	**1,714.71**	**1,468.95**

16. नकद और नकदी समतुल्य

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
बैंकों में शेषराशि			
चालू खाते	0.95	1.03	3.24
3 महीनों की मूल परिपक्वता के साथ बैंक जमाराशियाँ	2,330.00	13,540.00	13,665.92
हाथ में नकद	0.71	0.04	0.84
कुल	**2,331.66**	**13,541.07**	**13,670.00**

8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान धारित और लेन-देन किए गए निर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) के ब्यौरे यहां नीचे की तालिका में दिए गए हैं:-

(सारी रकम ₹ में है)

विवरण	SBN's #	अन्य मूल्यवर्ग के नोट	कुल
08.11.2016 को हाथ में अंतिम नकद	947,500.00	54,058.00	1,001,558.00
(+) अनुमत प्राप्तियाँ	11,219,500.00	10,524,399.00	21,743,899.00
(-) अनुमत भुगतान	-	32,725.00	32,725.00
(-) बैंक में जमा की गई रकम	12,167,000.00	10,161,329.00	22,328,329.00
30.12.2016 को हाथ में अंतिम नकद	**-**	**384,403.00**	**384,403.00**

इस खंड के प्रयोजन के लिए, ' निर्दिष्ट बैंक नोट ' का वही अभिप्राय है जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3407(ई),, दिनांक 8 नवंबर, 2016 में दिया गया है.

17. अन्य बैंक शेषराशि

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
3 महीनों से अधिक परंतु 12 महीनों तक की मूल परिपक्वता के साथ बैंक जमाराशियाँ **[देखें टिप्पणी 17.1]**	2,755.46	108,439.09	58,019.61
धारणाधिकार के अधीन अन्य बैंक जमाराशियां	9,370.60	6,958.21	30,864.62
डिबेंचर खाते पर अदावी ब्याज **[देखें टिप्पणी 17.2]**	0.01	0.19	0.19
अदावी लाभांश खाता **[देखें टिप्पणी 17.3]**	74.70	101.24	124.49
निर्बंधित बैंक शेषराशि **[देखें टिप्पणी 17.4]**	6,766.88	8,078.42	-
कर्मचारी हितकारी निधि के लिए निर्बंधित बैंक शेषराशि	9.14	8.15	7.27
कुल	**18,976.79**	123,585.30	**89,016.18**

17.1 कंपनी द्वारा बैंकों में रखी गईं जमाराशियों में शामिल हैं, आवधिक जमाराशियाँ, जिनका कोई पूर्व नोटिस दिए बगैर अथवा मूल धनराशि पर कोई दंड दिए बगैर किसी भी समय आहरण किया जा सकेगा.

17.2 डिबेंचरों पर अदावी ब्याज खाते में जमा की गई रकम, ब्याज का भुगतान करने के लिए उद्दिष्ट की गई है, जिसका किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

17.3 अदावी लाभांश खाते में जमा की गई रकम, लाभांश का भुगतान करने के लिए उद्दिष्ट की गई है, जिसका किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

17.4 निर्बंधित बैंक शेषराशि, बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में आहरित अप्रयुक्त पूंजीगत व्यय निधि के बराबर है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज अर्जित न करने वाले खाते में रखा गया है जिसका निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही उपयोग किया जा सकेगा.

18. बिक्री के लिए धारित अप्रचलित आस्तियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि **[देखें टिप्पणी 18.1]**	77.96	77.96	77.96
अन्य **[देखें टिप्पणी 18.2]**	-	-	-
कुल	**77.96**	**77.96**	**77.96**

18.1 वर्ष 2007 में बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर, कंपनी, अप्रयुक्त पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वर्गीकरण करती रही है जिनको '' चालू आस्तियाँ '' के अधीन '' बिक्री के लिए धारित आस्तियाँ '' के रूप में निपटान किया जाएगा. कंपनी, पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का अपने व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करते के बजाय अगले बारह महीनों में निपटाने का इरादा रखती है. कंपनी, संभावित खरीदारों की तीव्रता से खोज रही है. 31 मार्च, 2017 को, पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वर्गीकरण करने पर ह्रासित हानि को लेखाबद्ध नहीं किया गया क्योंकि कंपनी को यह अंदेसा है कि बेचने के लिए लगने वाली लागत घटाने के बाद उचित मूल्य की मात्रा (एक ही प्रकार के स्थानों में एक ही प्रकार संपत्तियों की हाल की बाजार कीमतों के आधार पर किया गया आकलन) बही मूल्य से अधिक होगी.

18.2 बिक्री के लिए धारित आस्तियों में शामिल हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनका पूरी तरह से मूल्यह्रास नहीं किया गया है.

19. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
प्राधिकृत शेयर पूँजी			
प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2016 को: प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर; 1 अप्रैल 2015 को: प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000इक्विटी शेयर)	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**
प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2016 को: प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 अधिमान शेयर; 1 अप्रैल 2015 को: प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 अधिमान शेयर)	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
निर्गमित और अभिदत्त:			
प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर	17,525.99	**17,525.99**	**17,525.99**
(31 मार्च, 2016 को: प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर; 1 अप्रैल 2015 को: प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)			
पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर:			
प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर	17,525.99	**17,525.99**	**17,525.99**
(31 मार्च, 2016 को: प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर; 1 अप्रैल 2015 को: प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)			
जोड़ें: जब्त शेयर **(देखें टिप्पणी 19.5)**	0.65	0.65	0.65
	17,526.64	**17,526.64**	**17,526.64**

रिपोर्ट अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:

विवरण	कुल शेयर, दशलक्ष में	शेयर पूँजी
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**1,752.59**	**17,525.99**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**1,752.59**	**17,525.99**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2017 को बकाया	**1,752.59**	**17,525.99**

19.1 इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका सममूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर है. इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक, प्रति शेयर एक वोट पाने का हकदार है. निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

कंपनी का परिसमापन होने पर इक्विटी शेयर धारकों को तमाम अधिमान रकम का वितरण करने के बाद बची कंपनी आस्तियां प्राप्त करने का हक होगा. शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर की संख्या के अनुपात में वितरण किया जाएगा.

19.2 नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहयोगी अथवा सहबद्ध कंपनियों द्वारा धारित शेयर, निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63

19.3 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	297.15	16.96	297.15	16.96

19.4 विकल्पों और ठेकों अथवा शेयरों की बिक्री के लिए प्रतिबद्धताओं के अधीन निर्गमित करने अथवा विनिवेश करने के लिए आरक्षित इक्विटी शेयर: कुछ नहीं (31 मार्च, 2016 को: कुछ नहीं; 1 अप्रैल, 2015 को: कुछ नहीं).

19.5 प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयरों को (₹ 10 के 303,550 इक्विटी शेयरों के समतुल्य) वर्ष 2009-10 में जब्त किया गया जिसके प्रति मूल रूप से प्रदत्त रकम ₹ 654,000 रही.

20. अन्य इक्विटी

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
(क) मानी गई इक्विटी **[देखें टिप्पणी 3.25.2 (क)]**	30.53	26.05	26.05
[ख] आरक्षित निधि और अधिशेष			
पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	91.86	91.86	91.86
प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि	3,490.53	3,490.53	3,490.53
सामान्य आरक्षित निधि	1,192.00	1,192.00	1,192.00
प्रतिधारित अर्जन	78,373.19	41,986.66	30,514.06
कुल	**83,178.11**	**46,787.10**	**35,314.50**

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
(क) मानी गई इक्विटी		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	26.05	26.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरण	4.48	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**30.53**	**26.05**
[ख] आरक्षित निधि		
(i) पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 20.1]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	91.86	91.86
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**91.86**	**91.86**
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 20.2]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	3,490.53	3,490.53
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**3,490.53**	**3,490.53**
(iii) सामान्य आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 20.3]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	1,192.00	1,192.00
जोड़ें: प्रतिधारित अर्जनों में से अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**1,192.00**	**1,192.00**
(iv) प्रतिधारित अर्जन		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	41,986.66	30,514.06
वर्ष का कर उपरांत लाभ	36,436.87	11,469.37
वर्ष की अन्य व्यापक आय, निवल आय कर	(50.34)	3.23
वर्ष के अंत में शेषराशि	**78,373.19**	**41,986.66**

20.1 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान अधिमान शेयर पूंजी का प्रतिदान होने पर पूंजीगत प्रतिदान आरक्षित निधि निर्मित की.

20.2 कंपनी ने, इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम करने पर प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि का निर्माण किया जिसका कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार उपयोग किया जा सकेगा.

20.3 सामान्य आरक्षित निधि का, समय-समय पर, विनियोजन करने के प्रयोजन से, प्रतिधारित अर्जन से लाभ अंतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है. चूंकि सामान्य आरक्षित का निर्माण करते समय इक्विटी के एक घटक से दूसरे में अंतरण किया जाता है और अन्य व्यापक आय की एक मद नहीं होती है इसलिए सामान्य आरक्षित निधि में सम्मिलित मदों का बाद में लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा.

20.4 कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में अपने इक्विटी शेयरधारकों में वितरित की जानेवाली रकम का निर्धारण करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं और कंपनी लाभांश वितरण नीति पर विचार किया जाता है. इस प्रकार से, सामान्य आरक्षित निधि में दर्शाई गई रकम का समग्र रूप से वितरण करना संभव नहीं होगा.

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के संबंध में, निदेशक मंडल ने ₹ 6/- प्रति शेयर का अंतिम लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है जिनको पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर अदा किया जाएगा. यह इक्विटी लाभांश, वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और इसे इन वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है. प्रस्तावित इक्विटी लाभांश, पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के सभी धारकों को देय होगा. अदा किया जाने वाला कुल अनुमानित इक्विटी लाभांश, ₹ 10,515.59 दशलक्ष और उस पर लाभांश वितरण कर की रकम, ₹ 2,140.73 दशलक्ष है.

21. उधार

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
जमानती - परिशोधित लागत पर						
सावधि ऋण:-						
बैंकों से						
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)	27,932.30	-	38,701.13	-	38,945.12	-
[देखें टिप्पणी 21.1]						
अन्य पक्षकारों से						
तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	750.00	-	2,500.00	-	-	-
[देखें टिप्पणी 21.2]						
बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण	-	5,201.88	-	25.61	-	108.73
[देखें टिप्पणी 21.3]						
गैर जमानती - परिशोधित लागत पर						
सावधि ऋण:-						
संबंधित पक्षकारों से:						
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	18,856.90	-	25,714.10	-	32,571.30	-
[देखें टिप्पणी 21.4]						
अन्य पक्षकारों से:-						
आस्थगित भुगतान देयताएं	618.63	-	1,145.17	-	1,603.34	-
[देखें टिप्पणी 21.5]						
तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	-	-	-	-	5,250.00	-
[देखें टिप्पणी 21.2]						
बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण						
विदेशी मुद्रा गैर प्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)	-	12,971.00	-	-	-	-
[देखें टिप्पणी 21.6]						
कुल	**48,157.83**	**18,172.88**	**68,060.40**	**25.61**	**78,369.76**	**108.73**

21.1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)

21.1.1 कंपनी द्वारा लिए गए ECB, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR (6 महीने) + स्प्रेड है. इनके लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है.

21.1.2 ₹ 9,945.16 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 2,600.25 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 1,266.93 दशलक्ष)को एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 22** के तहत '' दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता '' के रूप में दर्शाया गया है.

21.1.3 ECB की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 21.7)	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
2015-16	-	-	1,406.36
2016-17	-	2,733.23	2,578.33
2017-18	10,052.53	10,270.30	9,688.28
2018-19	26,509.48	27,083.78	25,548.91
2019-20	972.83	993.90	937.58
2020-21	486.41	496.94	468.79
कुल	**38,021.25**	**41,578.15**	**40,628.25**

21.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण

21.2.1 कंपनी द्वारा OIDB से लिए गए ऋण पर निश्चित दर से ब्याज लगाया जाता है. इनके लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है. 10 दिसंबर, 2015 से पहले OIDB से लिया जाता रहा ऋण, जमानत रहित था.

21.2.2 **टिप्पणी 22** के तहत, ₹ 1,750.00 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 2,750.00 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 2,750.00 दशलक्ष)को एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता '' के रूप में और 1 अप्रैल, 2017 को '' दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता '' के रूप में दर्शाया गया है.

21.2.3 OIDB से लिए गए ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 21.7)	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
2015-16	-	-	2,750.00
2016-17	-	2,750.00	2,750.00
2017-18	1,750.00	1,750.00	1,750.00
2018-19	750.00	750.00	750.00
कुल	**2,500.00**	**5,250.00**	**8,000.00**

21.3 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण

21.3.1 संघीय बैंक से लिए गए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टॉक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य व्यापार राशियों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेकों, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी, दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और आगे, कंपनी की, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है.

21.4 संबंधित पक्षकारों से सावधि ऋण

21.4.1 कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकार (ONGC) से लिए गए सावधि ऋण पर परिवर्ती दर से ब्याज देना पड़ता है जो 1 अप्रैल, 2016 से 5 वर्ष की अवधि के लिए G-sec प्रतिफल + स्प्रेड है (इससे पहले SBAR - स्प्रेड रहा).

21.4.2 ₹ 6,857.20 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 6,857.20 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 6,857.20 दशलक्ष)को एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 22** के तहत '' दीर्घावधि कर्ज (गैर जमानती) की चालू परिपक्वता '' के रूप में दर्शाया गया है.

21.4.3 OIDB से लिए गए ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.7)	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
2015-16	-	-	6,857.20
2016-17	-	6,857.20	6,857.20
2017-18	6,857.20	6,857.20	6,857.20
2018-19	6,857.20	6,857.20	6,857.20
2019-20	6,857.20	6,857.20	6,857.20
2020-21	5,142.50	5,142.50	5,142.50
कुल	**25,714.10**	**32,571.30**	**39,428.50**

21.5 आस्थगित भुगतान देयताएं

21.5.1 आस्थगित भुगतान देयता, बिक्री कर देयता के निमित्त देय रकम दर्शाती है जिसे बिक्री कर प्राधिकरण को निर्दिष्ट अवधि के बाद अदा करना पड़ेगा. इस तरह की बिक्री कर देयता का आस्थगन होने पर कोई ब्याज देना नहीं पड़ेगा. कंपनी ने, Ind AS 101 के तहत दिया गया आज्ञापक अपवाद लागू किया है और तदनुसार 1 अप्रैल, 2015 को मौजूद आस्थगित भुगतान देयताओं का उचित मूल्यांकन नहीं किया है.

21.5.2 ₹ 526.54 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 458.17 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 555.83 दशलक्ष)को एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 22** के तहत '' दीर्घावधि कर्ज (गैर जमानती) की चालू परिपक्वता '' के रूप में दर्शाया गया है.

21.5.3 **आस्थगित भुगतान देयता की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:**

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 21.7)	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
2015-16	-	-	555.83
2016-17	-	458.17	458.17
2017-18	526.54	526.54	526.54
2018-19	400.00	400.00	400.00
2019-20	218.63	218.63	218.63
कुल	**1,145.17**	**1,603.34**	**2,159.17**

21.6 विदेशी मुद्रा गैर प्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)

21.6.1 बैंक से लिए गए विदेशी मुद्रा गैर प्रत्यावर्तनीय ऋण, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR (6 महीने) + स्प्रेड है और इसे प्रत्येक संवितरण की तारीख से एक वर्ष के अंत में चुकाना पड़ेगा.

21.7 ऊपर प्रकट की गईं चुकौती अनुसूचियां, संविदात्मक नकदी बहिर्वाह पर आधारित हैं और इसलिए इन उधारों के बही मूल्य के अनुरूप नहीं होंगी जिनको परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया जाता है.

22. अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
दीर्घावधि कर्ज की चालू परिपक्वताएं **(जमानती) देखें टिप्पणी 21.1.2 और 21.2.2**	-	11,695.16	-	5,350.25	-	1,266.93
दीर्घावधि कर्ज की चालू परिपक्वताएं **(गैर जमानती) [देखें टिप्पणी 21.4.2 और 21.5.2]**	-	7,383.74	-	7,315.37	-	10,163.03
अदावी लाभांश **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.1]**	-	74.70	-	101.24	-	124.49
परिपक्व डिबेंचरों पर अदावी ब्याज **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.2]**	-	0.01	-	0.19	-	0.19
ऐसा ऋण जो उपचित हुआ हो परंतु देय न हो	-	430.39	-	363.76	-	312.15
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/अन्य से जमाराशियाँ	-	281.60	-	190.74	-	139.40
पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देय राशियां **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.3]**	-	4,233.96	-	6,863.46	-	8,468.68
कर्मचारियों के प्रति देयता	-	609.34	-	296.10	-	157.46
ग्राहकों और विक्रेताओं से संबंधित अन्य देयताएं	-	1,494.20	-	1,201.23	0.13	1,052.65
कुल	**-**	**26,203.10**	**-**	**21,682.34**	**0.13**	**21,684.98**

22.1 निवेशकर्ता शिक्षा संरक्षण निधि में भुगतान करने के लिए कोई रकम देय नहीं है.

22.2 परिपक्व डिबेंचरों पर अदावी ब्याज, विवादग्रस्त दावों के प्रति देय ब्याज दर्शाता है.

22.3 कीमत घटाने संबंधी खंड

पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देय रकम में शामिल है ₹ 985.46 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 2,024.28 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 1,557.42 दशलक्ष) जो कीमत घटाने संबंधी खंड का अनुसरण करते हुए विक्रेताओं से रोक रखी गई रकम से संबंधित है जिसे इन विक्रेताओं के साथ कार्रवाई को अंतिम रूप देने के बाद निपटाया जाएगा. रोक रखी गई रकम को अंत में तय करने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में उत्तर व्यापी प्रभाव से संबंधित समायोजन किया जाएगा.

23. प्रावधान

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान **[देखें टिप्पणी 39]**						
(क) छुट्टी का नकदीकरण	517.01	51.26	338.79	34.91	287.76	33.10
[ख] सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा व अन्य लाभ	79.66	2.30	64.93	1.94	58.51	1.91
अन्य **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.1]**	-	2,797.68	-	3,506.98	-	2,062.38
	596.67	**2,851.24**	**403.72**	**3,543.83**	**346.27**	**2,097.39**

23.1 अन्य में शामिल है अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान.

वर्ष 2016-17 में चलन

विवरण	अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क
31 मार्च, 2016 को प्रारंभिक शेषराशि	3,506.98
घटाएं: प्रावधान का प्रत्यावर्तन करने के निमित्त कटौती	3,506.98
जोड़ें: परिवर्धन	2,797.68
31 मार्च, 2017 को अंतिम शेषराशि	**2,797.68**

कंपनी का अनुमान है, 31 मार्च, 2017 को स्टॉक में पड़ी रही वस्तुएं खाली करने पर देय उत्पाद शुल्क के लिए काफ़ी हद तक किए गए आकलन के आधार पर प्रावधान, ₹ 2,797.68 दशलक्ष है (31 मार्च, 2016 को ₹ 3,506.98 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 2,057.60 दशलक्ष) और कंपनी ने इसे अन्य प्रावधान में शामिल किया है. अपेक्षा की जाती है कि इस प्रावधान को जब निपटाया जाएगा तब वस्तुओं को कारखाना परिसर से हटाया जाएगा.

24 आस्थगित कर आस्ति/ (देयताएं) (निवल)

समेकित तुलन-पत्र में प्रस्तुत की गई आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं का विश्लेषण निम्नानुसार है.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
आस्थगित कर आस्तियां	19,439.37	24,838.27	18,360.96
आस्थगित कर देयताएं	(24,206.00)	(22,608.00)	(18,360.96)
आस्थगित कर आस्ति/ (देयता) - निवल	**(4,766.63)**	**2,230.27**	**-**

2015-16	प्रारंभिक शेषराशि	लाभ अथवा हानि में दर्शाई गई रकम	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेषराशि
इनके संबंध में आस्थगित कर देयताएं				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(18,369.57)	(4,245.43)	-	(22,615.00)
अगोचर आस्तियां	8.61	(1.61)	-	7.00
कुल	**(18,360.96)**	**(4,247.04)**	**-**	**(22,608.00)**
इनके संबंध में आस्थगित कर आस्तियां				
अन्य देयताएं	10.68	0.19	-	10.87
आगे लाई गई व्यावसायिक हानियां और अनवशोषित मूल्यह्रास	17,944.56	3,269.40	(1.70)	21,212.26
MAT संबंधी क्रेडिट हकदारी	-	3,071.31	-	3,071.31
वित्तीय और अन्य आस्तियां	374.66	137.54	-	512.20
स्टॉक	31.06	0.57	-	31.63
कुल	**18,360.96**	**6,479.01**	**(1.70)**	**24,838.27**
आस्थगित कर आस्ति/ (देयता) (निवल)	**-**	**2,231.97**	**(1.70)**	**2,230.27**

2016-17	प्रारंभिक शेषराशि	लाभ अथवा हानि में दर्शाई गई रकम	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेषराशि
इनके संबंध में आस्थगित कर देयताएं				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(22,615.00)	(1,598.17)	-	(24,213.17)
अगोचर आस्तियां	7.00	0.17	-	7.17
कुल	**(22,608.00)**	**(1,598.00)**	**-**	**(24,206.00)**
आस्थगित कर आस्तियों समेत मदों का कर पर प्रभाव				
अन्य देयताएं	10.87	12.73	-	23.60
आगे लाई गई व्यावसायिक हानियां और अनवशोषित मूल्यह्रास	21,212.26	(17,375.10)	26.65	3,863.81
MAT संबंधी क्रेडिट हकदारी	3,071.31	11,853.79	-	14,925.10
वित्तीय और अन्य आस्तियां	512.20	83.03	-	595.23
स्टॉक	31.63	-	-	31.63
कुल	**24,838.27**	**(5,425.55)**	**26.65**	**19,439.37**
आस्थगित कर आस्ति/ देयता (निवल)	**2,230.27**	**(7,023.55)**	**26.65**	**(4,766.63)**

25 देय व्यापार राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
देय व्यापार राशियां	60,339.67	213,388.71	183,310.01
कुल	**60,339.67**	**213,388.71**	**183,310.01**

25.1 देय व्यापार राशियों में शामिल है ₹ 9,102.11 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 4,638.87 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 3,282.95 दशलक्ष) जिसके लिए ONGC ने, कंपनी की तरफ से गारंटी दी है.

25.2 क्रूड, भंडार और अतिरिक्त पुर्ज़े, अन्य कच्चा माल, सेवाएं आदि खरीदने पर औसत क्रेडिट अवधि, 7 से 90 दिन है. उसके बाद बकाया शेषराशि पर संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार संबंधित बैंक दर पर 6.75% प्र.व. तक ब्याज लगाया जाता है. कंपनी ने वित्तीय जोखिम प्रबंध नीतियां लागू की है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देय रकम, सम्मत क्रेडिट संबंधी नियमों के अंदर अदा की जाती है.

25.3 सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठानों से संबंधित प्रकटन

विवरण		यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
i	वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना उस पर देय मूल धनराशि	70.84	9.07	8.46
ii	वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना उस पर देय ब्याज	-	-	-
iii	प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की रकम के साथ सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज रकम.	-	-	-
iv	भुगतान करने में विलंब अवधि के लिए (जिसे वर्ष के दौरान अदा तो किया गया हो परंतु नियत दिन के बाद) परंतु सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर बाकी और देय ब्याज रकम.	-	-	-
v	प्रत्येक वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त पड़ी रही ब्याज रकम और	-	-	-
vi	उत्तरवर्ती वर्षों में भी तब तक देय रही अतिरिक्त ब्याज राशि जब सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत काटने योग्य व्यय शामिल न करने के प्रयोजन से लघु प्रतिष्ठान को वास्तव में उक्त ब्याज अदा किया गया हो.	-	-	-

26. अन्य देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	-	1.56	-	1.71	-	1.84
उपदान के प्रति देयता **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 26.1]**	-	94.65	-	27.08	-	24.98
सांविधिक भुगतान के प्रति देयता	-	1,709.36	-	1,393.54	-	1,156.32
वाणिज्यिक कर प्राधिकारियों से धन वापसी होने पर तेल कंपनियों को देय	-	-	-	-	-	2,884.48
कुल	**-**	**1,805.57**	**-**	**1,422.33**	**-**	**4,067.62**

26.1 उपदान न्यास से/को प्राप्य/देय निवल रकम

27 प्रचालन से राजस्व

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
27.1	**उत्पादों की बिक्री**		
	देशी बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	449,579.09	382,486.41
	निर्यात बिक्री	144,571.40	126,155.36
27.2	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
	स्क्रैप की बिक्री	83.60	81.85
	सुकरण प्रभार	36.67	41.70
	परिनिर्धारित नुकसान	34.10	30.46
	कुल	**154.37**	**154.01**
	कुल	**594,304.86**	**508,795.78**

28 अन्य आय

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
28.1	**इन पर ब्याज:**		
	ठेकेदार संग्रहण अग्रिम	-	41.29
	अन्य	252.47	81.88
	परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय आस्तियां		
	- बैंक जमाराशियाँ	3,538.97	6,796.49
	- प्रत्यक्ष विपणन ग्राहक	22.36	24.20
	- कर्मचारियों को दिए गए ऋण	25.07	20.50
	कुल	**3,838.87**	**6,964.36**
28.2	**इनसे लाभांश आय:-**		
	म्युचुअल फंड में निवेश (FVTPL में मापे गए)	**255.36**	**1,168.10**
	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसेस लिमिटेड में निवेश (लागत पर मापा गया)	**7.50**	**9.00**
28.3	**अन्य गैर प्रचालन आय**		
	रॉयल्टी आय	9.04	4.39
	प्रतिलेखित, अब ज़रूरी न पड़ने वाली देयता	2.79	362.72
	प्रतिलेखित अतिशय प्रावधान	62.88	0.73
	टेंडर फ़ार्म की बिक्री	1.18	1.01
	किराया शुल्क	2.30	4.10
	कर्मचारियों से वसूली	8.39	9.05
	विविध प्राप्तियाँ	43.70	49.09
	कुल	**130.28**	**431.09**
	कुल	**4,232.01**	**8,572.55**

29 खपाई गई सामग्री की लागत

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
कच्चा माल: क्रूड तेल		
आयातित	292,337.60	301,442.61
देशी	71,721.91	36,849.57
कच्चा माल: अन्य		
आयातित		
हाइड्रोजन	1,857.42	1,476.11
पैराफिन रैफिनेट	5,463.03	4,707.47
डी-ईथनाइज़र	408.73	-
रीफॉर्मेट	3,094.99	1,033.52
देशी		
CRMB मॉडिफायर	3.44	6.70
व्यापार में स्टॉक		
देशी	0.49	0.12
कुल	**374,887.61**	**345,516.10**

30 तैयार माल, प्रक्रिया में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन

	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
30.1	**इनका अंतिम स्टॉक:**		
	तैयार माल और व्यापार में स्टॉक	12,464.28	10,913.11
	प्रक्रिया में स्टॉक	4,517.38	3,185.52
	कुल अंतिम स्टॉक	**16,981.66**	**14,098.63**
30.2	**इनका प्रारंभिक स्टॉक:**		
	तैयार माल और व्यापार में स्टॉक	10,913.11	17,173.02
	प्रक्रिया में स्टॉक	3,185.52	3,757.27
	कुल प्रारंभिक स्टॉक	**14,098.63**	**20,930.29**
	तैयार माल, प्रक्रिया में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन	**(2,883.03)**	**6,831.66**

31 कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च

विवरण [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 31.1]	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
वेतन और मज़दूरी	3,022.95	2,397.04
भविष्य और अन्य निधियों के प्रति अंशदान	343.99	317.70
सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ - चिकित्सा और अन्य	10.53	9.85
स्टाफ कल्याण खर्च	142.59	130.60
कुल	**3,520.06**	**2,855.19**

31.1 कंपनी ने 1 जनवरी, 2017 से वेतन में संशोधन के लिए प्रावधान किया है जिस पर " तृतीय वेतन संशोधन समिति की रिपोर्ट " की सिफ़ारिश के अनुसार विचार किया गया है.

32 वित्त लागत

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताओं के लिए वित्त संबंधी खर्च		
- संबंधित पक्षकारों से	2,435.03	3,880.57
- बैंकों से	1,911.60	1,367.93
- अन्य पक्षकारों से	808.46	638.06
	5,155.09	**5,886.56**
वित्तीय गारंटी शुल्क	16.65	18.37
कुल	**5,171.74**	**5,904.93**

33 मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	6,774.29	7,104.14
अगोचर आस्तियों का परिशोधन	4.9	0.57
कुल	**6,779.19**	**7,104.71**

34 अन्य खर्च

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	
विद्युत, उपयोगिता और ईंधन शुल्क	27,380.26		26,978.88	
घटाए: स्वयं खपत	26,774.50	605.76	24,872.26	2,106.62
मरम्मत और अनुरक्षण				
- संयंत्र और मशीनें	2,189.70		2,112.69	
- भवन	6.78		8.84	
- अन्य	565.94	2,762.42	513.74	2,635.27
खपाए गए भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थ		1,271.46		851.62
खपाई गई पैकिंग सामग्री		209.30		45.80
किराया		93.32		83.72
बीमा		243.05		242.50
दर और कर		2,401.33		2,199.61
स्टॉक पर उत्पाद शुल्क(निवल) [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 34.1]		(675.16)		1,588.96
विनिमय दर में घट-बढ़ से हानि/ (आय)		593.17		11,902.67
निदेशकों के बैठक शुल्क		0.02		-
संपत्ति,संयंत्र और उपकरण की बिक्री से हानि		57.02		3.86
बैंक शुल्क		27.53		31.30
लेखा परीक्षकों को भुगतान				
लेखा परीक्षा शुल्क	2.31		1.90	
कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.40		0.50	
प्रमाणीकरण शुल्क के लिए	1.70		1.50	
खर्च की प्रतिपूर्ति	2.71	7.72	3.06	6.96
निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी खर्च (CSR) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 34.2]**		32.23		23.40

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	
इनके कारण ह्रास:				
संदिग्ध प्राप्य व्यापार राशियां		302.80		378.49
बट्टे खाते लिखे गए:				
संदिग्ध प्राप्य व्यापार राशियां		59.37		0.70
विविध खर्च		1,503.13		1,319.97
कुल		**9,493.87**		**23,421.45**

34.1 उत्पाद की बिक्री पर उत्पाद शुल्क को प्रचालन से राजस्व में शामिल किया गया है और ऊपर दर्शाया गया उत्पाद शुल्क, तैयार माल के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के बीच अंतर दर्शाता है.

34.2 CSR के प्रति व्यय में नीचे उल्लिखित समाविष्ट है:

(क) कंपनी को वर्ष के दौरान कुल मिलाकर ₹ 50.00 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में ₹ 23.40 दशलक्ष) की रकम खर्च करनी पड़ेगी.

(ख) वर्ष के दौरान इन पर किया गया खर्च:

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी नकद में अदा नहीं किया गया है	कुल
i) आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण	24.92	-	24.92
ii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए	7.31	-	7.31
कुल	**32.23**	**-**	**32.23**

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी नकद में अदा नहीं किया गया है	कुल
i) आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण	19.45	-	19.45
ii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए	3.95	-	3.95
कुल	**23.40**	**-**	**23.40**

35 अपवादात्मक मदें (आय/खर्च (निवल)

विवरण [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 35.1]	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
खपाई गई सामग्री की लागत	-	988.16
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	-	211.15
विविध खर्च	-	630.63
विनिमय दर में घट-बढ़ से हानि/ (आय)	(15,972.91)	-
कुल	**(15,972.91)**	**1,829.94**

35.1 चालू वर्ष के लिए अपवादात्मक मदें, प्रेषण माध्यम को अंतिम रूप न देने के कारण संचित अतिदेय व्यापार देयताओं के निपटान से प्राप्त विनिमय दर में परिवर्तन के कारण अभिलाभ के निमित्त है.

35.2 पिछले वर्ष की अपवादात्मक मदों में शामिल है ₹ 1,541.87 दशलक्ष का खर्च जो जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 16 अक्तूबर, 2009 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए विभेदक घाट शुल्क से उत्पन्न, ₹ 211.15 दशलक्ष का खर्च, जो 01 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होते हुए हस्ताक्षरित दीर्घावधि समझौते के अनुसार गैर-प्रबंधन स्टाफ के लिए सेवानिवृत्ति लाभ निधि के प्रति तदर्थ अंशदान (अंशदान, मार्च 2015 से अप्रैल 2007 से संबंधित है) के प्रति और 76.92 दशलक्ष का खर्च, एमआरपीएल की सिविल अपील के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के आधार पर सीमा शुल्क का दोबारा परिकलन करने के निमित्त है.

36 जारी रहे प्रचालन से संबंधित आय कर

36.1 लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया आय कर

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
वर्तमान कर	11,853.78	2,345.58
आस्थगित कर	7,023.55	(2,231.97)
जारी रहे प्रचालन के संबंध में चालू वर्ष में दर्शाया गया आय कर संबंधी कुल खर्च	**18,877.33**	**113.61**

36.2 वर्ष के आय कर का लेखाबद्ध लाभ के साथ समाधान निम्नानुसार किया जा सकेगा:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
प्रचालन जारी रखने से कर पूर्व लाभ	**55,314.20**	**11,582.98**
आय कर खर्च का परिकलन 34.608% पर किया गया है (2015-2016: 34.608%)	19,143.14	4,008.64
कर से छूट प्राप्त आय का प्रभाव	(90.97)	(407.36)
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 32AC के तहत निवेश के लिए किए गए प्रावधान का प्रभाव	29.84	(617.30)
उस खर्च का प्रभाव, जिसे कर योग्य लाभ का निर्धारण करते समय काटा नहीं जाता है	113.83	127.34
आय कर दर में 33.99% से 34.608% में परिवर्तन के कारण आस्थगित कर शेषराशि का प्रभाव	-	(45.80)
पूर्व वर्षों में 21.3416% पर MAT क्रेडिट लेखाबद्ध करने का प्रभाव	-	(725.73)
सही शेषराशि (डू अप) निकालने के लिए किए गए समायोजन के कारण आस्थगित कर शेषराशि में परिवर्तन का प्रभाव	(318.51)	292.68
पूर्व वर्ष की लेखाबद्ध न की गईं हानियों पर आस्थगित कर का प्रभाव	-	(2,518.86)
लाभ अथवा हानि में लेखाबद्ध आय कर खर्च (प्रचालन जारी रखने से संबंधित)	18,877.33	113.61

36.3 अन्य आय में लेखाबद्ध व्यापक आय

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017
आस्थगित कर		
अन्य व्यापक आय में लेखाबद्ध आय और खर्च से उत्पन्न:		
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का पुन: मापन	26.65	(1.70)
अन्य व्यापक आय में लेखाबद्ध कुल आय कर	26.65	(1.70)
अन्य व्यापक आय में लेखाबद्ध आय कर का विभाजन:-		
ऐसी मदें जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा	26.65	(1.70)
ऐसी मदें जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण किया जाए	-	-

37 प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष का कर उपरांत लाभ(₹ दशलक्ष में)	36,436.87	11,469.37
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या, दशलक्ष में)	1,752.60	1,752.60
प्रति इक्विटी शेयर मूल और आंशिक अर्जन (₹)	20.79	6.54
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

38 पट्टे

38.1 वित्त पट्टे के तहत दायित्व

38.1.1 कंपनी ने भूमि के लिए पट्टा संबंधी करारनामों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. पट्टे की अवधि के अंत में भूमि का स्वामित्व, कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाएगा जिसके लिए नाममात्र प्रशासनिक शुल्क अदा करना पड़ेगा. पट्टे की अवधि 5-44 वर्ष के बीच होगी. कंपनी ने उधार पाने के मक़सद से इन पट्टाधृत भूमियों को गिरवी रखा है **[देखें टिप्पणी 5.2].**

31 मार्च, 2017 को वित्त पट्टा संबंधी दायित्व का कोई महत्व नहीं है, 31 मार्च, 2016 को कोई महत्व नहीं है; 1 अप्रैल, 2015 को कोई महत्व नहीं है).

38.2 प्रचालन पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं

38.2.1 पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं

कंपनी ने पाइपलाइनों के लिए मार्गाधिकार और भूमि के पट्टी की खातिर व्यवस्थाओं के लिए करार किए हैं जिनका प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. मार्गाधिकार के लिए पट्टा अवधि 11 महीनों से लेकर 30 वर्ष तक है और भूमि पट्टे की अवधि 5 से 44 वर्ष तक है. पट्टाधृत भूमियों के मामले में, कंपनी के पास, पट्टा अवधि के अंत में भूमि खरीदने का कोई विकल्प नहीं है. सामान्यत:, भूमि के मामले में पट्टे की व्यवस्था करने के लिए कंपनी को वार्षिक आवर्ती शुल्क के साथ पट्टा संबंधी करारनामा निष्पादित करते समय अग्रिम रूप में भुगतान करना पड़ता है जिससे वार्षिक पट्टे के किराए में बढ़त होती रहेगी.

38.2.2 खर्च के रूम में दर्शाए गए भुगतान

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
पट्टे के प्रति न्यूनतम भुगतान	46.23	36.31
	46.23	**36.31**

38.2.3 प्रचालन पट्टे से जुड़ी ऐसी प्रतिबद्धताएं जिनको रद्द नहीं किया जा सकेगा

समूह ने पट्टा संबंधी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिसे रद्द न किया जा सके

39 कंपनी की कर्मचारी लाभ संबंधी योजनाएं

39.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं के सिलसिले में वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई रकम

परिभाषित अंशदान योजनाएं	वर्ष के दौरान दर्शाई गई रकम		महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों के प्रति अंशदान	
	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	166.61	152.73	0.92	0.85
सेवानिवृत्ति निधि में नियोजन का अंशदान	140.91	338.38	0.76	0.79

39.2 कर्मचारी संबंधी दीर्घावधि लाभ

39.2.1 संक्षित वर्णन: कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य दीर्घावधि लाभ के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार **है** :

क) अर्जित छुट्टी का लाभ (EL):

उपचय - प्रति वर्ष 32 दिन

300 दिनों तक संचित किया जा सकेगा

15 दिन से अधिक संचित EL का, सेवा में रहते समय नकदीकरण किया जा सकेगा बशर्ते कि कम से कम 5 दिन EL का नकदीकरण कराया जाए.

ख) अर्ध वेतन छुट्टी (HPL)

उपचय - प्रति वर्ष 20 दिन

सेवा में रहते समय नकदीकरण नहीं किया जा सकेगा

सेवानिवृत्ति के उपरांत नकदीकरण किया जा सकेगा; जिसे अर्जित छुट्टी के साथ 300 दिनों तक सीमित किया गया है .

39.2.2 छुट्टियों से संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

39.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

39.3.1 संक्षित वर्णन: परिभाषित लाभ योजना के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :

क) उपदान:

पूरे किए गए हर एक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान ₹1 दशलक्ष तक सीमित किया गया है.
एमआरपीएल उपदान न्यास की, 20 अप्रैल, 2007 को स्थापना की गई और बीमांकिक मूल्यांकन के बाद कंपनी से प्राप्त निधि का और 28 जून, 2013 तक निधि का निवेश, समय-समय पर यथा संशोधित आय कर नियम, 1962 के आय कर नियम 67(1) में यथा निर्धारित तरीके से किया गया.

28 जून, 2013 के बाद एमआरपीएल उपदान न्यास की निधि का एलआईसी की सामूहिक उपदान नकद संचयन योजना (परंपरागत निधि), बजाज अलाएंज़, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्यूरेंस कं., बिर्ला सन्लाईफ इंश्यूरेंस कं. और इंडा फस्ट लाइफ इंश्यूरेंस कं. में निवेश किया जाता रहा है.

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

सेवानिवृत्ति के बाद, एक बारगी एकमुश्त अंशदान करने पर, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी/उसके आश्रित पत्नी/पति और आश्रित माता-पिता को, कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ के लिए कवर किया जाएगा.

ग) पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी, अपनी पसंदीदा स्थान पर बसने के हकदार होंगे और इसके लिए वे पुन:व्यवस्थापन भत्ता पाने के हकदार हैं.

39.3.2 परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

39.3.3 इन योजनाओं की बदौलत कंपनी को इस तरह के बीमांकिक जोखिम उठाने पड़ेंगे जैसे निवेश जोखिम, ब्याज दर जोखिम, दीर्घ आयु संबंधी जोखिम और वेतन जोखिम.

निवेश में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता के (जिसे भारतीय रुपए में अंकित किया जाएगा) वर्तमान मूल्य का परिकलन करते समय वह बट्टा दर लगाई जाएगी जिसका निर्धारण करते समय सरकार बांडों पर रिपोर्ट अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का हवाला दिया जाएगा. अगर योजना आस्ति पर प्रतिफल, इस दर से कम हो तो इससे योजना में घाटा होगा. इस समय सरकारी प्रतिभूतियों, बीमा निवेश और अन्य कर्ज लिखतों में निवेश का सापेक्षत: मिला जुला मिश्रण है.
ब्याज में निहित जोखिम	बांड की ब्याज दर घटने से योजना देयता बढ़ जाएगी, लेकिन योजना में कर्ज निवेश पर मिले प्रतिफल से इसमें अंशत: कमी होगी.
दीर्घायु में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों की, उनके रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद, दोनों के दौरान मृत्यु के बेहतरीन आकलन का हवाला दिया जाएगा. योजना के सहभागियों की अपेक्षित आयु बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.
वेतन में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों के भावी वेतन का हवाला दिया जाएगा. बहरहाल, योजना के सहभागियों का वेतन बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.

इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत कोई अन्य लाभ नहीं मिलेगा.

योजनाओं के संबंध में, इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीस ऑफ इंडिया के एक सदस्य फर्म ने 31 मार्च, 2017 को योजना आस्तियों के हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्यांकन किया. परिभाषित दायित्व और संबंधित चालू सेवा लागत एवं गत सेवा लागत के वर्तमान मूल्य का मापन करते समय प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया.

39.3.4 बीमांकिक मूल्यांकन करते समय ख़ास तौर से नीचे उल्लिखित परिकल्पनाओं का उपयोग किया गया.

31 मार्च, 2017 को परिकल्पनाएं

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
	उपदान (निधिक)		
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	7.34%	8.08%
2	बट्टा दर	7.34%	8.08%
3	वेतन वृद्धि दर	5.50%	5.50%
4	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
5	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)

31 मार्च, 2017 को परिकल्पनाएं

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:		
1	बट्टा दर	7.34%	8.08%
2	चिकित्सा लागत में वृद्धि	0.00%	0.00%
3	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)
5	रोजगार के उपरांत मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)
	पुन:व्यवस्थापन भत्ता:		
1	बट्टा दर	7.34%	8.08%
2	वेतन वृद्धि दर	5.50%	5.50%
3	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)

लेखाकरण दिनांक को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल के आधार पर ऐसा बट्टा दर जो अवधि के अनुरूप हो. वेतन वृद्धि करते समय, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित दीर्घावधि कारकों पर विचार किया जाता है. योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर, वर्ष के दौरान, संबंधित दायित्व की समग्र अवधि में मिलने वाले प्रतिफल के लिए बाजार की अपेक्षा के आधार पर होती है.

39.3.5 इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम निम्नानुसार हैं:

उपदान:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
सेवा लागत :		
चालू सेवा लागत	28.30	26.94
निवल ब्याज खर्च	2.34	2.69
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**30.64**	**29.63**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
निवल ब्याज लागत में सम्मिलित रकम को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	(7.53)	(1.91)
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	53.36	(5.49)
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	20.83	1.88
पुन: मापन के घटक	**66.66**	**(5.52)**
कुल	**97.30**	**24.11**

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
सेवा लागत :		
चालू सेवा लागत	4.13	3.59
निवल ब्याज खर्च	4.61	4.34
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**8.74**	**7.93**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	7.14	3.30
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	1.74	(3.06)
पुन: मापन के घटक	8.88	0.24
कुल	**17.62**	**8.17**

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
सेवा लागत :		
चालू सेवा लागत	1.14	1.13
निवल ब्याज खर्च	0.79	0.80
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**1.93**	**1.93**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	1.14	(0.13)
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	0.30	0.48
पुन: मापन के घटक	**1.44**	**0.35**
कुल	**3.37**	**2.28**

वर्ष की चालू सेवा लागत और निवल ब्याज खर्च को लाभ-हानि विवरण में कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में समाविष्ट किया गया है.
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन, अन्य व्यापक आय में समाविष्ट किया गया है. अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता के घटक, ₹ (75.55) दशलक्ष है (पिछले वर्ष ₹ 5.28 दशलक्ष).

39.3.6 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य में चलन इस प्रकार रहा:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	563.39	508.85
चालू सेवा लागत	28.30	26.94
ब्याज लागत	45.52	43.25
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	53.36	(5.49)
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	20.83	1.88
प्रदत्त लाभ	(7.89)	(12.04)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**703.51**	**563.39**
चालू दायित्व	98.99	28.95
अप्रचलित दायित्व	**604.52**	**534.44**

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	57.06	51.06
चालू सेवा लागत	4.13	3.59
ब्याज लागत	4.61	4.34
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	7.14	3.30
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	1.74	(3.06)
प्रदत्त लाभ	(4.26)	(2.17)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**70.42**	**57.06**
चालू दायित्व	1.99	1.67
अप्रचलित दायित्व	**68.43**	**55.39**

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
प्रारंभिक परिभाषित लाभ	9.81	9.37
चालू सेवा लागत	1.14	1.13
ब्याज लागत	0.79	0.80
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	1.14	(0.13)
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	0.30	0.48
प्रदत्त फायदे	(1.64)	(1.84)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**11.54**	**9.81**
वर्तमान दायित्व	0.32	0.27
गैर-वर्तमान दायित्व	**11.22**	**9.54**

39.3.7 अपनी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में प्रतिष्ठान के दायित्व से उत्पन्न तुलन-पत्र में समाविष्ट रकम निम्नानुसार है:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
निधिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	(703.51)	(563.39)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	604.52	534.44
निधिक रकम की स्थिति	**(98.99)**	**(28.95)**
लेखाबद्ध आस्ति पर निर्बंधताएं	-	-
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व से उत्पन्न निवल देयता	**(98.99)**	**(28.95)**

कंपनी के अपने वित्तीय लिखतों और रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान के अधिभोग में रही संपत्ति अथवा इस्तेमाल की गई अन्य आस्तियों के संबंध में उपदान निधि की योजना आस्तियों के उचित मूल्य में सम्मिलित रकम शून्य है (31 मार्च, 2016 को शून्य, 1 अप्रैल, 2015 को शून्य).

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और सेवांत लाभ तथा पुन:व्यवस्थापन भत्ते, गैर निधिक योजना के अधीन आते हैं और इसमें योजना आस्तियों का समावेश नहीं होता है.

39.3.8 योजना आस्तियों के उचित मूल्य में चलन इस प्रकार रहा:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
योजना आस्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	534.44	477.16
ब्याज आय	43.18	40.56
योजना आस्तियों पर प्रतिफल (निवल ब्याज खर्च में सम्मिलित रकम को छोड़कर)	7.53	1.91
नियोजक का अंशदान	27.26	24.98
प्रदत्त लाभ	(7.88)	(10.17)
योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**604.53**	**534.44**

अगले वर्ष, उपदान के संबंध में अपेक्षित अंशदान ₹ 94.65 दशलक्ष है (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 27.08 दशलक्ष)

कंपनी ने, 31 मार्च, 2017 को ₹ 98.99 दशलक्ष की उपदान देयता लेखाबद्ध की है (31 मार्च, 2016 को ₹28.95 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 31.68 दशलक्ष).

39.3.9 प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्ट अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य इस प्रकार रहा:

योजना आस्तियों का उचित मूल्य

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
नकद और नकदी समतुल्य	1.91	1.07
इक्विटी निवेश	-	-
म्यूचुअल फंड-UTI ख़ज़ाना निधि	17.75	16.45
निर्गमकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर कर्ज निवेश का श्रेणीकरण		
AAA	66.74	62.00
AA+	12.03	15.68
AA	6.02	10.36
AA-	1.00	4.98
A+	5.98	0.98
A-	11.00	11.00
सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (परंपरागत निधि)		
भारतीय जीवन बीमा निगम	95.95	87.95
बजाज एलाएंज़	79.48	62.97
HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्यूरेंस कं.	79.41	62.91
बिड़ला सन्लाईफ इंश्यूरेंस कं.	20.42	8.91
इंडिया फस्ट लाइन इंश्यूरेंस कं.	20.42	8.91
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	151.35	151.33
अन्य चालू आस्तियां - उपचित ब्याज	35.07	28.94
कुल	**604.53**	**534.44**

39.3.9.1 उपदान की योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹ 43.18 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2016 को ₹ 40.56 दशलक्ष).

39.3.10 परिभाषित दायित्व निर्धारित करने के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं हैं, बट्टा दर और वेतन में अपेक्षित वृद्धि. नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में की गईं संबंधित परिकल्पनाओं में होने वाले यथा शक्य परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है जब कि दूसरी सभी परिकल्पनाओं में स्थिरता बनाए रखी गई है.

39.3.11 31 मार्च, 2017 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
बट्टा दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(36.75)	(4.95)	(0.79)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	39.88	5.53	0.88
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	40.41	-	-
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(37.53)	-	-
कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	6.72	(2.15)	0.18
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(7.17)	1.85	(0.19)

39.3.12 31 मार्च, 2016 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
बट्टा दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(28.55)	(3.89)	(0.65)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	30.94	4.34	0.72
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	31.57	-	-
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(29.35)	-	-
कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	7.72	(1.59)	0.22
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(8.21)	1.29	(0.23)

संभव है कि ऊपर पेश किया गया संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व में वास्तविक परिवर्तन न दर्शाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि एक दूसरे से अलग रहते हुए भी परिकल्पनाओं में परिवर्तन हो क्योंकि कुछ परिकल्पनाओं का सह संबंध हो सकता है.

आगे, उक्त संवेदनशीलता विश्लेषण पेश करते समय परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य का परिकलन, रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति से किया गया है जो वही है जिसे तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के प्रति देयता का परिकलन करते समय लागू किया गया था.

39.3.13 कंपनी के भावी नकदी प्रवाह पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने वाली परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,885	1,785
सक्रिय सदस्यों का प्रति माह वेतन	139.24	111.57
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	13.00	12.00
औसत अपेक्षित भावी सेवा	17.00	17.00
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	703.51	563.39
अगले वित्तीय वर्ष के दौरान परिभाषित लाभ योजना में अंशदान	133.52	57.25

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,912	1,812
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	79	63
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि	15	15
औसत अपेक्षित भावी सेवा	17	17
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	70.42	57.06

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,912	1,785
सक्रिय सदस्यों का प्रति माह वेतन	139.68	111.57
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि	16	16
औसत अपेक्षित भावी सेवा	17	17
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	11.54	9.81

39.3.14 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का परिपक्वता प्रोफाइल

परिभाषित लाभ	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
उपदान		
एक वर्ष से कम	31.21	26.03
एक से तीन वर्ष	63.81	56.87
तीन से पाँच वर्ष	75.14	65.67
पाँच वर्ष से अधिक	239.24	198.48
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:		
एक वर्ष से कम	1.97	1.67
एक से तीन वर्ष	4.49	3.78
तीन से पाँच वर्ष	5.24	4.51
पाँच वर्ष से अधिक	17.47	15.30
पुन:व्यवस्थापन भत्ता		
एक वर्ष से कम	0.32	0.39
एक से तीन वर्ष	0.77	0.75
तीन से पाँच वर्ष	0.75	0.74
पाँच वर्ष से अधिक	2.00	1.67

40 खंडवार रिपोर्टिंग

रिपोर्ट करने लायक एक ही खंड के रूप में कंपनी के '' पेट्रोलियम उत्पाद '' हैं.

40.1 प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कंपनी के उल्लेखनीय राजस्व, तेल विपणन कंपनियों को उत्पाद बेचने से मिलते हैं जो 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के कुल राजस्व का क्रमश: 68% और 70% बनते हैं. इन कंपनियों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 405,803.37 दशलक्ष और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 354,414.95 दशलक्ष रही.

कंपनी के राजस्व में 10% या उससे अधिक योगदान देने वाले ग्राहकों की संख्या, 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शून्य रही (ऊपर उल्लिखित तेल विपणन कंपनियों को छोड़कर) और 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए [शून्य रही] (ऊपर उल्लिखित तेल विपणन कंपनियों को छोड़कर). इन ग्राहकों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य दशलक्ष और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य दशलक्ष रही.

40.2 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी:

क) कंपनी, भारत में बसी है. ग्राहकों के स्थान के आधार पर ग्राहकों से प्राप्त उसकी राजस्व रकम, नीचे की तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
भारत	493,842.89	421,180.29
अन्य देश	100,307.60	87,461.48
कुल	**594,150.49**	**508,641.77**

ख) अप्रचलित आस्तियां (वित्तीय आस्तियों और आस्थगित कर आस्तियों को छोड़कर), ग्राहकों के स्थान के आधार पर नीचे की तालिका में दर्शाई गई हैं:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
भारत	156,065.85	157,601.63
अन्य देश	-	-
कुल	**156,065.85**	**157,601.63**

40.3 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों का लगातार प्रचालन करने से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नानुसार है:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
हाई स्पीड डीज़ल (HSD)	322,098.73	270,788.68
मोटर स्पिरिट (MS)	80,464.16	64,712.07
कुल	**402,562.89**	**335,500.75**

41 संबंधित पक्षकार के बारे में प्रकटन

41.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का वर्णन:

अ कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला प्रतिष्ठान

आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ONGC)

आ कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाला प्रतिष्ठान

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)

इ सहायक कंपनी

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)

ई संयुक्त उद्यम

1 शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)

2 मंगलम् रीटेल सर्वीसेस लिमिटेड(MRSL) (16 जनवरी, 2017 तक)

उ न्यास (सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभ संबंधी न्यास सहित) जिन पर एमआरपीएल का नियंत्रण है

1 एमआरपीएल उपदान निधि न्यास

2 एमआरपीएल भविष्य निधि न्यास

ऊ महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी

ऊ.1 गैर-कार्यपालक निदेशक

श्री डी. के. सर्राफ़ (अध्यक्ष)

ऊ.2 कार्यपालक निदेशक

1 श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक
2 श्री एम. वेंकटेश, निदेशक (रिफाइनरी)
3 श्री विष्णु अग्रवाल, निदेशक (वित्त) 31 जनवरी, 2016 तक
4 श्री ए. के. साहू, निदेशक (वित्त) 1 फरवरी, 2016 से

ऊ.3 अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक

1 श्री बी.के. नामदेव, नामिती निदेशक (HPCL) 8 नवंबर, 2016 तक
2 श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव, सरकारी नामिती निदेशक, 3 मार्च, 2016 तक
3 श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, सरकारी नामिती निदेशक, 9 मार्च, 2016 से
4 श्री विनोद एस. शेणै, नामिती निदेशक (HPCL) 8 नवंबर, 2016 से
5 श्रीमती पेरिन देवी, सरकारी नामिती निदेशक
6 सुश्री मंजुला सी. स्वतंत्र निदेशक, 31 जनवरी, 2017 से

ऊ.4 कंपनी सचिव

श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव

41.2 लेन-देनों के ब्यौरे:

41.2.1 नियंत्रक कंपनी के साथ लेन-देन

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
उत्पादों की बिक्री	क) ओएनजीसी - करइकल और रीटेल आउटलेट	20.48	71.65
	ख) हाई फ्लैश हाई स्पीड डीज़ल की बिक्री	5,302.12	3,078.45
क्रूड और रीटेल आउटलेट की खरीदारी	क) क्रूड तेल की खरीदारी	53,305.01	25,952.10
	ख) रीटेल आउटलेट की खरीदारी	25.10	-
प्राप्त सेवाएँ	क) ONGC कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	2.94	1.03
	ख) मुंबई कार्यालय के लिए प्रदत्त किराया और विद्युत	15.36	5.89
गारंटी शुल्क	साउदी अरैमेको को दी गई गारंटी के लिए शुल्क	16.65	18.37
प्रदान की गईं सेवाएँ	ONGC की तरफ से किए गए खर्च	10.53	23.35
ब्याज खर्च	सावधि ऋण पर ब्याज	2,435.03	3,973.54

41.2.2 नियंत्रक कंपनी के पास बकाया शेषराशि

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 01 अप्रैल, 2015
ऋण	सावधि ऋण	25714.10	32,571.30	39,428.50
प्राप्य रकम	तेल उत्पादों की बिक्री	614.59	891.25	90.11
देय रकम	क्रूड तेल की खरीदारी	3,191.80	2340.35	1,730.94

41.2.3 कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले प्रतिष्ठान के साथ लेन-देन

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
उत्पादों की बिक्री	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	185334.75	136,162.92
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) टर्मिनलिंग शुल्क के निमित्त प्राप्त/प्राप्य रकम	49.25	46.18
	ख) जल प्रभार, सुकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	4.92	17.07
	ग) राज्य के लिए विशिष्ट लागत अनुपात-ET की प्रतिपूर्ति	390.49	1,020.74
	घ) संदूषित प्रभार, अस्पताल में भर्ती होने संबंधी शुल्क, घाट शुल्क और स्टॉक में हानि आदि की प्राप्तियां	3.05	3.53

41.2.4 कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले प्रतिष्ठान के पास बकाया शेषराशि

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 01 अप्रैल, 2015
प्राप्य रकम	तेल उत्पादों की बिक्री	8963.13	6,763.62	5,899.38
	मार्ग में हानि और अन्य	95.50	95.59	95.58

41.2.5 सहायक कंपनी के साथ लेन-देन

ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) के पास बकाया शेषराशि	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
उत्पादों की बिक्री	तेल उत्पादों की बिक्री	46,624.71	39,855.43
उत्पादों की खरीदारी	रैफिनेट और हाइड्रोजन की खरीदारी	8,987.03	7,224.20
प्राप्त सेवाएँ	इलेक्ट्रिकल वस्तुओं की खरीदारी	-	3.88
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) क्रेन शुल्क और सलाहकार शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.03	1.01
	ख) सुकरण शुल्क	36.67	41.70
ब्याज आय	विलंब से भुगतान करने पर ब्याज शुल्क	57.05	70.88

41.2.6 सहायक कंपनी के पास बकाया शेषराशि

ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) शेषराशि	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 01 अप्रैल, 2015
ऋण	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	0.03	17.58	17.19
प्राप्य रकम	उत्पादों की बिक्री, सुकरण शुल्क और अन्य	1,903.24	4,693.62	1,483.65
देय रकम	क) रैफिनेट, हाइड्रोजन की खरीदारी और अन्य सेवा शुल्क	96.11	111.94	107.90
	ख) OMPL द्वारा एमआरपीएल के अंदर प्रदान की गई फ़ीड हस्तांतरण सुविधा	344.40	429.14	429.16

41.2.7 संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन:

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
1 शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि. (SMAFSL)			
उत्पादों की बिक्री	ATF की बिक्री	4,720.78	2,597.06
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) इलेक्ट्रिकल शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.34	0.05
	ख) रॉयल्टी आय	10.44	5.01
लाभांश आय	प्राप्त लाभांश	7.50	9.00
2 मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (MRSL)			
प्रदान की गईं सेवाएँ	पेशेवर सेवाएं	-	0.01

41.2.8 संयुक्त उद्यमों के पास बकाया शेषराशि

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 01 अप्रैल, 2015
प्राप्य रकम शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि (SMAFSL)	क) रॉयल्टी और टर्मिनलिंग शुल्क आदि	509.86	209.13	289.09
	ख) सेवाओं के निमित्त प्राप्य रकम	0.31	0.01	0.01

41.2.9 सहबद्ध कंपनियों के साथ लेन-देन

सहबद्ध कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
क) इनसे प्राप्त सेवाएँ:			
1 मंगलूर SEZ लिमिटेड	क) नदी का जल, STP जल और सड़क की मरम्मत	416.96	521.61
	ख) पेर्मुदे कटील सड़क के निमित्त लागत का सह भाजन	-	8.14
	ग) पाइपलाइन-सह-सड़क कॉरिडॉर बनाने की खातिर मार्गाधिकार के लिए अग्रिम	87.09	950.51
	घ) बाय पास सड़क का विकास करने के लिए अग्रिम	51.50	108.30
	ङ) पेट्ट कोक सड़क के लिए प्रदत्त पट्टा किराया	130.45	-
2 पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन शुल्क	-	13.89
ख) इनको प्रदान की गईं सेवाएँ:			
1 मंगलूर SEZ लिमिटेड	सरपाडी का पट्टा किराया	0.03	0.03
2 पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति	30.18	36.70

41.2.10 सहबद्ध कंपनी के पास बकाया शेषराशि

सहबद्ध कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 01 अप्रैल, 2015
प्राप्य रकम				
पेट्रोनेट MHB लिमिटेड	विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति	2.73	1.21	0.20
देय रकम:				
1. मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड	नदी का जल, STP जल और सड़क की मरम्मत	38.84	55.87	63.54
2. ONGC नाइल गंगा BV	क्रूड की खरीदारी के निमित्त बकाया शेषराशि	67.65	69.11	62.50
इनको दिए गए अग्रिम:				
मंगलूर SEZ लिमिटेड	क) पाइपलाइन-सह-सड़क कॉरिडॉर बनाने की खातिर मार्गाधिकार के लिए अग्रिम	980.61	904.50	80.00
	ख) काना जोकट्टे सड़क परियोजना के लिए अग्रिम	-	51.50	51.50

41.2.11 न्यासों के साथ लेन-देन

न्यासों के नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
भुगतान का प्रेषण:			
एमआरपीएल लिमिटेड की भविष्य निधि	अंशदान	352.16	320.87
न्यास की तरफ से किए गए उपदान के भुगतान की प्रतिपूर्ति			
एमआरपीएल उपदान निधि न्यास	प्रतिपूर्ति और अंशदान	12.20	13.11

41.2.12 महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को दिया गया मुआवजा:

पूर्णकालिक निदेशक और कंपनी सचिव

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	14.25	12.60
रोजगार उपरांत लाभ (छुट्टी, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ के लिए प्रावधान शामिल हैं)	8.37	6.60
अन्य दीर्घावधि लाभ (भविष्य निधि के प्रति अंशदान शामिल है)	1.69	1.64
कुल	**24.30**	**20.85**

स्वतंत्र निदेशक

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
बैठक शुल्क	0.02	0.00

41.3 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रकटन

41.3.1 सरकार से जुड़े उन प्रतिष्ठानों के नाम जिनके साथ उल्लेखनीय प्रमाण में लेन-देन किए गए:

	सरकार से जुड़े प्रतिष्ठान	संबंध
1	आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ONGC) (कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला प्रतिष्ठान)	केंद्रीय PSU
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) (कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाला प्रतिष्ठान)	केंद्रीय PSU
3	ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) (कंपनी द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठान)	केंद्रीय PSU
4	पेट्रोनेट MHB लिमिटेड (PMHBL) (ऐसा प्रतिष्ठान, जिस पर कंपनी का उल्लेखनीय प्रभाव है)	केंद्रीय PSU
5	ONGC नाइल गंगा BV (ONGBV) (ऐसा प्रतिष्ठान, जिस पर कंपनी का उल्लेखनीय प्रभाव है)	केंद्रीय PSU
6	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	केंद्रीय PSU
7	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	केंद्रीय PSU
8	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	केंद्रीय PSU
9	ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लिमिटेड	केंद्रीय PSU
10	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	केंद्रीय PSU
11	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	केंद्रीय PSU
12	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	केंद्रीय PSU
13	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	केंद्रीय PSU
14	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	केंद्र सरकार
15	उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	केंद्र सरकार
16	MESCOM	राज्य सरकार
17	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	राज्य सरकार
18	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	केंद्रीय पोर्ट ट्रस्ट

41.3.2 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ लेन-देन (टिप्पणी 41.3.4):

	संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
क	**वर्ष के दौरान इनको की गई उत्पादों की बिक्री:**			
1	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	114,796.19	139,640.72
2	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	89,965.39	69,258.19
ख	**वर्ष के दौरान इनसे उत्पादों की खरीदारी:**			
1	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	CPP चरण III	33.09	43.31
2	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	ISPRL की तरफ से क्रूड तेल की खरीदारी	6,186.72	-
3	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	नैफ़्ता की खरीदारी	433.24	-
ग	**इनसे प्राप्त सेवाएँ:**			
1	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	विद्युत की खरीदारी	209.11	151.71
2	ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लि.	बीमा प्रीमियम	271.44	246.31
3	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट संबंधी सेवाएं	39.51	51.34
4	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	जॉब कार्य सेवा	28.98	67.85
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	तकनीकी सेवाएं	552.06	2,613.24
6	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	सेवा	3,945.37	883.36
7	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट संबंधी सेवाएं	1,275.43	2,969.00
8	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	रेलवे साइडिंग	320.64	9.19
घ	**भूमि का अभिग्रहण करने के लिए अग्रिम**			
1	कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	चरण IV की भूमि की खरीदारी	5,905.19	0.01

41.3.3 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के पास बकाया शेषराशि (टिप्पणी 41.3.4):

	संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 01 अप्रैल, 2015
	प्राप्य रकम				
1	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	6,216.48	5,051.23	6,988.58
2	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	3,406.15	2,396.31	2,055.91
3	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	3,033.27	-	-
4	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	8.37	8.38	349.48
	देय रकम:				
1	उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	व्यापार और अन्य देय राशि	29.82	52.16	52.16
2	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	व्यापार और अन्य देय राशि	42.79	160.02	167.19
3	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	व्यापार और अन्य देय राशि	1,087.32	1,986.15	1,935.80
4	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	व्यापार और अन्य देय राशि	1,485.93	1,531.50	2,001.54
5	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	व्यापार और अन्य देय राशि	309.97	37.88	41.54
6	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य देय राशि	0.03	9.19	-
7	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य देय राशि	19.43	18.94	32.26
8	कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	भूमि के लिए अग्रिम	5,909.11	4.32	4.31
9	ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लि.	व्यापार और अन्य देय राशि	-	-	1.34

सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ किए गए लेन-देनों में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो वैयक्तिक और सामूहिक रूप से उल्लेखनीय हैं. कंपनी ने ऊपर उल्लिखित और सरकार से जुड़े अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानों के साथ दूसरे लेन-देन भी किए हैं जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई जहाज से यात्रा, ईंधन की खरीदारी और जमाराशि आदि. वैयक्तिक और सामूहिक दृष्टि से ये लेन-देन उल्लेखनीय नहीं है और इसलिए इनको प्रकट नहीं किया गया है.

41.3.4 ONGC, HPCL, OMPL, PMHBL और ONGBV के साथ किए गए लेन-देन और इनके पास बकाया शेषराशि, उक्त टिप्पणी 41.2.1 से 41.2.10 में प्रकट की गई है.

42 वित्तीय लिखत

42.1 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य है, समुत्थान प्रतिष्ठान की तरह जारी रखने की उसकी क्षमता की हिफ़ाजत करना ताकि कंपनी, हिस्सेदारों को अधिकतम प्रतिफल और अन्य हिस्सेदारों को लाभ दिला सके और पूंजी लागत घटाने के लिए इष्टतम पूंजी संरचना बरकरार रख सके.

कंपनी, अपना वित्तीय ढांचा बरकरार रखती है जिससे कि सुरक्षित वित्तीय आधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ शेयरधारकों की मूल्य वृद्धि हासिल करने के प्रति समर्थन दिया जा सके. पूंजी संरचना को बरकरार रखने अथवा उसका समायोजन करने की दृष्टि से कंपनी, शेयरधारकों को लाभांश के वितरण में फेर-बदल कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है, नए शेयरों का निर्गमन कर सकती है अथवा कर्ज घटाने के लिए आस्तियां बेच सकती है.

कंपनी की पूंजीगत संरचना में समाविष्ट है, निवल कर्ज (टिप्पणी 21 और 22 में विस्तार से उल्लिखित उधार, जिसकी कमी पूरी की गई है नकद और बैंक शेष राशियों से) और कंपनी की कुल इक्विटी.

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी की पूंजीगत संरचना का तिमाही आधार पर समीक्षा करता है. इस समीक्षा के अंग के तौर पर, प्रबंधन, पूंजी लागत और प्रत्येक श्रेणी की पूंजी की आवश्यकता से जुड़े जोखिमों और पर्याप्त चल निधि बनाए रखने पर विचार करता है.

42.1.1 गेरिंग अनुपात

रिपोर्ट अवधि के अंत में गेरिंग अनुपात का परिकलन निम्नानुसार किया गया है:

गेरिंग अनुपात का परिकलन निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
i) कर्ज *	85,409.61	80,751.63	89,908.45
ii) कुल नकद और बैंक शेषराशि	21,308.45	137,126.37	102,686.18
घटाएं: कार्यकारी पूंजी के लिए आवश्यक नकद और बैंक शेषराशि	21,308.45	137,126.37	102,686.18
निवल नकद और बैंक शेषराशि	-	-	-
iii) निवल कर्ज	85,409.61	80,751.63	89,908.45
iv) कुल इक्विटी	100,704.75	64,313.74	52,841.14
v) इक्विटी की तुलना में निवल कर्ज का अनुपात	0.85	1.26	1.70

*कर्ज का मतलब है, टिप्पणी 21 और टिप्पणी 22 में वर्णन किए गए अनुसार दीर्घावधि और अल्पावधि उधार

42.2 वित्तीय लिखतों की श्रेणियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
वित्तीय आस्तियां (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 42.2.1)			
परिशोधित लागत पर मापे गए			
(क) व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	26,211.64	23,952.47	23,681.63
[ख] नकद और नकदी समतुल्य	2,331.66	13,541.07	13,670.00
(ग) अन्य बैंक शेषराशि	18,976.79	123,585.30	89,016.18
(घ) ऋण	475.56	434.65	416.73
(ङ) अन्य वित्तीय आस्तियां	3,213.71	1,745.37	1,581.14
उचित मूल्य पर मापे गए			
(क) निवेश	0.19	-	-
वित्तीय देयताएं			
परिशोधित लागत पर मापे गए			
(क) उधार	66,330.71	68,086.01	78,478.49
[ख] व्यापार देय राशियां	60,339.67	213,388.71	183,310.01
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	26,203.10	21,682.34	21,685.11

42.2.1 सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश को ऊपर प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि अगर कोई ह्रास हुआ हो तो उसे घटाने के बाद इनको लागत पर मापा गया है.

42.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति, समूह का प्रचालन करने में निहित महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों पर निगरानी रखकर उसे संभालती है जिसके लिए जोखिम की तीव्रता और उसके प्रमाण के आधार पर एक्सपोशर का विश्लेषण किया जाता है. इन जोखिमों में शामिल है, बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम सहित), ऋण जोखिम और नकदी जोखिम.

42.4 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम अथवा अनिश्चितता है जो संभवत: बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से और व्यवसाय के भावी निष्पादन पर उसके प्रभाव से उत्पन्न होती हैं. बाजार जोखिम के प्रमुख घटक हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम.

42.5 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी, विदेशी मुद्रा में अंकित लेन-देन, मूल रूप से क्रूड तेल की खरीदारी और निर्यात बिक्री के सिलसिले में करती है और उसके उधार, विदेशी मुद्रा में अंकित होते हैं; फलस्वरूप उसे विनिमय दर में घट-बढ़ का सामना करना पड़ता है. रिपोर्ट अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक आस्तियों और मौद्रिक देयताओं का बही मूल्य, निम्नानुसार है :-

लेन-देन मुद्रा	देयताएं (रकम, ₹ दशलक्ष में)			आस्तियां (रकम, ₹ दशलक्ष में)		
	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
USD	92,114.85	249,658.40	220,043.23	5,867.18	4,501.03	6,853.20

42.5.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी को, ख़ास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा (USD) में व्यवहार करना पड़ता है. लाभ अथवा हानि में संवेदनशीलता, ख़ास तौर से USD में अंकित प्राप्य और देय राशियों से उत्पन्न होती है.

प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार, USD-INR मुद्राओं के बीच विनिमय दर में +/- 5% का परिवर्तन होने की संभावना है, इसलिए अवधि के अंत में सिर्फ़ विदेशी मुद्रा में अंकित बकाया मौद्रिक मदों पर लाभ अथवा हानि की संवेदनशीलता, यहां नीचे प्रस्तुत की गई है:

वर्ष के अंत में USD की संवेदनशीलता	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
प्राप्य राशियां:		
INR का, 5% तक कमज़ोर पड़ना	293.36	225.05
INR का, 5% तक सुदृढ़ होना	(293.36)	(225.05)
देय राशियां:		
INR का, 5% तक कमज़ोर पड़ना	(2704.68)	(10404.01)
INR का, 5% तक सुदृढ़ होना	2704.68	10404.01

42.5.2 वायदा विदेशी मुद्रा ठेके

कंपनी ने, रिपोर्ट अवधि के दौरान, किसी वायदा विदेशी मुद्रा ठेके पर हस्ताक्षर नहीं किए.

42.6 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने, निश्चित और अस्थाई ब्याज दरों पर उधार लिए हैं इसलिए उसे ब्याज दर में निहित जोखिम उठाना पड़ेगा. कंपनी ने ब्याज दर में कोई अदला-बदली नहीं की और इसलिए कंपनी को ब्याज दर में निहित जोखिम का सामना करना पड़ेगा.

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण:

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण, रिपोर्ट अवधि के अंत में ब्याज दर के प्रति एक्सपोशर के आधार पर किया गया है. अस्थाई दर पर लिए गए उधारों के संबंध में, विश्लेषण करते समय यह परिकल्पना की गई है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में बकाया उधार राशि, समग्र वर्ष में बकाया रही. संवेदनशीलता विश्लेषण में प्रकटन करते समय 50 आधार अंक को घटाया या बढ़ाया गया है.

अगर ब्याज दर, 50 आधार अंक पर अधिक/कम हुआ होता और सभी अन्य परिवर्तनीय कारकों को स्थिर रखा गया होता तो कंपनी का, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष में ₹ 318.68 दशलक्ष तक बढ़/घट गया होता (31 मार्च, 2016 में: ₹ 370.75 दशलक्ष तक वृद्धि/अवनति). इसका प्रमुख कारण है, कंपनी का, उसके परिवर्तनीय दरों पर लिए गए उधार के प्रति एक्सपोशर.

42.7 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण संबंधी जोखिम एक ऐसा जोखिम है जब कोई प्रति पक्षकार, अपने संविदात्मक दायित्व निभाने से मुकर जाता है जिसके चलते कंपनी को वित्तीय हानि होती है. ऋण संबंधी जोखिम, नकद और नकदी समतुल्य, प्राप्य रकम सहित बैंकों एवं ग्राहकों के पास रखी गईं जमाराशियों से उत्पन्न होता है. ऋण जोखिम प्रबंधन, उपलब्ध उचित और समर्थक अग्रदर्शी सूचना के साथ-साथ ऐसे संकेतकों पर विचार करता है जैसे बाह्य क्रेडिट रेटिंग (जहां तक उपलब्ध हो), समष्टि-आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन, सरकारी निदेश, बाजार ब्याज दर).

चूंकि अधिकतर ग्राहक, सर्वाधिक क्रेडिट रेटिंग प्राप्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियां हैं इसलिए ऋण में निहित जोखिम न के बराबर है. किसी दूसरे प्रति पक्षकार के प्रति ऋण जोखिम का सांद्रण, वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मौद्रिक आस्तियों के 11% के परे न रहा.

जमाराशि रखते समय सिर्फ़ उच्च रेटिंग प्राप्त बैंकों पर विचार किया जाता है. बैंक शेषराशियां, प्रतिष्ठित एवं साख पात्र बैंकिंग संस्थाओं में रखी जाती हैं.

42.8 चलनिधि जोखिम प्रबंधन

कंपनी, चलनिधि जोखिम संभालने के लिए बैंक जमाराशियों पर पर्याप्त नकद और नकदी समतुल्य रखती है और रकम देय होने पर दायित्व निभाने की खातिर प्रतिबद्ध पर्याप्त रकम में ऋण सुविधाओं के जरिए निधि उपलब्ध कराती है. प्रबंधन, अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी स्थिति, नकद एवं नकदी समतुल्य का पूर्वानुमान लगाने की खातिर उस पर नज़र रखता है. इसके अलावा, चल निधि प्रबंधन में वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करते हुए और तुलन-पत्र के चल निधि अनुपात पर नज़र रखते हुए दायित्व निभाने के लिए ज़रूरी नकदी आस्तियों के स्तर पर विचार करते हुए नकदी प्रवाह का प्रक्षेपण किया जाता है. कंपनी, चल निधि संबंधी जोखिम संभालते समय, पर्याप्त आरक्षित निधि बरकरार रखती है और लगातार पूर्वानुमान पर और वास्तविक नकदी प्रवाह पर नज़र रखने के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करती है.

नीचे उल्लिखित तालिका में कंपनी की, सम्मत चुकौती अवधि के लिए गैर व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए बची हुई संविदात्मक परिपक्वता दर्शाई गई है. यह तालिका, कंपनी द्वारा शीघ्रातिशाघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख को ध्यान में रखते हुए वित्तीय देयताओं के बट्टा रहित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है. इस तालिका में ब्याज और मूल नकदी प्रवाह, दोनों समाविष्ट किए गए हैं. संविदात्मक परिपक्वता, कंपनी द्वारा शीघ्रातिशाघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख के आधार पर निर्धारित की गई है.

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
यथा 31 मार्च, 2017						
(i) उधार	दीर्घावधि - 5.92% अल्पावधि - 7.19%	5,201.88	12,971.00	42,529.76	5,628.07	66,330.71
(ii) देय व्यापार राशियां	-	35,258.93	25,080.74	-	-	60,339.67
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	6,810.00	19,393.10	-	-	26,203.10

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
यथा 31 मार्च, 2016						
(i) उधार	दीर्घावधि - 6.94% अल्पावधि - 7.60%	25.61	-	54,356.25	13,704.15	68,086.01
(ii) देय व्यापार राशियां	-	200,890.96	12,497.75	-	-	213,388.71
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	8,750.28	12,932.06	-	-	21,682.34

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
यथा 1 अप्रैल, 2015						
(i) उधार	दीर्घावधि - 7.32% अल्पावधि - 9.50%	108.73	-	31,225.37	47,144.39	78,478.49
(ii) देय व्यापार राशियां	-	183,310.01	-	-	-	183,310.01
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	10,027.97	11,657.01	-	0.13	21,685.11

नीचे दी गई तालिका में कंपनी की गैर व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित परिपक्वता के ब्यौरे दिए गए हैं. यह तालिका, वित्तीय आस्तियों पर अर्जित किए जाने वाले ब्याज सहित इन आस्तियों की बट्टा रहित संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर तैयार की गई है. कंपनी की चल निधि जोखिम प्रबंधन को समझने के लिए गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों पर जानकारी समाविष्ट करना आवश्यक है क्योंकि चल निधि को, निवल आस्ति और देयता के आधार पर संभाला जाता है.

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
यथा 31 मार्च, 2017						
(i) निवेश	-	-	-	-	13,496.42	13,496.42
(ii) ऋण - सब्याज	7.60%	10.61	44.00	84.79	218.08	357.48
- अन्य	-	3.27	1.70	0.01	113.10	118.08
(iii) प्राप्य व्यापार राशियां	-	26,184.83	26.81	-	-	26,211.64
(iv) नकद और नकदी समतुल्य	-	2,331.66	-	-	-	2,331.66
(v) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	-	16,220.73	2,755.97	-	0.09	18,976.79
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां	-	3,136.17	8.80	2.24	66.50	3,213.71

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 महीना -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
यथा 31 मार्च, 2016						
(i) निवेश	-	-	-	-	13,496.73	13,496.73
(ii) ऋण - सब्याज	8.81%	12.43	34.45	108.45	151.58	306.91
- अन्य		3.27	2.74	-	121.73	127.74
(iii) प्राप्य व्यापार राशियां	-	21,457.93	2,494.54	-	-	23,952.47
(iv) नकद और नकदी समतुल्य	-	13,541.07	-	-	-	13,541.07
(v) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	-	52,688.00	70,897.21	-	0.09	123,585.30
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां	-	1,077.17	621.54	2.28	44.38	1,745.37

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 महीना -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
यथा 1 अप्रैल, 2015						
(i) निवेश	-	-	-	-	13,496.73	13,496.73
(ii) ऋण - सब्याज	8.81%	8.84	33.94	71.55	183.43	297.76
- अन्य		3.22	2.13	-	113.62	118.97
(iii) प्राप्य व्यापार राशियां	-	19,104.33	4,577.30	-	-	23,681.63
(iv) नकद और नकदी समतुल्य	-	13,670.00	-	-	-	13,670.00
(v) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	-	45,578.65	43,437.53	-	-	89,016.18
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां	-	997.54	548.67	0.28	34.65	1,581.14

कंपनी को नीचे वर्णित वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच है जिसमें से ₹ 3239.60 दशलक्ष का रिपोर्ट अवधि के अंत में उपयोग नहीं किया गया था (31 मार्च, 2016 को ₹ 6958.20 दशलक्ष ; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 30864.62 दशलक्ष). कंपनी को उम्मीद है कि वह प्रचालन नकदी प्रवाह और परिपक्व होने वाली वित्तीय आस्तियों से अपने अन्य दायित्व निभा पाएगी.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
मांग पर देय जमानती बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा	8,433.00	6,958.20	30,864.62
- उपयोग की गई रकम	5,193.40	-	-
- उपयोग न की गई रकम	3,239.60	6,958.20	30,864.62

42.9 उचित मूल्य का मापन

प्रबंधन समझता है कि जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गईं वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं का बही मूल्य, उनके उचित मूल्य दर्शाता है.

43 संयुक्त उद्यमों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण (यथा 31 मार्च, 2017)	चालू आस्तियां	अप्रचलित आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	प्रचालन जारी रखने से लाभ अथवा हानि	प्रचालन बंद करने से लाभ अथवा हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	2,242.21	86.68	1,495.82	1.33	5,603.71	90.62	-	7.63	98.25
कुल	**2,242.21**	**86.68**	**1,495.82**	**1.33**	**5,603.71**	**90.62**	**-**	**7.63**	**98.25**

विवरण (यथा 31 मार्च, 2016)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	प्रचालन जारी रखने से लाभ अथवा हानि	प्रचालन बंद करने से लाभ अथवा हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	1,689.92	94.71	1,031.59	1.50	3,243.72	39.27	-	(1.27)	38.00
मंगलम् रीटेल सर्वीसेस लिमिटेड	1.26	0.09	0.08	0.09	0.13	0.04	-	-	0.04
कुल	**1,691.18**	**94.80**	**1,031.67**	**1.59**	**3,243.85**	**39.31**	**-**	**(1.27)**	**38.04**

विवरण (यथा 1 अप्रैल, 2015)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	प्रचालन जारी रखने से लाभ अथवा हानि	प्रचालन बंद करने से लाभ अथवा हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	1,917.78	104.38	1,285.58	1.37	-	-	-	-	-
मंगलम् रीटेल सर्वीसेस लिमिटेड	1.26	0.08	0.13	0.08	-	-	-	-	-
कुल	**1,919.04**	**104.46**	**1,285.71**	**1.45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

43.1 संयुक्त उद्यमों से संबंधित अतिरिक्त वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण (यथा 31 मार्च, 2017)	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	अप्रचलित वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय कर खर्च अथवा आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	375.11	1,351.14	-	7.45	22.02	1.11	49.88
कुल	**375.11**	**1,351.14**	**-**	**7.45**	**22.02**	**1.11**	**49.88**

विवरण (यथा 31 मार्च, 2016)	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	अप्रचलित वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय कर खर्च अथवा आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	992.65	916.24	-	5.90	20.92	2.51	9.60
मंगलम् रीटेल सर्वीसेस लिमिटेड	0.02	-	-	-	0.13	-	-
कुल	**992.67**	**916.24**	**-**	**5.90**	**21.05**	**2.51**	**9.60**

विवरण (यथा 1 अप्रैल, 2015)	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	अप्रचलित वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय कर खर्च अथवा आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	742.79	1,227.34	-	-	-	-	-
मंगलम् रीटेल सर्वीसेस लिमिटेड	0.04	-	-	-	-	.	-
कुल	**742.83**	**1,227.34**	**-**	**-**	**-**	**.**	**.**

44 आकस्मिक देयताएं

44.1 कंपनी के खिलाफ ऐसे दावे/विवादग्रस्त मांगें, जिनको कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
1	**माध्यस्थम् / अदालत में ठेकेदारों / विक्रेताओं के दावे** उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना करने वाले कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए निर्णीत हर्जाने, बढाई गई अवधि के लिए मुआवजे के बगैर ठेका पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है और अतिरिक्त दावे आदि किए गए हैं जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने संबंधित ठेकों के प्रावधानों के अनुसार उनको कबूल नहीं किया है. अगर निर्णय नकारात्मक निकला तो देय रकम, ₹ 1735.60 दशलक्ष को पूंजीकृत किया जाएगा / ₹ 36.56 दशलक्ष को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाएगा. (मार्च 2016 को समाप्त वर्ष में, ₹ 1969.75 और ₹ 37.31 दशलक्ष, मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में क्रमशः ₹ 340.73 दशलक्ष और ₹ 38.13 दशलक्ष).	1,772.16	2,007.06	378.86
2	**ग्राहकों के दावे** ग्राहकों में से एक ने वक्त से पहले ठेका बंद करने पर हर्जाने के तौर पर दावा पेश किया है. कंपनी ने इसे एक अपरिहार्य घटना करारते हुए इस दावे को चुनौती दी है. अगर कंपनी का रुख ठुकराया गया तो रकम लाभ-हानि लेखा विवरण में नामे डाली जाएगी.	85.20	85.20	85.20
3	**अन्य**			
क)	न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट(NMPT) ने कंपनी से, एमओयू के बाद की अवधि के लिए (16 अक्तूबर 2009 से 31 मार्च, 2015 तक बर्थ सं. 10 और 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2015 तक बर्थ सं. 11) तेल बर्थ पर कार्गो संभालने के लिए अधिसूचित घाट शुल्क अदा करने की मांग की है. कंपनी ने दावा किया है कि सहमति पत्र में, MOU अवधि के बाद सरकार/TAMP (महत्वपूर्ण बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण) के अनुमोदन के अधीन आपस में सहमत दर तय करने की बात कही गई है. यह मामला वित्तीय वर्ष 2015-16 में निपटाया गया.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2,105.44
ख)	यह ऐसी संभावित देयता दर्शाता है जिसे कंपनी ने पट्टेदारों को उनके संबंधित कर निर्धारण में कोई देयता होने पर उसकी प्रतिपूर्ति के प्रति उठाया हो. चूंकि पट्टेदारों से कोई सूचना नहीं मिली इसलिए यह रकम वर्ष 2015-16 के दौरान निकाली गई.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	133.67
ग)	भूमि और पुनर्वास एवं पुनःव्यवस्थापन कार्य के लिए प्रदत्त अग्रिम से अधिक मंगलूर एसईज़ड् लि. का दावा	20.05	16.71	109.25
	कुल	**1,877.41**	**2,108.97**	**2,812.42**

इन तमाम दावों को अस्वीकार करते हुए कंपनी द्वारा इनको चुनौती दी जा रही है. माध्यस्थम्/अदालत से समाधान/फैसला मिलने तक ऐसे दावे निपटाने के लिए अगर संसाधनों का बहिर्वाह हो तो उसका वस्तुनिष्ठ आकलन करना व्यवहार्य नहीं होगा.

44.2 यथा 31 मार्च, 2017 अपील में लंबित विवादित कर / शुल्क संबंधी मांगे

44.2.1 31 मार्च, 2017 को आय करः ₹ 4,231.68 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 6649.42 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹5942.35 दशलक्ष). इसके प्रति, 31 मार्च, 2017 को ₹ 3,994.28 दशलक्ष का (31 मार्च, 2016 को ₹ 3373.70 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 2579.25 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत समायोजन/भुगतान किया गया है जिसे कर आस्तियों/देयताओं के अधीन शामिल किया गया है. **(टिप्पणी 12)**

44.2.2 31 मार्च, 2017 को वाणिज्यिक करः ₹ 0.43 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 32.36 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 32.36 दशलक्ष). इसके प्रति, 31 मार्च, 2017 को ₹ 0.21 दशलक्ष का (31 मार्च, 2016 को ₹ 15.58 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 15.58 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत भुगतान किया गया है जिसे कर अन्य आस्तियों (गैर चालू) के अधीन शामिल किया गया है **[टिप्पणी 13].**

44.2.3 31 मार्च, 2017 को उत्पाद शुल्कः ₹ 5,962.90 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 304.80 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 315.27 दशलक्ष). इसके प्रति, 31 मार्च, 2017 को ₹ 130.06 दशलक्ष का (31 मार्च, 2016 को ₹ 59.78 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 72.87 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत भुगतान किया गया है जिसे अन्य आस्तियों (गैर चालू) के अधीन शामिल किया गया है **[टिप्पणी 13].**

44.2.4 31 मार्च, 2017 को सीमा शुल्कः ₹ 777.54 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 737.82 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 747.56 दशलक्ष).

45 प्रतिबद्धताएं

45.1 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं:

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए बचे हुए ठेकों की अनुमानित रकम और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 31 मार्च, 2017 को ₹ 3,012.07 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 1,153.52 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 1,602.96 दशलक्ष) कंपनी ने KIADB से चरण IV विस्तार के लिए 1050 एकड़ भूमि आबंटित करने की दरख्वास्त की है. पत्र सं. KIADB/ Central Ofc/LA-MNG/2480/ 16195/ 2015-16, दिनांक 22/02/2016 के अनुसार इस संबंध में कुल पूंजीगत प्रतिबद्धता है करीब ₹ 1,042.02 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 6,946.81 दशलक्ष).

45.2 अन्य प्रतिबद्धताएं

क. रिफाइनरी की तरफ़ से प्रतिबद्धता पूरी होने तक-एमआरपीएल के पास कुछ भूमि है जिसका अनंतिम रूप से माप 39.76 एकड़ है जिसे HPCL ने एमआरपीएल चरण III और उन्नयन कार्य के सिलसिले में उपयोग करने की खातिर सत्तांतरित किया है. इस भूमि के लिए प्रतिफल स्वरूप, परस्पर सम्मति के आधार पर एमआरपीएल/ HPCL के कब्जे में रही भूमि की अदला-बदली की जाएगी. इस संबंध में अंतिम प्रलेखन, अभी निष्पादित नहीं किया गया है.

ख. मेसर्स शेल्ल ग्लोबल इंटरनैशनल सोल्यूशन (मेसर्स शेल्ल GIS) द्वारा रिफाइनरी निष्पादन में सुधार करने के कार्यक्रम के निमित्त किया गया वायदा पूरा होने तक, 31 मार्च, 2017 को USD 1.46 दशलक्ष. (31 मार्च, 2016 को USD 2.06 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को USD 2.44 दशलक्ष).

ग. पूंजीगत वस्तुओं के आयात से संबंधित EPCG लाइसेंस योजना के तहत उपभोग किए गए रियायती दर पर सीमा शुल्क के निमित्त कंपनी को 31 मार्च, 2017 को ₹1,313.68 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹1,556.36 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 1,346.93 दशलक्ष) तक निर्यात की बाध्यता पूरी करनी है.

46 कंपनी, स्टॉक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत भंडार का, चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष सत्यापन करने की एक आवधिक प्रणाली अपनाती है जिसमें कुछ अवधि में तमाम मदों को इस दायरे में लाया जाएगा. समायोजन में कोई अंतर हो तो उसे समाधान पूरा होने के बाद दूर किया जाएगा.

47 कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घावधि ठेके नहीं हैं जिसके कारण किसी प्रकार की महत्वपूर्ण हानि का पूर्वाभास हो.

48 व्यापार और प्राप्य राशियों, देय व्यापार और अन्य राशियों और ऋणों की कुछ शेषराशियों का पुष्टीकरण / समाधान नहीं किया गया है. पुष्टीकरण मिलने/समाधान होने पर कोई समायोजन करने पड़े तो किया जाएगा जिसका कोई ख़ास असर नहीं होगा.

49 वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें, पिछले वर्षों से संबंधित हैं.

50 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

निदेशक मंडल ने 17 मई, 2017 को जारी करने की खातिर वित्तीय विवरणों के लिए अपना अनुमोदन दिया.

51 पहली बार Ind AS अपनाने पर किए गए समाधान

51.1 Ind AS अपनाने से 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 तक के तुलन-पत्र पर प्रभाव

विवरण	टिप्पणियां	यथा 31 मार्च, 2016 पूर्व GAAP के तहत प्रस्तुत पिछली अवधि की समाप्ति			1 अप्रैल 2015 को (संक्रमण दिनांक)		
		पूर्व GAAP #	Ind AS की तरफ़ संक्रमण का प्रभाव	Ind AS तुलन-पत्र के अनुसार	पूर्व GAAP #	Ind AS की तरफ़ संक्रमण का प्रभाव	Ind AS तुलन-पत्र के अनुसार
आस्तियां							
I. गैर चालू आस्तियां							
क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	1,2 व 3	149,211.81	(405.44)	148,806.37	141,087.06	(922.83)	140,164.23
ख) प्रगति में पूंजीगत कार्य	4	1,830.76	51.50	1,882.26	13,775.10	51.50	13,826.60
ग) सुनाम	5	2.03	2.01	4.04	4.04	-	4.04
घ) अन्य अगोचर आस्तियां		0.81	-	0.81	1.38	-	1.38
ङ) वित्तीय आस्तियां			-			-	-
i) निवेश		13,496.73	-	13,496.73	13,496.73	-	13,496.73
ii) ऋण	6	388.23	(6.46)	381.77	374.20	(5.61)	368.59
iii) अन्य वित्तीय आस्तियां		46.66	-	46.66	34.94	-	34.94
च) गैर चालू कर आस्तियां (निवल)		4,628.58	-	4,628.58	4,554.60	-	4,554.60
छ) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	12	2,265.00	(34.73)	2,230.27	-	-	-
ज) अन्य गैर चालू आस्तियां	1,4,6,7 व11	2,071.88	207.69	2,279.57	1,228.36	223.80	1,452.16
कुल गैर चालू आस्तियां (I)		**173,942.49**	**-185.43**	**173,757.06**	**174,556.41**	**-653.14**	**173,903.27**

विवरण	टिप्पणियां	यथा 31 मार्च, 2016 पूर्व GAAP के तहत प्रस्तुत पिछली अवधि की समाप्ति			1 अप्रैल 2015 को (संक्रमण दिनांक)		
		पूर्व GAAP #	Ind AS की तरफ़ संक्रमण का प्रभाव	Ind AS तुलन-पत्र के अनुसार	पूर्व GAAP #	Ind AS की तरफ़ संक्रमण का प्रभाव	Ind AS तुलन-पत्र के अनुसार
II. चालू आस्तियां							
क) स्टॉक		31,967.20	-	31,967.20	33,996.05	-	33,996.05
ख) वित्तीय आस्तियां			-	-		-	-
(i) व्यापार संबंधी प्राप्तियां	8	23,690.30	262.17	23,952.47	23,588.16	93.47	23,681.63
(ii) नकद और नकदी समतुल्य	9	103,180.40	(89,639.33)	13,541.07	41,139.65	(27,469.65)	13,670.00
(iii) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशि	9	33,946.88	89,638.42	123,585.30	61,547.47	27,468.71	89,016.18
(iv) ऋण		52.88	-	52.88	48.14	-	48.14
(v) अन्य वित्तीय		1,698.71	-	1,698.71	1,546.20	-	1,546.20
ग) अन्य चालू आस्तियां	1,6,7 व 11	4,189.21	18.82	4,208.03	6,857.17	29.43	6,886.60
उप-जोड़ चालू आस्तियां		**198,725.58**	**280.08**	**199,005.66**	**168,722.84**	**121.96**	**168,844.80**
बिक्री के लिए धारित अप्रचलित आस्तियां	10	77.96	-	77.96	77.96	-	77.96
कुल चालू आस्तियां (II)		**198,803.54**	**280.08**	**199,083.62**	**168,800.80**	**121.96**	**168,922.76**
कुल आस्तियां (I+II)		**372,746.03**	**94.65**	**372,840.68**	**343,357.21**	**(531.18)**	**342,826.03**

विवरण	टिप्पणियां	यथा 31 मार्च, 2016 पूर्व GAAP के तहत प्रस्तुत पिछली अवधि की समाप्ति			1 अप्रैल 2015 को (संक्रमण दिनांक)		
		पूर्व GAAP #	Ind AS की तरफ़ संक्रमण का प्रभाव	Ind AS तुलन-पत्र के अनुसार	पूर्व GAAP #	Ind AS की तरफ़ संक्रमण का प्रभाव	Ind AS तुलन-पत्र के अनुसार
इक्विटी और देयताएं							
I. इक्विटी							
क) इक्विटी शेयर पूंजी		17,526.64	-	17,526.64	17,526.64	-	17,526.64
ख) अन्य इक्विटी		46,677.80	109.30	46,787.10	35,522.95	(208.45)	35,314.50
कुल इक्विटी (I)		**64,204.44**	**109.30**	**64,313.74**	**53,049.59**	**(208.45)**	**52,841.14**
देयताएं							
II. अप्रचलित देयताएं							
क) वित्तीय देयताएं							
(i) उधार	3	68,204.19	(143.79)	68,060.40	78,646.53	(276.77)	78,369.76
(ii अन्य वित्तीय देयताएं		-	-	-	0.13	-	0.13
ख) प्रावधान		403.72	-	403.72	346.27	-	346.27
कुल गैर चालू देयताएं (II)	-	**68,607.91**	**(143.79)**	**68,464.12**	**78,992.93**	**(276.77)**	**78,716.16**
III. चालू देयताएं							
क) वित्तीय देयताएं							
(i) उधार		25.61	-	25.61	108.73	-	108.73
(ii) देय व्यापारी राशियां		213,388.71	-	213,388.71	183,310.01	-	183,310.01
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	3 व 6	21,554.91	127.43	21,682.34	21,732.78	(47.80)	21,684.98
ख) अन्य चालू देयताएं	6	1,420.62	1.71	1,422.33	4,065.78	1.84	4,067.62
ग) प्रावधान		3,543.83	-	3,543.83	2,097.39	-	2,097.39
घ) चालू कर देयताएं		-	-	-	-	-	-
कुल चालू देयताएं (III)	-	**239,933.68**	**129.14**	**240,062.82**	**211,314.69**	**(45.96)**	**211,268.73**
IV. कुल देयताएं (II+III)	-	**308,541.59**	**(14.65)**	**308,526.94**	**290,307.62**	**(322.73)**	**289,984.89**
कुल इक्विटी और देयताएं (I+IV)	-	**372,746.03**	**94.65**	**372,840.68**	**343,357.21**	**(531.18)**	**342,826.03**

#इस टिप्पणी के प्रयोजन से Ind AS के अधीन प्रस्तुतीकरण की अपेक्षाओं के अनुरूप पूर्व GAAP के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है.

तुलन-पत्र के समाधान के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1 **पट्टाधृत भूमि का पुनर्वर्गीकरण**: पूर्व GAAP के तहत, पट्टाधृत भूमि के लिए प्रदत्त पेशगी प्रीमियम रकम को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में लेखाबद्ध किया गया है. Ind AS के तहत पट्टाधृत भूमि का, जहां भूमि का स्वामित्व, पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. फलस्वरूप, संक्रमण दिनांक को, ₹ 6.96 दशलक्ष की रकम का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से पुनर्वर्गीकरण करते हुए Ind AS के अधीन पूर्व भुगतान के रूप में दर्शाया गया है. इसी प्रकार, ₹ 6.88 दशलक्ष की रकम, 31 मार्च, 2016 को पूर्व भुगतान के रूप में दर्शाई गई है. इस पुनर्वर्गीकरण का, संक्रमण दिनांक को इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा.

2 **संपत्ति,संयंत्र और उपकरण से संबंधित समायोजन**: पूर्व GAAP के अंतर्गत, कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को संयंत्र और उपकरण के बही मूल्य की रकम को ₹ 138,226.10 दशलक्ष के रूप में दर्शाया. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II की अपेक्षाओं की पूर्ति करने की खातिर ₹ 499.67 दशलक्ष का समायोजन किया. इसी रकम को, 1 अप्रैल, 2015 को प्रतिधारित अर्जन के प्रति तदनुरूपी समायोजन के साथ संयंत्र और उपकरण की प्रारंभिक शेषराशि के रूप में लिया गया है. तदनुसार, ₹ 137,726.43 दशलक्ष (₹ 138,226.10 दशलक्ष घटाएं ₹ 499.67 दशलक्ष) को संक्रमण दिनांक को मानी गई लागत रूप में लिया गया है. इस समायोजन के कारण आस्थगित कर पर ₹ 172.93 दशलक्ष का असर पड़ा.

3 **लेन-देन लागत**: पूर्व GAAP के तहत, ECB ऋण से संबंधित लेन-देन लागत का संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत के साथ पूंजीकरण किया गया था (जो पूंजीकरण के लिए पात्र लागत थी). Ind AS के तहत, उधार को, प्रारंभ में लेखाबद्ध करने पर निवल लेन-देन लागत के रूप में दर्शाया गया है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा गया है. संक्रमण दिनांक को, लेन-देन लागत के प्रति ₹ 416.20 दशलक्ष की रकम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से घटाने के बाद ECB ऋण से तदनुरूप काटी गई. संक्रमण दिनांक के बाद, लेन-देन लागत का, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए ऋण की अवधि में परिशोधन किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास का परिकलन, शेष उपयोगी आयु में घटाई गई रकम पर किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेन-देन लागत का परिशोधन, लाभ-हानि विवरण में वित्त लागत रूप में दर्शाया गया है फलस्वरूप वित्त लागत में ₹ 139.43 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित उक्त समायोजन के निमित्त मूल्यह्रास के प्रति 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 17.64 दशलक्ष की रकम काटी गई.

4 **दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों का पुनर्वर्गीकरण :** पूर्व GAAP के तहत, दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों के रूप में पेश किए गए पूंजीगत व्यय के प्रति प्रदत्त अग्रिम का Ind AS के तहत प्रगति में पूंजीगत कार्य के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया गया है. फलस्वरूप, ₹ 51.50 दशलक्ष की रकम का, दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों से, संक्रमण दिनांक और 31 मार्च, 2016 को प्रगति में पूंजीगत कार्य के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया गया है. इस पुनर्वर्गीकरण का, संक्रमण दिनांक को इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा.

5 **सुनाम का परिशोधन**: पूर्व GAAP के तहत, नाइट्रोजन संयंत्र से संबंधित सुनाम का, आस्तियों की उपयोगी आयु में परिशोधन किया गया था जब कि Ind AS सुनाम के तहत सुनाम का, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि में ह्रास की निगाहों से परीक्षण किया गया है जिसका परिशोधन नहीं किया गया है. फलस्वरूप, संक्रमण दिनांक को सुनाम रकम का, Ind AS के तहत ह्रास की निगाहों से परीक्षण किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2.01 दशलक्ष की परिशोधन रकम का प्रत्यावर्तन किया गया है. इस पुनर्वर्गीकरण का, संक्रमण दिनांक को इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा.

6 **वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं का पुन: मापन:** Ind AS के तहत, ली गईं कुछ जमानत और दी गई अन्य जमाराशियों का उचित मूल्यांकन करने के बाद परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया गया है. दी गई जमाराशियों और ली गईं जमानत का उचित मूल्यांकन करने पर प्रभाव, संक्रमण दिनांक को क्रमश: ₹ 5.61 दशलक्ष और ₹ 1.84 दशलक्ष तक रहा. संक्रमण दिनांक को इस समायोजन के फलस्वरूप, अन्य जमाराशियों (वित्तीय आस्तियों) और जमानत (वित्तीय देयताओं) के बही मूल्य में क्रमश: ₹ 5.61 दशलक्ष और ₹ 1.84 दशलक्ष तक अवनति हुई जिसे क्रमश: पूर्वदत्त किराया और अग्रिम किराया के रूप में दर्शाया गया. संक्रमण दिनांक के बाद, अन्य जमाराशियों (वित्तीय आस्तियों) और जमानत (वित्तीय देयताओं) को परिशोधन लागत पर लेखाबद्ध किया गया है जिसके परिणामस्वरूप क्रमश: वित्त आय और वित्त खर्च को लेखाबद्ध किया गया है. पूर्व दत्त किराए और अग्रिम किराए का जमाराशि की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधन किया गया है. इस पुन: मापन का संक्रमण दिनांक को इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा. संक्रमण दिनांक के बाद वित्तीय आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन में पाए गए अंतर को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यय में 1.33 दशलक्ष तक, ब्याज आय में ₹ 1.19 दशलक्ष तक, वित्त लागत में ₹ 0.08 दशलक्ष तक और अन्य आय में ₹ 0.13 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है. इसका निवल प्रभाव यह रहा कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में वित्तीय आस्तियों में ₹ 0.14 दशलक्ष तक, वित्तीय देयताओं में ₹ 0.05 दशलक्ष तक और कुल इक्विटी में ₹ 0.09 दशलक्ष तक अवनति हुई.

7 **कुछ ऐसी सुविधा पाने की खातिर, जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ हो, प्रदत्त रकम को लेखाबद्ध करना**: ETP सुविधा पाने के लिए प्रदत्त ₹ 265.17 दशलक्ष को संक्रमण दिनांक को '' पूर्व भुगतान '' के रूप में लेखाबद्ध किया गया जिसे पूर्व GAAP के तहत लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया गया. इससे संक्रमण दिनांक को प्रतिधारित अर्जन में वृद्धि हुई. संक्रमण दिनांक के बाद, इस रकम का, ETP सुविधा की शेष उपयोगी आयु में परिशोधन किया गया. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए परिशोधन से संबंधित लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम, ₹ 8.95 दशलक्ष है.

8 **उपचित रीबेट का पुनर्वर्गीकरण** : पूर्व GAAP के तहत, ग्राहकों (वर्तमान) को दिए गए रीबेट के मामले में उपचय को प्राप्य व्यापार राशियों से कटौती के रूप में दर्शाया गया है. Ind AS के तहत, इसका पुनर्वर्गीकरण करते हुए चालू देयताओं के अधीन '' अन्य वित्तीय देयताओं '' के रूप में दर्शाया गया है. इसलिए, रीबेट के उपचय के प्रति 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 93.47 दशलक्ष और 31 मार्च, 2016 को ₹ 262.16 दशलक्ष की रकम का, '' अन्य वित्तीय देयताएं '' में पुनर्वर्गीकरण किया गया है.

9 **नकद और नकदी समतुल्य और अन्य बैंक शेषराशियों का पुनर्वर्गीकरण :** पूर्व GAAP के अधीन, बैंक जमाराशियों का वर्गीकरण, तुलन-पत्र की तारीख को बैंक जमाराशियों की शेष परिपक्वता अवधि के आधार पर किया गया था. Ind AS के तहत, बैंक जमाराशियों का वर्गीकरण, बैंक जमाराशि की मूल परिपक्वता अवधि के आधार पर किया गया है. तदनुसार, ₹ 27468.71 दशलक्ष और ₹ 81,560.00 दशलक्ष की रकम का, संक्रमण दिनांक और 31 मार्च, 2016 को, नकद और नकदी समतुल्य से '' अन्य बैंक शेषराशियां '' में पुनर्वर्गीकरण किया गया है.

पूर्व GAAP के अंतर्गत, सोने के सिक्कों को नकद और नकदी समतुल्य के रूप में दर्शाया गया था. Ind AS के तहत, सोने के सिक्कों को '' अन्य आस्तियां '' के रूप में वर्गीकृत किया गया है. तदनुसार, ₹ 0.94 दशलक्ष और ₹ 0.91 की रकम का, संक्रमण दिनांक और 31 मार्च, 2016 को, क्रमश: नकद और नकदी समतुल्य से '' अन्य चालू आस्तियां '' में पुनर्वर्गीकरण किया गया है.

पूर्व GAAP के तहत, चालू खाते से बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में आहरित अप्रयुक्त पूंजीगत परिव्यय निधि को नकद और नकदी समतुल्य के रूप में दर्शाया गया था. Ind AS के तहत, इसका, निर्बंधित नकद के रूप में '' अन्य बैंक शेषराशियां '' में इसलिए पुन:वर्गीकरण किया गया है कि इस खाते से आहरण, सिर्फ पूंजीगत व्यय की पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है. तदनुसार, ₹ शून्य दशलक्ष और ₹ 8,078.42 दशलक्ष की रकम का, संक्रमण दिनांक और 31 मार्च, 2016 को, क्रमश: ,नकद और नकदी समतुल्य से '' अन्य बैंक शेषराशियां '' में पुनर्वर्गीकरण किया गया है.

10 **बिक्री के लिए धारित आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण** : संक्रमण दिनांक को, ₹ 77.96 दशलक्ष की रकम का, अन्य चालू आस्तियों से बिक्री के लिए धारित में पुनर्वर्गीकरण किया गया है. पुनर्वर्गीकरण का इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा.

11 **वित्तीय गारंटी:** Ind AS के तहत, सहायक कंपनी की तरफ से नियंत्रण कंपनी द्वारा, कोई गारंटी शुल्क लिए बगैर दी गई वित्तीय गारंटी का उचित मूल्यांकन किया गया है. तदनुसार, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 26.05 दशलक्ष की रकम को अतिरिक्त प्रदत्त पूंजी के रूप में दर्शाया गया है और गारंटी प्रभार के लिए पूर्व भुगतान खाते में तदनुरूप नामे डाला गया है. गारंटी प्रभार का पूर्व भुगतान, गारंटी अवधि में परिशोधित किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ 18.37 दशलक्ष की रकम का गारंटी शुल्क के रूप में परिशोधन किया गया है जिसे लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया गया है.

12 **आस्थगित कर:** आस्थगित कर को Ind AS लागू करने के कारण किए गए समायोजन के निमित्त लेखाबद्ध किया गया है. इन समायोजनों के परिणामस्वरूप, आस्थगित कर देयता में 31 मार्च, 2016 को ₹ 34.73 दशलक्ष तक वृद्धि हुई.

51.2 **31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 को कुल इक्विटी का समाधान**

विवरण	देखें टिप्पणी 51.1	यथा 31 मार्च, 2016 (पूर्व GAAP के तहत प्रस्तुत पिछली अवधि की समाप्ति)	यथा 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण दिनांक)
पूर्व GAAP के तहत कुल इक्विटी (शेयरधारकों की निधि)		64,204.44	53,049.59
समायोजन:			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित समायोजन	2	-	(499.67)
लेन-देन लागत पर वित्त प्रभार का मोचन	3	(139.43)	-
ECB लेन-देन लागत के निमित्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास से संबंधित समायोजन	3	17.64	-
सुनाम के परिशोधन का प्रत्यावर्तन	5	2.01	-
अन्य	6	(0.09)	
ETP सुविधा, निवल परिशोधन के लिए पूर्व भुगतान को लेखाबद्ध करना	7	256.22	265.17
वित्तीय गारंटी शुल्क, निवल परिशोधन को लेखाबद्ध करना	11	7.68	26.05
Ind AS के तहत तुलन-पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आस्थगित करों को लेखाबद्ध करना	12	(34.73)	-
इक्विटी में कुल समायोजन		**109.30**	**(208.45)**
Ind AS के तहत कुल इक्विटी		**64,313.74**	**52,841.14**

51.3 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लाभ-हानि विवरण में अपनाए गए Ind AS का प्रभाव

	विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (पूर्व GAAP के तहत प्रस्तुत नवीनतम अवधि)		
			पूर्व GAAP	Ind AS की तरफ संक्रमण करने का प्रभाव	Ind AS
I.	राजस्व से प्रचालन	1	508,795.78	-	508,795.78
II.	अन्य आय	7	8,571.23	1.32	8,572.55
III.	**कुल आय (I + II)**		**517,367.01**	**1.32**	**517,368.33**
IV.	**खर्च :**				
	खपाई गई सामग्री की लागत		345,516.10	-	345,516.10
	तैयार माल, प्रक्रिया में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन		6,831.66	-	6,831.66
	वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		112,321.37	-	112,321.37
	कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	2	2,850.26	4.93	2,855.19
	वित्त लागत	3, 4 व 7	5,747.05	157.88	5,904.93
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	3, 5 व 6	7,124.44	(19.73)	7,104.71
	अन्य खर्च	5, 7 व 8	23,411.09	10.36	23,421.45
	कुल खर्च (IV)		**503,801.97**	**153.44**	**503,955.41**
V.	**अपवादात्मक मद और कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**13,565.04**	**(152.12)**	**13,412.92**
VI.	अपवादात्मक मद (आय)/खर्च (निवल)		1,829.94	-	1,829.94
VII.	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**11,735.10**	**(152.12)**	**11,582.98**
VIII.	**कर संबंधी खर्च :**				
	(1) वर्तमान कर		2,345.58	-	2,345.58
	(2) आस्थगित कर	9	(2,092.07)	(139.90)	(2,231.97)
	कर संबंधी कुल खर्च (VIII)		**253.51**	**(139.90)**	**113.61**
IX	**वर्ष का लाभ (VII - VIII)**		**11,481.59**	**(12.22)**	**11,469.37**
X	**अन्य व्यापक आय**				
	ऐसी मदें जिनका लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा				
	(क) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन		-	4.93	4.93
	(ख) उक्त से संबंधित आय कर		-	(1.70)	(1.70)
	कुल अन्य व्यापक आय (X)		**-**	**3.23**	**3.23**
XI	**वर्ष की कुल व्यापक आय (IX+X)**		**11,481.59**	**(8.99)**	**11,472.60**

वर्ष 2015-16 के लिए लाभ का समाधान करने से संबंधित टिप्पणियां:

1 **प्रचालन से राजस्व: उत्पाद शुल्क**: पूर्व GAAP के तहत, उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को पेश करते समय उत्पाद शुल्क को शामिल नहीं किया गया था. Ind AS के तहत, उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को पेश करते समय उत्पाद शुल्क को समाविष्ट किया गया है और प्रदत्त उत्पाद शुल्क को खर्च के रूप में अलग रूप से दर्शाया गया है. इसके परिणामस्वरूप, कुल राजस्व में बढ़त हुई है और **कुल राजस्व में, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में ₹ 112321.37 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है.**

2 **कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च :** पूर्व GAAP के तहत, सेवानिवृत्ति उपरांत परिभाषित लाभ योजनाओं के कारण बीमांकिक अभिलाभ और हानियों को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया था. Ind AS के तहत, इसे '' अन्य व्यापक आय '' के अधीन दर्शाया गया है.

3 **लेन-देन लागत**: पूर्व GAAP के तहत, ECB ऋण से संबंधित लेन-देन लागत का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत के साथ पूंजीकरण किया गया था (जो पूंजीकरण के लिए पात्र लागत थी). Ind AS के तहत, उधार को, प्रारंभ में लेखाबद्ध करने पर निवल लेन-देन लागत के रूप में

दर्शाया गया है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा गया है. संक्रमण दिनांक को, लेन-देन लागत के प्रति ₹ 416.20 दशलक्ष की रकम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में घटाने के बाद ECB ऋण से तदनुरूप काटी गई. संक्रमण दिनांक के बाद, लेन-देन लागत का, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए ऋण की अवधि में परिशोधन किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास का परिकलन, शेष उपयोगी आयु में घटाई गई रकम पर किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेन-देन लागत का परिशोधन, लाभ-हानि विवरण में वित्त लागत रूप में दर्शाया गया है फलस्वरूप वित्त लागत में ₹ 139.43 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है. संपत्ति संयंत्र और उपकरण से संबंधित उक्त समायोजन के निमित्त मूल्यह्रास के प्रति 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 17.64 दशलक्ष की रकम काटी गई.

4 **वित्तीय गारंटी प्रभार का परिशोधन :** जैसे कि टिप्पणी 3.20.2(क) में उल्लेख किया गया है, वित्तीय गारंटी प्रभार को संक्रमण दिनांक को पूर्वदत्त गारंटी प्रभार के रूप में लेखाबद्ध किया गया है. इन गारंटियों को गारंटी अवधि में लाभ-हानि विवरण में परिशोधित किया गया है, परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान **वित्त लागत में ₹18.37 दशलक्ष की वृद्धि हुई है.**

5 **पट्टाधृत भूमि का पुनर्वर्गीकरण**: पूर्व GAAP के तहत, पट्टाधृत भूमि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंग के रूप में लेखाबद्ध करते हुए पट्टा अवधि में उसका मूल्यह्रास किया गया था. Ind AS के तहत पट्टाधृत भूमि का, जहां भूमि का स्वामित्व, पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है और इसलिए इसे पूर्व भुगतान के रूप में दर्शाते हुए पट्टा अवधि परिशोधित किया गया है. **इस पुनर्वर्गीकरण के फलस्वरूप, अन्य व्यय में तदनुरूपी वृद्धि के साथ मूल्यह्रास खर्च में ₹ 0.08 दशलक्ष तक अवनति हुई है.**

6 **सुनाम के परिशोधन का प्रत्यावर्तन**: पूर्व GAAP के तहत, सुनाम का, आस्तियों की उपयोगी आयु में परिशोधन किया गया था जब कि Ind AS सुनाम के तहत सुनाम का, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि में ह्रास की निगाहों से परीक्षण किया गया है जिसका परिशोधन नहीं किया गया है. फलस्वरूप, संक्रमण दिनांक को सुनाम रकम का, Ind AS के तहत ह्रास की निगाहों से परीक्षण किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2.01 दशलक्ष की परिशोधन रकम का प्रत्यावर्तन किया गया है.

7 **वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं का पुन: मापन:** Ind AS के तहत, ली गईं कुछ जमानत और दी गई अन्य जमाराशियों का उचित मूल्यांकन करने के बाद परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया गया है. दी गई जमाराशियों और ली गईं जमानत का उचित मूल्यांकन करने पर प्रभाव, संक्रमण दिनांक को क्रमश: ₹ 5.61 दशलक्ष और ₹ 1.84 दशलक्ष तक रहा. संक्रमण दिनांक को इस समायोजन के फलस्वरूप, अन्य जमाराशियों (वित्तीय आस्तियों) और जमानत (वित्तीय देयताओं) के बही मूल्य में क्रमश: ₹ 5.61 दशलक्ष और ₹ 1.84 दशलक्ष तक अवनति हुई जिसे क्रमश: पूर्वदत्त किराया और अग्रिम किराया के रूप में दर्शाया गया है. संक्रमण दिनांक के बाद, अन्य जमाराशियों (वित्तीय आस्तियों) और जमानत (वित्तीय देयताओं) को परिशोधन लागत पर लेखाबद्ध किया गया है जिसके परिणामस्वरूप क्रमश: वित्त आय और वित्त खर्च को लेखाबद्ध किया गया है. पूर्व दत्त किराए और अग्रिम किराए का जमाराशि की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधन किया गया है. इस पुन: मापन का संक्रमण दिनांक को इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा. संक्रमण दिनांक के बाद वित्तीय आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन में पाए गए अंतर को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यय में 1.33 दशलक्ष तक, ब्याज आय में ₹ 1.19 दशलक्ष तक, वित्त लागत में ₹ 0.08 दशलक्ष तक और अन्य आय में ₹ 0.13 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है. इसका निवल प्रभाव यह रहा कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में वित्तीय आस्तियों में ₹ 0.14 दशलक्ष तक, वित्तीय देयताओं में ₹ 0.05 दशलक्ष तक और कुल इक्विटी में ₹ 0.09 दशलक्ष तक अवनति हुई.

8 **कुछ ऐसी सुविधा पाने की खातिर, जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ हो, प्रदत्त रकम को लेखाबद्ध करना**: ETP सुविधा पाने के लिए प्रदत्त ₹ 265.17 दशलक्ष को संक्रमण दिनांक को '' पूर्व भुगतान '' के रूप में लेखाबद्ध किया गया है जिसे पूर्व GAAP के तहत लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया गया था. इससे संक्रमण दिनांक को प्रतिधारित अर्जन में वृद्धि हुई है. संक्रमण दिनांक के बाद, इस रकम का, ETP सुविधा की शेष उपयोगी आयु में परिशोधन किया गया. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए परिशोधन से संबंधित लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम, ₹ 8.95 दशलक्ष है.

10 **आस्थगित कर:** आस्थगित कर को Ind AS लागू करने के कारण किए गए समायोजन के निमित्त लेखाबद्ध किया गया है. इन समायोजनों के परिणामस्वरूप, **आस्थगित कर में** 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान **₹ 140.03 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है.**

51.4 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का समाधान

विवरण	देखें टिप्पणी 51.3	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016 (पूर्व GAAP के तहत प्रस्तुत नवीनतम अवधि)
पूर्व GAAP के अनुसार कर उपरांत लाभ		**11,481.59**
समायोजन:		
कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ का पुनर्वर्गीकरण	2	(4.93)
ECB ऋण पर वित्त प्रभार का मोचन	3	(139.43)
ECB लेन-देन के निमित्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास से संबंधित समायोजन	3	17.64
पूर्वदत्त गारंटी शुल्क का परिशोधन	4	(18.37)
सुनाम के परिशोधन का प्रत्यावर्तन	6	2.01
अन्य	7	(0.09)
पूर्व भुगतान का परिशोधन	8	(8.95)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर अनुसूची II से संबंधित आस्थगित कर समायोजन	9	172.93
Ind AS के तहत तुलन-पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आस्थगित करों को लेखाबद्ध करना	9	(33.03)
Ind AS की तरफ संक्रमण का कुल प्रभाव		**(12.22)**
Ind AS के अनुसार वर्ष का निवल लाभ		**11,469.37**
वर्ष की अन्य व्यापक आय, (निवल आय कर)		
कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ का पुनर्वर्गीकरण (निवल कर)	2	3.23
Ind AS के तहत कुल व्यापक आय		**11,472.60**

टिप्पणी: पूर्व GAAP के तहत, कुल व्यापक आय के बारे में रिपोर्ट नहीं किया गया था. इसलिए, उक्त समाधान, पूर्व GAAP के तहत कर उपरांत लाभ से शुरु होता है.

51.5 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण पर Ind AS अपनाने का प्रभाव

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष (पूर्व GAAP के तहत प्रस्तुत नवीनतम अवधि)		
	पूर्व GAAP	Ind AS के प्रति संक्रमण का प्रभाव	Ind AS
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	72,284.30	(58,529.17)	13,755.13
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	3,592.11	(0.01)	3,592.10
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(17,507.46)	31.30	(17,476.16)
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अवनति)	**58,368.95**	**(58,497.88)**	**(128.93)**
अवधि के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य	71,690.55	(58,020.55)	13,670.00
विदेशी मुद्राओं में धारित नकद की शेषराशि पर विनिमय दर में हुए परिवर्तन का प्रभाव			
अवधि के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**130,059.50**	**(116,518.43)**	**13,541.07**

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 (पूर्व GAAP के तहत पेश की गई गत अवधि की समाप्ति)	यथा 1 अप्रैल 2015 (संक्रमण दिनांक)
पूर्व GAAP के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन से नकद और नकदी समतुल्य	130,059.50	71,690.55
बैंक ओवरड्राफ्ट, जो नकद प्रबंधन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है		
नकद और नकदी समतुल्य के रूप में इससे पहले मानी गई अन्य बैंक शेषराशियां		
3 महीनों से अधिक परंतु 12 महीनों तक की मूल परिपक्वता के साथ बैंक जमाराशियाँ	108,439.09	58,019.61
निर्बंधित बैंक शेषराशियां	8,078.42	-
सोने के सिक्के	0.91	0.94
	116,518.43	**58,020.55**
Ind AS के तहत नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन से नकद और नकदी समतुल्य	13,541.07	13,670.00

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : : 003324S

हस्ता/-
सी.ए.कुमार भट्ट
साझेदार

सदस्यता सं. 022041

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : : 003957S

हस्ता/-
सीए.वी.सुरेश
साझेदार

सदस्यता सं. 026525

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17/05/2017

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN: 06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के सदस्य**

समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने, **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.** (जिसे इसके आगे " नियंत्रक कंपनी " कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनी, **" ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड "** (नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को इसके आगे एक साथ " समूह " कहा गया है) और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान **" शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसस लिमिटेड "** के संलग्न किए गए स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2017 तक का तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), उस वर्ष को समाप्त नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी समाविष्ट की गई है(जिसे इसके आगे " समेकित वित्तीय विवरण " कहा गया है).

समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसके आगे " अधिनियम " कहा गया है) की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम के अधीन जारी संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, समूह के अपने संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह और इक्विटी में समेकित परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाते हैं.

समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में सम्मिलित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी में ऐसी बातें शामिल हैं जैसे समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की आस्तियों की हिफ़ाजत करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन कर उनको लागू करने, ऐसे फैसले और आकलन करने के लिए जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की रूपरेखा बनाने, उसका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने, जो सही और निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले और चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, लेखा रेकॉर्ड की यथातथ्यता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ठीक तरह से काम कर रहे हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त ऐसे लेखा रेकॉर्ड रखना, जिनका ऊपर उल्लिखित नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से उपयोग किया गया हो.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय रिपोर्टिंग पर राय व्यक्त करने तक सीमित है.

लेखा परीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा एवं लेखा परीक्षा मानकों और उन मामलों पर ध्यान दिया है जिनको अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है.

हमने, अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की. इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम, नैतिक अपेक्षाएं पूरी करें और योजना बनाकर लेखा परीक्षा का इस तरह से निर्वाह करे जिससे यह उचित आश्वासन मिले कि क्या समेकित वित्तीय विवरण, महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त हैं.

लेखा परीक्षा में शामिल है, समेकित वित्तीय विवरणों में रकम और प्रकटन के बारे में सबूत पाने के हमारी लेखा परीक्षा के दौरान कार्यविधियां अपनाना. चुनी गईं कार्यविधियां, चाहे धोखाधडी के कारण हो या गलती के कारण, समेकित वित्तीय विवरणों में दिए गए महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं. जोखिम संबंधी ऐसे निर्धारण करते समय, लेखा परीक्षक, नियंत्रक कंपनी का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले समेकित वित्तीय विवरणों से प्रासंगिक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं जिससे कि लेखा परीक्षा से संबंधित क्रियाविधियां इस तरह से बनाई जाएं जो परिस्थितियों के अनुरूप हों और इस तरह के नियंत्रण का निर्वाह प्रभावशाली ढंग से हो. लेखा परीक्षा में यह भी शामिल हैं जैसे; प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखा संबंधी आकलन का निर्धारण करना एवं समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना.

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा संबंधी सबूत और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा, नीचे उल्लिखित परिच्छेद के उप-परिच्छेद में निर्दिष्ट उनकी रिपोर्टों के अनुसार प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा संबंधी सबूत, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार है.

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहायक कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर किए गए विचार के आधार पर, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों में, 31 मार्च, 2017 तक के कंपनी के समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की कामकाज की स्थिति (वित्तीय स्थिति) और उस तारीख को समाप्त वर्ष का उसका समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), उनका समेकित नकदी प्रवाह एवं इक्विटी में समेकित परिवर्तन की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने वाली, अधिनियम में अपेक्षित तरीके से जानकारी दी गई है जो भारत में आम तौर पर अपनाए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाती है.

अन्य मामले

हमने एक सहायक कंपनी और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की जिनके वित्तीय विवरणों में ऐसे आंकड़ें दर्शाए गए हैं जिनको समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है जैसे 31 मार्च, 2017 को ₹ 83,334.17 दशलक्ष की कुल आस्तियां, ₹ 58,217.50 दशलक्ष का कुल राजस्व और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 504.98 दशलक्ष की रकम का निवल नकदी प्रवाह. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, एक संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के संबंध में, जिसके वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा हमने नहीं की, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 46.75 दशलक्ष का समूह का ऐसा हिस्सा जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है. इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा, अन्य लेखा परीक्षकों ने की है जिनकी रिपोर्ट, प्रबंधन ने हमें दी है और जहां तक सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के बारे में सम्मिलित रकम और प्रकटन का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणों पर और जहां तक उक्त सहायक और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के बारे में अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट पर हमारी राय, सिर्फ़ अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों पर आधारित है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर नीचे दी गई हमारी राय और अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट में, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता को लेकर उक्त मामलों के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. नियंत्रक कंपनी के रेकॉर्डों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के बलबूते पर, हम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर यहां नीचे अपनी रिपोर्ट देते हैं: **सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं.**

   क. पूर्ण स्वमित्व वाली और पट्टाधृत भूमि के संबंध में नियंत्रक कंपनी के पास स्पष्ट हक/पट्टा संबंधी विलेख हैं सिवाय उस पट्टाधृत भूमि के(18.18 एकड़) जिसकी लागत ₹ 28.82 दशलक्ष है जो कंपनी के कब्जे में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा संबंधी विलेख अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं. समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.5 देखें.

   ख. नियंत्रक कंपनी ने लाभ-हानि विवरण में ₹ 59.37 दशलक्ष की रकम की ऐसी प्राप्य व्यापार राशियां बट्टे खाते लिखी हैं जिनको वसूल करना इसलिए संभव नहीं है कि यह रकम लंबे समय से लंबित है और पक्षकारों ने यह विवाद खड़ा किया है कि यह रकम देय नहीं है. समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं-34 देखें.

   ग. नियंत्रक कंपनी ने अन्य पक्षकारों के पास पड़े रहे स्टॉक के संबंध में पर्याप्त रेकॉर्ड रखे हैं. नियंत्रक कंपनी को सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई आस्तियां नहीं मिली हैं.

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और " अन्य मामले " परिच्छेद में यथा उल्लिखित, सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, जहां तक लागू होता है, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमने ऐसी तमाम जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे.

   ख. हमारी राय में, इन बहियों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी परीक्षा से लगता है कि कंपनी ने उक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां ठीक तरह से रखी हैं.

   ग. इस रिपोर्ट में समाविष्ट किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से रखी गईं संबंधित लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

   घ. हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

   ङ. जहां तक नियंत्रक कंपनी और सहायक कंपनी का संबंध में, अधिनियम की धारा 164(2) के अधीन उल्लिखित निदेशकों की अनर्हता, कंपनी कार्य मंत्रालय के दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं होती है.

   च. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के संबंध में, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टों और 31 मार्च, 2017 को प्राप्त निदेशकों के लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, जिसे भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के निदेशक मंडल ने रेकॉर्ड किया है, संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के निदेशकों में से किसी को भी, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार नियुक्त करने से अनर्ह घोषित नहीं किया गया है.

   छ. नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और भारत में निगमित उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की पर्याप्तता और

इन नियंत्रकों की प्रचालन प्रभाविता के संबंध में अनुबंध ख में अलग रूप से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें. सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को स्वीकार किया गया है.

ज. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर और साथ ही " अन्य मामले " परिच्छेद में यथा उल्लिखित सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर :

i) समेकित वित्तीय विवरणों में समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित कानूनी मामलों का प्रभाव प्रकट किया गया है. समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.44.1 और 44.2 देखें.

ii) वित्तीय विवरणों में, पूर्वानुमान लगाने लायक महत्वपूर्ण हानि के बारे में यथा लागू कानून अथवा लेखा मानकों के तहत यथापेक्षित प्रावधान किया गया है.

कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घावधि ठेके नहीं हैं और इसलिए हानि के बारे में रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता.

iii) नियंत्रक कंपनी ने, उसकी सहायक कंपनी और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान ने निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित करने के लिए अपेक्षित रकम का हस्तांतरण करने में कोई विलंब नहीं किया है.

iv) समूह ने, 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोट रखने और उनमें व्यापार करने के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटन किया है. लेखा परीक्षा संबंधी कार्यविधियों और प्रबंधन के अभ्यावेदन के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि ये प्रकटन, समूह द्वारा रखे गए और प्रबंधन द्वारा पेश की गईं लेखा बहियों के अनुसार हैं - देखें समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.16. सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को स्वीकार किया गया है.

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 003324S

हस्ता/-
सीए. ए. कुमार भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041

कृते **श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003957S

हस्ता/-
सीए.वी.सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 17 मई 2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध क – 31 मार्च 2017

(जिसे हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया है)

कंपनी अधिनियम, 2013 (" अधिनियम ") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के बारे में रिपोर्ट

31 मार्च, 2017 को और उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के समेकित विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ, हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके आगे " नियंत्रक कंपनी " कहा गया है) और उसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की, जो उस तारीख को भारत में निगमित वित्तीय कंपनियां हैं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

नियंत्रक कंपनी, उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है कि वह, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रक के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित कर बनाए रखे. इन जिम्मेदारियों में शामिल हैं, प्रभावशाली ढंग से काम करते रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का डिज़ाइन बनाना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की संबंधित नीतियों का अनुपालन किया जाता है, उसकी आस्तियों की हिफ़ाज़त की जाती है, धोखाधड़ी और गलतियां होने से रोका जाता है और उनका पता लगाया जाता है, लेखा संबंधी अभिलेखों की यथातथ्यता और परिपूर्णता बरकरार रखी जाती है और भरोसेमंद वित्तीय प्रकटन की वक्त पर तैयारी करने सहित कारोबार को व्यवस्थित ढंग से और दक्षता से चलाया जाता है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है. हमने अपनी लेखा परीक्षा, ICAI द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित किए गए मान लिए गए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा से संबंधित मानकों पर मार्गदर्शन नोट (the" Guidance Note") के अनुसार, उस हद तक की जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के लिए लागू होती है और जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, दोनों के लिए लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. इन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षा की गई है कि हम, नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा करते हुए इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित किए गए हैं और बनाए रखे गए हैं तथा ऐसे नियंत्रक, सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ऐसी कार्यविधियां अपनाई गईं जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभाविता के बारे में लेखा परीक्षा के जरिए सबूत प्राप्त किया जा सके. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की हमारी लेखा परीक्षा में शामिल था, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों को समझना, ख़ास कमजोरी में निहित जोखिम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालन प्रभाविता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना. चुनी गईं कार्यविधियां, चाहे धोखाधडी के कारण हो या गलती के कारण, वित्तीय विवरणों में दिए गए महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं.

हम मानते हैं कि हमने, अन्य मामलों के संबंध में नीचे उल्लिखित परिच्छेद में निर्दिष्ट उनकी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों से मिले लेखा परीक्षा संबंधी सबूत, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन दिलाने और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने की दृष्टि से बनाया गया है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं जो

(1) ऐसे रेकॉर्ड रखने से संबंधित हैं जो उचित ब्यौरे के साथ कंपनी के लेन-देनों और आस्तियों के निपटान का सही एवं निष्पक्ष चित्रण पेश करते हैं.

(2) ऐसा उचित आश्वासन दिलाए कि लेन-देनों के यथा आवश्यक रेकॉर्ड रखे जाते हैं जिससे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति मिले और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय, प्रबंधन एवं कंपनी निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जाते हैं; और

(3) कंपनी की उन आस्तियों के, अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम करने अथवा उसका वक्त पर पता लगाने के बारे में, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण असर पड़े, उचित आश्वासन दिलाए.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के परे अनुचित सांठगांठ अथवा प्रबंधन, ऐसी गलती अथवा धोखाधड़ी के कारण, जिसका पता न लगाया जाए, महत्वपूर्ण गलत बयान की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण. साथ ही, भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन पर आधारित प्रक्षेपण में जोखिम की ऐसी संभावना होती है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों का अनुपालन करने की मात्रा अथवा कार्यविधियों की अवनति के कारण पर्याप्त न लगे.

राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भारत में निगमित नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान ने, हमारी राय में, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाई हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, 31 मार्च, 2017 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

अन्य मामले

एक सहायक कंपनी और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावित पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उक्त रिपोर्ट, भारत में निगमित इन कंपनियों के लेखा परीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों पर आधारित है.

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 003324S

हस्ता/-
सीए. ए. कुमार भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041

कृते **श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003957S

हस्ता/-
सीए.वी.सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई 2017

फ़ार्म AOC-1

यथा 31.03.2017, सहयोगी/सहबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण के वैशिष्ट्य दर्शाने वाला विवरण

(कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक का अनुसरण करते हुए) सहयोगी/सहबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण के वैशिष्ट्य दर्शाने वाला विवरण

भाग " क " : सहयोगी कंपनी

					यथा 31.03.2017					2016-17 के लिए (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
क्रम सं	सहयोगी कंपनी का नाम (भारतीय कंपनी)	सहयोगी कंपनी का अधिकग्रहण कब किया गया	सहयोगी कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि	रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शेयर पूंजी	आरक्षित निधि व अधिशेष	कुल आस्तियां	कुल देयताएं	निवेश के ब्यौरे	कुल कारोबार	कराधान पूर्व लाभ/ (हानि)	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के बाद लाभ/ (हानि)	कुल व्यापक आय	प्रस्तावित लाभांश	शेयरधारण का %
1	ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	फरवरी 28, 2015	01.04.16 से 31.03.17	INR	18,776.26	(11,188.03)	81,005.28	73,417.05	4.80	52,565.68	(4,932.77)	(1,270.91)	(3,661.86)	(3,664.33)	-	51.00%

* मंगलूर एसईज़ड् लि. के प्रत्येक ₹10 के 480,000 इक्विटी शेयर

1. **उन सहयोगी कंपनियों के नाम जिन्होंने अब तक अपना प्रचालन शुरु नहीं किया है: कुछ नहीं**
2. **उन सहयोगी कंपनियों के नाम जिनका वर्ष 2016-17 के दौरान परिसमापन हुआ: कुछ नहीं**

भाग " ख " संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) का अनुसरण करते हुए सहबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

संयुक्त उद्यम का नाम	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड
1. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख	मार्च 31, 2017
2. संयुक्त उद्यम का कब अधिग्रहण किया गया	मार्च 11, 2008
3. वर्षांत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर	
संख्या (दशलक्ष में)	15.00
संयुक्त उद्यम में निवेश की रकम (₹ दशलक्ष में)	150.00
धारण की मात्रा (प्रतिशत में)	50%
4. किस प्रकार उल्लेखनीय प्रभाव रहा	धारण का प्रतिशत
5. संयुक्त उद्यम का समेकन क्यों नहीं किया गया है	लागू नहीं
6. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारण की निवल मूल्यवत्ता	415.87
7. वर्ष का लाभ अथवा हानि	
i. समेकन पर विचार किया गया	49.13
ii. समेकन पर विचार नहीं किया गया	-

1. उन संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अब तक अपना प्रचालन शुरु नहीं किया है: कुछ नहीं

2. उन संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष 2016-17 के दौरान परिसमापन या जिनको बेचा गया: मंगलम् रीटेल सर्वीसेस लिमिटेड

* *(वर्ष के दौरान, कंपनी ने MRSL में अपने हिस्से के 31% इक्विटी बेचे जिसके परिणामस्वरूप MRSL पर संयुक्त नियंत्रण खोना पड़ा)

संलग्न हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S
हस्ता/-
सीए. ए. कुमार भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.217

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S
हस्ता/-
सीए.वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

बोर्ड के लिए और उसकी तरफ से
हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988
हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN:07355933
हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

AOC-1

अनुसूची-III यथा 31 मार्च, 2017 को समेकित वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त प्रकटन

उद्यम का नाम	निगमन देश	निवल आस्ति (अर्थात्; कुल आस्ति घटाएं कुल देयताएं)		लाभ अथवा हानि का अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
		समेकित आस्तियों के % के रूप में	रकम	समेकित लाभ-हानि के % के रूप में	रकम	समेकित लाभ-हानि के % के रूप में	रकम	समेकित लाभ-हानि के % के रूप में	रकम
1		2	3	4	5	4	5	4	5
मूल कंपनी									
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	भारत	91.89%	90,747.54	110.98%	36,548.65	102.76%	(50.35)	110.99%	36,498.30
सहयोगी कंपनी									
भारतीय									
ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड OMPL	भारत	3.91%	3,858.94	-5.67%	(1,867.55)	2.57%	(1.26)	-5.68%	(1,868.81)
सहयोगी कंपनी में गैर नियंत्रण अधिकार		3.78%	3,729.29	-5.45%	(1,794.31)	2.47%	(1.21)	-5.46%	(1,795.52)
संयुक्त उद्यमवाले प्रतिष्ठान									
भारतीय									
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसेस लिमिटेड	भारत	0.42%	415.87	0.14%	45.31	-7.80%	3.82	0.15%	49.13
निवल		**100%**	**98,751.64**	**100.00%**	**32,932.10**	**100.00%**	**(49.00)**	**100.00%**	**32,883.10**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. ए. कुमारा भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.217

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN: 06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त))
DIN: 07355933

हस्ता
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी समेकित विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, सारी रकम ₹ दशलक्ष में)

अ. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	रकम
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	17,526.64
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2017 को शेषराशि	**17,526.64**

आ अन्य इक्विटी

विवरण	मानित इक्विटी	आरक्षित निधि और अधिशेष					
		सामान्य आरक्षित निधि	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन	कुल
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**26.05**	**1,192.00**	**91.86**	**3,467.98**	**0.07**	**29,796.85**	**34,574.81**
वर्ष का लाभ		-	-	-		8,237.13	8,237.13
परिभाषित लाभ योजना का पुन:मापन, निवल आय कर		-	-	-		0.67	0.67
वर्ष की कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,237.80**	**8,237.80**
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**26.05**	**1,192.00**	**91.86**	**3,467.98**	**0.07**	**38,034.65**	**42,812.61**
वर्ष का लाभ		-	-	-		34,726.41	34,726.41
परिभाषितलाभ योजना का पुन:मापन, निवल आय कर		-	-	-		(47.79)	(47.79)
वर्ष की कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34,678.62**	**34,678.62**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4.48	-	-	-	-	-	4.48
31 मार्च, 2017 को शेषराशि	**30.53**	**1,192.00**	**91.86**	**3,467.98**	**0.07**	**72,713.27**	**77,495.71**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. ए. कुमारा भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.217

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2017 तक का समेकित तुलन-पत्र

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, सारी रकम ₹ दशलक्ष में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा मार्च 31, 2017	यथा मार्च 31, 2016	यथा अप्रैल 1, 2015
आस्तियां				
I **गैर-चालू आस्तियां**				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5	202,384.34	213,652.91	206,785.55
(ख) प्रगति में पूंजीगत कार्य	6	2,199.15	1,981.29	13,938.44
(ग) सुनाम	7	3,772.78	3,772.78	3,772.78
(घ) अन्य अगोचर आस्तियां	8	27.08	45.28	82.19
(ङ) वित्तीय आस्तियां				
(i) निवेश	9	418.52	375.77	365.46
(ii) ऋण	10	446.59	412.36	398.44
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	11	68.74	46.66	34.94
(च) गैर-चालू कर संबंधी आस्तियां (निवल)	12	4,575.49	4,628.58	4,554.60
(छ) आस्थगित कर संबंधी आस्तियां (निवल)	24	3,106.87	8,831.72	4,293.22
(ज) अन्य गैर-चालू आस्तियां	13	10,966.06	5,539.26	5,399.63
कुल गैर-चालू आस्तियां (I)		**227,965.62**	**239,286.61**	**239,625.25**
II **चालू आस्तियां**				
(क) स्टॉक	14	44,140.49	33,824.39	37,818.92
(ख) वित्तीय आस्तियां				
(i) व्यापार देयताएं	15	26,189.78	20,740.86	22,716.25
(ii) नकद और नकदी समतुल्य	16	2,461.53	13,553.18	13,671.19
(iii) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	17	18,976.79	124,535.30	89,016.18
(iv) ऋण	10	59.58	52.88	48.14
(v) अन्य वित्तीय आस्तियां	11	3,145.02	1,702.41	1,564.25
(ग) चालू कर संबंधी आस्तियां (निवल)	12	-	2.57	13.01
(घ) अन्य चालू आस्तियां	13	5,380.57	6,927.51	8,542.54
उप-कुल चालू आस्तियां		**100,353.76**	**201,339.10**	**173,390.48**
बेचने के लिए रखी गईं गैर-चालू आस्तियां	18	77.96	77.96	77.96
कुल चालू आस्तियां (II)		**100,431.72**	**201,417.06**	**173,468.44**
कुल आस्तियां (I+II)		**328,397.34**	**440,703.07**	**413,093.69**
इक्विटी और देयताएं				
I **इक्विटी**				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19	17,526.64	17,526.64	17,526.64
(ख) अन्य इक्विटी	20	77,495.71	42,812.61	34,574.81
(ग) गैर नियंत्रक हित		3,729.29	5,524.81	8,706.15
कुल इक्विटी (I)		**98,751.64**	**65,864.06**	**60,807.60**
देयताएं				
II **गैर-चालू देयताएं**				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	21	85,909.49	89,520.21	117,476.73
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	22	-	-	0.13
(ख) प्रावधान	23	661.53	444.06	365.72
(ग) **अन्य गैर-चालू देयताएं**	26	-	-	3.24
कुल गैर-चालू येदताएं (II)		**86,571.02**	**89,964.27**	**117,845.82**
III **चालू देयताएं**				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	21	46,686.29	38,049.18	15,475.83
(ii) प्राप्य व्यापार देयताएं	25	60,444.97	212,872.72	183,672.28
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	22	30,814.36	28,863.89	28,908.04
(ख) अन्य चालू देयताएं	26	1,830.05	1,543.28	4,285.10
(ग) प्रावधान	23	2,853.57	3,546.27	2,099.02
(घ) चालू कर संबंधी देयताएं (निवल)	12	445.44	-	-
कुल चालू देयताएं (III)		**143,074.68**	**284,875.34**	**234,440.27**
IV **कुल देयताएं (II+III)**		**229,645.70**	**374,839.61**	**352,286.09**
कुल इक्विटी और देयताएं (I+IV)		**328,397.34**	**440,703.67**	**413,093.69**

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-51)

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. ए. कुमारा भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.217

कृते **श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, सारी रकम ₹ दशलक्ष में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
I.	प्रचालन से राजस्व	27	599,891.40	509,623.29
II.	अन्य आय	28	4,188.52	8,555.05
III.	**कुल आय (I + II)**		**604,079.92**	**518,178.34**
IV.	**खर्च:**			
	खपाई गई सामग्री की लागत	29	372,689.85	340,627.87
	तैयार माल के स्टॉक, प्रक्रियागत स्टॉक और व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन	30	(3,319.80)	7,948.62
	वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		162,226.14	112,321.37
	कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	31	3,902.90	3,228.22
	वित्त लागत	32	9,659.22	10,803.33
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	33	9,841.20	10,130.41
	अन्य खर्च	34	14,561.55	28,443.48
	कुल खर्च (IX)		**569,561.06**	**513,503.30**
V.	**अपवादात्मक मद और कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**34,518.86**	**4,675.04**
VI.	अपवादात्मक मद (आय)/खर्च: निवल	35	(15,972.91)	1,829.94
VII.	**संयुक्त उद्यमों के लाभ का हिस्सा**		**46.75**	**19.94**
VIII.	**कर पूर्व लाभ (V- VI+VII)**		**50,538.52**	**2,865.04**
IX.	कर संबंधी खर्च:	36		
	(1) चालू कर		11,853.78	2,345.58
	(2) आस्थगित कर	24	5,752.64	(4,538.19)
	कर संबंधी कुल खर्च (IX)		**17,606.42**	**(2,192.61)**
X.	**वर्ष का लाभ (VIII-IX)**		**32,932.10**	**5,057.65**
XI.	**अन्य व्यापक आय**			
	ऐसी मद जिनका लाभ-अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा			
	(क) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:मापन		(79.53)	(2.13)
	(ख) नकदी प्रवाह का बचाव करते समय बचाव लिखतों पर अभिलाभ (हानि) का प्रभावी हिस्सा		3.00	0.02
	(ग) ऊपर से संबंधित आय कर		27.53	0.92
	कुल अन्य व्यापक आय (XI)		**(49.00)**	**(1.19)**
XII	**वर्ष की कुल व्यापक आय (X+XI)**		**32,883.10**	**5,056.46**
XIII.	**इनके संबंध में वर्ष का लाभ**			
	कंपनी के मालिक		**34,726.41**	**8,237.13**
	गैर नियंत्रक हित		**(1,794.31)**	**(3,179.48)**
XIV.	**इनके संबंध में वर्ष की अन्य व्यापक आय**			
	कंपनी के मालिक		**(47.79)**	**0.67**
	गैर नियंत्रक हित		**(1.21)**	**(1.86)**
XV.	**इनके संबंध में वर्ष की कुल व्यापक आय**			
	कंपनी के मालिक		**34,678.62**	**8,237.80**
	गैर नियंत्रक हित		**(1,795.52)**	**(3,181.34)**
XIV	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:	37		
	(1) मूल (₹ में)		19.81	4.70
	(2) आंशिक (₹ में)		19.81	4.70

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-51)

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. ए. कुमार भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.217

कृते **श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, सारी रकम ₹ दशलक्ष में)

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017
अ प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर उपरांत लाभ		**32,932.10**	**5,057.65**
इनके लिए समायोजन:			
कर संबंधी खर्च		17,606.42	2,419.83
संयुक्त उद्यमों के लाभ का हिस्सा		(39.25)	(10.94)
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च		9,841.28	10,130.49
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण बेचने पर हानि/(लाभ) (निवल)		56.70	3.82
प्रतिलेतिखत देयता जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है		(65.67)	(363.45)
संदिग्ध प्राप्य व्यापार राशियों में ह्रास		302.80	378.49
बट्टे खाते लिखी गई संदिग्ध प्राप्य व्यापार राशियां		59.37	0.70
विनिमय दर में घट-बढ (निवल)		(1,592.88)	8,262.67
वित्त लागत		9,716.27	10,638.02
ब्याज आय		(3,840.71)	(6,969.43)
लाभांश आय		(275.51)	(1,182.18)
पूर्व भुगतान का परिशोधन		9.83	10.15
अन्य		(76.99)	82.14
		64,633.76	**28,457.96**
कार्यकारी पूंजी में घट-बढ़ :			
- प्राप्य व्यापार और अन्य राशियों में (बढ़त)/अवनति		(3,008.76)	(1,616.12)
- ऋणों में (बढ़त)/अवनति		(40.93)	(18.66)
- अन्य आस्तियों में (बढ़त)/अवनति		102,590.77	(39,060.75)
- स्टॉक में (बढ़त)/अवनति		(10,316.10)	3,994.53
- प्राप्य अन्य व्यापार देयताओं में (बढ़त)/अवनति		(155,646.61)	26,553.51
प्रचालन से उत्पन्न नकद		**(1,787.87)**	**18,310.47**
प्रदत्त आय कर, निवल धनवापसी		(9,905.25)	(4,025.42)
प्रचालान से उत्पन्न / (प्रयोग में लाया गया) निवल नकद	(क)	**(11,693.12)**	**14,285.05**
आ निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के लिए भुगतान		(8,618.34)	(4,493.09)
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण निपटाने से प्राप्तियां		1,043.99	2.52
प्राप्त ब्याज		5,404.77	7,009.09
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश		7.50	9.00
म्यूचुअल फंड में निवेश से प्राप्त लाभांश		268.01	1,173.18
संयुक्त उद्यमवाली कंपनियों में निवेश		0.31	-
ब्याज आय पर पद्रत्त कर		(416.30)	(667.63)
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न/(प्रयोग में लाया गया) निवल नकद	(ख)	**(2,310.06)**	**3,033.07**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, सारी रकम ₹ दशलक्ष में)

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
इ वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
दीर्घावधि उधार से प्राप्त प्राप्तियां		19,997.44	6,978.79
दीर्घावधि उधार की चुकौती		(16,561.37)	(36,250.51)
अल्पावधि उधार से प्राप्तियां, निवल		8,984.29	22,573.35
प्रदत्त वित्त लागत		(9,508.83)	(10,737.76)
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न/(प्रयोग में लाया गया) निवल नकद	(ग)	**2,911.53**	**(17,436.13)**
नकद और नकदी समतुल्य में निवल बढ़त/(अवनति)	(क+ख+ग)	**(11,091.65)**	**(118.01)**
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य		**13,553.18**	**13,671.19**
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य		**2,461.53**	**13,553.18**
		(11,091.65)	**(118.01)**

1 उक्त नकदी प्रवाह विवरण, Ind AS 7 " नकदी प्रवाह विवरण " में यथा निर्दिष्ट " परोक्ष पत्रति " के अधीन तैयार किया गया है.

2 कोष्ठकों में नकदी प्रवाह दर्शाया गया है.

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-51)

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. ए. कुमारा भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 022041
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.217

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

1. कंपनी के बारे में जानकारी

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ('एमआरपीएल अथवा ' कंपनी ') एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है जो भारत में स्थित और निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर, कर्नाटक - 575030 में है. कंपनी के इक्विटी शेयर, बीएसई लिमिटेड और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जैसे शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं और शेयरों का इन शेयर बाजारों में व्यापार होता है. कंपनी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी है जिसके पास 71.63% इक्विटी शेयर हैं.

कंपनी और उसकी सहायक कंपनी (जिसे संयुक्त रूप से " समूह " कहा गया है) और संयुक्त उद्यम, प्रमुख रूप से क्रूड तेल का परिष्करण करने का कारोबार, पेट्रोकेमिकल कारोबार, विमानन ईंधनों का व्यापार और रीटेल आउटलेट और परिवहन टर्मिनल के जरिए पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण करते हैं.

2. नए और संशोधित भारतीय लेखा मानकों का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को प्राधिकृत करने तक, ये समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी और अधिसूचित सभी भारतीय लेखा मानकों पर विचार किया गया है.

2.1. जारी किए गए परंतु अभी प्रभावी न हुए मानक/संशोधन

मार्च 2017 में, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने Ind AS 7 ' नकदी प्रवाह विवरण और Ind AS 102 ' शेयर आधारित भुगतान ' में संशोधनों को अधिसूचित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2017 जारी किए. ये संशोधन, अंतर्राष्ट्रीय मानक बोर्ड (IASB) द्वारा क्रमश: IAS 7, 'नकदी प्रवाह विवरण' और IFRS 2, 'शेयर आधारित भुगतान' में हाल में किए गए संशोधनों के अनुसार हैं. ये संशोधन, समूह को 1 अप्रैल, 2017 से लागू होंगे.

Ind AS 7 में संशोधन:

Ind AS 7 में संशोधन करने के लिए प्रतिष्ठानों को ऐसे प्रकटन करने पड़ेंगे जिससे वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को नकदी प्रवाह और नकदेतर परिवर्तन, दोनों के कारण हुए परिवर्तन सहित वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में हुए परिवर्तन का मूल्यांकन करना, वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलन पत्र में प्रारंभिक और अंतिम शेषराशि के बीच समाधान समाविष्ट करने का सुझाव देना सुसाध्य हो ताकि प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके.

समूह, संशोधन की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रहा है और समेकित वित्तीय विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

Ind AS 102 में संशोधन:

Ind AS 102 में किए गए संशोधन में नकद से निपटाए गए अधिनिर्णयों को मापने, नकद से निपटाए गए अधिनिर्णयों और ऐसे अधिनिर्णयों में, जिसमें कर को रोक रखने के संबंध में निवल निपटान का पहलू शामिल हो, आशोधन करने के प्रति निर्दिष्ट मार्गनिर्देश दिए गए हैं.

चूंकि समूह ने स्टॉक विकल्प संबंधी कोई योजना जारी नहीं की है इसलिए इस संशोधन का समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

3. उल्लेखनीय लेखा नीतियां

3.1. अनुपालन का विवरण

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ***दिनांक 16 फरवरी, 2015*** की अधिसूचना के अनुसार, समूह ने 1 अप्रैल, 2016 से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (जिसे "Ind AS" के रूप में निर्दिष्ट किया है) अपनाए हैं.

समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित Ind AS के अनुसार तैयार किए गए हैं. ये, समूह के प्रथम Ind AS समेकित वित्तीय विवरण हैं. भारतीय लेखा मानक की तरफ संक्रमण तारीख है, 1 अप्रैल, 2015. पहली बार अपनाने से संबंधित ब्यौरों - अनिवार्य अपवादों और समूह द्वारा उपभोग किए गए वैकल्पिक अपवादों के लिए देखें टिप्पणी 3.27.

समेकित वित्तीय विवरणों में पूर्व अवधि वाले आंकड़ों को, Ind AS का अनुपालन करते हुए दोबारा दर्शाया गया है.

31 मार्च, 2016 तक समूह ने, अपने समेकित वित्तीय विवरण, भारत में लागू सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (इससे पहले GAAP) के अनुसार और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत यथा निर्धारित लागू लेखा मानकों के अनुसार उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रूढ़ी के अंतर्गत तैयार किए थे.

Ind AS-101 - " भारतीय लेखा मानको को पहली बार अपनाना (Ind AS 101) " के अनुसार, समूह ने 31 मार्च, 2016 को, पूर्व GAAP और Ind AS के तहत शेयर धारकों के इक्विटी का और पूर्व GAAP के अनुसार कर उपरांत लाभ / (हानि) का तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए Ind AS के अंतर्गत कुल व्यापक आय का समाधान पेश किया है.

3.2. तैयार करने का आधार

जैसे कि नीचे दी गईं लेखा संबंधी नीतियों में स्पष्ट किया गया है, समेकित वित्तीय विवरण, उन वित्तीय विवरणों को छोड़कर जो प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं.

ऐतिहासिक लागत, आम तौर पर, वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती है.

तमाम आस्तियों और देयताओं का, समूह के सामान्य प्रचालन चक्र के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य मापदंडों के आधार पर चालू अथवा गैर चालू के रूप में वर्गीकरण किया गया है

समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय रुपयों में दर्शाए गए हैं और सारे मूल्यों को, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निकटतम दो दशमलव दशलक्ष में पूर्णांकित किया गया है.

उचित मूल्य मापना.

उचित मूल्य, ऐसी कीमत होती है कि जो आस्ति बेचने पर प्राप्त होगी अथवा जिसे चालू बाजार स्थितियों में मापन दिनांक को बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन करते समय देयता का अंतरण करने के लिए अदा किया जाएगा.

समूह, मापन करते समय नियोजित निविष्टियों पर नज़र रखने की क्षमता के आधार पर उचित मूल्य पर मापी गईं आस्तियों और देयताओं का तीन स्तरों में वर्गीकरण करता है जिनका वर्णन यहां नीचे किया गया है:

(क) स्तर 1 की निविष्टियां, एक ही तरह की आस्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में कोट की गईं कीमतों (असमायोजित) के समान होती हैं.

(ख) स्तर 2 की निविष्टियां, आस्ति अथवा देयता के लिए स्तर 1 के अंदर समाविष्ट कोट की गईं कीमतों से भिन्न होती हैं जिन पर, यातो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से नज़र रखना सुसाध्य होगा.

(ग) स्तर 3 की निविष्टियां, नज़र रखने लायक संबंधित बाजार के आंकड़ों अथवा बाजार के सहभागियों द्वारा कीमत निर्धारण के बारे में समूह की परिकल्पनाओं में उल्लेखनीय आशोधन परिलक्षित करने वाली आस्ति या देयता से संबंधित नजर न रखने लायक निविष्टियां होती हैं.

3.3. समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों (जिसे संयुक्त रूप से " समूह " के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के वित्तीय विवरण समाविष्ट किए जाते हैं. कंपनी ने संयुक्त उद्यमों में निवेश किया है जिनको इन समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखाबद्ध किया जाता है. समेकित वित्तीय विवरणों में, संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश की लेखा संबंधी नीति के बारे में जानने के लिए देखें टिप्पणी 3.6.

सहायक कंपनियां, ऐसी कंपनियां होती हैं जो कंपनी द्वारा नियंत्रित की जाती हैं. कंपनी, प्रतिष्ठान को तब नियंत्रित करती है जब उसका एक्सपोशर बढ़ जाए अथवा प्रतिष्ठान के साथ उसकी भागीदारी से विभिन्न प्रतिफल पर उसका अधिकार हो और प्रतिष्ठान की संबंधित गतिविधियों को दिशा देने के उसके अधिकार के जरिए उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता हो. सहायक कंपनियों का उनकी अधिग्रहण तारीख से समेकन किया जाता है जब कि यह वह तारीख होती है जब कंपनी, अपना नियंत्रण प्राप्त करे और ऐसा नियंत्रण समाप्त होने तक समेकित बने रहे.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय एक समान लेन-देनों और इसी प्रकार की परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखा नीतियां निरंतर रूप से अपनाई गई हैं और ये विवरण, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, जहां तक हो सके, उसी तरीके से पेश की गई हैं जैसे कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरण बनाए गए हैं. जब कभी ज़रूरत लगी, सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में समायोजन किया गया है जिससे कि उनकी लेखा नीतियों को समूह की लेखा नीतियों के अनुरूप ढाला जा सके.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों का, पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर, अंतरा-समूह आस्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय, खर्च अंतरा-समूह लेन-देन से संबंधित नकदी प्रवाह और अप्राप्त लाभ को पूरी तरह से हटाने के बाद आस्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय, खर्च और नकदी प्रवाह जैसी मदों के बही मूल्य को एक साथ जोड़ते हुए संयोजन किया गया है. जब तक लेन-देन में हस्तांतरित आस्ति की हानि का सबूत न मिले, न उठाई गई हानि को भी हटाया जाता है.

लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय के प्रत्येक घटक, कंपनी के मालिकों और गैर-नियंत्रक हितों के कारण होते हैं. कुल व्यापक आय, कंपनी के मालिकों और गैर-नियंत्रक हितों के कारण उत्पन्न होती है भले ही इससे गैर-नियंत्रक हितों में घाटा उठाना पड़े.

सहायक कंपनियों में समूह के स्वत्व हितों में उन परिवर्तनों को जिससे समूह का सहायक कंपनियों पर नियंत्रण खो न जाए, इक्विटी लेन-देन के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. समूह के हितों और गैर-नियंत्रक हितों के बही मूल्य का समायोजन किया जाता है जिससे कि सहायक कंपनियों में उनके संबंधित हितों में परिवर्तन परिलक्षित हो सके. समायोजित गैर-नियंत्रक हितों और प्रदत्त अथवा प्राप्त प्रतिफल के उचित मूल्य के बीच अंतर को इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया जाता है और कंपनी के मालिकों के कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है.

जब समूह, सहायक कंपनी पर अपना नियंत्रण खो दे तब लाभ अथवा हानि में अभिलाभ अथवा हानि नज़र आती है जिसका परिकलन इनके बीच अंतर के रूप में किया जाता है (i) प्राप्त प्रतिफल का कुल उचित मूल्य और किसी प्रतिधारित हित का उचित मूल्य तथा (ii) आस्तियों (सुनाम सहित) पिछले बही मूल्य और सहायक कंपनी की देयताएं और कोई गैर-नियंत्रक हित. उस सहायक कंपनी के संबंध में अन्य व्यापक आय में नज़र आई समग्र रकम को इस तरह से लेखाबद्ध किया जाता है मानो समूह ने सहायक कंपनी की संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं को प्रत्यक्ष रूप से निपटाया था (अर्थात्. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया था अथवा लागू Ind AS में यथा निर्दिष्ट/अनुमत किसी दूसरी श्रेणी के इक्विटी में हस्तांतरित किया था). जिस दिन नियंत्रण खो गया हो उस दिन, पूर्व सहायक कंपनी में प्रतिधारित किसी निवेश का उचित मूल्य, Ind AS 109 के तहत बाद में लेखाबद्ध करने के लिए प्रारंभ में स्वीकार किए गए उचित मूल्य के रूप में अथवा जब लागू हो तब सहबद्ध अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारंभ में स्वीकार करने पर लगी लागत के रूप में माना जाता है.

3.4. व्यावसायिक संयोजन

लेखाकरण की अभिग्रहण पद्धति का उपयोग, समूह द्वारा व्यावसायिक संयोजन को लेखाबद्ध करते समय किया जाता है. इस पद्धति में, अधिग्रहण करने वाले की पहचानने लायक आस्तियों, देयताओं और आकस्मिक देयताओं को, जो स्वीकार करने की शर्तें पूरी करें, अभिग्रहण दिनांक को उनके उचित मूल्यों पर स्वीकार किया जाता है. गैर-नियंत्रक हित का, जिस कंपनी का अभिग्रहण किया गया हो उस कंपनी की पहचानने लायक निवल आस्तियों की लेखाबद्ध की गई रकम के उचित हिस्से पर मापन किया जाता है.

सुनाम का मापन, हस्तांतरित प्रतिफल की अतिशय रकम, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में गैर-नियंत्रक हित की रकम और जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो (अगर कोई हो तो) उसमें इससे पहले अधिग्रहण करने वाली कंपनी द्वारा धारित इक्विटी के, अधिग्रहीत पहचाने लायक आस्तियों और कल्पित देयताओं की अधिग्रहण तारीख को निवल रकम के रूप में किया जाता है.

हस्तांतरित प्रतिफल की कुल रकम से अधिक, समूह का, पहचानने लायक आस्तियों और देयताओं के निवल उचित मूल्य का हिस्सा, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में गैर-नियंत्रक हित की कोई रकम और जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो (अगर कोई हो तो) उसमें इससे पहले अधिग्रहण करने वाली कंपनी द्वारा धारित इक्विटी के उचित मूल्य, निवेश लागत को पुनर्निर्धारण के बाद जिस अवधि में निवेश किया गया हो उस अवधि में पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से लेखाबद्ध किया जाता है. व्यावसायिक संयोजन के संबंध में उठाई गई लेन-देन लागत को समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

जब व्यावसायिक संयोजन, चरणों में हासिल हो तब, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में समूह के पूर्व में धारित इक्विटी हित का, अधिग्रहण दिनांक को उपलब्ध उचित मूल्य में पुन: मापा जाता है और अगर कोई परिणामी अभिलाभ अथवा हानि हो तो उसे लाभ-हानि में दर्शाया जाता है. अधिग्रहण दिनांक से पहले, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में हितों से उत्पन्न उस रकम का, जिसे अन्य व्यापक आय में शामिल किया गया हो, लाभ-हानि में उस स्थिति में पुन:वर्गीकरण किया जाता है जब ऐसे हित को निपटाए जाने पर ऐसा करना उचित हो.

3.5. गैर-नियंत्रक हित

गैर-नियंत्रक हित, इस समय ऐसे स्वत्व हित माने जाते हैं जिसकी बदौलत उसके धारकों को परिसमापन होने की दशा में समूह की निवल आस्तियों का यथानुपात हिस्सा मिले. गैर-नियंत्रक हित का, प्रारंभ में, जिस कंपनी का अभिग्रहण किया गया हो उस कंपनी की पहचानने लायक निवल आस्तियों की स्वीकार की गई रकम के गैर-नियंत्रक हितों के यथानुपात हिस्से पर मापन किया जाता है. अधिग्रहण करने के बाद, गैर-नियंत्रक हितों का बही मूल्य, इक्विटी में बाद में होने वाले परिवर्तन के गैर-नियंत्रक हिस्से के साथ-साथ स्वीकार की गई हितबद्ध रकम के बराबर होता है.

3.6. संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यम, एक संयुक्त व्यवस्था के बराबर होता है जिसमें व्यवस्था पर पक्षकारों का, संयुक्त व्यवस्था के निवल आस्तियों पर अधिकार होता है. संयुक्त नियंत्रण का मतलब है, संविदात्मक रूप से सम्मत व्यवस्था के नियंत्रण का सहभाजन जो तभी उत्पन्न होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में फ़ैसलों के लिए नियंत्रक का सहभाजन करने वाले पक्षकारों की सर्वसम्मति की ज़रूरत पड़ती है.

इक्विटी लेखा पद्धति का उपयोग करते हुए समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यमों के परिणाम एवं आस्तियों और देयताएं समाविष्ट की जाती हैं. इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारंभ में समेकित तुलन-पत्र में लागत पर दर्शाया जाता है और बाद में उसका समायोजन करते हुए समूह के लाभ अथवा हानि के हिस्से में और संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है.

संयुक्त उद्यम से प्राप्त संवितरण से निवेश का बही मूल्य घट जाता है. जब समूह के, संयुक्त उद्यम के हानि का हिस्सा, समूह के संयुक्त उद्यम में हित से अधिक हो तब समूह, अधिक हानि के अपने हिस्से को दर्शाना बंद कर देता है. अतिरिक्त हानि को उसी हद तक स्वीकार किया जाता है जिस हद तक समूह ने कानूनी अथवा संरचनात्मक बाध्यताएं पूरी की हो अथवा संयुक्त उद्यम की तरफ से भुगतान किया हो.

अगर संयुक्त उद्यम, एक ही प्रकार के लेन-देनों और एक समान परिस्थितियों में घटनाओं के लिए समूह की लेखा नीतियों से भिन्न लेखा नीतियां अपनाए तो समायोजन करते हुए संयुक्त उद्यम की लेखा नीतियों को इक्विटी पद्धति लागू करने से पहले मौजूद समूह की नीतियों के अनुरूप बनाया जाता है.

संयुक्त उद्यम में निवेश को लेखाबद्ध करते समय जिस तारीख से निवेशिती, संयुक्त उद्यम बने उस तारीख से इक्विटी पद्धति का प्रयोग किया जाता है. संयुक्त उद्यम में निवेश का अधिग्रहण करने पर, समूह के, निवेशिती की पहचाने लायक आस्तियों और देयताओं के निवल उचित मूल्य से अधिक निवेश लागत को सुनाम के रूप में दर्शाया जाता है जिसे निवेश के बही मूल्य के अंदर शामिल किया जाता है. समूह के निवेश की लागत से अधिक पहचानने लायक आस्तियों और देयताओं के हिस्से को पुनर्निर्धारण करने के बाद, जिस अवधि में निवेश का अधिग्रहण किया गया हो उस अवधि में पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया जाता है.

इक्विटी लेखा पद्धति लागू करने के बाद, समूह यह तय करेगा कि क्या, संयुक्त उद्यम में निवल निवेश को प्रारंभ में स्वीकार करने के बाद हुई एक या उससे अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुनिष्ठ सबूत है और यह कि कोई ऐसी घटना है (घटनाएं हैं) जिसका भरोसेमंद तरीके से आकलन करने लायक निवल निवेश से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर असर पड़े. अगर हानि का ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ सबूत हो तो समूह, संयुक्त उद्यम में अपने निवेश के संबंध में हानि के रूप में हुए नुकसान को स्वीकार करता है. जब ज़रूरत पड़े तब निवेश के समग्र बही मूल्य (सुनाम सहित) का, Ind AS 36 ' आस्तियों की हानि " के अनुसार एक ही आस्ति के रूप में, उसकी वसूल करने लायक रकम का (प्रयोग में उच्चतर मूल्य और उचित मूल्य घटाएं निपटान लागत) उसके बही मूल्य के साथ तुलना करते हुए हानि को लेकर परीक्षण किया जाता है. हानि के रूप में हुए नुकसान का कोई प्रत्यावर्तन हो तो उसे Ind AS 36 के अनुसार उस हद तक स्वीकार किया जाता है जिस हद तक निवेश की वसूल करने लायक रकम में बाद में बढ़त हो.

समूह, इक्विटी पद्धति का प्रयोग करना तब बंद करेगी जब निवेश, संयुक्त उद्यम के रूप में न रह जाए अथवा जब निवेश का, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण किया जाए. जब समूह, पूर्व संयुक्त उद्यम में अपना हित बरकरार रखे और ऐसा प्रतिधारित हित, वित्तीय आस्ति में हो तब समूह, प्रतिधारित हित के उचित मूल्य का मापन, उस दिनांक को करता है और उचित मूल्य को, Ind AS 109 ' वित्तीय लिखत ' के अनुसार प्रारंभिक स्वीकृति पर उसके उचित मूल्य पर माना जाता है. जिस तारीख को इक्विटी पद्धति बंद की गई उस तारीख को संयुक्त उद्यम के बही मूल्य और प्रतिधारित हित के उचित मूल्य एवं संयुक्त उद्यम में आंशिक हित का निपटान करने पर प्राप्त प्राप्तियों के बीच अंतर को, संयुक्त उद्यम का निपटान करने पर अभिलाभ अथवा हानि का निर्धारण करते समय समाविष्ट किया जाता है. इसके अलावा, समूह, उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में इससे पहले स्वीकार की गईं समग्र रकम को उसी आधार पर लेखाबद्ध करता है जैसे संयुक्त उद्यम को अपनी संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं का सीधी तरह से निपटाने करने पर करना पड़ता है. इसलिए अगर उस संयुक्त उद्यम को इससे पहले अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए अभिलाभ अथवा हानि का, संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं का निपटाने करने पर लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकरण करना पड़े तो समूह, इक्विटी पद्धति बंद करने पर अभिलाभ अथवा हानि का, इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण करता है(पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में).

जब संयुक्त उद्यम में किया गया निवेश, सहबद्ध कंपनी में किए गए निवेश की तरह हो, तब समूह, इक्विटी पद्धति अपनाना जारी रखता है. स्वत्व हितों में इस तरह का परिवर्तन होने पर उचित मूल्य का पुन: मापन नहीं किया जाता है.

जब समूह, संयुक्त उद्यम में अपना स्वत्व हित घटाएं परंतु इक्विटी पद्धति लागू करना जारी रखे तब समूह, स्वत्व हित कम होने पर अन्य व्यापक आय में इससे पहले दर्शाए गए अभिलाभ अथवा हानि के अंश तक लाभ अथवा हानि का पुनर्वर्गीकरण करता है भले ही संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं का निपटान करने पर अभिलाभ अथवा हानि का लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण किया जाए.

जब समूह प्रतिष्ठान, समूह के संयुक्त उद्यम के साथ लेन-देन करे, तब संयुक्त उद्यम के साथ किए गए लेन-देनों से उत्पन्न लाभ और हानि को समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में उसी हद तक दर्शाया जाता है जिस हद तक समूह से जुडे न रहे संयुक्त उद्यम में हित हों.

3.7. सुनाम

व्यवसाय का अधिग्रहण करने पर उत्पन्न सुनाम, व्यावसायिक अधिग्रहण दिनांक को संचित हानि के कारण उत्पन्न नुकसान हुआ हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर स्थापित किया जाता है.

हानि संबंधी परीक्षण के प्रयोजन से, सुनाम, समूह की नकद उत्पन्न करने वाली उन इकाइयों में आबंटित किया जाता है जिनसे संयोजन की सहक्रिया से फायदा हासिल करने की उम्मीद की जाती है.

नकद उत्पन्न करने वाली उस यूनिट का, जिसे सुनाम आबंटित किया गया हो, वर्ष में एक बार अथवा अकसर ह्रास की निगाहों से परीक्षण तब किया जाता है जब यह संकेत मिले कि यूनिट द्वारा हानि उठाने की संभावना है. अगर नकद उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूल करने लायक रकम, बही मूल्य से कम हो तो सबसे पहले ह्रासित हानि को आबंटित किया जाता है जिससे कि इकाई को आबंटित सुनाम के बही मूल्य को कम किया जा सके और तदनंतर इकाई में प्रत्येक आस्ति के बही मूल्य के आधार पर यथानुपात इकाई की अन्य आस्तियों में आबंटन किया जाता है. सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि को सीधे लाभ अथवा हानि में दर्शाया जाता है. सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि का, बाद में किसी अवधि में प्रत्यावर्तन नहीं किया जाता है.

उत्पन्न करने वाली संबंधित इकाई को निपटाने के बाद सुनाम के कारण उत्पन्न रकम को लाभ अथवा हानि का निर्धारण करते समय समाविष्ट किया जाएगा.

3.8. बिक्री के लिए धारित अप्रचलित आस्तियां

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत अप्रचलित आस्तियों को बेचते समय, लागत घटाने के बाद कमतर बही मूल्य पर और उचित मूल्य पर मापा जाता है.

अप्रचलित आस्तियों का बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब लगातार उपयोग करने के बजाय बिक्री संबंधी लेन-देन के जरिए उनका बही मूल्य वसूल करना पड़े. इस शर्त की पूर्ति तभी मानी जाएगी जब बिक्री होने की अधिक संभावना हो और आस्ति, उसकी वर्तमान दशा में फौरन बेचने के लिए उपलब्ध हो जब कि इन आस्तियों की बिक्री के लिए मामूली और प्रथागत नियम लागू होंगे.

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण करते ही संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा.

3.9. राजस्व को पहचानना

3.9.1. बिक्री तभी मानी जाएगी जब उससे जुड़े जोखिम और अधिनिर्णय (वस्तुओं की अभिरक्षा का हस्तांतरण), ग्राहक के हवाले किए जाएं जिसमें मूल्य वर्धित कर (VAT) को छोड़कर सारे सांविधिक लेवी शामिल होते हैं जो निवल बट्टे के समान होते हैं.

3.9.2. लाभांश आय तब स्वीकार की जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध किया जाए.

3.9.3. वित्तीय आस्तियों से ब्याज सहित आय का समय आधार पर उपचय करते समय प्रारंभ में स्वीकार करने पर आस्ति के निवल बही मूल्य की तुलना में वित्तीय आस्ति की अनुमानित अवधि के जरिए बकाया मूल धनराशि और लागू प्रभावी ब्याज दर (ऐसी दर जो अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को ठीक तरह से काटें) का हवाला दिया जाता है.

3.9.4. वित्तियेतर आस्तियों के मामले में, ब्याज सहित आय को समय अनुपात आधार पर स्वीकार किया जाता है. वापस करने लायक करों / शुल्कों के रूप में आय को प्राप्ति आधार पर स्वीकार किया जाता है.

3.9.5. स्क्रैप की बिक्री से राजस्व को तभी स्वीकार किया जाता ही जब उससे जुड़े जोखिम और अधिनिर्णय (वस्तुओं की अभिरक्षा का हस्तांतरण), ग्राहक के हवाले किए जाएं.

3.9.6. परिसमाप्त हर्जाने के संबंध में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से राजस्व को तभी स्वीकार किया जाता है जब यह तय हो कि ऐसा राजस्व देय नहीं है.

3.9.7. समूह ने अपने ग्राहकों के साथ ' ले या अदा करे ' की व्यवस्था की है जिसके लिए समूह को व्यवस्था के अनुसार निर्दिष्ट प्रमाण में सुपुर्दगी करनी पड़ेगी.
अगर ग्राहक ने व्यवस्था के अनुसार कम माल उठाए तो समूह को हक होगा कि वह उठाए गए कम माल के संबंध में राजस्व प्राप्त करे. ले या अदा करे व्यवस्था के तहत उठाए गए कम माल के संबंध में राजस्व तब स्वीकार किया जाता है जब समूह की, व्यवस्था के अनुसार कम उठाए गए माल की आपूर्ति की बाध्यता समाप्त हो जाए और ऐसी सूरत में संभव है कि आर्थिक लाभ, समूह को मिले.

3.9.8. समूह को हक होगा कि वह, भारत की विदेशी व्यापार नीति में अधिसूचित MEIS योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स में प्रोत्साहन का निर्यात करे. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स से उत्पन्न आय को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के उचित मूल्य पर तब स्वीकार किया जाता है जब यह निश्चित करने का औचित्य हो कि समूह को की गई निर्यात बिक्री के सिलसिले में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्राप्त होगा जो सामान्यत उस वक्त होता है जब SEZ का प्राधिकरण, समूह को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स निर्गमित करे.

3.9.9. लाभ-हानि विवरण में उत्पाद शुल्क को खर्च के रूप में दर्शाया जाता है. उत्पाद शुल्क देने लायक वस्तुओं के अंतिम और प्रारंभिक स्टॉक के बीच अंतर के संबंध में

उत्पाद शुल्क " अन्य खर्च " के अधीन दर्शाया जाता है.

3.10. पट्टे

पट्टे का, वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब पट्टे के नियमों के अनुसार सारे जोखिम और स्वत्व के अधिनिर्णय पट्टाधृती के हवाले किए जाएं. दूसरे सभी पट्टे का वर्गीकरण, प्रचालन पट्टे के रूप में किया जाता है.

पट्टाधृत भूमि का, जहां भूमि का स्वत्व, पट्टा अवधि के अंत में समूह के नाम हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया जाता है. प्रचालन पट्टे के संबंध में पहले किए गए भुगतानों को पूर्व भुगतानों के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसका पट्टे की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधन किया जाता है. पट्टाधृत भूमि का, जहां भूमि का स्वत्व, पट्टा अवधि के अंत में समूह के नाम हस्तांतरित किया जाएगा, वित्त पट्टे के रूप में विचार किया जाता है. ऐसी पट्टाधृत भूमि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधीन दर्शाया जाता है जिसका मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

3.11. विदेशी मुद्राएं

समूह के प्रत्येक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में समाविष्ट मदों का मापन करते समय, उसी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है जिस प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा में प्रतिष्ठान अपना काम चलाता है (" कार्यात्मक मुद्रा "). समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों (₹) में पेश किया गया है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और समूह की प्रस्तुतीकरण मुद्रा है.

संबंधित प्रतिष्ठानों की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राएं) से भिन्न मुद्राओं में किए गए लेन-देनों को, लेन-देनों के दिनांकों को मौजूद मुद्रा दरों पर स्वीकार किया जाता है. प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों को, रिपोर्ट अवधि के अंतिम दिन मौजूद अंतिम मुद्रा दर के आधार पर रुपयों में रूपांतरित किया जाता है.

दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय में नजर आए अंतर को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है जब कि 31 मार्च 2016 को दर्शाई गईं दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय अंतर को उस हद तक नहीं जोड़ा जाता है, जिस हद तक उनका मूल्यह्रास करने लायक आस्तियों का अधिग्रहण करने का संबंध हो, तदनंतर इन आस्तियों की लागत के प्रति समायोजन किया जाता है और आस्ति की बची हुई आयु में उक्त समायोजन को कम किया जाता है.

3.12. उधार लागत

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण की दृष्टि से निर्दिष्ट रूप से पहचानी गईं उधार लागत का, इन आस्तियों के अंग के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. अर्हक आस्ति उसे कहते हैं जिसे अभिप्रेत उपयोग करने की दृष्टि से तैयार रखने के लिए काफ़ी समय लगता है. दूसरी अन्य उधार लागतों को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.13. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक दर्शाया नहीं जाता है जब तक यह उचित आश्वासन न मिला हो कि समूह, उनसे संबंधित शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त किए जाएंगे.

सरकारी अनुदानों को लाभ अथवा हानि विवरण में व्यवस्थित ढंग से उस अवधि में जिसमें समूह, जिस लागत के लिए अनुदान की प्रतिपूर्ति करने के इरादे से उपयोग किया जाएगा, खर्च के रूप में स्वीकार न करे .

निर्दिष्ट रूप से उन सरकारी अनुदानों को, जिनके संबंध में मूल रूप से यह शर्त रखी जाती है कि समूह को, अप्रचलित आस्तियां खरीदनी पड़ेंगी, उनका निर्माण अथवा अन्यथा अधिग्रहण करना पड़ेगा, तुलन-पत्र में आस्थगित राजस्व के रूप में दर्शाकर संबंधित आस्तियों की उपयोग अवधि में व्यवस्थित एवं युक्तियुक्त तरीके से लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बाजार ब्याज दर से कम दर पर सरकारी ऋण का लाभ, सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है जिसका मापन, प्राप्त प्राप्तियों और मौजूदा बाजार ब्याज दर पर उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाता है.

3.14. कर्मचारियों के लाभ

कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ में शामिल हैं, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि, उपदान निधि, क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां, रोजगार उपरांत चिकित्सा लाभ, पुन:व्यवस्थापन भत्ते.

परिभाषित अंशदायी योजनाएं

भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि सहित परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को, योजना के प्रति समूह के दायित्व के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. इनका भुगतान, क्रमश: भविष्य निधि प्राधिकरणों और भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाता है और इनको वर्ष के दौरान खर्च के अधीन दर्शाया जाता है.

परिभाषित लाभ योजनाएं

उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और अन्य दीर्घावधि सेवानिवृत्ति लाभ सहित परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं को परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और इसका

परिकलन प्रक्षेपित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट अवधि के अंत में किया जाता है. इनको वर्तमान कर्मचारी लागत के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है अथवा यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट किया जाता है.

निवल परिभाषित देयता पर निवल ब्याज का परिकलन करते समय, अवधि के प्रारंभ में बट्टा दर, निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता अथवा आस्ति पर लगाया जाता है और यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट मदों को छोड़कर इनको लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बीमांकिक अभिलाभ और हानि समेत पुन: मापन, आस्ति की उच्चतम सीमा में परिवर्तन के प्रभाव और योजना आस्तियों (ऊपर परिभाषित निवल ब्याज को छोड़कर) पर प्रतिफल को, उन मदों को छोडकर जिनको उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न हों, अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में शामिल करने के बाद लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है.

कंपनी, उपदान के संबंध में एमआरपीएल उपदान निधि न्यास (MGFT) में सभी पता लगाने लायक देयताओं का अंशदान करता है. कंपनी सहायक उपदान योजना में निधि का अंशदान नहीं किया जाता है. समूह की अन्य परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की जाती है.

तुलन-पत्र में दर्शाया गया सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति दायित्व, कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक घाटा अथवा अधिशेष दर्शाता है. बीमांकिक परिकलन से प्राप्त किसी अधिशेष को, योजनाओं के प्रति भावी अंशदानों में कटौती के रूप में उपलब्ध किसी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित किया जाता है.

कर्मचारी को अल्पावधि लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गईं सेवाओं के बदले कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले लाभ की बट्टा रहित रकम को उस वर्ष, जिसमें कर्मचारियों ने ऐसी सेवा प्रदान की हो, दर्शाया जाता है. इन लाभों में शामिल हैं, निष्पादन प्रोत्साहन और क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां जो, कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीनों के अंदर होने की संभावना होती हैं.

क्षतिपूर्त अल्पावधि अनुपस्थितियों की लागत को निम्नानुसार लेखाबद्ध किया गया है:

(क) संचित क्षतिपूर्त अनुपस्थितियों के मामले में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करें जिससे भावी क्षतिपूर्त अनुपस्थितियों की उनकी हकदारी बढ़े; और

(ख) गैर-संचई क्षतिपूर्त अनुपस्थितियों के मामले में, जब ऐसी अनुपस्थियां हों.

कर्मचारी को दीर्घावधि लाभ

क्षतिपूर्त ऐसी अनुपस्थितियों को जो, कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीनों के अंदर होने की संभावना हो, तुलन पत्र की तारीख को, जिन योजना आस्तियों के उचित मूल्य से दायित्व निपटाने की संभावना हो उसे घटाने के बाद परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है.

3.15. कराधान

आय कर खर्च, इस समय देय कर और आस्थगित कर का जोड़ दर्शाता है.

(i) वर्तमान कर

इस समय देय कर का निर्धारण, वर्ष के कर योग्य लाभ के आधार पर किया गया है. कर योग्य लाभ, लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है क्योंकि आय अथवा खर्च की कुछ मद, दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा काटने योग्य होती हैं और कुछ मद, कभी भी कर योग्य अथवा काटने योग्य नहीं होती हैं. समूह के वर्तमान कर का परिकलन करते समय कर संबंधी उन दरों का प्रयोग किया गया है जिनका अधिनियमन किया गया था अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत तक वास्तव में अधिनियमन किया गया.

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देयताओं के बही मूल्य और कर योग्य लाभ में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधार के बीच अस्थाई अंतर के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. आस्थगित कर देयताओं को, सामान्यत: सभी कर योग्य अस्थाई अंतर के रूप में पहचाना जाता है. आस्थगित कर आस्तियों को, सामान्यत: सभी काटने योग्य अस्थाई अंतर के रूप में उस हद तक लेखाबद्ध किया जाता है जिससे यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ इस तरह से उपलब्ध होंगे जिसके प्रति काटने योग्य अस्थाई अंतर का प्रयोग करना संभव हो.

अस्थाई करों को, ऐसे अस्थाई अंतर के संबंध में लेखाबद्ध किया जाता है जो करावकाश अवधि के दौरान उत्पन्न तो होते हैं लेकिन जिनका करावकाश अवधि के बाद प्रत्यावर्तन किया जाता है. इस प्रयोजन के लिए अस्थाई अंतर का प्रत्यावर्तन करते समय प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति का प्रयोग किया जाता है.

आस्थगित कर आस्तियों के बही मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में की जाती है.

और इसे उस हद तक घटाया जाता है जिससे कभी यह संभावना न बने कि तमाम आस्ति अथवा उसका अंश वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों का मापन, अधिनियमित अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत में वास्तव में अधिनियमित (और कर संबंधी कानूनों) कर संबंधी उन दरों के आधार पर किया जाता है जिनको उस अवधि में लागू करने की उम्मीद हो जिसमें देयता निपटाई जाए अथवा आस्ति की वसूली हो.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों के मापन से कर संबंधी ऐसी परिस्थितियां परिलक्षित होती हैं जिसमें समूह द्वारा यह उम्मीद की जाती है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में उसकी आस्तियों और देयताओं का बही मूल्य वसूल किया जाएगा अथवा उसका निपटान होगा.

आस्थगित कर आस्तियों में शामिल है, भारत में मौजूदा कर संबंधी कानून के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) जिसके चलते भावी आय कर देयता का मुजरा करने की उपलब्धता के रूप में भावी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना होती है. तदनुसार, MAT को तुलन पत्र में आस्थगित कर आस्ति के रूप में तब दर्शाया जाता है जब आस्ति का भरोसेमंद तरीके से मापन करना संभव हो और ऐसी संभावना हो कि आस्ति से जुड़े भावी आर्थिक लाभ अर्जित किए जाएंगे.

वर्ष का वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया गया है, सिवाय उन मदों को जिनको अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है, ऐसी सूरत में वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमश: अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है.

3.13. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE)

उत्पादन में अथवा वस्तुओं की आपूर्ति करने अथवा सेवाएं प्रदान करने अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की खातिर रखी गई भूमि और भवन को तुलन पत्र में, संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

उत्पादन, आपूर्ति अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए निर्माण के दौरान PPE को, लेखाबद्ध ह्रासित हानि को घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. आस्ति की लागत में समाविष्ट किया जाता है उसकी क्रय कीमत अथवा उसकी निर्माण लागत (लागू निवल कर जमा प्रविष्टियां) और आस्ति को उसके स्थान पर और उस स्थिति में लाने के लिए जिससे वह प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके से चलाना संभव हो, प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई लागत. इसमें शामिल है, पेशेवर शुल्क और कंपनी की लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत अर्हक आस्तियों की उधार लागत. पूरा होने पर और अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने पर इन संपत्तियों का PPE की उचित श्रेणी में वर्गीकरण किया जाता है. PPE की मद के उन अंशों को, जिसकी प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार विभिन्न उपयोगी अवधि हो और महत्वपूर्ण मूल्य हो और जिसे बाद में संपत्ति पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, संयंत्र और उपकरणों को अलग घटकों के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है.

PPE को संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

PPE का मूल्यह्रास करना तब शुरु किया जाता है जब आस्तियां, उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार हों.

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथा निर्दिष्ट विभिन्न आस्तियों के घटकों की उपयोगी आयु की तुलना में सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए PPE की उपयोगी आयु के आधार पर उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद PPE (पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों से भिन्न) की लागत पर मूल्यह्रास किया जाता है जब कि इसके लिए संयंत्र और उपकरणों के कुछ ऐसे घटक, भवन और वाहन अपवाद हैं जिनकी उपयोग आयु का निर्धारण, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और कर्मचारी वाहन तथा फर्नीचर योजना के लिए बनाई गई समूह की नीति के तहत उपयोगी आयु पर विचार किया जाता है.

अनुमानित उपयोगी आयु, अपशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर लेखाबद्ध किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है.

योजनाबद्ध शटडाउन के निमित्त ओवरहॉल और मरम्मत पर व्यय का, जिनका मूल्य उल्लेखनीय होता है (निर्दिष्ट आस्तियों के मूल्य का 5%), PPE के संबंधित मदों के घटक के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और इनका अगले शटडाउन तक सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास किया जाता है. उत्प्रेरक का, जिसकी आयु एक वर्ष से अधिक होती है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और उत्प्रेरक का उपयोग करने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा निर्दिष्ट गारंटीकृत उपयोगी आयु के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है.

संयंत्र अथवा उपकरण के साथ प्राप्त और निर्दिष्ट मशीनों की खातिर बाद में खरीदे गए बीमा संबंधी उन पुर्जों का, जिनका नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, पूंजीकरण किया जाता है.

प्रमुख पूंजीगत अतिरिक्त पुर्ज़ों का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत इन अतिरिक्त पुर्जों पर मूल्यह्रास करना, तब से शुरु किया जाता है जब इन पुर्जों को सेवा में लगाया गया और उनकी उपयोगी अल्प आयु तक जारी रखते हुए उससे संबंधित आस्ति की शेष अपेक्षित उपयोगी आयु तक जारी रखा जाता है और अतिरिक्त पुर्ज़े का ह्रासित मूल्य, जब कभी उसे बदला जाए, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

वर्ष के दौरान जोड़े गए/हटाए गए PPE पर मूल्यह्रास के लिए, जोडे गए/हटाए गए दिनांक के संदर्भ में यथानुपात आधार पर प्रावधान किया जाता है जब कि अधिकतम ₹ 5,000/ के कम मूल्य की मदें, (कर्मचारियों से संबंधित समूह क्रय योजना को छोड़कर) इसके लिए अपवाद हैं जिनका जोड़ते समय पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है.

आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1.	भवन	1-60
2.	संयंत्र और उपकरण - उत्प्रेरक	2-10
3.	संयंत्र और उपकरण - कंप्यूटर	3-7
4.	संयंत्र और उपकरण - लगातार चलने वाले प्रक्रिया संयंत्र, जिसे निर्दिष्ट उद्योगों में शामिल नहीं किया गया हो (तीन शिफ्ट)	7.5
5.	संयंत्र और उपकरण - इलेक्ट्रिकल/प्रयोगशाला/कैंटीन/स्कूल	10
6.	संयंत्र और उपकरण - यंत्रीकरण: मद/ DCS/ अस्पताल/ अन्य	15
7.	संयंत्र और उपकरण - रिफाइनरी की आस्तियां	25
8.	संयंत्र और उपकरण - पेट्रो रसायन आस्तियां	25-30
9.	संयंत्र और उपकरण - पाइपलाइनें/SPM/अपतट घटक/सिविल संरचना/ अन्य	30
10.	संयंत्र और उपकरण - विद्युत संयंत्र	25-40
11.	संयंत्र और उपकरण - अन्य	3-15
12.	कार्यालय उपकरण	3-15
13.	फर्नीचर और जुड़नार	3-10
14.	वाहन	4-8

वित्तीय पट्टे के अधीन रखी गईं आस्तियों का उनकी अपेक्षित उपयोगी आयु में मूल्यह्रास उसी आधार पर किया जाता है जैसे स्वत: आस्तियों पर.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को, निपटाए जाने, बदले जाने पर अथवा जब आस्ति का लगातार उपयोग करने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की कोई संभावना न हो, कोई मान्यता नहीं दी जाती है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद का निपटाने करने अथवा उसे हटाए जाने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि का निर्धारण, बिक्री प्राप्तियों और आस्ति के बही मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाता है जिसे लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.17. अगोचर आस्तियां

3.17.1.अलग रूप से खरीदी गईं अगोचर आस्तियां

अलग रूप से खरीदी गईं निश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों को, संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि को घटाने के लिए लागत पर दर्शाया जाता है. परिशोधन को उनकी अनुमानित उपयोगी आयु पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. अनुमानित उपयोगी आयु और परिशोधन पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर लेखाबद्ध किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है. अलग रूप से खरीदी गईं अनिश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों को, कोई संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

3.17.2. अगोचर आस्तियों को लेखाबद्ध न करना

अगोचर आस्ति को, निपटाए जाने, बदले जाने पर अथवा जब आस्ति का उपयोग करने पर अथवा उसे निपटाने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की संभावना न हो, कोई मान्यता नहीं दी जाती है. अगोचर आस्ति को मान्यता न देने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि को निवल निपटान प्राप्तियों और आस्ति के बही मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और आस्ति को मान्यता न दिए जाने पर उसे लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.17.3. अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

अगोचर आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3-10
2.	लाइसेंस क्रयाधिकार	3

3.18. सुनाम से भिन्न गोचर और अगोचर आस्तियों का ह्रास

समूह, अपनी अगोचर आस्तियों और " नकद से उत्पन्न करने वाली यूनिट " (CGU) की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (प्रगति में पूंजीगत कार्य सहित) के बही मूल्य की समीक्षा करता है जिससे कि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या कोई ऐसा संकेत मिला है कि उन आस्तियों में ह्रासित हानि हुई है. अगर ऐसा कोई संकेत मिला हो तो ह्रासित हानि (कोई हो तो) की मात्रा तय करने के लिए वसूल करने योग्य आस्ति की रकम का आकलन किया जाता है. जब किसी प्रत्येक आस्ति की वसूल करने योग्य रकम का आकलन करना संभव न हो, तब समूह, नकद उत्पन्न करने वाली जिस यूनिट की आस्तियां हों, उस यूनिट की वसूल करने योग्य रकम का आकलन करता है.

वसूल करने योग्य रकम, निपटान लागत और उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य घटाने के बाद उच्चतम उचित मूल्य के बराबर होती है. उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य निर्धारण करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व बट्टा दर का उपयोग करते हुए उसके वर्तमान मूल्य तक घटाया जाता है, जो उस आस्ति के लिए, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह का समायोजन न किया गया हो, निर्दिष्ट धन और जोखिम के समय मूल्य का चालू बाजार निर्धारण परिलक्षित करता है.

अगर आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट) की वसूल करने योग्य रकम, उसके बही मूल्य से कम हो तो आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट) के बही मूल्य को उसकी वसूल करने योग्य रकम तक घटाया जाता है.

ह्रासित हानि को फौरन लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

वर्ष में एक बार निर्धारण इसलिए किया जाता है कि यह देखा जा सके कि क्या कोई ऐसे संकेत हैं कि इससे पहले लेखाबद्ध की गईं ह्रासित हानियां अब नहीं हैं या कम हुई हैं. अगर पिछली बार लेखाबद्ध की गई ह्रासित हानि के बाद आस्ति की वसूल करने योग्य रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त आकलन में परिवर्तन हो तो ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन किया जाता है. अगर ऐसा हो और पूर्व वर्षों में आस्ति के मामले में ह्रासित हानि को पहचाना न होता तो, आस्ति के बही मूल्य को उसकी निम्नतर वसूल करने योग्य रकम तक और निवल मूल्यह्रास के बराबर निर्धारित बही मूल्य तक बढ़ाया जाता है. प्रत्यावर्तन के बाद, मूल्यह्रास प्रभार का, भावी अवधियों में समायोजन किया जाता है जिससे कि आस्ति के संशोधित बही मूल्य का, उसकी शेष उपयोगी आयु में व्यवस्थित ढंग से उसका अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद आबंटन किया जा सके. ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन करने पर उसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.19. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को परोक्ष पद्धति के सहारे रिपोर्ट किया जाता है जिसमें कर उपरांत लाभ का, नकद रहित स्वरूप के, गत अथवा भावी प्रचालन नकदी प्राप्तियों अथवा भुगतान के किसी प्रकार के स्थगन अथवा उपचय और नकद प्रवाह में निवेश करने अथवा उसका वित्त पोषण करने से आय अथवा खर्च की मद से संबंधित लेन-देन के प्रभाव का समायोजन किया जाता है.

नकदी प्रवाह का, प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों में पृथक्करण किया जाता है.

3.20. अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय

अनुसंधान और विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय का संबंधित अचल आस्तियों के अधीन पूंजीकरण किया गया है. उस पर राजस्व व्यय को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है.

3.21. स्टॉक

स्टॉक का मूल्यांकन, निम्नतर लागत और निवल वसूल करने योग्य मूल्य पर किया गया है. स्टॉक लागत में शामिल है, क्रय लागत और स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तक और उनकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए उठाई गई अन्य लागत. लागत का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:-

कच्चा माल	प्रथम आवक प्रथम जावक (FIFO) आधार पर
तैयार उत्पाद	कच्चा सामग्री, रूपांतरण लागत और उत्पाद शुल्क पर
प्रक्रिया में स्टॉक	कच्चा माल और यथानुपात रूपांतरण लागत पर
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	भारित औसत लागत के आधार पर

ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स का, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में उत्पन्न होते हैं और जिनको इस दौरान बेचने का इरादा होता है, स्टॉक के रूप में वर्गीकरण किया जाता है. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के संबंध में स्टॉक को निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाता है.

3.22. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां.

जब समूह का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) हो तब गत घटना के परिणामस्वरूप प्रावधान को मान्यता दी जाती है, ऐसी सूरत में संभव है कि समूह को दायित्व निपटाना पड़े और दायित्व की रकम का भरोसेमंद आकलन किया जा सकता है.

प्रावधान के रूप में लेखाबद्ध रकम, दायित्व में अंतर्निहित जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल के बेहतरीन आकलन के बराबर होती है. जब वर्तमान दायित्व निपटाने की खातिर अनुमान लगाए गए नकदी प्रवाह का उपयोग करते हुए प्रावधान को मापा जाता है तब आवर्ती रकम, उस नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य बनता है. (जब

धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है)

जब आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव हो तब आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

जब तक आर्थिक लाभ के रूप में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना न हो, आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

3.23. वित्तीय लिखत

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब समूह, लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है.

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है. ऐसी लेन-देने लागत को, जो सीधे वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं (वित्तीय आस्तियों और देयताओं से भिन्न, उचित मूल्य पर, लाभ अथवा हानि के जरिए) के अधिग्रहण अथवा निर्गम के कारण उत्पन्न हुई हों, प्रारंभ में मान्यता देने पर यथोचित तरीके से वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा उचित मूल्य से काटा जाता है. ऐसी लेन-देने लागत को, जो सीधे वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण अथवा निर्गम के कारण उत्पन्न हुई हों, फौरन लाभ अथवा हानि में दर्शाया जाता है.

3.24. वित्तीय आस्तियां

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों को, वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर, बाद में पूरी तरह से या तो परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापा जाता है.

(i) नकद और नकदी समतुल्य

समूह, सभी अधिक अर्थ सुलभ वित्तीय लिखतों पर विचार करता है जिनका ज्ञात नकद में आसानी से रूपांतरण करना संभव हो और जिनका मूल्य बदलने पर जोखिम नगण्य हो और जिनकी क्रय तारीख से तीन महीनों की मूल परिपक्वता हो जो नकद में बदलने लायक हो. नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों के पास शेषराशि रहती है जिनका आहरण और उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है.

(ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

अगर इन आस्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल करने के मक़सद से व्यवसाय के अंदर रखा गया हो और वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों से निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज के भुगतान रूप में हो.

(iii) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

इन आस्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए मापा जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस मकसद से रखा गया हो जिसे हासिल करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है, जिन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों से निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज के भुगतान के रूप में होते हैं.

(iv) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय आस्तियों को, उचित मूल्य पर लाभ अथवा हानि के जरिए तब तक मापा जाता है जब तक उनको परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा न जा रहा हो.

(v) वित्तीय आस्तियों में ह्रास

समूह, प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को यह निर्धारण करता है कि क्या किसी वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय आस्तियों के समूह में ह्रास हुआ है या नहीं. Ind AS 109 में अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित क्रेडिट हानि को हानिपरक भत्ते के जरिए मापा जाए. समूह, व्यापार से प्राप्य रकम के मामले में जीवनपर्यंत अपेक्षित उन हानियों को लेखाबद्ध करता है जो वित्तीय लेन-देन के बराबर नहीं होती हैं. सभी अन्य वित्तीय आस्तियों के मामले में, अपेक्षित क्रेडिट हानियों को उस रकम पर मापा जाता है जो 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि अथवा उस रकम के बराबर हो जो जीवनपर्यंत अपेक्षित हानि के समान हों, बशर्ते कि वित्तीय आस्ति पर क्रेडिट जोखिम में, प्रारंभिक पहचान के बाद काफ़ी उल्लेखनीय बढ़त हुई हो.

(vi) वित्तीय आस्तियों को बही में न लेना

समूह, वित्तीय आस्ति को तब मान्यता नहीं देता है जब आस्ति से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाएं अथवा जब वह वित्तीय आस्तियों को और आस्ति के स्वत्व से जुड़े तमाम जोखिमों और अधिनिर्णयों को किसी दूसरे पक्षकार के नाम हस्तांतरित करता है.

वित्तीय आस्ति को पूरी तरह से मान्यता न देने पर आस्ति की बही मूल्य और प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल के

बीच अंतर को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.25. वित्तीय देयताएं और इक्विटी लिखत

3.25.1. इक्विटी लिखत

किसी भी ठेके में इक्विटी लिखत उसे कहते हैं जो अपनी तमाम देयताओं को काटने के बाद समग्र आस्तियों में अवशिष्ट हित का सबूत बनता है. समूह द्वारा निर्गमित इक्विटी लिखतों को प्राप्त प्राप्तियों पर दर्शाया जाता है. प्रत्यक्ष रूप से नए साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गमन के कारण उठाई गईं वृद्धिशील लागत को, इक्विटी से कटौती यानी निवल कर प्रभाव के रूप में दर्शाया जाता है.

3.25.2. वित्तीय देयताएं

क) वित्तीय गारंटी

जब समूह को अपनी नियंत्रक कंपनी से वित्तीय गारंटी मिले तब वह गारंटी शुल्क को उचित मूल्य पर मापता है. समूह, नियंत्रक कंपनी से प्राप्त वित्तीय गारंटी के लिए शुल्क के प्रारंभिक उचित मूल्य को " माना गया इक्विटी " के रूप में अभिलिखित करता है जब कि उसकी तदनुरूपी आस्ति को पूर्वदत्त गारंटी शुल्क के रूप में रेकॉर्ड करता है. ऐसे माने गए इक्विटी को तुलन पत्र में ' अन्य इक्विटी ' शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है. पूर्वदत्त गारंटी शुल्क को प्राप्त वित्तीय गारंटी की अवधि में लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

ख) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को उत्तरवर्ती लेखा अवधियों के अंत में परिशोधित लागत पर मापा जाता है. बाद में परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताओं के बही मूल्य का निर्धारण, प्रभावी ब्याज पद्धति पर किया जाता है. अगर ब्याज खर्च का आस्ति की लागत के अंग के रूप में पूंजीकरण न किया गया हो तो उसे ' वित्त लागत ' के अधीन दर्शाया जाता है.

ग) वित्तीय देयताओं को मान्यता न देना

समूह, वित्तीय देयताओं को किसी भी सूरत में तभी अमान्य नहीं करता है जब समूह का दायित्व निभाया गया हो, रद्द किया गया हो अथवा समाप्त हुआ हो.

बहियों में दर्शाई वित्तीय देयता के बही मूल्य और प्रदत्त एवं देय प्रतिफल के बीच का अंतर, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.26. बीमा संबंधी दावे

आस्ति की पूरी तरह से हानि होने पर, बीमाकर्ता को सूचित करने पर, या तो आस्ति का बही मूल्य अथवा बीमा मूल्य (काटने लायक अतिशय रकम के अधीन), जो भी कम हो, बीमा समूह से वसूल करने योग्य दावे के रूप में माना जाएगा. अगर बीमा दावा, आस्ति के बही मूल्य से कम हो तो अंतर रकम को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

आंशिक अथवा अन्य हानियों के मामले में इन आस्तियों का दोबारा उपयोग करने लायक स्थिति में लाने की खातिर, अगर अन्य पक्षकार की देयताएं अथवा अन्य देयताएं हों तो (काटने लायक अतिशय रकम को घटाने के बाद) उनको चुकाने की दृष्टि से किए गए व्यय/भुगतान को बीमा कंपनी से प्राप्य दावे के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. बीमा पॉलिसी के निमित्त काटने लायक अतिशय रकम को उस वर्ष खर्च किया जाता है जिसमें तदनुरूपी व्यय किया गया हो.

जब कभी अंत में बीमा कंपनी से दावे प्राप्त हों, बीमा कंपनी से प्राप्य और प्राप्त दावे के बीच कोई अंतर हो तो उसका लाभ-हानि विवरण में समायोजन किया जाता है.

सभी अन्य दावों और प्रावधानों को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर दर्ज किया गया है.

3.27. पहली बार अपनाना - अनिवार्य अपवाद और वैकल्पिक अपवाद

3.27.1. समग्र सिद्धांत

समूह ने 1 अप्रैल, 2015 को (' संक्रमण दिनांक ') Ind AS के अनुसार प्रारंभिक तुलन-पत्र तैयार करते समय, उन सभी आस्तियों और देयताओं को दर्शाया था जिनको Ind AS के अनुसार दर्शाना ज़रूरी नहीं था, आस्तियों अथवा देयताओं की उन मदों को नहीं दर्शाया था जिनको Ind AS के अनुसार दर्शाना आवश्यक नहीं था जब कि ऐसा करते समय पूर्व GAAP की मदों का Ind AS के अधीन वर्गीकरण किया गया और दर्शाई गईं आस्तियों और देयताओं का मापन Ind AS के अनुसार किया गया. लेकिन इस सिद्धांत के लिए कुछ अपवाद हैं और कुछ वैकल्पिक अपवाद हैं जिनको समूह ने नीचे बताए गए तरीके से अपनाया है.

3.27.2. वित्तीय आस्तियों और देयताओं को बही में न दर्शाना

समूह ने, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद हुए लेन-देनों के सिलसिले में वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को बहियों में उत्तर व्यापी प्रभाव से न दर्शाने की अपेक्षा की पूर्ति की है.

3.27.3. व्यावसायिक संयोजन

समूह ने 1 अप्रैल, 2015 के लेन-देन दिनांक से पहले हुए व्यावसायिक संयोजन के मामले में Ind AS 103 को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू न करने का विकल्प चुना.

3.27.4. कर्ज लिखतों का वर्गीकरण

समूह ने कर्ज लिखतों का वर्गीकरण, परिशोधित लागत मानदंड के अनुसार, संक्रमण तारीख को मौजूद तथ्यों एवं परिस्थिति के आधार पर निर्धारित किया है.

3.27.5. वित्तीय आस्तियों में ह्रास

समूह ने ह्रास के संबंध में Ind AS 109 की अपेक्षा, संक्रमण दिनांक से उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू की है

3.27.6. सरकारी ऋण

समूह ने उपलब्ध अपवाद लागू किया गया है और तदनुसार सरकारी ऋणों से संबंधित रकम, संक्रमण दिनांक को पूर्व GAAP के अधीन बही मूल्य पर दर्शाई है.

3.27.7. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों की मानी गई लागत

समूह ने, पूर्व GAAP के अनुसार मापे गए 1 अप्रैल को दर्शाई गई अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों का बही मूल्य जारी रखना और बही मूल्य को, संक्रमण दिनांक को अपनी मानी गई लागत रूप में उपयोग करने का विकल्प चुना है.

3.27.8. संयुक्त उद्यमों में निवेश

समूह ने संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश को, संक्रमण दिनांक को पूर्व GAAP के अंतर्गत यथानुपात समेकित अपनी आस्तियों और देयताओं के कुल बही मूल्य पर दर्शाने का विकल्प चुना है.

3.27.9. यह निर्धारित करना कि क्या व्यवस्था में कोई पट्टा है

समूह ने संक्रमण दिनांक को, उस दिन मौजूद तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर Ind AS 17 " यह निर्धारण करना कि क्या व्यवस्था में कोई पट्टा है ' के परिशिष्ट ग लागू किया है.

3.27.10. दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें

समूह ने वही लेखा नीति अपनाई है जो, 31 मार्च, 2016 को दर्शाई गईं दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रूपांतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर को लेखाबद्ध करने के लिए पूर्व GAAP के अनुसार अपनाई गई.

3.27.11. बिक्री के लिए धारित अप्रचलित आस्तियां

समूह ने बिक्री के लिए धारित अप्रचलित आस्तियों को निम्नतर बही मूल्य और उचित मूल्य पर मापा है जिससे कि उनको संक्रमण दिनांक को Ind AS 105 के अनुसार बेचा जा सके.

4. लेखाकरण के बारे में नाज़ुक फ़ैसले, परिकल्पनाएं और आकलन की अनिश्चितता के महत्वपूर्ण संसाधन

जैसे कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय अपनाई गईं लेखा नीतियों को लागू करते समय यह बात अंतर्निहित है कि प्रबंधन को ऐसे फ़ैसले, आकलन करने पड़ेंगे और परिकल्पनाएं करनी पड़ेंगी जो रिपोर्ट की गईं आस्तियों और देयताओं की रकम, आकस्मिक आस्तियों और देयताओं का प्रकटन, राजस्व एवं खर्च की रिपोर्ट की गई रकम को प्रभावित करे. वास्तविक परिणाम, किए गए आकलन और परिकल्पनाओं से भिन्न हो सकते हैं.

आकलन और उसकी अंतर्निहित परिकल्पनाओं की, अविरत आधार पर समीक्षा की जाती है. लेखाकरण संबंधी आकलन में किए गए संशोधन को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें आकलन में संशोधन किया गया हो जो भावी अवधि को प्रभावित करती है.

वित्तीय विवरण तैयार करते समय फैसला, परिकल्पनाओं और आकलन करने में अनिश्चितता के महत्वपूर्ण स्रोत, जिसकी बदौलत, अगले वित्तीय वर्ष के अंदर आस्तियों एवं देयताओं के बही मूल्य में महत्वपूर्ण समायोजन करने की नौबत आए, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की उपयोगी आयु, कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व, आय कर के लिए प्रावधान एवं आस्थगित कर आस्तियों के संबंध में होते हैं.

4.1. लेखा नीतियां लागू करते समय नाज़ुक फ़ैसले करना

आकलन (देखें टिप्पणी 4.2) करते समय किए जाने वाले नाजुक फैसलों के अलावा प्रबंधन को, समूह की ऐसी लेखा नीतियां

लागू करते समय जिनका वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई रकम पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़े, नीचे उल्लिखित नाजुक फ़ैसले करने पड़ेंगे.

(क) कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण

प्राथमिक आर्थिक माहौल में ऐसी मुद्रा जिसमें कंपनी, अपना काम चलाती है (" कार्यात्मक मुद्रा "), भारतीय रुपया है (₹) जिसमें कंपनी, मूल रूप से नकद उत्पन्न कर खर्च करती है. तदनुसार, प्रबंधन ने तय किया है कि उसकी कार्यात्मक मुद्रा होगी, भारतीय रुपया (₹).

4.2. आकलन में अनिश्चितता की परिकल्पनाएं और महत्वपूर्ण संसाधन

ऐसे आकलन और परिकल्पनाओं के बारे में सूचना, जिनका आस्तियों, देयताओं, आय और खर्च को दर्शाने और मापने पर उल्लेखनीय प्रभाव होता है, नीचे दी गई है. वास्तविक परिणाम, इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं.

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

प्रबंधन, PPE और अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु के बारे में अपने आकलन की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्ट तारीख को, आस्तियों की खपत से मिलने वाले भावी आर्थिक लाभ के आधार पर करता है.

ख) परिभाषित लाभ के प्रति दायित्व (DBO)

प्रबंधन का DBO का आकलन, अंतर्निहित नाजुक परिकल्पनाओं की संख्या पर आधारित है जैसे मुद्रास्फ़ीति का मानक दर, चिकित्सा लागत की प्रवृत्तियां, मृत्यु-दर, बट्टा दर और भविष्य में प्रत्याशित वेतन वृद्धि. इन परिकल्पनाओं में घट-बढ़ हो सकती है जिसका DBO की रकम और वार्षिक परिभाषित लाभ संबंधी खर्च पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है.

ग) आय कर के लिए प्रावधान

अनिश्चित कर देयताओं के संबंध में अदा/वसूल की जाने वाली रकम सहित आय करों के लिए प्रावधान तय करने से जुड़े उल्लेखनीय फ़ैसले लेने पड़ते हैं.

घ) सहायक कंपनी के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध करना

सहायक कंपनी OMPL के वित्तीय विवरण की टिप्पणी 4.2 (घ) में वर्णन किया गया है कि कंपनी ने, 31 मार्च, 2017 को ₹ 1,270.91 दशलक्ष की आस्थगित कर आस्ति को दर्शाया है. कंपनी ने चालू वर्ष सहित पिछले वर्ष में हानि उठाई है. कंपनी के पास आस्थगित कर आस्ति को दर्शाने के संबंध में विश्वासप्रद सबूत है जिसमें शामिल है, उसके प्रमुख उत्पाद अर्थात्; पैराज़ाइलीन के लिए ग्राहक के साथ की गई प्रतिबद्ध दीर्घावधि समग्र क्रय व्यवस्था, अन्य उत्पादों जैसे पैराफिनिक रैफिनेट, हाइड्रोजन और डी-ईथनाइज़र स्तंभ के अधस्तलज द्रव की बिक्री के लिए मूल कंपनी के साथ व्यवस्था, मूल कंपनी के साथ फ़ीड स्टॉक खरीदने के लिए कीमत निर्धारण संबंधी नियमों में संशोधन, क्षमता उपयोग बढ़ाने की खातिर दूसरी तेल कंपनियों से नैफ़्ता खरीदने के लिए व्यवस्थाएं, ऐरोमैटिक कॉम्प्लेक्स की ऐरोमैटिक फ़ीड स्टॉक आवश्यकता बढ़ाने की खातिर रीफ़ॉर्मेट हासिल करने के लिए मूल कंपनी के साथ व्यवस्था और ईंधन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के साथ गैस परिवहन की व्यवस्था.

जिस हद तक आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध किया जा सकता है उसका निर्धारण कंपनी की उस भावी कर योग्य आय की संभावनाओं पर निर्भर होता है जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करना संभव हो. इसके अलावा, कानूनी अथवा आर्थिक सीमाओं अथवा अनिश्चितताओं के प्रभाव का निर्धारण करते समय काफ़ी बड़े फ़ैसले किए गए हैं.

5. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

इनका बही मूल्य:	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	17.65	17.65	17.65
पट्टाधृत भूमि **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी क और ख)**	253.26	253.26	249.97
भवन	3,687.99	3,219.04	3,248.54
संयंत्र और उपकरण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी ग]**	197,538.05	209,422.16	202,471.04
फर्नीचर और जुड़नार	347.23	120.44	113.04
वाहन	131.88	138.84	138.68
कार्यालय उपकरण	408.28	481.52	546.63
कुल	**202,384.34**	**213,652.91**	**206,785.55**

लागत अथवा मानी गई लागत	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**17.65**	**249.97**	**3,248.54**	**202,471.04**	**113.04**	**138.68**	**546.63**	**206,785.55**
जोड़ें: परिवर्धन	-	3.29	155.14	17,014.07	27.48	16.69	19.18	17,235.85
घटाएं: आस्तियों के निपटान / समायोजन / हस्तांतरण पर हटाया गया	-	-	2.26	271.87	0.44	1.75	0.41	276.73
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**17.65**	**253.26**	**3,401.42**	**219,213.24**	**140.08**	**153.62**	**565.40**	**223,744.67**
जोड़ें: परिवर्धन	-	-	764.76	(1,045.69)	266.16	8.90	12.99	7.12
घटाएं: निपटान / समायोजन / आस्तियों का हस्तांतरण	-	-	96.34	1,374.49	0.61	0.93	4.91	1,477.28
31 मार्च, 2017 को शेषराशि	**17.65**	**253.26**	**4,069.84**	**216,793.06**	**405.63**	**161.59**	**573.48**	**222,274.51**

परिशोधित मूल्यह्रास	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
जोड़ें: मूल्यह्रास संबंधी खर्च	-	-	182.60	9,793.30	19.64	14.78	83.88	10,094.20
घटाएं: आस्तियों के निपटान / समायोजन / हस्तांतरण पर हटाया गया	-	-	0.22	2.22	-	-	-	2.44
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**-**	**-**	**182.38**	**9,791.08**	**19.64**	**14.78**	**83.88**	**10,091.76**
जोड़ें: मूल्यह्रास संबंधी खर्च	-	-	199.47	9,463.93	38.76	14.93	81.32	9,798.41
31 मार्च, 2017 को शेषराशि	**-**	**-**	**381.85**	**19,255.01**	**58.40**	**29.71**	**165.20**	**19,890.17**

क. इन पट्टाधृत भूमियों को, वित्त पट्टा के रूप में माना जाता है क्योंकि पट्टा अवधि के अंत में स्वत्व को कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाएगा. इन पट्टाधृत भूमियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

ख. पट्टाधृत भूमियों में शामिल है ऐसी भूमि जिसकी रकम है ₹ 28.82 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 28.82 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 28.82 दशलक्ष),जो कंपनी के कब्जे में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा संबंधी विलेख अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं.

ग. संयंत्र और उपकरण में शामिल है ₹ 39.15 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 39.15 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 39.15 दशलक्ष),जो किसी दूसरी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली आस्ति में कंपनी का हिस्सा है.

5.1 समूह ने, Ind AS 101 'भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना' के परिच्छेद D7AA के अनुसार पूर्व GAAP के अनुसार मापे गए 1 अप्रैल 2015 को दर्शाई गई अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों का बही मूल्य जारी रखना और बही मूल्य को, संक्रमण दिनांक को अपनी मानी गई लागत रूप में उपयोग करने का विकल्प चुना है **[देखें टिप्पणी 3.27.7].** 1 अप्रैल, 2015 को मानी गई लागत को उधार पर अपरिशोधित लेन-देन लागत तक और घटाया गया है जिसका इससे पहले संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के साथ पूंजीकरण किया गया था.

5.2 जमानत के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार और ऋण के लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है. संघीय बैंक से लिए गए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टॉक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य व्यापार रकमों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेके, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी, दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और आगे, कंपनी की, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है **[देखें टिप्पणी 21].**

सहायक कंपनी, OMPL के बाह्य वाणिज्यिक उधार और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (NCD) के लिए जमानत के तौर पर अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है. बैंक से लिए गए कार्यकारी पूंजीगत ऋण के लिए जमानत के तौर पर कंपनी की, वर्तमान और भावी, दोनों प्रकार की चालू आस्तियों को दृष्टिबंधक रखा गया है. कार्यकारी पूंजी के उधारदाताओं के लिए जमानत के रूप में, NCD धारकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने पर, कंपनी की, वर्तमान और भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्र प्रभार निर्मित करना होगा**[देखें टिप्पणी 21].**

5.3 विदेशी विनिमय में अंतर और पूंजीकृत उधार लागत

विदेशी मुद्रा अंतर के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में किए गए परिवर्धन में शामिल है ₹ (1,102.75) दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 3,702.43 और पूंजीकृत उधार लागत शून्य रही (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 124.17 दशलक्ष)

आस्ति वार परिवर्धन के ब्यौरे यहां नीचे प्रकट किए गए हैं:-

वर्ष	**31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए**		**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए**	
आस्ति की श्रेणी	**विनिमय में अंतर**	**उधार लागत**	**विनिमय में अंतर**	**उधार लागत**
भवन	(7.97)	-	18.17	2.11
संयंत्र और उपकरण	(1,094.78)	-	3,684.26	122.06
कुल	**(1,102.75)**	**-**	**3,702.43**	**124.17**

5.4 पूंजीकरण के लिए योग्य उधार लागत की रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त दर शून्य रही (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए 6.94 %) जो उधार पर प्रभावी ब्याज दर है.

5.5 पूर्व GAAP के अंतर्गत, कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को संयंत्र और उपकरण का बही मूल्य की रकम ₹ 138,226.10 दशलक्ष के रूप में दर्शाया. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II की अपेक्षाओं की पूर्ति करने की खातिर ₹ 499.67 दशलक्ष का समायोजन किया. इसी रकम को, 1 अप्रैल, 2015 को प्रतिधारित अर्जन के प्रति तदनुरूपी समायोजन के साथ संयंत्र और उपकरण की प्रारंभिक शेषराशि के रूप में लिया गया है. तदनुसार, ₹ 137,726.43 दशलक्ष (₹ 138,226.10 दशलक्ष घटाएं ₹ 499.67 दशलक्ष) को संक्रमण दिनांक को मानी गई लागत रूप में लिया गया है. इस समायोजन के कारण आस्थगित कर पर ₹ 172.93 दशलक्ष का असर पड़ा.

5.6 कंपनी, कुछ आर्थिक लाभ के लिए पात्र हैं जैसे पूर्व वर्षों में पूंजीगत वस्तुओं के आयात/स्थानीय खरीदारी पर ₹ 3,622.28 दशलक्ष तक की रकम के लिए प्रवेश कर, उत्पाद शुल्क आदि से छूट. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मूल्य में पूर्वव्यापी प्रभार समायोजन नहीं किया है क्योंकि ये मद, Ind AS 20 में यथा परिभाषित सरकारी अनुदान के बदले सरकारी सहायता के रूप में हैं.

सहायक कंपनी, OMPL, मंगलूर में विशेष आर्थिक अंचल (SEZ) में काम करती है, तदनुसार, यह कंपनी, कुछ आर्थिक लाभ पाने के लिए योग्य है जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, प्रवेश कर आदि, जो सरकारी सहायता के रूप में होते हैं. ये लाभ पाने के लिए कंपनी को कुछ दायित्व निभाने होंगे.

6. प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP)

लागत अथवा मानी गई लागत	**यथा 31 मार्च, 2017**	**यथा 31 मार्च, 2016**	**यथा 1 अप्रैल, 2015**
पट्टाधृत भूमि	717.86	717.86	717.86
भवन	352.25	553.81	418.15
संयंत्र और उपकरण	1,129.04	709.62	12,802.43
कुल	**2,199.15**	**1,981.29**	**13,938.44**

6.1 CWIP में किए गए परिवर्धन में शामिल है, विनिमय में अंतरण के निमित्त रकम शून्य (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 5.26 दशलक्ष) और इसमें शामिल है उधार लागत जो ₹ शून्य है (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2.61 दशलक्ष) जिसका विभिन्न श्रेणी के आस्तियों में आबंटन किया गया है. पूंजीकरण के लिए योग्य उधार लागत की रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त दर शून्य रही (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए 6.94 %) जो उधार पर प्रभावी ब्याज दर है.

6.2 निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत मूल्यह्रास के संबंध में CWIP में शामिल की गई रकम शून्य है (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए , ₹ 0.42 दशलक्ष).

6.3 समूह ने, Ind AS 101 'भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना' के परिच्छेद D7AA के अनुसार पूर्व GAAP के अनुसार मापे गए 1 अप्रैल 2015 को दर्शाई गई अपनी CWIP का बही मूल्य जारी रखना और बही मूल्य को, संक्रमण दिनांक को अपनी मानी गई लागत रूप में उपयोग करने का विकल्प चुना है **[देखें टिप्पणी 3.27.7].**

7. सुनाम

7.1 नाइट्रोजन संयंत्र के निमित्त सुनाम

विवरण	रकम
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**4.04**
घटाएं: ह्रास	-
31 मार्च. 2016 को शेषराशि	**4.04**
घटाएं: ह्रास	-
31 मार्च. 2017 को शेषराशि	**4.04**

7.1.1 सुनाम, नाइट्रोजन संयंत्र का अधिग्रहण करने की खातिर निवल आस्तियों पर प्रदत्त अतिशय प्रतिफल दर्शाता है.

7.2 कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 के संक्रमण दिनांक से पहले हुए नाइट्रोजन संयंत्र के अधिग्रहण के मामले में Ind AS 103 ' व्यावसायिक संयोजन ' को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू न करने का विकल्प चुना **[देखें टिप्पणी 3.27.3].**

7.2 समेकन पर सुनाम

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
समेकन पर सुनाम	3,768.74	3,768.74	3,768.74
कुल सुनाम (7.1+7.2)	**3,772.78**	**3,772.78**	**3,772.78**

8. अन्य अगोचर आस्तियां

इनका बही मूल्य:	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	27.08	45.28	82.19
कुल	**27.08**	**45.28**	**82.19**

लागत अथवा मानी गई लागत	रकम
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**82.19**
जोड़ें: परिवर्धन	2.16
घटाएं: निपटान/समायोजन/हस्तांतरण	-
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**84.35**
जोड़ें: परिवर्धन	24.57
घटाएं: निपटान/समायोजन/हस्तांतरण	-
31 मार्च, 2017 को शेषराशि	**108.92**

संचित परिशोधन	रकम
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**-**
जोड़ें: परिशोधन खर्च	39.07
घटाएं: निपटान/समायोजन/हस्तांतरण पर हटाए गए	-
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**39.07**
जोड़ें: परिशोधन खर्च	42.77
घटाएं: निपटान/समायोजन/हस्तांतरण पर हटाए गए	-
31 मार्च, 2017 को शेषराशि	**81.84**

8.1 समूह ने, Ind AS 101 'भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना' के परिच्छेद D7AA के अनुसार पूर्व GAAP के अनुसार मापे गए 1 अप्रैल को दर्शाई गई अपनी अन्य अगोचर आस्तियों का बही मूल्य जारी रखने और बही मूल्य को, संक्रमण दिनांक को अपनी मानी गई लागत रूप में उपयोग करने का विकल्प चुना है **[देखें टिप्पणी 3.27.7].**

9. निवेश

9.1 इक्विटी लिखतों में निवेश

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	संख्या दशलक्ष में	रकम	संख्या दशलक्ष में	रकम	संख्या दशलक्ष में	रकम
(i) निवेश (उचित मूल्य पर)						
(क) मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड (कोट न किए गए - पूर्णत: प्रदत्त) (अंकित मूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर)	0.48	4.80	0.48	4.80	0.48	4.80
(ख) मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (कोट न किए गए पूर्णत: प्रदत्त) (अंकित मूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर)	0.02	0.28				
(ii) संयुक्त उद्यमों में निवेश (इक्विटी पद्धति)						
(क) शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (कोट न किए गए पूर्णत: प्रदत्त) (अंकित मूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर)	15.00	413.44	15.00	370.38	15.00	360.09
(ख) मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (कोट न किए गए पूर्णत: प्रदत्त) (अंकित मूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर)	-	-	0.05	0.59	0.05	0.57
कुल निवेश		**418.52**		**375.77**		**365.46**
कोट न किए गए निवेश का कुल बही मूल्य		418.52		375.77		365.46
निवेश में ह्रास की कुल रकम		-		-		-

9.1.1 समूह ने, पूर्व GAAP के अनुसार मापे गए संयुक्त उद्यमों में किए गए अपने निवेश का बही मूल्य जारी रखने का विकल्प चुना है और Ind AS 101 के परिच्छेद D15(ख)(ii) के अनुसार 1 अप्रैल, 2015 के संक्रमण दिनांक उसके बही मूल्य का उपयोग किया.

9.1.2 सहायक कंपनी, OMPL द्वारा मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड में किए गए निवेश को प्रारंभ में लागत पर और बाद में लाभ-हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा गया है. सहायक कंपनी के प्रबंधन ने ऐसे निवेश के उचित मूल्य को (स्तर 3 के सोपान पर), प्रत्येक रिपोर्ट अवधि पर बही मूल्य के समतुल्य माना है.

9.1.3 शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ़्यूएल्स एण्ड सर्वीसस लि. और मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड में शेयरों के विनिवेश पर लगाए गए प्रतिबंध, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुमोदन मिलने पर लागू होंगे.

9.1.4 **निवेश के ब्यौरे**

सहायक कंपनी का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और प्रधान व्यवसाय स्थान	स्वत्व हित का अनुपात / कंपनी द्वारा धारित मताधिकार		
			यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
(क) मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड	विशेष आर्थिक अंचल का विकासक	भारत	0.96%	0.96%	0.96%
[ख] मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड	पेट्रोलियम उत्पादों का रीटेल आउटलेट के जरिए वितरण और परिवहन टर्मिनल	भारत	18.98%	-	-

वर्ष के दौरान, कंपनी ने MRSL में अपने हिस्से में से 31% इक्विटी शेयर बेचे जिसके परिणामस्वरूप MRSL पर संयुक्त नियंत्रण खोना पड़ा. 31 मार्च, 2017 को, MRSL में निवेश को लाभ-हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा गया है. प्रबंधन ने ऐसे निवेश के उचित मूल्य को (स्तर 3 के सोपान पर), प्रत्येक रिपोर्ट अवधि पर बही मूल्य के समतुल्य माना है.

9.1.5 **संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे**

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और प्रधान व्यवसाय स्थान	स्वत्व हित का अनुपात / धारित मताधिकार		
			यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
(क) शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	विमानन ईंधनों का व्यापार	भारत	50.00%	50.00%	50.00%
[ख] मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड	पेट्रोलियम उत्पादों का रीटेल आउटलेट और परिवहन टर्मिनल के जरिए वितरण	भारत	-	49.98%	49.98%

संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश की लेखा पद्धति के बारे में जानने के लिए **देखें टिप्पणी 3.6.**

10. ऋण

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
(जमानत रहित, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)						
(क) जमाराशियाँ						
संबंधित पक्षकारों के पास:	42.92	-	42.92	-	32.38	-
ग्राहकों के पास						
- संदिग्ध समझे गए	-	4.40	-	6.84	-	6.87
घटाएं: संदिग्ध जमाराशियों के निमित्त ह्रास	-	4.40	-	6.84	-	6.87
	-	-	-	-	-	-
विक्रेताओं के पास	100.79	4.98	109.41	6.00	111.09	5.36
	143.71	**4.98**	**152.33**	**6.00**	**143.47**	**5.36**
(ख) कर्मचारियों को दिए गए ऋण	301.89	55.17	258.80	47.45	254.71	43.55
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के निमित्त ह्रास	-	0.81	-	0.81	-	0.81
	301.89	**54.36**	**258.80**	**46.64**	**254.71**	**42.74**
(ग) निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋण	**0.99**	**0.24**	**1.23**	**0.24**	**0.26**	**0.04**
	446.59	**59.58**	**412.36**	**52.88**	**398.44**	**48.14**

11. अन्य वित्तीय आस्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
(जमानत रहित, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)						
(क) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपचित ब्याज	68.74	0.42	46.66	-	34.94	-
(क) बैंक जमाराशियों पर ऐसा ब्याज जो उपचित हुआ हो परंतु देय न हो	-	111.23	-	1,701.45	-	1,546.15
(ग) बीमा कंपनी से प्राप्य दावे	-	0.05	-	0.05	-	0.05
(घ) अन्य से प्राप्य	-	3,033.27	-	-	-	-
(ङ) नियंत्रक कंपनी से प्राप्य	-	0.05	-	0.91	-	18.05
	68.74	**3,145.02**	**46.66**	**1,702.41**	**34.94**	**1,564.25**

12. कर आस्तियां/ (देयताएं)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
कर आस्तियां (क)						
(i) अग्रिम कर	45,296.13	2.43	34,324.10	2.74	32,729.76	13.18
(ii) प्रदत्त विवादग्रस्त आय कर	3,994.28	-	3,373.70	-	2,579.25	-
कर देयताएँ (ख)						
आय कर	44,714.92	447.87	33,069.22	0.17	30,754.41	0.17
कुल (क-ख)	**4,575.49**	**(445.44)**	**4,628.58**	**2.57**	**4,554.60**	**13.01**

13. अन्य आस्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
(जमानत रहित, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)						
(i) पूंजीगत अग्रिम						
- संबंधित पक्षकारों को **[देखें टिप्पणी 13.1]**	1,956.31	-	1,804.50	-	880.00	-
- अन्य पक्षकारों को	5,938.05	-	737.15	-	718.14	-
- अन्य पक्षकारों को: संदिग्ध समझे गए	-	-	3.40	-	3.40	-
घटाएं: संदिग्ध पूंजीगत अग्रिमों के निमित्त ह्रास	-	-	3.40	-	3.40	-
	7,894.36	**-**	**2,541.65**	**-**	**1,598.14**	**-**
(ii) जमाराशियाँ						
सीमा शुल्क प्राधिकरण/पोर्ट ट्रस्ट आदि के पास	**378.73**	**-**	**378.73**	**-**	**378.73**	**-**
(iii) वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम						
संबंधित पक्षकारों से	-	10.19	-	8.42	-	3.07
अन्य पक्षकारों से	-	1,491.74	-	983.80	732.59	1,166.68
	-	**1.501.93**	**-**	**992.22**	**732.59**	**1,169.75**
(iv) सरकारी प्राधिकरण के पास शेषराशि	**-**	**3,721.65**	**-**	**5,784.58**	**-**	**7,213.22**
(v) पूर्व भुगतान						
पट्टाधृत भूमि	2,311.33	55.18	2,366.50	55.18	2,421.76	55.18
गारंटी शुल्क	-	-	-	7.68	7.68	18.37
अन्य	381.64	100.90	252.38	86.94	260.73	85.08
	2,692.97	**156.08**	**2,618.88**	**149.80**	**2,690.17**	**158.63**
(vi) सोने के सिक्के	**-**	**0.91**	**-**	**0.91**	**-**	**0.94**
कुल	**10,966.06**	**5,380.57**	**5,539.26**	**6,927.51**	**5,399.63**	**8,542.54**

13.1 सहायक कंपनी, OMPL - मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड (' विकासक ') कॉरिडॉर पाइपलाइन और संबंधित सुविधाओं (' सुविधाएँ ') का निर्माण कर रही है. सुविधाएँ, निर्माणाधीन हैं और तदनुसार कंपनी द्वारा प्रदत्त ₹ 975 दशलक्ष का अंशदान, सुविधाएं संपूर्ण होने और मार्गाधिकार करारनामा निष्पादित किए जाने तक पूंजीगत अग्रिमों के अधीन दर्शाए गए हैं. विकासक द्वारा सुविधाएँ पूरी करने पर इनका, व्यवस्थित ढंग से परिशोधन किया जाएगा.

14. स्टॉक

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	रकम	कुल	रकम	कुल	रकम	कुल
कच्चा माल						
(क) हाथ में	14,816.96		9,358.41		7,264.40	
[ख] मार्ग में	6,938.24	21,755.20	6,013.76	15,372.17	5,272.71	12,537.11
प्रक्रिया में स्टॉक		4,773.98		3,346.00		4,046.02
तैयार माल	13,672.15		11,780.33		19,028.93	
घटाएं: स्टॉक हानि के लिए प्रावधान	5.91	13,666.24	5.91	11,774.42	5.91	19,023.02
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे						
(क) हाथ में	3,904.10		3,266.95		2,075.04	
[ख] मार्ग में	126.45		150.33		223.21	
घटाएं: ऐसे स्टॉक के निमित्त ह्रास जिनका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है/जो बेकार पड़े हैं	85.48	3,945.07	85.48	3,331.80	85.48	2,212.77
कुल		**44,140.49**		**33,824.39**		**37,818.92**

14.1 लगातार चलते रहे प्रचालन के संबंध में वर्ष के दौरान खर्च के रूप में दर्शाई गई स्टॉक लागत (बिक्री लागत) ₹ 437,564.94 दशलक्ष रही (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 412,527.30 दशलक्ष).

14.2 सहायक कंपनी, OMPL ने स्टॉक लागत को खर्च के रूप में दर्शाया है जिसमें शामिल है निवल वसूल करने योग्य मूल्य की तुलना में प्रतिलेखित तैयार माल के स्टॉक के संबंध में ₹ 155.24 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ शून्य).

14.3 स्टॉक की मूल्यांकन पद्धति के बारे में जानकारी **टिप्पणी 3.21** में दी गई है.

15. व्यापारिक प्राप्य राशि

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
जमानती (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 15.4)			
- शोध्य समझे गए	2,244.46	1,800.21	1,033.77
गैर जमानती			
- शोध्य समझे गए	23,945.32	18,940.65	21,682.48
- संदिग्ध समझे गए	1,714.71	1,468.95	1,091.16
घटाएं: प्राप्य संदिग्ध रकम के निमित्त ह्रास	1,714.71	1,468.95	1,091.16
कुल	**26,189.78**	**20,740.86**	**22,716.25**

15.1 सामान्यत:, कंपनी, मुद्दती ठेकों और हाजिर अंतर्राष्ट्रीय टेंडरों और एसईज़ड् ग्राहकों को आपूर्तियों के जरिए उत्पादों का निर्यात करने के अलावा देशी बिक्री के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ दीर्घावधि बिक्री व्यवस्था करती है. बिक्री पर औसत क्रेडिट अवधि 7 से 45 दिन तक होती है. बीजक दिनांक से लागू क्रेडिट अवधि तक प्राप्य व्यापारी रकम पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है. अगर भुगतान करने में विलंब हो तो संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार ब्याज वसूल किया जाता है जो बकाया शेषराशि पर लागू बैंक दर पर 3% प्रति वर्ष तक होता है.

सहायक कंपनी, OMPL, औसतन 7 दिन की क्रेडिट अवधि के साथ साख पत्र सुविधा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के साथ अल्पावधि टेंडर व्यवस्थाओं के जरिए निर्यात से बिक्री करती है. देशी बिक्री के मामले में, कंपनी ने औसत 7-21 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ नियंत्रक कंपनी के साथ दीर्घावधि बिक्री व्यवस्था की है. बीजक दिनांक से लागू क्रेडिट अवधि तक प्राप्य व्यापारी रकम पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है. अगर भुगतान करने में विलंब हो तो बकाया शेषराशि पर लागू एसबीआई उधार दर पर ब्याज वसूल किया जाता है.

15.2 प्राप्य व्यापार रकम में से 31 मार्च, 2017 को ₹ 24,308.83 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 21,531.97 दशलक्ष 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 23,180.40 दशलक्ष) की शेषराशि, नीचे उल्लिखित ग्राहकों से देय है. दूसरे ऐसे कोई ग्राहक नहीं है जिनसे नीचे उल्लिखित से भिन्न, प्राप्य कुल व्यापारी शेषराशि के 5% से अधिक रकम देय हो.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
ग्राहक 1	6,239.93	5,072.24	6,988.58
ग्राहक 2	9,070.12	6,870.70	5,986.25
ग्राहक 3	3,425.16	2,415.33	2,055.91
ग्राहक 4	1,903.24	4,693.62	1,483.65
ग्राहक 5	1,695.95	2,480.08	4,559.04
ग्राहक 6	-	-	2,106.97
ग्राहक 7	1,974.43	-	-
	24,308.83	**21,531.97**	**23,180.40**

15.3 सामान्यत:, समूह, अपने ग्राहकों से प्राप्य सभी रकम, लागू क्रेडिट अवधि के अंदर ही वसूल करता है. कंपनी, प्रत्येक लेन-देन से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अपने तमाम ग्राहकों से प्राप्य व्यापारी रकम पर ह्रास का निर्धारण करती है.

15.4 ग्राहकों से प्राप्त बैंक गारंटी और साख पत्र द्वारा प्रतिभूत.

15.5 कंपनी का, ऋण देने में निहित जोखिम का सांद्रण इस कारण है कि कंपनी को, ग्राहकों से **टिप्पणी 15.2** में बताए गए तरीके से काफ़ी हद तक रकम प्राप्त होनी है लेकिन ये ग्राहक, प्रतिष्ठित हैं और साख पात्र हैं.

15.6 व्यापारिक प्राप्तियों का समय

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
क्रेडिट अवधि के अंदर	25,936.37	17,374.94	21,802.73
1-30 दिन बीत गए हैं, देय दिनांक से	276.24	2,911.84	619.80
31-90 दिन बीत गए हैं, देय दिनांक से	135.07	639.84	394.00
90 दिन से अधिक दिन बीत गए हैं, देय दिनांक से	1,556.81	1,283.19	990.88

15.7 प्राप्य संदिग्ध रकम के निमित्त ह्रास का चलन

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	1,468.95	1,091.16
जोड़ें: अपेक्षित क्रेडिट हानि के प्रावधान में परिवर्धन	302.80	378.49
घटाएं: पुनर्वर्गीकरण/अन्य समायोजन	57.04	0.70
वर्ष के अंत में शेषराशि	**1,714.71**	**1,468.95**

16. नकद और नकदी समतुल्य

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
बैंकों में शेषराशि			
चालू खाते	130.79	13.13	4.39
3 महीनों की मूल परिपक्वता के साथ बैंक जमाराशियाँ	2,330.00	13,540.00	13,665.92
हाथ में नकद	0.74	0.05	0.88
	2,461.53	**13,553.18**	**13,671.19**

8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान धारित और लेन-देन किए गए निर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) के ब्यौरे यहां नीचे की तालिका में दिए गए हैं:-

(सारी रकम ` में है)

विवरण	SBN's #	अन्य मूल्यवर्ग नोट	कुल
08.11.2016 को हाथ में अंतिम नकद	956,500.00	54,920.00	1,011,420.00
(+) अनुमत प्राप्तियाँ	11,219,500.00	10,619,399.00	21,838,899.00
(-) अनुमत भुगतान	-	121,786.00	121,786.00
(-) बैंक में जमा की गई रकम	12,176,000.00	10,161,329.00	22,337,329.00
30.12.2016 को हाथ में अंतिम नकद	**-**	**391,204.00**	**391,204.00**

इस खंड के प्रयोजन के लिए, ' निर्दिष्ट बैंक नोट ' का वही अभिप्राय है जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3407(ई),, दिनांक 8 नवंबर, 2016 में दिया गया है.

17. अन्य बैंक शेषराशि

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
3 महीनों से अधिक परंतु 12 महीनों तक की मूल परिपक्वता के साथ बैंक जमाराशियाँ **[देखें टिप्पणी 17.1]**	2,755.46	108,439.09	58,019.61
धारणाधिकार के अधीन अन्य बैंक जमाराशियां	9,370.60	7,908.21	30,864.62
डिबेंचर खाते पर अदावी ब्याज **[देखें टिप्पणी 17.2]**	0.01	0.19	0.19
अदावी लाभांश खाता **[देखें टिप्पणी 17.3]**	74.70	101.24	124.49
निर्बंधित बैंक शेषराशि **[देखें टिप्पणी 17.4]**	6,766.88	8,078.42	-
कर्मचारी हितकारी निधि के लिए निर्बंधित बैंक शेषराशि	9.14	8.15	7.27
कुल	**18,976.79**	**124,535.30**	**89,016.18**

17.1 कंपनी द्वारा बैंकों में रखी गईं जमाराशियों में शामिल हैं, आवधिक जमाराशियाँ, जिनका कोई पूर्व नोटिस दिए बगैर अथवा मूल धनराशि पर कोई दंड दिए बगैर किसी भी समय आहरण किया जा सकेगा.

17.2 डिबेंचरों पर अदावी ब्याज खाते में जमा की गई रकम, ब्याज का भुगतान करने के लिए उद्दिष्ट की गई है, जिसका किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

17.3 अदावी लाभांश खाते में जमा की गई रकम, लाभांश का भुगतान करने के लिए उद्दिष्ट की गई है, जिसका किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

17.4 निर्बंधित बैंक शेषराशि, बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में आहरित अप्रयुक्त पूंजीगत व्यय निधि के बराबर है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज अर्जित न करने वाले खाते में रखा गया है जिसका निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही उपयोग किया जा सकेगा.

18. बिक्री के लिए धारित अप्रचलित आस्तियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि **[देखें टिप्पणी 18.1]**	77.96	77.96	77.96
अन्य **[देखें टिप्पणी 18.2]**	-	-	-
कुल	**77.96**	**77.96**	**77.96**

18.1 वर्ष 2007 में बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर, कंपनी, अप्रयुक्त पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वर्गीकरण करती रही है जिनको " चालू आस्तियाँ " के अधीन " बिक्री के लिए धारित आस्तियाँ " के रूप में निपटान किया जाएगा. कंपनी, पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का अपने व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करते के बजाय अगले बारह महीनों में निपटाने का इरादा रखती है. कंपनी, संभावित खरीदारों की तीव्रता से खोज रही है. 31 मार्च, 2017 को, पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वर्गीकरण करने पर ह्रासित हानि को लेखाबद्ध नहीं किया गया क्योंकि कंपनी को यह अंदेसा है कि बेचने के लिए लगने वाली लागत घटाने के बाद उचित मूल्य की मात्रा (एक ही प्रकार के स्थानों में एक ही प्रकार की संपत्तियों की हाल की बाजार कीमतों के आधार पर किया गया आकलन) बही मूल्य से अधिक होगी.

18.2 बिक्री के लिए धारित आस्तियों में शामिल हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनका पूरी तरह से मूल्यह्रास नहीं किया गया है.

19. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
प्राधिकृत शेयर पूँजी			
प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2016 को: प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर; 1 अप्रैल 2015 को: प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर)	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**
प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2016 को: प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 अधिमानी शेयर; 1 अप्रैल 2015 को: प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 अधिमानी शेयर)	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
निर्गमित और अभिदत्त:			
प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2016 को: प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777इक्विटी शेयर; 1 अप्रैल 2015 को: प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777इक्विटी शेयर)	**17,525.99**	**17,525.99**	**17,525.99**
पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर:			
प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2016 को: प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर; 1 अप्रैल 2015 को: प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)	17,525.99	17,525.99	17,525.99
जोड़ें: जब्त शेयर **(देखें टिप्पणी 19.5)**	0.65	0.65	0.65
	17,526.64	**17,526.64**	**17,526.64**

रिपोर्ट अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:

विवरण	कुल शेयर, दशलक्ष में	शेयर पूँजी
1 अप्रैल, 2015 को शेषराशि	**1,752.59**	**17,525.99**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2016 को शेषराशि	**1,752.59**	**17,525.99**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2017 को बकाया	**1,752.59**	**17,525.99**

19.1 इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका सममूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर है. इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक, प्रति शेयर एक वोट पाने का हकदार है. निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

कंपनी का परिसमापन होने पर इक्विटी शेयर धारकों को तमाम अधिमान रकम का वितरण करने के बाद बची कंपनी आस्तियां प्राप्त करने का हक होगा. शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर की संख्या के अनुपात में वितरण किया जाएगा.

19.2 नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहयोगी अथवा सहबद्ध कंपनियों द्वारा धारित शेयर, निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63

19.3 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	297.15	16.96	297.15	16.96

19.4 विकल्पों और ठेकों अथवा शेयरों की बिक्री के लिए प्रतिबद्धताओं के अधीन निर्गमित करने अथवा विनिवेश करने के लिए आरक्षित इक्विटी शेयर: कुछ नहीं (31 मार्च, 2016 को: कुछ नहीं; 1 अप्रैल, 2015 को: कुछ नहीं).

19.5 प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयरों को (₹ 10 के 303,550 इक्विटी शेयरों के समतुल्य) वर्ष 2009-10 में जब्त किया गया जिसके प्रति मूल रूप से प्रदत्त रकम ₹ 654,000 रही.

20. अन्य इक्विटी

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
(क) मानी गई इक्विटी **[देखें टिप्पणी 3.25.2 (क)]**	30.53	26.05	26.05
[ख] आरक्षित निधि और अधिशेष			
पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	91.86	91.86	91.86
प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि	3,467.98	3,467.98	3,467.98
पूंजीगत आरक्षित निधि	0.07	0.07	0.07
सामान्य आरक्षित निधि	1,192.00	1,192.00	1,192.00
प्रतिधारित अर्जन	72,713.27	38,034.65	29,796.85
कुल	**77,495.71**	**42,812.61**	**34,574.81**

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
(क) मानी गई इक्विटी		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	26.05	26.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरण	4.48	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**30.53**	**26.05**
[ख] आरक्षित निधि		
(i) पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 20.1]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	91.86	91.86
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**91.86**	**91.86**
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 20.2]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	3,467.98	3,467.98
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**3,467.98**	**3,467.98**
(iii) पूंजीगत आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 20.3]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	0.07	0.07
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**0.07**	**0.07**
(iv) सामान्य आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 20.4]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	1,192.00	1,192.00
जोड़ें: प्रतिधारित अर्जनों में से अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**1,192.00**	**1,192.00**
(v) प्रतिधारित अर्जन		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	38,034.65	29,796.85
वर्ष का कर उपरांत लाभ	34,726.41	8,237.13
वर्ष की अन्य व्यापक आय, निवल आय कर	(47.79)	0.67
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**72,713.27**	**38,034.65**

20.1 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान अधिमान शेयर पूंजी का प्रतिदान होने पर पूंजीगत प्रतिदान आरक्षित निधि निर्मित की.

20.2 कंपनी ने, इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम करने पर प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि का निर्माण किया जिसका कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार उपयोग किया जा सकेगा.

20.3 वर्ष 2014-15 के दौरान समेकन के निमित्त निर्मित पूंजीगत आरक्षित निधि.

20.4 सामान्य आरक्षित निधि का, समय-समय पर, विनियोजन करने के प्रयोजन से, प्रतिधारित अर्जन से लाभ अंतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है. चूंकि सामान्य आरक्षित का निर्माण करते समय इक्विटी के एक घटक से दूसरे में अंतरण किया जाता है और अन्य व्यापक आय की एक मद नहीं होती है इसलिए सामान्य आरक्षित निधि में सम्मिलित मदों का बाद में लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा.

20.5 कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में अपने इक्विटी शेयरधारकों में वितरित की जानेवाली रकम का निर्धारण करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं और कंपनी लाभांश वितरण नीति पर विचार किया जाता है. इस प्रकार से, सामान्य आरक्षित निधि में दर्शाई गई रकम का समग्र रूप से वितरण करना संभव नहीं होगा.

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के संबंध में, निदेशक मंडल ने ₹ 6/- प्रति शेयर का अंतिम लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है जिनको पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर अदा किया जाएगा. यह इक्विटी लाभांश, वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और इसे इन वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है. प्रस्तावित इक्विटी लाभांश, पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के सभी धारकों को देय होगा. अदा किया जाने वाला कुल अनुमानित इक्विटी लाभांश, ₹ 10,515.59 दशलक्ष और उस पर लाभांश वितरण कर की रकम, ₹ 2,140.73 दशलक्ष है.

21. उधार

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
जमानती - परिशोधित लागत पर						
सावधि ऋण:-						
बैंकों से						
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)	40,692.06	-	54,839.97	-	56,984.80	-
[देखें टिप्पणी 21.1]						
रुपया ऋण	-		326.51		18,617.72	
[देखें टिप्पणी 21.2]						
अन्य पक्षकारों से						
तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	750.00	-	2,500.00	-	-	-
[देखें टिप्पणी 21.3]						
अपरिवर्तनीय डिबेंचर:-	24,991.90		4,994.46			
[देखें टिप्पणी 21.4]						
बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण	-	6,471.24	-	57.46	-	3,276.74
[देखें टिप्पणी 21.5]						
गैर जमानती - परिशोधित लागत पर						
सावधि ऋण:-						
संबंधित पक्षकारों से:						
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	18,856.90	-	25,714.10	-	32,571.30	-
[देखें टिप्पणी 21.6]						
अन्य पक्षकारों से:-						
आस्थगित भुगतान देयताएं	618.63	-	1,145.17	-	2,052.91	-
[देखें टिप्पणी 21.7]						
तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	-	-	-	-	5,250.00	-
[देखें टिप्पणी 21.3]						
बैंकों से:-	-	-	-	19,244.40	2,000.00	10,524.72
[देखें टिप्पणी 21.8]						
वाणिज्यिक पत्र (निवल बट्टा)	-	27,244.05	-	18,747.32	-	-
[देखें टिप्पणी 21.9]						
क्रेता के साख पत्र पर उधार	-	-	-	-	-	1,674.37
[देखें टिप्पणी 21.10]						
बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण						
विदेशी मुद्रा गैर प्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)	-	12,971.00	-	-	-	-
[देखें टिप्पणी 21.11]						
कुल	**85,909.49**	**46,686.29**	**89,520.21**	**38,049.18**	**117,476.73**	**15,475.83**

21.1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)

21.1.1 कंपनी द्वारा लिए गए ECB, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR (6 महीने) + स्प्रेड है. इनके लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है.

सहायक कंपनी, OMPL ने USD 331.32 दशलक्ष के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) व्यवस्था की है. USD 331.32 दशलक्ष की समग्र ECB सुविधा, तीन शाखाओं में ली गई है.

ECB-ट्रांच I को, जिसकी रकम USD 250 दशलक्ष है, 1 अप्रैल, 2015 से शुरु होते हुए 14 समान अर्ध वार्षिक किस्तों में चुकाना होगा जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाएगी जो LIBOR (6 महीने) + 3.13% स्प्रेड है. ECB-ट्रांच II को, जिसकी रकम USD 60 दशलक्ष है, 31 अक्तूबर, 2015 से शुरु होते हुए 14 समान अर्ध वार्षिक किस्तों में चुकाना होगा जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाएगी जो LIBOR (6 महीने) + 3.15% स्प्रेड है. ECB-ट्रांच III को, जिसकी रकम USD 21.32 दशलक्ष है, 31 अक्तूबर, 2016 से शुरु होते हुए 14 समान अर्ध वार्षिक किस्तों में चुकाना होगा जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाएगी जो LIBOR (6 महीने) + 3.15% स्प्रेड है.

21.1.2 ₹ 13,039.40 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 5,665.58 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 2,686.39 दशलक्ष)को एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 22** के तहत " दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

21.1.3 ECB की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 21.12)	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
2015-16	-	-	2,790.40
2016-17	-	5,768.51	5,441.59
2017-18	13,122.21	13,406.48	12,646.73
2018-19	29,579.16	30,219.96	28,507.36
2019-20	4,042.51	4,130.08	3,896.03
2020-21	3,556.09	3,633.12	3,427.24
2021-22	3,069.68	3,136.18	2,958.45
2022-23	475.48	485.78	458.25
2023-24	98.76	100.90	95.20
कुल	**53,943.89**	**60,881.01**	**60,221.25**

21.2 रुपया ऋण

सहायक कंपनी, OMPL द्वारा विभिन्न बैंकों के पास रखी गई जमानती RTL के लिए जमानत के तौर पर भूमि और सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम प्रभार और सभी अचल संपत्ति और सभी चालू आस्तियों पर दृष्टिबंधक के रूप में द्वितीय प्रभार निर्मित किया गया है. उक्त RTL को पूरी तरह से दिसंबर 2015 में चुकाया गया. RTL के लिए ब्याज दर रही, SBI मूल दर + 1.25% जिसे मासिक आधार पर अदा करना पड़ेगा.

21.2.1 ₹ शून्य (31 मार्च, 2016 को ₹ 203.78 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 1,087.50 दशलक्ष), एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 22** के तहत " दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

21.2.2 RTL की संक्षिप्त चुकौती अनुसूची (RTL की चालू परिपक्वताओं सहित) निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 21.12)	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
2015-16	-	-	1,087.50
2016-17	-	-	2,175.00
2017-18	-	-	2,175.00
2018-19	-	-	2,175.00
2019-20	-	-	2,175.00
2020-21	-	-	2,175.00
2021-22	-	-	2,175.00
2022-23	-	-	2,175.00
2023-24	-	-	2,175.00
2024-25	-	-	1,071.84
कुल	**-**	**-**	**19,559.34**

21.3 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण

21.3.1 कंपनी द्वारा OIDB से लिए गए ऋण पर निश्चित दर से ब्याज लगाया जाता है. इनके लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है. 10 दिसंबर, 2015 से पहले OIDB से लिया जाता रहा ऋण, जमानत रहित था.

21.3.2 टिप्पणी 22 के तहत, ₹ 1,750.00 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 2,750.00 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 2,750.00 दशलक्ष)को एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2016 को दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में और 1 अप्रैल, 2017 को " दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

21.3.3 OIDB से लिए गए ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 21.12)	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
2015-16	-	-	2,750.00
2016-17	-	2,750.00	2,750.00
2017-18	1,750.00	1,750.00	1,750.00
2018-19	750.00	750.00	750.00
कुल	**2,500.00**	**5,250.00**	**8,000.00**

21.4 अपरिवर्तनीय डिबेंचर

21.4.1 सहायक कंपनी, OMPL ने, फरवरी 2016 के दौरान 5,000 दशलक्ष गैर-संचयी, जमानती, प्रतिदेय, कर योग्य, सूचीबद्ध, श्रेणीकृत गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) निर्गमित किए जिसकी कूपन दर 8.4% प्र.व. है जिस पर ब्याज, वर्ष में एक बार दिया जाएगा. कंपनी ने, जून 2016 के दौरान 20,000 दशलक्ष गैर-संचयी, जमानती, प्रतिदेय, कर योग्य, सूचीबद्ध, श्रेणीकृत गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) निर्गमित किए जिसकी कूपन दर 8.12% प्र.व. है जिस पर ब्याज वर्ष में एक बार दिया जाएगा.

21.4.2 इन NCD के लिए जमानत के तौर पर, मंगलूरु ताल्लुका और पंजीकरण उप जिला, दक्षिण कन्नड ज़िले के मंगलूरु एसईज़ेड्, पेर्मुदे और कलवार गांव में स्थित कुल 441.438 एकड़ की भूमि तथा भवन, सड़कों और संयंत्र और उपकरण सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है.

21.4.3 अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 21.12)	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
2018-19	5,000.00	5,000.00	-
2019-20	20,000.00	-	-
कुल	**25,000.00**	**5,000.00**	**-**

21.5 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण

21.5.1 संघीय बैंक से लिए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टॉक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य व्यापार राशियों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेकों, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी, दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और आगे, कंपनी की, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है.

21.5.2 सहायक कंपनी, OMPL की कार्यकारी पूंजी के उधारदाताओं के लिए जमानत के रूप में, NCD धारकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने पर, कंपनी की, वर्तमान और भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्र प्रभार निर्मित करना होगा.

21.6 संबंधित पक्षकारों से सावधि ऋण

21.6.1 कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकार (ONGC) से लिए गए सावधि ऋण पर परिवर्ती दर से ब्याज देना पड़ता है जो 1 अप्रैल, 2016 से 5 वर्ष की अवधि के लिए G-sec प्रतिफल + स्प्रेड है (इससे पहले SBAR - स्प्रेड रहा).

21.6.2 ₹ 6,857.20 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 6,857.20 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 6,857.20 दशलक्ष)को एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 22** के तहत " दीर्घावधि कर्ज (गैर जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

21.6.3 OIDB से लिए गए ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 21.12)	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
2015-16	-	-	6,857.20
2016-17	-	6,857.20	6,857.20
2017-18	6,857.20	6,857.20	6,857.20
2018-19	6,857.20	6,857.20	6,857.20
2019-20	6,857.20	6,857.20	6,857.20
2020-21	5,142.50	5,142.50	5,142.50
कुल	**25,714.10**	**32,571.30**	**39,428.50**

21.7 आस्थगित भुगतान देयताएं

21.7.1 आस्थगित भुगतान देयता, बिक्री कर देयता के निमित्त देय रकम दर्शाती है जिसे बिक्री कर प्राधिकरण को निर्दिष्ट अवधि के बाद अदा करना पड़ेगा. इस तरह की बिक्री कर देयता का आस्थगन होने पर कोई ब्याज देना नहीं पड़ेगा. कंपनी ने, Ind AS 101 के तहत दिया गया आज्ञापक अपवाद लागू किया है और तदनुसार 1 अप्रैल, 2015 को मौजूद आस्थगित भुगतान देयताओं का उचित मूल्यांकन नहीं किया है.

सहायक कंपनी, OMPL की आस्थगित भुगतान देयता का मतलब है, लाइसेंसकर्ता के साथ किए गए करारनामे के अनुसार ऐरोमैटिक कॉम्प्लेक्स के लिए लाइसेंसकर्ता को देय रकम.

21.7.2 ₹ 526.54 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 905.77 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 1,006.66 दशलक्ष)को एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 22** के तहत " दीर्घावधि कर्ज (गैर जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

21.7.3 आस्थगित भुगतान देयता की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 21.12)	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
2015-16	-	-	1,058.09
2016-17	-	909.00	909.00
2017-18	526.54	526.54	526.54
2018-19	400.00	400.00	400.00
2019-20	218.63	218.63	218.63
कुल	**1,145.17**	**2,054.17**	**3,112.26**

21.8 सावधि ऋण - बैंकों से

सहायक कंपनी, OMPL के दीर्घावधि ऋण का मतलब है, ऐक्सिस बैंक से लिया गया जमानत रहित RTL जिसे सितंबर 2015 में पूरी तरह से चुकाया गया था और अल्पावधि ऋण में शामिल है, विभिन्न बैंकों से लिए गए जमानती STL जिस पर परिवर्ती ब्याज (31 मार्च, 2016 को 9.34%-9.35% प्र.व., 31 मार्च, 2015 को 10.25%-10.50% प्र.व. रहा.) ₹ शून्य (31 मार्च, 2016 को ₹ शून्य, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 6.86 दशलक्ष)को एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 22** के तहत " दीर्घावधि कर्ज (गैर जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

21.9 वाणिज्यिक पत्र

21.9.1 सहायक कंपनी, OMPL के वाणिज्यिक पत्र, जमानत रहित निश्चित दर के कर्ज लिखत हैं जिसकी अवधि 30 दिनों से 180 दिनों की है.

21.10 क्रेता के साख पत्र पर उधार

21.10.1 सहायक कंपनी, OMPL के क्रेता के साख पत्र पर बैंकों से लिए गए उधार, विदेशी मुद्रा में अंकित निश्चित ब्याज दर पर जमानत रहित ऋण हैं जिनका छह महीने में एक बार विस्तारण किया जाता है.

21.11 विदेशी मुद्रा गैर प्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)

21.11.1 बैंक से लिए विदेशी मुद्रा गैर प्रत्यावर्तनीय ऋण,USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR (6 महीने) + स्प्रेड है और इसे प्रत्येक संवितरण की तारीख से एक वर्ष के अंत में चुकाना पड़ेगा.

21.12 ऊपर प्रकट की गईं चुकौती अनुसूचियां, संविदात्मक नकदी बहिर्वाह पर आधारित हैं और इसलिए इन उधारों के बही मूल्य के अनुरूप नहीं होंगी जिनको परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया जाता है.

22. अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
दीर्घावधि कर्ज की चालू परिपक्वताएं **(जमानती) देखें टिप्पणी 21.1.2, 21.2.1 और 21.3.2]**	-	14,789.40	-	8,619.36	-	3,773.89
दीर्घावधि कर्ज की चालू परिपक्वताएं **(गैर जमानती) [देखें टिप्पणी 21.6.2 और 21.7.2]**	-	7,383.74	-	7,762.97	-	10,620.72
अदावी लाभांश **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.1]**	-	74.70	-	101.24	-	124.49
परिपक्व डिबेंचरों पर अदावी ब्याज **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.2]**	-	0.01	-	0.19	-	0.19
बैंक जमाराशियां पर ऐसा ब्याज जो उपचित हुआ हो परंतु देय न हो	-	785.62	-	724.70	-	315.49
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/अन्य से जमाराशियाँ	-	977.29	-	399.98	-	420.63
पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देय **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.3]**	-	4,262.30	-	8,403.86	-	12,152.42
कर्मचारियों के प्रति देयता	-	609.34	-	296.10	-	157.46
ग्राहकों और विक्रेताओं से संबंधित अन्य देयताएं **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.4]**	-	1,931.96	-	2,555.49	0.13	1,342.75
कुल	**-**	**30,814.36**	**-**	**28,863.89**	**0.13**	**28,908.04**

22.1 निवेशकर्ता शिक्षा संरक्षण निधि में भुगतान करने के लिए कोई रकम देय नहीं है.

22.2 परिपक्व डिबेंचरों पर अदावी ब्याज, विवादग्रस्त दावों के प्रति देय ब्याज दर्शाता है.

22.3 कीमत घटाने संबंधी खंड

पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देय रकम में शामिल है ₹ 988.40 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 2,042.91 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 1,570.94 दशलक्ष) जो कीमत घटाने संबंधी खंड का अनुसरण करते हुए विक्रेताओं से रोक रखी गई रकम से संबंधित है जिसे इन विक्रेताओं के साथ कार्रवाही को अंतिम रूप देने के बाद निपटाया जाएगा. रोक रखी गई रकम को अंत में तय करने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में उत्तर व्यापी प्रभाव से संबंधित समायोजन किया जाएगा.

22.4 सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठानों से संबंधित प्रकटन

विवरण		यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
i	वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना उस पर देय मूल धनराशि	10.67	1.37	6.81
ii	वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना उस पर देय ब्याज	-	-	-
iii	प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की रकम के साथ सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज रकम.	-	-	-
iv	भुगतान करने में हुए विलंब की अवधि के लिए (जिसे वर्ष के दौरान अदा तो किया गया हो परंतु नियत दिन के बाद) परंतु सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर देय ब्याज रकम.	-	-	-
v	प्रत्येक वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त पड़ी रही ब्याज रकम और	-	-	-
vi	उत्तरवर्ती वर्षों में भी तब तक देय रही अतिरिक्त ब्याज राशि जब सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत काटने योग्य व्यय शामिल न करने के प्रयोजन से लघु प्रतिष्ठान को वास्तव में उक्त ब्याज अदा किया गया हो .	**-**	**-**	**-**

23. प्रावधान

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान **[देखें टिप्पणी 39]**						
(क) छुट्टी का नकदीकरण	554.71	53.36	363.12	37.25	300.61	34.68
[ख] सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा अन्य लाभ	79.66	2.30	64.93	1.94	58.51	1.91
(ग) उपदान	27.16	0.23	16.01	0.10	6.60	0.05
अन्य **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.1]**	-	2,797.68	-	3,506.98	-	2,062.38
	661.53	**2,853.57**	**444.06**	**3,546.27**	**365.72**	**2,099.02**

23.1 अन्य में शामिल है अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान.

वर्ष 2016-17 में चलन

विवरण	अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क
31 मार्च, 2016 को प्रारंभिक शेषराशि	3,506.98
घटाएं: प्रावधान का प्रत्यावर्तन करने के निमित्त कटौती	3,506.98
जोड़ें: परिवर्धन	2,797.68
31 मार्च, 2017 को अंतिम शेषराशि	**2,797.68**

कंपनी का अनुमान है, 31 मार्च, 2017 को स्टॉक में पड़ी रही वस्तुएं खाली करने पर देय उत्पाद शुल्क के लिए काफ़ी हद तक किए गए आकलन के आधार पर प्रावधान, ₹ 2,797.68 दशलक्ष है (31 मार्च, 2016 को ₹ 3,506.98 दशलक्ष, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 2,057.60 दशलक्ष) और कंपनी ने इसे अन्य प्रावधान में शामिल किया है. अपेक्षा की जाती है कि इस प्रावधान को जब निपटाया जाएगा तब वस्तुओं को कारखाना परिसर से हटाया जाएगा.

24 आस्थगित कर आस्ति/ देयताएं (निवल)

समेकित तुलन-पत्र में प्रस्तुत की गई आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं का विश्लेषण निम्नानुसार है.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
आस्थगित कर आस्तियां	37,119.22	40,344.91	30,231.31
आस्थगित कर देयताएं	(34,012.35)	(31,513.19)	(25,938.09)
आस्थगित कर आस्ति/ देयता (निवल)	**3,106.87**	**8,831.72**	**4,293.22**

2015-16	प्रारंभिक शेषराशि	लाभ अथवा हानि में दर्शाई गई रकम	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेषराशि
इनके संबंध में आस्थगित कर देयताएं				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(25,935.43)	(5,576.35)	-	(31,511.78)
अगोचर आस्तियां	(2.66)	1.25	-	(1.41)
कुल	**(25,938.09)**	**(5,575.10)**	**-**	**(31,513.19)**
इनके संबंध में आस्थगित कर आस्तियां				
अन्य देयताएं	17.97	9.71	-	27.68
आगे लाई गई व्यावसायिक हानियां और अनवशोषित मूल्यह्रास	29,803.84	6,894.16	0.31	36,698.31
MAT संबंधी क्रेडिट हकदारी	3.78	3,071.31	-	3,075.09
वित्तीय और अन्य आस्तियां	374.66	137.54	-	512.20
स्टॉक	31.06	0.57	-	31.63
कुल	**30,231.31**	**10,113.29**	**0.31**	**40,344.91**
आस्थगित कर आस्ति/ देयता (निवल)	**4,293.22**	**4,538.19**	**0.31**	**8,831.72**

2016-17	प्रारंभिक शेषराशि	लाभ अथवा हानि में दर्शाई गई रकम	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेषराशि
इनके संबंध में आस्थगित कर देयताएं				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(31,511.78)	(2,508.24)	-	(34,020.02)
अगोचर आस्तियां	(1.41)	9.08	-	7.67
कुल	**(31,513.19)**	**(2,499.16)**	**-**	**(34,012.35)**
आस्थगित कर आस्तियों समेत मदों का कर पर प्रभाव				
अन्य देयताएं	27.68	22.49	-	50.17
आगे लाई गई व्यावसायिक हानियां और अनवशोषित मूल्यह्रास	36,698.31	(15,212.79)	27.96	21,513.48
MAT संबंधी क्रेडिट हकदारी	3,074.92	11,853.79	-	14,928.71
वित्तीय और अन्य आस्तियां	512.20	83.03	-	595.23
स्टॉक	31.63	-	-	31.63
कुल	**40,344.74**	**(3,253.48)**	**27.96**	**37,119.22**
आस्थगित कर आस्ति/ देयता (निवल)	**8,831.55**	**(5,752.64)**	**27.96**	**3,106.87**

एक एसईज़ड् यूनिट होने के नाते, सहायक कंपनी, OMPL, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के तहत कुछ छूट के लिए पात्र है. तदनुसार, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर जमाराशियों पर आस्थगित कर आस्तियों को उस हद तक दर्शाया गया है जिस हद तक यह संभव है कि इन बातों पर विचार करते हुए भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, (i) उसके प्रमुख उत्पाद अर्थात्; पैरा क्ज़ाइलीन के लिए ग्राहक के साथ की गई प्रतिबद्ध दीर्घावधि समग्र क्रय व्यवस्था (ii) अन्य उत्पादों जैसे पैराफिनिक रैफिनेट, हाइड्रोजन और डी ईथनाइज़र स्तंभ के अधस्तलज द्रव की बिक्री के लिए मूल कंपनी के साथ व्यवस्था (iii) मूल कंपनी के साथ फ़ीड स्टॉक खरीदने के लिए कीमत निर्धारण संबंधी नियमों में संशोधन (iv) क्षमता उपयोग बढ़ाने की खातिर दूसरी तेल कंपनियों के साथ नैफ़्ता खरीदने की व्यवस्थाएं (v) ऐरोमैटिक कॉंप्लेक्स की ऐरोमैटिक फ़ीड स्टॉक आवश्यकता बढ़ाने की खातिर रीफ़ॉर्मेट हासिल करने के लिए मूल कंपनी के साथ व्यवस्था (vi) ईंधन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के साथ गैस परिवहन की व्यवस्था.

25 व्यापारिक देनदारियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
व्यापारिक देनदारियां	60,444.97	212,872.72	183,672.28
कुल	**60,444.97**	**212,872.72**	**183,672.28**

25.1 व्यापारी देयताओं में शामिल है ₹ 9,102.11 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 4,638.87 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 3,282.95 दशलक्ष) जिसके लिए ONGC ने, कंपनी की तरफ से गारंटी दी है.

25.2 क्रूड, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे, अन्य कच्चा माल, सेवाएं आदि खरीदने पर औसत क्रेडिट अवधि, 7 से 90 दिन है. उसके बाद बकाया शेषराशि पर संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार संबंधित बैंक दर पर 6.75% प्र.व. तक ब्याज लगाया जाता है. कंपनी ने वित्तीय जोखिम प्रबंध नीतियां लागू की है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देय रकम, सम्मत क्रेडिट संबंधी नियमों के अंदर अदा की जाती हैं.

सहायक कंपनी, OMPL की, कच्चा माल, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे, सेवाएं आदि खरीदने पर औसत क्रेडिट अवधि, 7 से 30 दिन है. उसके बाद बकाया शेषराशि पर संबंधित व्यापारी व्यवस्थाओं के अनुसार परिवर्ती दर पर ब्याज लगाया जाता है. कंपनी ने वित्तीय जोखिम प्रबंध नीतियां लागू की है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देय रकम, सम्मत क्रेडिट संबंधी नियमों के अंदर अदा की जाती हैं.

25.3 सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठानों से संबंधित प्रकटन

विवरण		यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
i	वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना उस पर देय मूल धनराशि	70.84	9.07	8.46
ii	वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना उस पर देय ब्याज	-	-	-
iii	प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की रकम के साथ सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज रकम.	-	-	-
iv	भुगतान करने में हुए विलंब की अवधि के लिए (जिसे वर्ष के दौरान अदा तो किया गया हो परंतु नियत दिन के बाद) परंतु सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर देय ब्याज रकम.	-	-	-
v	प्रत्येक वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त पड़ी रही ब्याज रकम और	-	-	-
vi	उत्तरवर्ती वर्षों में भी तब तक देय रही अतिरिक्त ब्याज राशि जब सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत काटने योग्य व्यय शामिल न करने के प्रयोजन से लघु प्रतिष्ठान को वास्तव में उक्त ब्याज अदा किया गया.	-	-	-

26. अन्य देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017		यथा 31 मार्च, 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू	अप्रचलित	चालू
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	-	1.56	-	1.71	-	1.84
उपदान के प्रति देयता **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 26.1]**	-	94.65	-	27.08	-	24.98
सांविधिक भुगतान के प्रति देयता	-	1,733.84	-	1,511.25	-	1,324.13
अन्य	-	-	-	3.24	3.24	49.67
इनसे धन वापसी होने पर तेल कंपनियों को देय वाणिज्यिक कर प्राधिकारी	-	-	-	-	-	2,884.48
कुल	**-**	**1,830.05**	**-**	**1,543.28**	**3.24**	**4,285.10**

26.1 उपदान न्यास से/को प्राप्य/देय निवल रकम

27 प्रचालन से राजस्व

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
27.1	**उत्पादों की बिक्री**		
	देशी बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	457,003.48	382,937.23
	निर्यात बिक्री	142,770.22	126,553.05
27.2	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
	स्क्रैप की बिक्री	83.60	81.85
	परिनिर्धारित नुकसान	34.10	30.46
	सेवा की बिक्री	-	20.70
	कुल	117.70	133.01
	कुल	**599,891.40**	**509,623.29**

28 अन्य आय

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
28.1	**इन पर ब्याज:**		
	ठेकेदार संग्रहण अग्रिम	-	41.29
	अन्य	195.75	12.97
	परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय आस्तियां		
	- बैंक जमाराशियाँ	3,540.48	6,799.59
	- प्रत्यक्ष विपणन ग्राहक	22.36	24.20
	- कर्मचारियों को दिए गए ऋण	25.07	20.50
	कुल	**3,783.66**	**6,898.55**
28.2	**इनसे लाभांश आय:-**		
	म्यूचुअल फंड में निवेश (FVTPL में मापे गए)	**268.01**	**1,173.18**
28.3	**अन्य गैर प्रचालन आय**		
	रॉयल्टी आय	9.04	4.39
	प्रतिलेखित, अब ज़रूरी न पड़ने वाली देयता	2.79	362.72
	प्रतिलेखित अतिशय प्रावधान	62.88	0.73
	टेंडर फ़ार्म की बिक्री	1.18	1.01
	किराया शुल्क	2.30	4.10
	कर्मचारियों से वसूली	8.39	9.05
	विविध प्राप्तियाँ	50.27	101.32
	कुल	136.85	483.32
	कुल	**4,188.52**	**8,555.05**

29 खपाई गई सामग्री की लागत

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
कच्चा माल: क्रूड तेल		
आयातित	292,204.20	301,442.61
देशी	71,721.91	36,849.57
कच्चा माल: अन्य		
आयातित		
रीफॉर्मेट	3,094.99	1,033.52
देशी		
CRMB मॉडिफायर	3.44	6.70
नैफ़्ता धारा	5,664.82	1,295.35
व्यापार में स्टॉक		
देशी	0.49	0.12
कुल	**372,689.85**	**340,627.87**

30 तैयार माल, प्रक्रिया में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
30.1	**इनका अंतिम स्टॉक:**		
	तैयार माल और व्यापार में स्टॉक	13,666.24	11,774.42
	प्रक्रिया में स्टॉक	4,773.98	3,346.00
	कुल अंतिम स्टॉक	**18,440.22**	**15,120.42**
30.2	**इनका प्रारंभिक स्टॉक:**		
	तैयार माल और व्यापार में स्टॉक	11,774.42	19,023.02
	प्रक्रिया में स्टॉक	3,346.00	4,046.02
	कुल प्रारंभिक स्टॉक	**15,120.42**	**23,069.04**
	तैयार माल, प्रक्रिया में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन	**(3,319.80)**	**7,948.62**

31 कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च

विवरण [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 31.1]	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
वेतन और मज़दूरी	3,362.67	2,735.21
भविष्य और अन्य निधियों के प्रति अंशदान	369.36	339.03
सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ - चिकित्सा और अन्य	10.53	9.85
स्टाफ कल्याण खर्च	160.34	144.13
कुल	**3,902.90**	**3,228.22**

31.1 कंपनी ने 1 जनवरी, 2017 से वेतन में संशोधन के लिए प्रावधान किया है जिस पर तृतीय वेतन संशोधन समिति की रिपोर्ट की सिफ़ारिश के अनुसार विचार किया गया है.

32 वित्त लागत

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताओं के लिए वित्त संबंधी खर्च		
- संबंधित पक्षकारों से	2,435.03	3,880.57
- बैंकों से	6,432.54	6,083.32
- अन्य पक्षकारों से	775.00	584.88
	9,642.57	**10,548.77**
वित्तीय गारंटी शुल्क	16.65	18.37
उधार लागत के प्रति समायोजन के रूप में माने गए विनिमय में अंतर	-	236.19
कुल	**9,659.22**	**10,803.33**

33 मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	9,798.43	10,091.34
अगोचर आस्तियों का परिशोधन	42.77	39.07
कुल	**9,841.20**	**10,130.41**

34 अन्य खर्च

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	
विद्युत, उपयोगिता और ईंधन शल्क	31,483.56		31,128.39	
घटाएँ: स्वयं खपत	26,774.50	4,709.06	24,872.26	6,256.13
मरम्मत और अनुरक्षण				
- संयंत्र और मशीनें	2,423.09		2,267.59	
- भवन	6.78		8.84	
- अन्य	565.94	2,995.81	513.74	2,790.17
खपाए गए भंडार, अतिरिक्त पर्जे और रासायनिक पदार्थ		1,469.25		951.91
खपाई गई पैकिंग सामग्री		209.30		45.80
किराया		172.24		163.27
बीमा		358.96		377.89
दर और कर		2,406.80		2,205.99
स्टॉक पर उत्पाद शुल्क (निवल) [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 34.1]		(675.16)		1,588.96
विनिमय दर में घट-बढ़ से हानि/ (आय)		566.12		11,835.15
निदेशकों के बैठक शुल्क		0.69		0.31
संपत्ति,संयंत्र और उपकरण की बिक्री से हानि		57.02		3.86
बैंक शुल्क		27.53		31.30
लेखा परीक्षकों को भुगतान				
लेखा परीक्षा शुल्क	2.61		2.20	
कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.40		0.50	
प्रमाणीकरण शुल्क के लिए	2.00		1.82	
खर्च की प्रतिपूर्ति	2.71	7.72	3.07	7.59
निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी खर्च (CSR)		32.23		23.40
[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 34.2]				
इनके निमित्त ह्रास:				
संदिग्ध व्यापारी प्राप्य राशियां		302.80		378.49
बट्टे खाते लिखे गए:				
संदिग्ध व्यापारी प्राप्य राशियां		59.37		0.70
विविध खर्च		1,861.81		1,782.56
कुल		**14,561.55**		**28,443.48**

34.1 उत्पाद की बिक्री पर उत्पाद शुल्क को प्रचालन से राजस्व में शामिल किया गया है और ऊपर दर्शाया गया उत्पाद शुल्क, तैयार माल के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के बीच अंतर दर्शाता है.

34.2 CSR के प्रति व्यय में नीचे उल्लिखित समाविष्ट है:

(क) कंपनी को वर्ष के दौरान कुल मिलाकर ₹ 50.00 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में ₹ 23.40 दशलक्ष) की रकम खर्च करनी पड़ी.

(ख) वर्ष के दौरान इन पर किया गया खर्च:

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी नकद में अदा नहीं किया गया है	कुल
i) आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण	24.92	-	24.92
ii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए	7.31	-	7.31
कुल	**32.23**	**-**	**32.23**

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी नकद में अदा नहीं किया गया है	कुल
i) आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण	19.45	-	19.45
ii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए	3.95	-	3.95
कुल	**23.40**	**-**	**23.40**

35 अपवादात्मक मदें (आय/खर्च (निवल)

विवरण [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 35.1]	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
खपाई गई सामग्री की लागत	-	988.16
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	-	211.15
विविध खर्च	-	630.63
विनिमय दर में घट-बढ़ से हानि/ (आय)	(15,972.91)	-
कुल	**(15,972.91)**	**1,829.94**

35.1 चालू वर्ष के लिए अपवादात्मक मदें, प्रेषण माध्यम को अंतिम रूप न देने के कारण संचित अतिदेय व्यापारी देयताओं के निपटान से प्राप्त विनिमय दर में परिवर्तन के कारण अभिलाभ के निमित्त है.

35.2 पिछले वर्ष की अपवादात्मक मदों में शामिल है ₹ 1,541.87 दशलक्ष का खर्च जो जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 16 अक्तूबर, 2009 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए विभेदक घाट शुल्क से, उत्पन्न ₹ 211.15 दशलक्ष का खर्च, जो 01 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होते हुए हस्ताक्षरित दीर्घावधि समझौते के अनुसार गैर-प्रबंधन स्टाफ के लिए सेवानिवृत्ति लाभ निधि के प्रति तदर्थ अंशदान (अंशदान, मार्च 2015 से अप्रैल 2007 से संबंधित है) के प्रति और ₹ 76.92 दशलक्ष का खर्च, एमआरपीएल की सिविल अपील के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के आधार पर सीमा शुल्क का दोबारा परिकलन करने के निमित्त है.

36 जारी रहे प्रचालन से संबंधित आय कर

36.1 लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया आय कर

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
वर्तमान कर	11,853.78	2,345.58
आस्थगित कर	5,752.64	(4,538.19)
जारी रहे प्रचालन के संबंध में चालू वर्ष में दर्शाया गया आय कर संबंधी कुल खर्च	**17,606.42**	**(2,192.61)**

36.2 वर्ष के आय कर संबंधी खर्च का, लेखाबद्ध लाभ के साथ समाधान, निम्नानुसार किया जा सकता है :

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
प्रचालन जारी रखने से प्राप्त कर पूर्व लाभ	**50,538.52**	**2,865.04**
आय कर संबंधी खर्च का परिकलन 34.608% पर किया गया है (2015-2016: 34.608%)	17,490.37	991.53
आय कर से छूट प्राप्त आय का प्रभाव	(95.35)	(409.12)
संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभ का प्रभाव	(16.18)	(6.90)
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 32AC के तहत निवेश के लिए प्रावधान का प्रभाव	29.84	(617.30)
उस खर्च का प्रभाव, जिसे कर योग्य लाभ का निर्धारण करते समय काटा नहीं जाता है	134.63	146.95
आय कर दर में 33.99% से 34.608% में परिवर्तन होने के कारण आस्थगित कर शेषराशि का प्रभाव	-	(45.80)
पूर्व वर्षों में MAT क्रेडिट को 21.3416% पर दर्शाने से हुआ प्रभाव	-	(725.73)
समायोजन की सही शेषराशि (ट्रू अप) निकालने के कारण आस्थगित कर शेषराशि में हुए परिवर्तन का प्रभाव	(356.69)	272.93
पिछले वर्षों में लेखाबद्ध न की गईं कर संबंधी हानियों पर आस्थगित कर का प्रभाव	-	(2,518.86)
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के तहत छूट का प्रभाव	419.80	703.70
अन्य मदों का प्रभाव	-	15.99
लाभ अथवा हानि में दर्शाया गया आय कर संबंधी खर्च (जारी रहे प्रचालन के कारण)	**17,606.42**	**(2,192.61)**

36.3 अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई आय कर राशि

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
आस्थगित कर		
अन्य व्यापक आय में आय और खर्च दर्शाने के कारण उत्पन्न:		
(क) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	27.53	0.73
(ख) नकदी प्रभाव बचाव में बचाव लिखतों पर प्राप्त अभिलाभ (उठाई गई हानियों) का प्रभावी अंश	-	0.20
अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई कुल आय कर राशि	**27.53**	**0.92**
अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई आय कर राशि का इनमें द्विभाजन:		
उन मदों में जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा	27.53	0.92
उन मदों में जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण किया जा सकता है	-	-

37 प्रति इक्विटी अर्जन:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष का कर उपरांत लाभ(₹ दशलक्ष में)	34,726.41	8,237.13
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या, दशलक्ष में)	1,752.60	1,752.60
प्रति इक्विटी शेयर मूल और आंशिक अर्जन (₹)	19.81	4.70
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

38 पट्टे

38.1 वित्त पट्टे के तहत दायित्व

38.1.1 कंपनी ने भूमि के लिए पट्टा संबंधी करारनामों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. पट्टे की अवधि के अंत में भूमि का स्वामित्व, कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाएगा जिसके लिए नाममात्र प्रशासनिक शुल्क अदा करना पड़ेगा. पट्टे की अवधि 5-44 वर्ष के बीच होगी. कंपनी ने उधार पाने के मक़सद से इन पट्टाधृत भूमियों को गिरवी रखा है **[देखें टिप्पणी 5.2].**

31 मार्च, 2017 को वित्त पट्टा संबंधी दायित्व का कोई महत्व नहीं है, (31 मार्च, 2016 को : कोई महत्व नहीं है; 1 अप्रैल, 2015 को कोई महत्व नहीं है).

सहायक कंपनी, OMPL ने मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड के साथ एसईज़ड् यूनिट स्थापित करने के लिए भूमि के संबंध में पट्टा संबंधी करारनामे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसकी पट्टा अवधि 47 वर्ष की है. इसका, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. कंपनी के पास, पट्टा अवधि के अंत में भूमि खरीदने का कोई विकल्प नहीं है. आगे, कंपनी ने, वार्षिक आवर्ती शुल्क के साथ पट्टा संबंधी करारनामा निष्पादित करते समय अग्रिम रूप में भुगतान किया है जिसके वार्षिक पट्टे के किराए में कोई बढ़त नहीं होगी. कंपनी के पास, पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद परस्पर सम्मत शर्तों पर पट्टा संबंधी करारनामे का और 47 वर्षों के लिए नवीकरण कराने का विकल्प है.

सहायक कंपनी, OMPL ने आवासी/कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने और NMPT की भूमि को पट्टे पर लेने के लिए भी करारनामों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. औसत पट्टा अवधि 11 महीने से 47 वर्ष तक है.

38.2 प्रचालन पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं

38.2.1 पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं

कंपनी ने पाइपलाइनों के लिए मार्गाधिकार और भूमि के पट्टी की खातिर व्यवस्थाओं के लिए करार किए हैं जिनका प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. मार्गाधिकार के लिए पट्टा अवधि 11 महीनों से लेकर 30 वर्ष तक है और भूमि पट्टे की अवधि 5 से 44 वर्ष तक है. पट्टाधृत भूमियों के मामले में, कंपनी के पास, पट्टा अवधि के अंत में भूमि खरीदने का कोई विकल्प नहीं है. सामान्यत:, भूमि के मामले में पट्टे की व्यवस्था करने के लिए कंपनी को वार्षिक आवर्ती शुल्क के साथ पट्टा संबंधी करारनामा निष्पादित करते समय अग्रिम रूप में भुगतान करना पड़ता है जिसके वार्षिक पट्टे के किराए में बढ़त होती रहेगी.

38.2.2 खर्च के रूम में दर्शाए गए भुगतान

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
पट्टे के प्रति न्यूनतम भुगतान	125.15	115.86
	125.15	**115.86**

38.2.3 प्रचालन पट्टे से जुड़ी ऐसी प्रतिबद्धताएं जिनको रद्द नहीं किया जा सकेगा

समूह ने पट्टा संबंधी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिसे रद्द न किया जा सके

39 कंपनी की कर्मचारी लाभ संबंधी योजनाएं

39.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं के सिलसिले में वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई रकम

परिभाषित अंशदान योजनाएं	दर्शाई गई रकम वर्ष के दौरान		इनका अंशदान महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी	
	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	166.61	152.73	0.92	0.85
सेवानिवृत्ति निधि में नियोजन का अंशदान	140.91	338.38	0.76	0.79

39.2 कर्मचारी संबंधी दीर्घावधि लाभ

39.2.1 संक्षिप्त वर्णन: कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य दीर्घावधि लाभ के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार **है** :

क) अर्जित छुट्टी का लाभ (EL):

उपचय - प्रति वर्ष 32 दिन 300 दिनों तक

संचित किया जा सकेगा

15 दिन से अधिक संचित EL का, सेवा में रहते समय नकदीकरण किया जा सकेगा बशर्ते कि कम से कम 5 दिन EL का नकदीकरण कराया जाए.

ख) अर्ध वेतन छुट्टी (HPL)

उपचय - प्रति वर्ष 20 दिन

सेवा में रहते समय नकदीकरण नहीं किया जा सकेगा

सेवानिवृत्ति के उपरांत नकदीकरण किया जा सकेगा; जिसे अर्जित छुट्टी के साथ 300 दिनों तक सीमित किया गया है .

39.2.2 छुट्टियों से संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

39.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

39.3.1 संक्षिप्त वर्णन: परिभाषित लाभ योजना के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :

क) उपदान:

पूरे किए गए हर एक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान ₹1 दशलक्ष तक सीमित किया गया है.
एमआरपीएल उपदान न्यास की, 20 अप्रैल, 2007 को स्थापना की गई और बीमांकिक मूल्यांकन के बाद कंपनी प्राप्त निधि का और 28 जून, 2013 तक निधि का निवेश, समय-समय पर यथा संशोधित आय कर नियम, 1962 के आय कर नियम 67(1) में यथा निर्धारित तरीके से किया गया.

28 जून, 2013 के बाद एमआरपीएल उपदान न्यास की निधि का एलआईसी की सामूहिक उपदान नकद संचयन योजना (परंपरागत निधि), बजाज अलाएंज़, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्यूरेंस कं., बिर्ला सन्लाईफ इंश्यूरेंस कं. और इंडा फस्ट लाइफ इंश्यूरेंस कं. में निवेश किया जाता रहा है.

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

सेवानिवृत्ति के बाद, एक बारगी एकमुश्त अंशदान करने पर, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी/उसके आश्रित पत्नी/पति और आश्रित माता-पिता को, कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ के लिए कवर किया जाएगा.

ग) पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी, अपनी पसंदीदा स्थान पर बसने के हकदार होंगे और इसके लिए वे पुन:व्यवस्थापन भत्ता पाने के हकदार हैं.

39.3.2 परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

39.3.3 इन योजनाओं की बदौलत कंपनी को इस तरह के बीमांकिक जोखिम उठाने पड़ेंगे जैसे निवेश जोखिम, ब्याज दर जोखिम, दीर्घ आयु संबंधी जोखिम और वेतन जोखिम.

निवेश में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता के (जिसे भारतीय रुपए में अंकित किया जाएगा) वर्तमान मूल्य का परिकलन करते समय वह बट्टा दर लगाई जाएगी जिसका निर्धारण करते समय सरकार बांडों पर रिपोर्ट अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का हवाला दिया जाएगा अगर योजना आस्ति पर प्रतिफल, इस दर से कम हो तो इससे योजना में घाटा होगा. इस समय सरकारी प्रतिभूतियों, बीमा निवेश और अन्य कर्ज लिखतों में निवेश का सापेक्षतः मिला जुला मिश्रण है.
ब्याज में निहित जोखिम	बांड की ब्याज दर घटने से योजना देयता बढ़ जाएगी, लेकिन योजना में कर्ज निवेश पर मिले प्रतिफल से इसमें अंशत: कमी होगी.
दीर्घायु में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों को, उनके रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद, दोनों के दौरान मृत्यु के बेहतरीन आकलन का हवाला दिया जाएगा. योजना के सहभागियों की अपेक्षित आयु बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.
वेतन में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों की, के भावी वेतन का हवाला दिया जाएगा. बहरहाल, योजना के सहभागियों का वेतन बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.

इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत कोई अन्य लाभ नहीं मिलेगा.

योजनाओं के संबंध में, इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीस ऑफ इंडिया के एक सदस्य फर्म ने 31 मार्च, 2017 को योजना आस्तियों के हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्यांकन किया. परिभाषित दायित्व और संबंधित चालू सेवा लागत एवं गत सेवा लागत के वर्तमान मूल्य का मापन करते समय प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया.

39.3.4 बीमांकिक मूल्यांकन करते समय ख़ास तौर से नीचे उल्लिखित परिकल्पनाओं का उपयोग किया गया.

31 मार्च, 2017 को परिकल्पनाएं

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
उपदान (निधिक)			
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	7.34%	8.08%
2	बट्टा दर	7.34%	8.08%
3	वेतन वृद्धि दर	5.50%	5.50%
4	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
5	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)

31 मार्च, 2017 को परिकल्पनाएं

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:			
1	बट्टा दर	7.34%	8.08%
2	चिकित्सा लागत में वृद्धि	0.00%	0.00%
3	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)
5	रोजगार के उपरांत मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)
	पुन:व्यवस्थापन भत्ता:		
1	बट्टा दर	7.34%	8.08%
2	वेतन वृद्धि दर	5.50%	5.50%
3	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)

लेखाकरण दिनांक को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल के आधार पर ऐसा बट्टा दर जो अवधि के अनुरूप हो. वेतन वृद्धि करते समय, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित दीर्घावधि कारकों पर विचार किया जाता है. योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर, वर्ष के दौरान, संबंधित दायित्व की समग्र अवधि में मिलने वाले प्रतिफल के लिए बाजार की अपेक्षा के आधार पर होती है.

39.3.5 इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम निम्नानुसार हैं:

उपदान:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
सेवा लागत :		
चालू सेवा लागत	28.30	26.94
निवल ब्याज खर्च	2.34	2.69
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**30.64**	**29.63**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
निवल ब्याज लागत में सम्मिलित रकम को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	(7.53)	(1.91)
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	53.36	(5.49)
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	20.83	1.88
पुन: मापन के घटक	66.66	(5.52)
कुल	**97.30**	**24.11**

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
सेवा लागत :		
चालू सेवा लागत	4.13	3.59
निवल ब्याज खर्च	4.61	4.34
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**8.74**	**7.93**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	7.14	3.30
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	1.74	(3.06)
पुन: मापन के घटक	8.88	0.24
कुल	**17.62**	**8.17**

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
सेवा लागत :		
चालू सेवा लागत	1.14	1.13
निवल ब्याज खर्च	0.79	0.80
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**1.93**	**1.93**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	1.14	(0.13)
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	0.30	0.48
पुन: मापन के घटक	**1.44**	**0.35**
कुल	**3.37**	**2.28**

वर्ष की चालू सेवा लागत और निवल ब्याज खर्च को लाभ-हानि विवरण में कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में समाविष्ट किया गया है. निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन, अन्य व्यापक आय में समाविष्ट किया गया है. अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता के घटक, ₹(75.55) दशलक्ष है (पिछले वर्ष ₹ 5.28 दशलक्ष).

39.3.6 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य में चलन इस प्रकार रहा:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	563.39	508.85
चालू सेवा लागत	28.30	26.94
ब्याज लागत	45.52	43.25
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	53.36	(5.49)
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	20.83	1.88
प्रदत्त लाभ	(7.89)	(12.04)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**703.51**	**563.39**
चालू दायित्व	98.99	28.95
अप्रचलित दायित्व	**604.52**	**534.44**

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	57.06	51.06
चालू सेवा लागत	4.13	3.59
ब्याज लागत	4.61	4.34
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	7.14	3.30
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	1.74	(3.06)
प्रदत्त लाभ	(4.26)	(2.17)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**70.42**	**57.06**
चालू दायित्व	1.99	1.67
अप्रचलित दायित्व	**68.43**	**55.39**

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	9.81	9.37
चालू सेवा लागत	1.14	1.13
ब्याज लागत	0.79	0.80
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	1.14	(0.13)
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	0.30	0.48
प्रदत्त लाभ	(1.64)	(1.84)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**11.54**	**9.81**
चालू दायित्व	0.32	0.27
अप्रचलित दायित्व	**11.22**	**9.54**

39.3.7 अपनी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में प्रतिष्ठान के दायित्व से उत्पन्न तुलन-पत्र में समाविष्ट रकम निम्नानुसार है:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
निधिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	(703.51)	(563.39)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	604.52	534.44
निधिक रकम की स्थिति	**(98.99)**	**(28.95)**
लेखाबद्ध आस्ति पर निर्बंधताएं	-	-
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व से उत्पन्न निवल देयता	**(98.99)**	**(28.95)**

कंपनी के अपने वित्तीय लिखतों और रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान के अधिभोग में रही संपत्ति अथवा इस्तेमाल की गई अन्य आस्तियों के संबंध में उपदान निधि की योजना आस्तियों के उचित मूल्य में सम्मिलित रकम शून्य है (31 मार्च, 2016 को शून्य, 1 अप्रैल, 2015 को शून्य).

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और सेवांत लाभ तथा पुन:व्यवस्थापन भत्ते, गैर निधिक योजना के अधीन आते हैं और इसमें योजना आस्तियों का समावेश नहीं होता है.

39.3.8 योजना आस्तियों के उचित मूल्य में चलन इस प्रकार रहा:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
योजना आस्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	534.44	477.16
ब्याज आय	43.18	40.56
योजना आस्तियों पर प्रतिफल (निवल ब्याज खर्च में सम्मिलित रकम को छोड़कर)	7.53	1.91
नियोजक का अंशदान	27.26	24.98
प्रदत्त लाभ	(7.88)	(10.17)
योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**604.53**	**534.44**

अगले वर्ष, उपदान के संबंध में अपेक्षित अंशदान ₹ 94.65 दशलक्ष है (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 27.08 दशलक्ष)

कंपनी ने, 31 मार्च, 2017 को ₹ 98.99 दशलक्ष की उपदान देयता लेखाबद्ध की है (31 मार्च, 2016 को ₹ 28.95 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 31.68 दशलक्ष).

39.3.9 प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्ट अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य इस प्रकार रहा:

योजना आस्तियों का उचित मूल्य

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
नकद और नकदी समतुल्य	1.91	1.07
इक्विटी निवेश	-	-
म्यूचुअल फंड-UTI ख़ज़ाना निधि	17.75	16.45
निर्गमकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर कर्ज निवेश का श्रेणीकरण		
AAA	66.74	62.00
AA+	12.03	15.68
AA	6.02	10.36
AA-	1.00	4.98
A+	5.98	0.98
A-	11.00	11.00

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (परंपरागत निधि)		
भारतीय जीवन बीमा निगम	95.95	87.95
बजाज एलाएंज़	79.48	62.97
HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्यूरेंस कं.	79.41	62.91
बिड़ला सन्लाईफ इंश्यूरेंस कं.	20.42	8.91
इंडिया फस्ट लाइन इंश्यूरेंस कं.	20.42	8.91
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	151.35	151.33
अन्य चालू आस्तियां - उपचित ब्याज	35.07	28.94
कुल	**604.53**	**534.44**

39.3.9.1 उपदान की योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹ 43.18 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2016 को ₹ 40.56 दशलक्ष).

39.3.10 परिभाषित दायित्व निर्धारित करने के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं हैं, बट्टा दर और वेतन में अपेक्षित वृद्धि. नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में की गईं संबंधित परिकल्पनाओं में होने वाले यथा शक्य परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है जब कि दूसरी सभी परिकल्पनाओं में स्थिरता बनाए रखी गई है.

39.3.11 31 मार्च, 2017 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
बट्टा दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(36.75)	(4.95)	(0.79)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	39.88	5.53	0.88
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	40.41	-	-
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(37.53)	-	-
कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	6.72	(2.15)	0.18
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(7.17)	1.85	(0.19)

39.3.12 31 मार्च, 2016 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
बट्टा दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(28.55)	(3.89)	(0.65)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	30.94	4.34	0.72
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	31.57	-	-
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(29.35)	-	-
कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	7.72	(1.59)	0.22
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(8.21)	1.29	(0.23)

संभव है कि ऊपर पेश किया गया संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व में वास्तविक परिवर्तन न दर्शाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि एक दूसरे से अलग रहते हुए भी परिकल्पनाओं में परिवर्तन हो क्योंकि कुछ परिकल्पनाओं का सह संबंध हो सकता है.

आगे, उक्त संवेदनशीलता विश्लेषण पेश करते समय परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन, रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति से किया गया है जो वही है जिसे तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के प्रति देयता का परिकलन करते समय लागू किया गया था.

39.3.13 कंपनी के भावी नकदी प्रवाह पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने वाली परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,885	1,785
सक्रिय सदस्यों का प्रति माह वेतन	139.24	111.57
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	13.00	12.00
औसत अपेक्षित भावी सेवा	17.00	17.00
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	703.51	563.39
अगले वित्तीय वर्ष के दौरान परिभाषित लाभ योजना में अंशदान	133.52	57.25

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,912	1,812
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	79	63
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि	15	15
औसत अपेक्षित भावी सेवा	17	17
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	70.42	57.06

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,912	1,785
सक्रिय सदस्यों का प्रति माह वेतन	139.68	111.57
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि	16	16
औसत अपेक्षित भावी सेवा	17	17
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	11.54	9.81

39.3.14 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का परिपक्वता प्रोफाइल

परिभाषित लाभ	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016
उपदान		
एक वर्ष से कम	31.21	26.03
एक से तीन वर्ष	63.81	56.87
तीन से पाँच वर्ष	75.14	65.67
पाँच वर्ष से अधिक	239.24	198.48
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:		
एक वर्ष से कम	1.97	1.67
एक से तीन वर्ष	4.49	3.78
तीन से पाँच वर्ष	5.24	4.51
पाँच वर्ष से अधिक	17.47	15.30
पुन:व्यवस्थापन भत्ता		
एक वर्ष से कम	0.32	0.39
एक से तीन वर्ष	0.77	0.75
तीन से पाँच वर्ष	0.75	0.74
पाँच वर्ष से अधिक	2.00	1.67

सहायक कंपनी, OMPL

39.4 परिभाषित लाभ योजनाएं

39.4.1 संक्षिप्त वर्णन: कर्मचारी लाभ संबंधी योजनाओं के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है:

39.4.2 उपदान:

पूरे किए गए हर एक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान अधिकतम ₹1 दशलक्ष तक सीमित किया गया है.

39.4.3 इन योजनाओं की बदौलत कंपनी को बीमांकिक जोखिम उठाने पड़ेंगे जैसे ब्याज दर जोखिम, दीर्घ आयु संबंधी जोखिम और वेतन जोखिम.

ब्याज में निहित जोखिम	बांड की ब्याज दर घटने से योजना देयता बढ़ जाएगी
दीर्घायु में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों की, उनके रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद, दोनों के दौरान मृत्यु के बेहतरीन आकलन का हवाला दिया जाएगा. योजना के सहभागियों की अपेक्षित आयु बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.
वेतन में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों के भावी वेतन का हवाला दिया जाएगा. बहरहाल, योजना के सहभागियों की का वेतन बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.

उपदान के संबंध में, मेसर्स के.ए. पंडित सलाहकार और एक्चुअरीस, इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीस ऑफ इंडिया के सह फर्म ने 31 मार्च, 2017 को बीमांकिक मूल्यांकन किया. परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व, संबंधित चालू सेवा लागत एवं गत सेवा लागत के वर्तमान मूल्य का मापन करते समय प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया.

39.4.4 बीमांकिक मूल्यांकन करते समय ख़ास तौर से नीचे उल्लिखित परिकल्पनाओं का उपयोग किया गया:

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
1	बट्टा दर	7.66%	7.95%	8.85%
2	वेतन में वार्षिक वृद्धि	8.00%	8.00%	5.00%
3	कर्मचारी द्वारा किया गया कुल कारोबार	2.00%	2.00%	2.00%

बट्टा दर, अनुरूप अवधि के साथ लेखाकरण दिनांक को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल के आधार पर है. वेतन वृद्धि करते समय, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित दीर्घावधि कारकों पर विचार किया जाता है.

39.4.5 इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम निम्नानुसार हैं:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
सेवा लागत :		
चालू सेवा लागत	6.22	3.13
निवल ब्याज खर्च	1.28	0.54
लाभ अथवा हानि में दर्शाई गई परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**7.50**	**3.67**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	3.78	5.80
पुन: मापन के घटक	**3.78**	**5.80**
कुल	**11.28**	**9.47**

39.4.6 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य में चलन इस प्रकार रहा:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	16.11	6.65
चालू सेवा लागत	6.22	3.13
ब्याज लागत	1.28	0.54
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	1.27	6.10
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	2.51	(0.31)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**27.39**	**16.11**
चालू दायित्व	0.23	0.10
अप्रचलित दायित्व	27.16	16.01

39.4.7 अपनी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में प्रतिष्ठान के दायित्व से उत्पन्न तुलन-पत्र में समाविष्ट रकम निम्नानुसार है:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
निधिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	(27.39)	(16.11)	(6.65)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	-	-	-
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व से उत्पन्न निवल देयता	**(27.39)**	**(16.11)**	**(6.65)**

39.4.8 परिभाषित दायित्व निर्धारित करने के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं हैं, बट्टा दर, वेतन में अपेक्षित वृद्धि और कर्मचारी द्वारा किया गया कुल कारोबार. नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में की गईं संबंधित परिकल्पनाओं में होने वाले यथा शक्य परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है जब कि दूसरी सभी परिकल्पनाओं में स्थिरता बनाए रखी गई है.

39.4.9 31 मार्च, 2017 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान
बट्टा दर	
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(2.14)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	2.40
वेतन में वृद्धि	
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	1.94
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(1.96)
कर्मचारी द्वारा किया गया कुल कारोबार	
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(0.17)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	0.18

31 मार्च, 2016 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान
बट्टा दर	
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(1.26)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	1.41
वेतन में वृद्धि	
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	1.30
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(1.21)
कर्मचारी द्वारा किया गया कुल कारोबार	
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(0.15)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	0.15

संवेदनशीलता विश्लेषण, एक ऐसा विश्लेषण है जिससे देयता में चलन दर्शाता है बशर्ते कि परिकल्पनाएं, किसी दूसरे लिहाज से सही साबित न हुई हों. इससे देयता में परिवर्तन का ही पता चलता है क्योंकि परिकल्पित और वास्तविक देयता के बीच का अंतर, संवेदनशीलता विश्लेषण के मापदंडों के अनुरूप नहीं है.

आगे, उक्त संवेदनशीलता विश्लेषण पेश करते समय परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य परिकलन रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति से किया गया है जो वही है जिसे तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के प्रति देयता का परिकलन करते समय लागू किया गया था.

40 खंडवार रिपोर्टिंग

रिपोर्ट करने लायक एक ही खंड के रूप में कंपनी के " पेट्रोलियम उत्पाद " है. सहायक कंपनी, OMPL के पास, रिपोर्ट करने लायक एक ही खंड है " पेट्रोकेमिकल्स ".

40.1 प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कंपनी के उल्लेखनीय राजस्व, तेल विपणन कंपनियों को उत्पाद बेचने से मिलते हैं जो 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के कुल राजस्व का क्रमश: 68% और 70% बनते हैं. इन कंपनियों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 405,803.37 दशलक्ष और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 354,414.95 दशलक्ष रही.

कंपनी के राजस्व में 10% या उससे अधिक योगदान देने वाले ग्राहकों की संख्या, 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शून्य रही (ऊपर उल्लिखित तेल विपणन कंपनियों को छोड़कर) और 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए [शून्य रही] (ऊपर उल्लिखित तेल विपणन कंपनियों को छोड़कर). इन ग्राहकों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य दशलक्ष और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य दशलक्ष रही.

सहायक कंपनी, OMPL के उल्लेखनीय राजस्व, निर्यात ग्राहकों को बिक्री करने से मिलते हैं जो कंपनी के कुल राजस्व का 71.17% बनते हैं (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में: 84.15%). इन ग्राहकों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 37,412.11 दशलक्ष और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 35,220.64 दशलक्ष रही.

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए तीन ग्राहकों ने (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में चार ग्राहकों ने), कंपनी के राजस्व में 10% अथवा उससे अधिक योगदान दिया. इन ग्राहकों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 34,811.94 दशलक्ष और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 31,336.55 दशलक्ष रही.

40.2 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी:

क) समूह, भारत में बसा है. ग्राहकों के स्थान के आधार पर ग्राहकों से प्राप्त उसकी राजस्व रकम, नीचे की तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
भारत	462,053.99	386,808.16
अन्य देश	137,719.71	122,682.12
कुल	**599,773.70**	**509,490.28**

(ख) अप्रचलित आस्तियां (वित्तीय आस्तियों और आस्थगित कर आस्तियों को छोड़कर), ग्राहकों के स्थान के आधार पर नीचे की तालिका में दर्शाई गई हैं:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
भारत	223,924.90	229,620.10
अन्य देश	-	-
कुल	**223,924.90**	**229,620.10**

40.3 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों का लगातार प्रचालन करने से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नानुसार है:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
हाई स्पीड डीज़ल (HSD)	322,098.73	270,788.68
मोटर स्पिरिट (MS)	80,464.16	64,712.07
कुल	**402,562.89**	**335,500.75**

41 कंपनी के संबंधित पक्षकार के बारे में प्रकटन

41.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का वर्णन:

क कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला प्रतिष्ठान

आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ONGC)

ख कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाला प्रतिष्ठान

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)

ग सहायक कंपनी

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)

घ संयुक्त उद्यम

1 शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)

2 मंगलम् रीटेल सर्वीसेस लिमिटेड(MRSL) (16 जनवरी, 2017 तक)

ङ. न्यास (सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभ संबंधी न्यास सहित) जिन पर एमआरपीएल का नियंत्रण है

1 एमआरपीएल उपदान निधि न्यास

2 एमआरपीएल भविष्य निधि न्यास

च महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी

च.1 गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री डी. के. सर्राफ़ (अध्यक्ष)

च.2 कार्यपालक निदेशक

1 श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक
2 श्री एम. वेंकटेश, निदेशक (रिफाइनरी)
3 श्री विष्णु अग्रवाल, निदेशक (वित्त) 31 जनवरी, 2016 तक
4 श्री ए. के. साहू, निदेशक (वित्त) 1 फरवरी, 2016 से

च.3 अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक

1 श्री बी.के. नामदेव, नामिती निदेशक (HPCL) 8 नवंबर, 2016 तक
2 श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव, सरकारी नामिती निदेशक, 3 मार्च, 2016 तक
3 श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, सरकारी नामिती निदेशक, 9 मार्च, 2016 से
4 श्री विनोद एस. शेणै, नामिती निदेशक (HPCL) 8 नवंबर, 2016 से
5 श्रीमती पेरिन देवी, सरकारी नामिती निदेशक
6 सुश्री मंजुला सी. स्वतंत्र निदेशक, 31 जनवरी, 2017 से

च.4 कंपनी सचिव

श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव

41.2 लेन-देनों के ब्यौरे:

41.2.1 नियंत्रक कंपनी के साथ लेन-देन

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
उत्पादों की बिक्री	क) ओएनजीसी - करइकल और रीटेल आउटलेट को बिक्री	20.48	71.65
	ख) हाई फ्लैश हाई स्पीड डीज़ल की बिक्री	5,302.12	3,078.45
क्रूड और रीटेल आउटलेट की खरीदारी	क) क्रूड तेल की खरीदारी	53,305.01	25,952.10
	ख) रीटेल आउटलेट की खरीदारी	25.10	-
प्राप्त सेवाएँ	क) ONGC कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	2.94	1.03
	ख) मुंबई कार्यालय के लिए प्रदत्त किराया और विद्युत	15.36	5.89
गारंटी शुल्क	साउदी अरैमेको को दी गई गारंटी के लिए शुल्क	16.65	18.37
प्रदान की गईं सेवाएँ	ONGC की तरफ से किए गए खर्च	10.53	23.35
ब्याज खर्च	सावधि ऋण पर ब्याज	2,435.03	3,973.54

41.2.2 नियंत्रक कंपनी के पास बकाया शेषराशि

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 01 अप्रैल, 2015
ऋण	सावधि ऋण	25714.10	32.571.30	39.428.50
प्राप्य रकम	तेल उत्पादों की बिक्री	614.59	891.25	90.11
देय रकम	क्रूड तेल की खरीदारी	3,191.80	2340.35	1,730.94

41.2.3 कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले प्रतिष्ठान के साथ लेन-देन

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
उत्पादों की बिक्री	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	185334.75	136.162.92
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) टर्मिनलिंग शुल्क के निमित्त प्राप्त/प्राप्य रकम	49.25	46.18
	ख) जल प्रभार, सुकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	4.92	17.07
	ग) राज्य के लिए विशिष्ट लागत अनुपात-ET की प्रतिपूर्ति	390.49	1,020.74
	घ) संदूषित प्रभार, अस्पताल में भर्ती होने संबंधी शुल्क, घाट शुल्क और स्टॉक में हानि आदि की प्राप्तियां	3.05	3.53

41.2.4 कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले प्रतिष्ठान के पास बकाया शेषराशि

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 01 अप्रैल, 2015
प्राप्य रकम	तेल उत्पादों की बिक्री	8963.13	6,763.62	5,899.38
	मार्ग में हानि और अन्य	95.50	95.59	95.58

41.2.5 सहायक कंपनी के साथ लेन-देन

ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) के पास बकाया शेषराशि	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
उत्पादों की बिक्री	तेल उत्पादों की बिक्री	46,624.71	39,855.43
उत्पादों की खरीदारी	रैफिनेट और हाइड्रोजन की खरीदारी	8,987.03	7,224.20
प्राप्त सेवाएँ	इलेक्ट्रिकल वस्तुओं की खरीदारी	-	3.88
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) क्रेन शुल्क और सलाहकार शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.03	1.01
	ख) सुकरण शुल्क	36.67	41.70
ब्याज आय	विलंब से भुगतान करने पर ब्याज शुल्क	57.05	70.88

41.2.6 सहायक कंपनी के पास बकाया शेषराशि

ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) के पास बकाया शेषराशि	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 01 अप्रैल, 2015
ऋण	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	0.03	17.58	17.19
प्राप्य रकम	उत्पादों की बिक्री, सुकरण शुल्क और अन्य	1,903.24	4,693.62	1,483.65
देय रकम	क) रैफिनेट, हाइड्रोजन की खरीदारी और अन्य सेवा शुल्क	96.11	111.94	107.90
	ख) OMPL द्वारा एमआरपीएल के अंदर प्रदान की गई फ़ीड हस्तांतरण सुविधा	344.40	429.14	429.16

41.2.7 संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन:

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
1 शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि. (SMAFSL)			
उत्पादों की बिक्री	ATF की बिक्री	4,720.78	2,597.06
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) इलेक्ट्रिकल शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.34	0.05
	ख) रॉयल्टी आय	10.44	5.01
लाभांश आय	प्राप्त लाभांश	7.50	9.00
2 मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (MRSL)			
प्रदान की गईं सेवाएँ	पेशेवर सेवाएं	-	0.01

41.2.8 संयुक्त उद्यमों के पास बकाया शेषराशि

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 01 अप्रैल, 2015
प्राप्य रकम				
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि (SMAFSL)	क) रॉयल्टी और टर्मिनलिंग शुल्क आदि	509.86	209.13	289.09
	ख) सेवाओं के निमित्त प्राप्य रकम	0.31	0.01	0.01

41.2.9 सहबद्ध कंपनियों के साथ लेन-देन

सहबद्ध कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
क) इनसे प्राप्त सेवाएँ:			
1 मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	क) नदी का जल, STP जल और सड़क की मरम्मत	416.96	521.61
	ख) पेरमुडे कटील सड़क के निमित्त लागत का सहभाजन	-	8.14
	ग) पाइपलाइन-सह-सड़क कॉरिडॉर बनाने की खातिर मार्गाधिकार के लिए अग्रिम	87.09	950.51
	घ) बाय पास सड़क का विकास करने के लिए अग्रिम	51.50	108.30
	ङ) पेट्ट कोक सड़क के लिए प्रदत्त पट्टा किराया	130.45	-
2 पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन शुल्क	-	13.89
ख) इनको प्रदान की गईं सेवाएँ:			
1 मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	सरपाडी का पट्टा किराया	0.03	0.03
2 पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति	30.18	36.70

41.2.10 सहबद्ध कंपनी के पास बकाया शेषराशि

सहबद्ध कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 01 अप्रैल, 2015
प्राप्य रकम				
पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति	2.73	1.21	0.20
देय रकम:				
1. मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड	नदी का जल, STP जल और सड़क की मरम्मत	38.84	55.87	63.54
2. ONGC नाइल गंगा BV	क्रूड की खरीदारी के निमित्त बकाया शेषराशि	67.65	69.11	62.50
इनको दिए गए अग्रिम:				
मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	क) पाइपलाइन-सह-सड़क कॉरिडॉर बनाने की खातिर मार्गाधिकार के लिए अग्रिम	980.61	904.50	80.00
	ख) खाना जोकट्टे सड़क परियोजना के लिए अग्रिम	-	51.50	51.50

41.2.11 न्यासों के साथ लेन-देन

न्यासों के नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
भुगतान का प्रेषण:			
एमआरपीएल लिमिटेड की भविष्य निधि	अंशदान	352.16	320.87
न्यास की तरफ से किए गए उपदान के भुगतान की प्रतिपूर्ति			
एमआरपीएल उपदान निधि न्यास	प्रतिपूर्ति और अंशदान	12.20	13.11

41.2.12 महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को दिया गया मुआवजा:

पूर्णकालिक निदेशक और कंपनी सचिव

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	14.25	12.60
रोजगार उपरांत लाभ (छुट्टी, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ के लिए प्रावधान शामिल हैं)	8.37	6.60
अन्य दीर्घावधि लाभ (भविष्य निधि के प्रति अंशदान शामिल है)	1.69	1.64
कुल	**24.30**	**20.85**

स्वतंत्र निदेशक

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
बैठक शुल्क	0.02	0.00

41.3 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रकटन

41.3.1 सरकार से जुड़े उन प्रतिष्ठानों के नाम जिनके साथ उल्लेखनीय प्रमाण में लेन-देन किए गए:

	सरकार से जुड़े प्रतिष्ठान	संबंध
1	आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ONGC) (कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला प्रतिष्ठान)	केंद्रीय PSU
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) (कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाला प्रतिष्ठान)	केंद्रीय PSU
3	**ONGC** मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) (कंपनी द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठान)	केंद्रीय PSU
4	पेट्रोनेट MHB लिमिटेड (PMHBL) (ऐसा प्रतिष्ठान, जिस पर कंपनी का उल्लेखनीय प्रभाव है)	केंद्रीय PSU
5	ONGC नाइल गंगा BV (ONGBV) (ऐसा प्रतिष्ठान, जिस पर कंपनी का उल्लेखनीय प्रभाव है)	केंद्रीय PSU
6	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	केंद्रीय PSU
7	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	केंद्रीय PSU
8	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	केंद्रीय PSU
9	ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लिमिटेड	केंद्रीय PSU
10	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	केंद्रीय PSU
11	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	केंद्रीय PSU
12	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	केंद्रीय PSU
13	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	केंद्रीय PSU
14	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	केंद्र सरकार
15	उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	केंद्र सरकार
16	MESCOM	राज्य सरकार
17	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	राज्य सरकार
18	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	केंद्रीय पोर्ट ट्रस्ट

41.3.2 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ लेन-देन (टिप्पणी 41.3.4):

	संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
क	**वर्ष के दौरान इनको की गई उत्पादों की बिक्री:**			
1	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	114,796.19	139,640.72
2	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	89,965.39	69,258.19
ख	**वर्ष के दौरान इनसे उत्पादों की खरीदारी:**			
1	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	CPP चरण III	33.09	43.31
2	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	ISPRL की तरफ से क्रूड तेल की खरीदारी	6,186.72	-
3	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	नैफ़्ता की खरीदारी	433.24	-

संबंधित पक्षकार का नाम		लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
ग	**इनसे प्राप्त सेवाएँ:**			
1	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	विद्युत की खरीदारी	209.11	151.71
2	ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लि.	बीमा प्रीमियम	271.44	246.31
3	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट संबंधी सेवाएं	39.51	51.34
4	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	जॉब कार्य सेवा	28.98	67.85
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	तकनीकी सेवाएं	552.06	2,613.24
6	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	सेवा	3,945.37	883.36
7	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट संबंधी सेवाएं	1,275.43	2,969.00
8	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	रेलवे साइडिंग	320.64	9.19
घ	**भूमि का अभिग्रहण करने के लिए अग्रिम**			
1	कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	चरण IV की भूमि की खरीदारी	5,905.19	0.01

41.3.3 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के पास बकाया शेषराशि (टिप्पणी 41.3.4):

संबंधित पक्षकार का नाम		लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 01 अप्रैल, 2015
प्राप्य रकम					
1	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	6,216.48	5,051.23	6,988.58
2	भारत पेट्रोलियम कं. लि.	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	3,406.15	2,396.31	2,055.91
3	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	3,033.27	-	-
4	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	8.37	8.38	349.48
देय रकम:					
1	उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	देय व्यापार और अन्य राशि	29.82	52.16	52.16
2	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया)	देय व्यापार और अन्य राशि	42.79	160.02	167.19
3	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	1,087.32	1,986.15	1,935.80
4	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	1,485.93	1,531.50	2,001.54
5	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	देय व्यापार और अन्य राशि	309.97	37.88	41.54
6	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	0.03	9.19	-
7	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	19.43	18.94	32.26
8	कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	भूमि के लिए अग्रिम	5,909.11	4.32	4.31
9	ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लि.	देय व्यापार और अन्य राशि	-	-	1.34

सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ किए गए लेन-देनों में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो वैयक्तिक और सामूहिक रूप से उल्लेखनीय हैं. कंपनी ने ऊपर उल्लिखित और सरकार से जुड़े अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानों के साथ दूसरे लेन-देन भी किए हैं जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई जहाज से यात्रा, ईंधन की खरीदारी और जमाराशि आदि. वैयक्तिक और सामूहिक दृष्टि से ये लेन-देन उल्लेखनीय नहीं है और इसलिए इनको प्रकट नहीं किया गया है.

41.3.4 ONGC, HPCL, OMPL, PMHBL और ONGBV के साथ किए गए लेन-देन और इनके पास बकाया शेषराशि, उक्त टिप्पणी 41.2.1 से 41.2.10 में प्रकट की गई है.

41.4 सहायक कंपनी, OMPL के संबंधित पक्षकारों के बारे में प्रकटन

41.4.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का वर्णन:

क अंतिम नियंत्रक कंपनी

आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]

ग अंतिम नियंत्रक कंपनी का संयुक्त उद्यम

मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड (MSEZL)

घ महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी

घ.1 गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री डी. के. सर्राफ़ (अध्यक्ष)
श्री एच. कुमार, निदेशक
श्री एम. वेंकटेश, निदेशक (01 अप्रैल 2015 से)
श्री ए. के. साहू, निदेशक (05 फरवरी, 2016 से)
श्री विष्णु अग्रवाल, निदेशक (31 जनवरी, 2016 तक)
श्री वी पी महावर, निदेशक (12 अगस्त 2015 से)
श्रीमती अलका मित्तल, निदेशक (28 अगस्त 2015 से)
श्री अशोक वर्मा, निदेशक (16 मई 2015 से 01 अगस्त 2015 तक)

घ.2 अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक

श्री आई एस एन प्रसाद, स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च 2017 तक)
श्री संतोष नौटियाल, स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च 2017 तक)
श्री जी एम राममूर्ती, स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च 2017 तक)
श्री एम एम चितले, स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च 2017 तक)

घ.3 श्री के सुशील शेणै, मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रभारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी

घ.4 श्री के.बी. श्याम कुमार, कंपनी सचिव

41.5 लेन-देनों के ब्यौरे:

41.5.1 नियंत्रक कंपनी और नियंत्रक कंपनी के संयुक्त उद्यम के साथ लेन-देन

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]	वेतन और यात्रा से जुडे खर्च की प्रतिपूर्ति	-	1.16
मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	प्राप्त आपूर्तियां और सेवाएं	204.48	125.66
	कॉरिडॉर के लिए पूंजीगत अग्रिम	75.70	100.00
	10MVA बिजली के लिए जमानत	-	3.13
	पट्टा किराया	23.40	23.40

41.5.2 नियंत्रक कंपनी और नियंत्रक कंपनी के संयुक्त उद्यम के पास बकाया शेषराशि

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2017
अ. देय रकम:				
मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	26.23	14.69	20.64
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	देय व्यापार और अन्य राशि	-	-	7.68
आ प्राप्य रकम:				
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	0.05	0.05	-
इ ऋण और अन्य आस्तियां:				
मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	पूंजीगत अग्रिम	975.70	900.00	800.00
	ऋण	11.71	11.71	11.71
	ऋण	15.40	15.40	15.40
	ऋण	3.13	3.13	-

41.5.3 महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को दिया गया मुआवजा

अ. मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30 जून 2015 तक)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	-	1.56
दीर्घावधि लाभ (क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां)	-	0.64
कुल	**-**	**2.20**

आ मुख्य वित्तीय अधिकारी*

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	3.69	4.34
रोजगार उपरांत लाभ (उपदान) और दीर्घावधि लाभ (क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां)	1.32	1.04
भविष्य निधि में अंशदान	0.50	0.50
कुल	**5.51**	**5.88**

* मुख्य वित्तीय अधिकारी, प्रभारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे हैं

इ कंपनी सचिव

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	2.32	1.96
रोजगार उपरांत लाभ (उपदान) और दीर्घावधि लाभ (क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां)	0.36	0.29
भविष्य निधि में अंशदान	0.27	0.25
कुल	**2.95**	**2.50**

ई स्वतंत्र निदेशक

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
बैठक शुल्क	0.67	0.31
कुल	**0.67**	**0.31**

41.6 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रकटन

41.6.1 सरकार से जुड़े उन प्रतिष्ठानों के नाम जिनके साथ उल्लेखनीय प्रमाण में लेन-देन किए गए (ONGC से भिन्न) :

क्रम सं.	सरकार से जुड़े प्रतिष्ठान	संबंध
i	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	केंद्रीय PSU
ii	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	केंद्रीय PSU
iii	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	केंद्रीय PSU
iv	नैशनल इंश्यूरेंस कंपनी लि.	केंद्रीय PSU
v	कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	राज्य सरकार
vi	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	न्यास
vii	बालमेर लॉरी एण्ड कं. लि.	केंद्रीय PSU
viii	न्यू इंडिया अश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	केंद्रीय PSU

41.6.2 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ लेन-देन

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	कच्चा माल की खरीदारी ईंधन और स्नेहक	3,857.18	1,395.87
ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	सेवाएँ	14.09	124.00
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	सेवाएँ	-	1.02
नैशनल इंश्यूरेंस कंपनी लि.	बीमा प्रीमियम	12.22	9.45
कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सेवाएँ	1.76	1.17
नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट संबंधी सेवाएं	49.60	27.94
बालमेर लॉरी एण्ड कं. लि.	सेवाएँ	6.14	3.32
न्यू इंडिया अश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	सेवाएँ	116.15	114.79

41.6.3 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के पास बकाया शेषराशि:

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
देय रकम:				
ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	6.79	10.35	(110.13)
नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	देय व्यापार और अन्य राशि	(0.41)	(0.44)	(0.39)
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	-	-	(4.66)

सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ किए गए लेन-देनों में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो वैयक्तिक और सामूहिक रूप से उल्लेखनीय हैं. कंपनी ने ऊपर उल्लिखित और सरकार से जुड़े अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानों के साथ दूसरे लेन-देन भी किए हैं जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई जहाज से यात्रा, ईंधन की खरीदारी ओर जमाराशि आदि. वैयक्तिक और सामूहिक दृष्टि से ये लेन-देन उल्लेखनीय नहीं हैं और इसलिए इनको प्रकट नहीं किया गया है.

42 वित्तीय लिखत

42.1 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय समूह का उद्देश्य है, समुत्थान प्रतिष्ठान की तरह जारी रखने की उसकी क्षमता की हिफ़ाजत करना ताकि समूह, हिस्सेदारों को अधिकतम प्रतिफल और अन्य हिस्सेदारों को लाभ दिला सके और पूंजी लागत घटाने के लिए इष्टतम पूंजी संरचना बरकरार रख सके.

समूह, अपना वित्तीय ढांचा बरकरार रखता है जिससे कि सुरक्षित वित्तीय आधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ शेयरधारकों की मूल्य वृद्धि हासिल करने के प्रति समर्थन दिया जा सके. पूंजी संरचना को बरकरार रखने अथवा उसका समायोजन करने की दृष्टि से समूह, शेयरधारकों को लाभांश के वितरण में फेर-बदल कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकता है, नए शेयरों का निर्गमन कर सकता है अथवा कर्ज घटाने के लिए आस्तियां बेच सकता है.

समूह की पूंजीगत संरचना में समाविष्ट है, निवल कर्ज (टिप्पणी 21 और 22 में विस्तार से उल्लिखित उधार, जिसकी कमी पूरी की गई है नकद और बैंक शेषराशियों से) और समूह की कुल इक्विटी.

समूह का प्रबंधन, समूह की पूंजीगत संरचना का तिमाही आधार पर समीक्षा करता है. इस समीक्षा के अंग के तौर पर, प्रबंधन, पूंजी लागत और प्रत्येक श्रेणी की पूंजी की आवश्यकता से जुड़े जोखिमों और पर्याप्त चल निधि बनाए रखने पर विचार करता है.

42.1.1 गेरिंग अनुपात

रिपोर्ट अवधि के अंत में गेरिंग अनुपात का परिकलन निम्नानुसार किया गया है:

गेरिंग अनुपात का परिकलन निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
i) कर्ज *	154,768.92	143,951.72	147,347.17
ii) कुल नकद और बैंक शेषराशि	21,438.32	138,088.48	102,687.37
घटाएं: कार्यकारी पूंजी के लिए आवश्यक नकद और बैंक शेषराशि	21,308.45	138,076.37	102,686.18
निवल नकद और बैंक शेषराशि	129.87	12.11	1.19
iii) निवल कर्ज	154,639.05	143,939.61	147,345.98
iv) कुल इक्विटी	98,751.64	65,864.06	60,807.60
v) इक्विटी की तुलना में निवल कर्ज का अनुपात	1.57	2.19	2.42

*** कर्ज का मतलब है, टिप्पणी 21 और टिप्पणी 22 में वर्णन किए गए अनुसार दीर्घावधि और अल्पावधि उधार**

42.2 वित्तीय लिखतों की श्रेणियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
वित्तीय आस्तियां			
परिशोधित लागत पर मापे गए			
(क) प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	26,189.78	20,740.86	22,716.25
[ख] नकद और नकदी समतुल्य	2,461.53	13,553.18	13,671.19
(ग) अन्य बैंक शेषराशि	18,976.79	124,535.30	89,016.18
(घ) ऋण	506.17	465.24	446.58
(ङ) अन्य वित्तीय आस्तियां	3,213.76	1,749.07	1,599.19
उचित मूल्य पर मापे गए			
(क) निवेश	5.08	4.80	4.80
वित्तीय देयताएं			
परिशोधित लागत पर मापे गए			
(क) उधार	132,595.78	127,569.39	132,952.56
(ख) देय व्यापार राशियां	60,444.97	212,872.72	183,672.28
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	30,814.36	28,863.89	28,908.04

42.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

समूह की जोखिम प्रबंधन समिति, समूह का प्रचालन करने में निहित महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों पर निगरानी रखकर उसे संभालती है जिसके लिए जोखिम की तीव्रता और उसके प्रमाण के आधार पर एक्सपोशर का विश्लेषण किया जाता है. इन जोखिमों में शामिल है, बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम सहित), ऋण जोखिम और नकदी जोखिम.

42.4 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम अथवा अनिश्चितता है जो संभवत: बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से और व्यवसाय के भावी निष्पादन पर उसके प्रभाव से उत्पन्न होती हैं. बाजार जोखिम के प्रमुख घटक हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम.

42.5 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

समूह, विदेशी मुद्रा में अंकित लेन-देन, मूल रूप से क्रूड तेल की खरीदारी और निर्यात बिक्री के सिलसिले में करता है और उसके उधार, विदेशी मुद्रा में अंकित होते हैं; फलस्वरूप उसे विनिमय दर में घट-बढ़ का सामना करना पड़ता है. रिपोर्ट अवधि के अंत में समूह की विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक आस्तियों और मौद्रिक देयताओं का बही मूल्य, निम्नानुसार है :-

लेन-देन मुद्रा	देयताएं (रकम, ₹ दशलक्ष में)			आस्तियां (रकम, ₹ दशलक्ष में)		
	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
USD	109,685.43	269,768.17	245,368.88	7,718.22	5,994.92	7,371.56
यूरो	-	1.82	82.95	-	-	-

42.5.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

समूह को, ख़ास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा (USD) में व्यवहार करना पड़ता है. लाभ अथवा हानि में संवेदनशीलता, ख़ास तौर से USD में अंकित प्राप्य और देय राशियों से उत्पन्न होती है.

प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार, USD-INR मुद्राओं के बीच विनिमय दर में +/- 5% का परिवर्तन होने की संभावना है, इसलिए अवधि के अंत में सिर्फ़ विदेशी मुद्रा में अंकित बकाया मौद्रिक मदों पर लाभ अथवा हानि की संवेदनशीलता, यहां नीचे प्रस्तुत की गई है:

वर्ष के अंत में USD की संवेदनशीलता	2016 - 2017	2015 - 2016
प्राप्य राशियां:		
INR का, 5% तक कमज़ोर पड़ना	385.91	299.15
INR का, 5% तक सुदृढ़ होना	-385.91	-299.15
देय		
INR का, 5% तक कमज़ोर पड़ना	-2,786.80	-10,422.38
INR का, 5% तक सुदृढ़ होना	2,786.80	10,422.38

42.5.2 वायदा विदेशी मुद्रा ठेके

समूह ने, रिपोर्ट अवधि के दौरान, किसी वायदा विदेशी मुद्रा ठेके पर हस्ताक्षर नहीं किए.

42.6 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

समूह ने, निश्चित और अस्थाई ब्याज दरों पर उधार लिए हैं इसलिए उसे ब्याज दर में निहित जोखिम उठाना पड़ेगा. समूह ने ब्याज दर में कोई अदला-बदली नहीं की और इसलिए समूह को ब्याज दर में निहित जोखिम का सामना करना पड़ेगा.

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण:

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण, रिपोर्ट अवधि के अंत में ब्याज दर के प्रति एक्सपोशर के आधार पर किया गया है. अस्थाई दर पर लिए गए उधारों के संबंध में, विश्लेषण करते समय यह परिकल्पना की गई है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में बकाया उधार राशि, समग्र वर्ष में बकाया रही. संवेदनशीलता विश्लेषण में प्रकटन करते समय 50 आधार बिंदु को घटाया या बढ़ाया गया है.

अगर ब्याज दर, 50 आधार बिंदु पर अधिक/कम हुआ होता और सभी अन्य परिवर्तनीय कारकों को स्थिर रखा गया होता तो समूह का, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष में ₹ 404.64 दशलक्ष तक बढ़/घट गया होता (31 मार्च, 2016 में: ₹ 477.15 दशलक्ष तक वृद्धि/अवनति). इसका प्रमुख कारण है, समूह का, उसके परिवर्तनीय दरों पर लिए गए उधार के प्रति एक्सपोशर.

42.7 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण संबंधी जोखिम एक ऐसा जोखिम है जब कोई प्रति पक्षकार, अपने संविदात्मक दायित्व निभाने से मुकर जाता है जिसके चलते समूह वित्तीय हानि होती है. ऋण संबंधी जोखिम, नकद और नकदी समतुल्य, प्राप्य रकम सहित बैंकों एवं ग्राहकों के पास रखी गई जमाराशियों से उत्पन्न होता है. ऋण जोखिम प्रबंधन, उपलब्ध उचित और समर्थक अग्रदर्शी सूचना के साथ-साथ ऐसे संकेतकों पर विचार करता है जैसे बाह्य क्रेडिट रेटिंग (जहां तक उपलब्ध हो), समष्टि-आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन, सरकारी निदेश, बाजार ब्याज दर).

चूंकि अधिकतर ग्राहक, सर्वाधिक क्रेडिट रेटिंग प्राप्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियां हैं इसलिए ऋण में निहित जोखिम न के बराबर है. किसी दूसरे प्रति पक्षकार के प्रति ऋण जोखिम का सांद्रण, वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मौद्रिक आस्तियों के 11% के परे न रहा.

नियंत्रक कंपनी को की गई बिक्री के अलावा सहायक कंपनी, OMPL, अपने ग्राहकों को इस तरह से बिक्री करता है जिसके लिए जमानत के तौर पर साख पत्र दिया जाता है.

जमाराशि रखते समय सिर्फ़ उच्च रेटिंग प्राप्त बैंकों पर विचार किया जाता है. बैंक शेषराशियां, प्रतिष्ठित एवं साख पात्र बैंकिंग संस्थाओं में रखी जाती हैं.

42.8 चलनिधि जोखिम प्रबंधन

समूह, चलनिधि जोखिम संभालने के लिए बैंक जमाराशियों पर पर्याप्त नकद और नकदी समतुल्य रखता है और रकम देय होने पर दायित्व निभाने की खातिर प्रतिबद्ध पर्याप्त रकम में ऋण सुविधाओं के जरिए निधि उपलब्ध कराता है. प्रबंधन, अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी स्थिति, नकद एवं नकदी समतुल्य का पूर्वानुमान लगाने की खातिर उस पर नज़र रखता है. इसके अलावा, चल निधि प्रबंधन में वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करते हुए और तुलन-पत्र के चल निधि अनुपात पर नज़र रखते हुए दायित्व निभाने के लिए ज़रूरी नकदी आस्तियों के स्तर पर विचार करते हुए नकदी प्रवाह का प्रक्षेपण किया जाता है. समूह, चल निधि संबंधी जोखिम संभालते समय, पर्याप्त आरक्षित निधि बरकरार रखता है और लगातार पूर्वानुमान पर और वास्तविक नकदी प्रवाह पर नज़र रखने के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करता है.

नीचे उल्लिखित तालिका में समूह की, सम्मत चुकौती अवधि के लिए गैर व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए बची हुई संविदात्मक परिपक्वता दर्शाई गई है. यह तालिका, कंपनी द्वारा शीघ्रातिशाघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख को ध्यान में रखते हुए वित्तीय देयताओं के बट्टा रहित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है. इस तालिका में ब्याज और मूल नकदी प्रवाह, दोनों समाविष्ट किए गए हैं. संविदात्मक परिपक्वता, कंपनी द्वारा शीघ्रातिशाघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख के आधार पर निर्धारित की गई है.

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
यथा 31 मार्च. 2017						
(i) उधार	दीर्घावधि - 5.92% अल्पावधि - 7.19% सहायक कंपनी, OMPL दीर्घावधि - 6.90% अल्पावधि - 4.21%	10,808.59	36,208.37	73,567.82	12,011.00	132,595.78
(ii) व्यापारिक देनदारियां	-	35,360.49	25,082.94	1.54	-	60,444.97
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	9,501.03	21,230.68	82.65	-	30,814.36

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
यथा 31 मार्च, 2016						
(i) उधार	दीर्घावधि - 6.94% अल्पावधि - 7.60% सहायक कंपनी, OMPL दीर्घावधि - 7.27% अल्पावधि - 9.05%	5,405.00	32,978.31	65,821.05	23,365.03	127,569.39
(ii) व्यापारिक देनदारियां	-	197,097.51	15,775.21	-	-	212,872.72
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	12,732.73	15,948.50	182.66	-	28,863.89

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
यथा 1 अप्रैल. 2015						
(i) उधार	दीर्घावधि - 7.32% अल्पावधि - 9.50% सहायक कंपनी, OMPL दीर्घावधि - 8.45% अल्पावधि - 8.60%	3,278.50	12,242.44	43,890.77	73,540.85	132,952.56
(ii) व्यापारिक देनदारियां	-	183,672.28	-	-	-	183,672.28
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	13,004.70	15,689.72	213.62	0.13	28,908.17

नीचे दी गई तालिका में समूह की गैर व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित परिपक्वता के ब्यौरे दिए गए हैं. यह तालिका, वित्तीय आस्तियों पर अर्जित किए जाने वाले ब्याज सहित इन आस्तियों की बट्टा रहित संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर तैयार की गई है. समूह के चल निधि जोखिम प्रबंधन को समझने के लिए गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों पर जानकारी समाविष्ट करना आवश्यक है क्योंकि चल निधि को, निवल आस्ति और देयता के आधार पर संभाला जाता है.

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
यथा 31 मार्च, 2017						
(i) निवेश	-	-	-	-	418.52	418.52
(ii) ऋण - सब्याज	7.60%	10.61	44.00	84.79	218.08	357.48
- अन्य	-	3.27	1.70	0.01	143.71	148.69
(iii) व्यापारिक प्राप्तियां	-	26,162.97	26.81	-	-	26,189.78
(iv) नकद और नकदी समतुल्य	-	2,461.53	-	-	-	2,461.53
(v) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	-	16,220.73	2,755.97	-	0.09	18,976.79
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां	-	3,136.22	8.80	2.24	66.50	3,213.76

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
यथा 31 मार्च, 2016						
(i) निवेश	-	-	-	-	375.77	375.77
(ii) ऋण - सब्याज	8.81%	12.43	34.45	108.45	151.58	306.91
- अन्य		3.27	2.74	-	152.32	158.33
(iii) व्यापारिक प्राप्तियां	-	18,246.32	2,494.54	-	-	20,740.86
(iv) नकद और नकदी समतुल्य	-	13,553.18	-	-	-	13,553.18
(v) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	-	53,488.00	71,047.21	-	0.09	124,535.30
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां	-	1,080.44	621.97	2.28	44.38	1,749.07

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
यथा 1 अप्रैल. 2015						
(i) निवेश	-	-	-	-	365.46	365.46
(ii) ऋण - सब्याज	8.81%	8.83	33.94	71.55	183.43	297.75
- अन्य		3.22	2.13	-	143.47	148.82
(iii) व्यापारिक प्राप्तियाँ	-	18,138.95	4,577.30	-	-	22,716.25
(iv) नकद और नकदी समतुल्य	-	13,671.19	-	-	-	13,671.19
(v) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	-	45,578.65	43,437.53	-	-	89,016.18
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां	-	1,015.59	548.67	0.28	34.65	1,599.19

समूह को नीचे वर्णित वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच है जिसमें से ₹ 9,470.53 दशलक्ष का रिपोर्ट अवधि के अंत में उपयोग नहीं किया गया था (31 मार्च, 2016 को ₹ 14,458.20 दशलक्ष ; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 33,196.62 दशलक्ष). समूह उम्मीद करता है कि वह प्रचालन नकदी प्रवाह और परिपक्व होने वाली वित्तीय आस्तियों से अपने अन्य दायित्व निभा पाएगा.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
मांग पर देय जमानती बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा	15,933.00	14,458.20	36,364.62
- उपयोग की गई रकम	6,462.47	-	3,168.00
- उपयोग न की गई रकम	9,470.53	14,458.20	33,196.62

42.9 उचित मूल्य का मापन

प्रबंधन समझता है कि वित्तीय विवरणों में दर्शाई गईं वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं का बही मूल्य, उनके उचित मूल्य दर्शाता है.

43 संयुक्त उद्यमों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण (यथा 31 मार्च, 2017)	चालू आस्तियां	अप्रचलित आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	लाभ अथवा हानि प्रचालन जारी रखने से	प्रचालन बंद करने से लाभ अथवा हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	2,242.21	86.68	1,495.82	1.33	5,603.71	90.62	-	7.63	98.25
कुल	**2,242.21**	**86.68**	**1,495.82**	**1.33**	**5,603.71**	**90.62**	**-**	**7.63**	**98.25**

विवरण (यथा 31 मार्च, 2016)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	प्रचालन जारी रखने से लाभ अथवा हानि	प्रचालन बंद करने से लाभ अथवा हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	1,689.92	94.71	1,031.59	1.50	3,243.72	39.27	-	(1.27)	38.00
मंगलम् रीटेल सर्वीसस लिमिटेड	1.26	0.09	0.08	0.09	0.13	0.04	-	-	0.04
कुल	**1,691.18**	**94.80**	**1,031.67**	**1.59**	**3,243.85**	**39.31**	**-**	**(1.27)**	**38.04**

विवरण (यथा 1 अप्रैल, 2015)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	प्रचालन जारी रखने से लाभ अथवा हानि	प्रचालन बंद करने लाभ अथवा हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	1,917.78	104.38	1,285.58	1.37	-	-	-	-	-
मंगलम् रीटेल सर्वीसस लिमिटेड	1.26	0.08	0.13	0.08	-	-	-	-	-
कुल	**1,919.04**	**104.46**	**1,285.71**	**1.45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

43.1 संयुक्त उद्यमों से संबंधित अतिरिक्त वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण (यथा 31 मार्च, 2017)	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	अप्रचलित वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय कर खर्च अथवा आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	375.11	1,351.14	-	7.45	22.02	1.11	49.88
कुल	**375.11**	**1,351.14**	**-**	**7.45**	**22.02**	**1.11**	**49.88**

विवरण (यथा 31 मार्च, 2016)	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	अप्रचलित वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय कर खर्च अथवा आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	992.65	916.24	-	5.90	20.92	2.51	9.60
मंगलम् रीटेल सर्वीसस लिमिटेड	0.02	-	-	-	0.13	-	-
कुल	**992.67**	**916.24**	**-**	**5.90**	**21.05**	**2.51**	**9.60**

विवरण (यथा 1 अप्रैल, 2015)	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	अप्रचलित वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय कर खर्च अथवा आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	742.79	1,227.34	-	-	-	-	-
मंगलम् रीटेल सर्वीसस लिमिटेड	0.04	-	-	-	-	-	-
कुल	**742.83**	**1,227.34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

44 आकस्मिक देयताएं

44.1 कंपनी के खिलाफ ऐसे दावे/विवादग्रस्त मांगें, जिनको कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2017	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
1	**माध्यस्थम् / अदालत में ठेकेदारों / विक्रेताओं के दावे** उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना करने वाले कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए निर्णीत हर्जाने, बढाई गई अवधि के लिए मुआवजे के बगैर ठेका पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है और अतिरिक्त दावे आदि किए गए हैं जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने संबंधित ठेकों के प्रावधानों के अनुसार उनको कबूल नहीं किया है. अगर निर्णय नकारात्मक निकला तो देय रकम, ₹ 1735.60 दशलक्ष को पूंजीकृत किया जाएगा / ₹ 36.56 दशलक्ष को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाएगा. (मार्च 2016 को समाप्त वर्ष में, ₹1969.75 और ₹ 37.31 दशलक्ष, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में क्रमश: ₹ 340.73 दशलक्ष और ₹ 38.13 दशलक्ष).	1,772.16	2,007.06	378.86
2	**ग्राहकों के दावे** ग्राहकों में से एक ने वक्त से पहले ठेका बंद करने पर हर्जाने के तौर पर दावा पेश किया है कंपनी ने इसे एक अपरिहार्य घटना करारते हुए इस दावे को चुनौती दी है. अगर कंपनी का रुख ठुकराया गया तो रकम लाभ-हानि लेखा विवरण में नामे डाली जाएगी.	85.20	85.20	85.20
3	**अन्य**			
	क) न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट(NMPT) ने कंपनी से, एमओयू के बाद की अवधि के लिए (16 अक्तूबर 2009 से 31 मार्च, 2015 तक बर्थ सं. 10 और 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2015 तक बर्थ सं. 11) तेल बर्थ पर कार्गो संभालने के लिए अधिसूचित घाट शुल्क अदा करने की मांग की है. कंपनी ने दावा किया है कि सहमति पत्र में, MOU अवधि के बाद सरकार/TAMP (महत्वपूर्ण बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण) के अनुमोदन के अधीन आपस में सहमत दर तय करने की बात कही गई है. यह मामला वित्तीय वर्ष 2015-16 में निपटाया गया.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2,105.44
	ख) यह ऐसी संभावित देयता दर्शाता है जिसे कंपनी ने पट्टेदारों को उनके संबंधित कर निर्धारण में कोई देयता होने पर उसकी प्रतिपूर्ति के प्रति उठाया हो. चूंकि पट्टेदारों से कोई सूचना नहीं मिली इसलिए यह रकम वर्ष 2015-16 के दौरान निकाली गई.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	133.67
	ग) भूमि और पुनर्वास एवं पुन:व्यवस्थापन कार्य के लिए प्रदत्त अग्रिम से अधिक मंगलूर एसईज़ेड् लि. का दावा	20.05	16.71	109.25
	कुल	**1,877.41**	**2,108.97**	**2,812.42**

इन तमाम दावों को अस्वीकार करते हुए कंपनी द्वारा इनको चुनौती दी जा रही है. माध्यस्थम्/अदालत से समाधान/फैसला मिलने तक ऐसे दावे निपटाने के लिए अगर संसाधनों का बहिर्वाह हो तो उसका वस्तुनिष्ठ आकलन करना व्यवहार्य नहीं होगा.

44.2 यथा 31 मार्च, 2017 को अपील में लंबित विवादित कर / शुल्क संबंधी मांगे

44.2.1 31 मार्च, 2017 को आय कर: ₹ 4,231.68 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 6649.42 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹5942.35 दशलक्ष).
₹ इसके प्रति, 31 मार्च, 2017 को ₹ 3,994.28 दशलक्ष का (31 मार्च, 2016 को ₹ 3373.70 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 2579.25 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत समायोजन/भुगतान किया गया है जिसे कर आस्तियों/देयताओं के अधीन शामिल किया गया है.
(टिप्पणी 12)

44.2.2 31 मार्च, 2017 को वाणिज्यिक कर: ₹ 0.43 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 32.36 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 32.36 दशलक्ष). इसके प्रति, 31 मार्च, 2017 को ₹ 0.21 दशलक्ष का (31 मार्च, 2016 को ₹ 15.58 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 15.58 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत भुगतान किया गया है जिसे अन्य आस्तियों (गैर चालू) के अधीन शामिल किया गया **है [टिप्पणी 13].**

44.2.3 31 मार्च, 2017 को उत्पाद शुल्क: ₹ 5,962.90 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 304.80 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 315.27 दशलक्ष). इसके प्रति, 31 मार्च, 2017 को ₹ 130.06 दशलक्ष का (31 मार्च, 2016 को ₹ 59.78 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 72.87 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत भुगतान किया गया है जिसे अन्य आस्तियों (गैर चालू) के अधीन शामिल किया गया है **[टिप्पणी 13].**

44.2.4 31 मार्च, 2017 को सीमा शुल्क: ₹ 777.54 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 737.82 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 747.56 दशलक्ष).

45 प्रतिबद्धताएं

45.1 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं:

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए बचे हुए ठेकों की अनुमानित रकम और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 31 मार्च, 2017 को ₹3,014.81 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹1227.57 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 1637.16 दशलक्ष) कंपनी ने KIADB से चरण IV विस्तार के लिए 1050 एकड़ भूमि आबंटित करने की दरख्वास्त ही है. पत्र सं. KIADB/ Central Ofc/LA-MNG/2480/ 16195/ 2015-16, दिनांक 22/02/2016 के अनुसार इस संबंध में कुल पूंजीगत प्रतिबद्धता है करीब ₹6,946.81 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹ 6,946.81 दशलक्ष).

45.2 अन्य प्रतिबद्धताएं

क. रिफाइनरी की तरफ़ से प्रतिबद्धता पूरी होने तक-एमआरपीएल के पास कुछ भूमि है जिसका अनंतिम रूप से माप 39.76 एकड़ है जिसे HPCL ने एमआरपीएल चरण III और उन्नयन कार्य के सिलसिले में उपयोग करने की खातिर सत्तांतरित किया है. इस भूमि के लिए प्रतिफल स्वरूप, परस्पर सम्मति के आधार पर एमआरपीएल/ HPCL के कब्जे में रही भूमि की अदला-बदली की जाएगी. इस संबंध में अंतिम प्रलेखन, अभी निष्पादित नहीं किया गया है.

ख. मेसर्स शेल्ल ग्लोबल इंटरनैशनल सोल्यूशन (मेसर्स शेल्ल GIS) द्वारा रिफाइनरी निष्पादन में सुधार करने के कार्यक्रम के निमित्त किया गया वायदा पूरा होने तक, 31 मार्च, 2017 को USD 1.46 दशलक्ष. (31 मार्च, 2016 को USD 2.06 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को USD 2.44 दशलक्ष).

ग. पूंजीगत वस्तुओं के आयात से संबंधित EPCG लाइसेंस योजना के तहत उपभोग किए गए रियायती दर पर सीमा शुल्क के निमित्त कंपनी को 31 मार्च, 2017 को ₹1,313.68 दशलक्ष (31 मार्च, 2016 को ₹1,556.36 दशलक्ष; 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 1,346.93 दशलक्ष) तक निर्यात की बाध्यता पूरी करनी है.

घ. सहायक कंपनी, OMPL ने मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड से 441.438 एकड़ की भूमि 47 वर्ष और 10 महीनों की अवधि के लिए पट्टे पर ली है. मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड को ₹ 23.40 दशलक्ष का वार्षिक पट्टा किराया देना पड़ेगा.

46 कंपनी, स्टॉक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत भंडार का, चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष सत्यापन करने की एक आवधिक प्रणाली अपनाती है जिसमें कुछ अवधि में तमाम मदों को इस दायरे में लाया जाएगा. समायोजन में कोई अंतर हो तो उसे समाधान पूरा होने के बाद दूर किया जाएगा.

सहायक कंपनी, OMPL, स्टॉक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत भंडार का, चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष सत्यापन करने की एक आवधिक प्रणाली अपनाती है जिसमें 3 वर्ष की अवधि में तमाम मदों को इस दायरे में लाया जाएगा. समायोजन में कोई अंतर हो तो उसे समाधान पूरा होने के बाद दूर किया जाएगा. सहायक कंपनी, OMPL के बोर्ड ने आवश्यक अनुमोदन मिलने पर नियंत्रक कंपनी, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) में और उसके साथ कंपनी का समामेलन करने की सहमति दी है. वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रस्तावित समामेलन योजना का लिहाज नहीं किया गया है.

47 समूह के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घावधि ठेके नहीं हैं जिसके कारण किसी प्रकार की महत्वपूर्ण हानि का पूर्वाभास हो.

48 व्यापार और प्राप्य राशियों, व्यापारिक देयताएं और अन्य राशियों और ऋणों की कुछ शेषराशियों का पुष्टीकरण / समाधान नहीं किया गया है. पुष्टीकरण मिलने/समाधान होने पर कोई समायोजन करने पड़े तो किया जाएगा जिसका कोई ख़ास असर नहीं होगा.

49 वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें, पिछले वर्षों से संबंधित हैं.

50 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

निदेशक मंडल ने 17 मई, 2017 को जारी करने की खातिर वित्तीय विवरणों के लिए अपना अनुमोदन दिया.

51 पहली बार Ind AS अपनाने पर किए गए समाधान

51.1 Ind AS अपनाने से 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 तक के तुलन-पत्र पर प्रभाव

विवरण	टिप्पणियां	यथा 31 मार्च, 2016 पूर्व GAAP के तहत प्रस्तुत पिछली अवधि की समाप्ति				यथा 01 अप्रैल, 2015 (संक्रमण दिनांक)			
		पूर्व GAAP #	JV के लेखाकरण के लिए इक्विटी पद्धति का प्रयोग	Ind AS की तरफ संक्रमण करने का प्रभाव	Ind AS तुलन-पत्र के अनुसार	पूर्व GAAP #	JV के लेखाकरण के लिए इक्विटी पद्धति का प्रयोग	Ind AS की तरफ संक्रमण करने का प्रभाव	Ind AS तुलन-पत्र के अनुसार
आस्तियां									
I. अप्रचलित आस्तियां									
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1,2 और 3	216,650.36	(29.47)	(2,967.98)	213,652.91	210,362.75	(31.98)	(3,545.22)	206,785.55
ख) प्रगति में पूंजीगत कार्य	4	1,929.79	-	51.50	1,981.29	13,886.94	-	51.50	13,938.44
ग) सुनाम	5	5,958.38	-	(2,185.60)	3,772.78	5,960.39	-	(2,187.61)	3,772.78
घ) अन्य अगोचर आस्तियां		45.42	(0.14)	-	45.28	82.46	(0.27)	-	82.19
ड.) वित्तीय आस्तियां		-	-	-		-	-	-	
i) निवेश	15	4.80	369.59	1.38	375.77	4.80	358.35	2.31	365.46
ii) ऋण	6	418.82	-	(6.46)	412.36	404.05	-	(5.61)	398.44
iii) अन्य वित्तीय आस्तियां		46.66	-	-	46.66	34.94	-	-	34.94
च) अप्रचलित कर आस्तियां (निवल)		4,628.58	-	-	4,628.58	4,554.60	-	-	4,554.60
छ) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	14	2,268.78	-	6,562.94	8,831.72	3.78	-	4,289.44	4,293.22
ज.) अप्रचलित आस्तियां	1,4,6,8 और 12	2,989.61	(17.73)	2,567.38	5,539.26	2,780.88	(19.93)	2,638.68	5,399.63
कल गैर चाल आस्तियां (I)		234,941.20	322.25	4,023.16	239,286.61	238,075.59	306.17	1,243.49	239,625.25
II. चाल आस्तियां									
क) स्टॉक		33,850.62	(26.23)	-	33,824.39	37,842.27	(23.35)	-	37,818.92
ख) वित्तीय आस्तियां		-	-	-	-	-	-	-	
(i) प्राप्य व्यापार राशियां	9	20,634.53	(155.84)	262.17	20,740.86	22,942.12	(319.34)	93.47	22,716.25
(ii) नकद और नकदी समतुल्य	10	104,638.85	(496.34)	(90,589.33)	13,553.18	41,512.25	(371.41)	(27,469.65)	13,671.19
(iii) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशि	10	33,956.20	(9.32)	90,588.42	124,535.30	61,554.20	(6.73)	27,468.71	89,016.18
(iv) ऋण		52.88	-	-	52.88	48.14	-	-	48.14
(v) अन्य वित्तीय आस्तियां		1,706.19	(3.78)	-	1,702.41	1,566.72	(2.47)	-	1,564.25
ग) चालू कर आस्तियां (निवल)		2.57	-	-	2.57	16.17	(3.16)	-	13.01
घ) अन्य चालू आस्तियां	1,6,8 और 12	7,151.41	(45.13)	(178.77)	6,927.51	8,539.02	(81.01)	84.53	8,542.54
उप-जोड चालू आस्तियां		**201,993.25**	**(736.64)**	**82.49**	**201,339.10**	**174,020.89**	**(807.47)**	**177.06**	**173,390.48**
बिक्री के लिए धारित अप्रचलित आस्तियां	11	77.96	-	-	77.96	77.96	-	-	77.96
कुल चालू आस्तियां (II)		**202,071.21**	**(736.64)**	**82.49**	**201,417.06**	**174,098.85**	**(807.47)**	**177.06**	**173,468.44**
कुल आस्तियां (I+II)		**437,012.41**	**(414.39)**	**4,105.65**	**440,703.67**	**412,174.44**	**(501.30)**	**1,420.55**	**413,093.69**

विवरण	टिप्पणियां	यथा 31 मार्च, 2016 पूर्व GAAP के तहत प्रस्तुत पिछली अवधि की समाप्ति				यथा 01 अप्रैल, 2015 (संक्रमण दिनांक)			
		पूर्व GAAP #	JV और उसकी संबद्ध कंपनियों के लेखाकरण के लिए इक्विटी पद्धति का प्रयोग	Ind AS की तरफ संक्रमण करने का प्रभाव	Ind AS तुलन-पत्र के अनुसार	पूर्व GAAP #	JV और उसकी संबद्ध कंपनियों के लेखाकरण के लिए इक्विटी पद्धति का प्रयोग	Ind AS की तरफ संक्रमण करने का प्रभाव	Ind AS तुलन-पत्र के अनुसार
इक्विटी और देयताएं									
i. इक्विटी									
क) इक्विटी शेयर पूंजी		17,526.64	-	-	17,526.6	17,526.6	-	-	17,526.6
ख) अन्य इक्विटी		41,548.82	-	1,263.79	42,812.6	34,780.9	-	(206.14)	34,574.8
ग) गैर-नियंत्रक ब्याज	5	2,315.10	-	3,209.71	5,524.81	6,604.32	-	2,101.83	8,706.15
कुल इक्विटी (I)		**61,390.56**	**-**	**4,473.50**	**65,864.06**	**58,911.91**	**-**	**1,895.69**	**60,807.60**
देयताएं									
II. अप्रचलित देयताएं									
क) वित्तीय देयताएं									
(i) उधार	3 और 7	89,798.2	-	(278.08)	89,520.2	118,445.0	-	(968.34)	117,476.7
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं		-	-	-	-	0.13	-	-	0.13
ख) प्रावधान		444.15	(0.09)	-	444.06	365.76	(0.04)	-	365.72
ग) अप्रचलित देयताएं		-	-	-	-	-	-	3.24	3.24
घ) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	14	1.45	(1.45)	-	-	1.12	(1.12)	-	-
कुल गैर चालू देयताएं (II)	-	**90,243.89**	**(1.54)**	**(278.08)**	**89,964.27**	**118,812.08**	**(1.16)**	**(965.10)**	**117,845.82**
III. चालू देयताएं									
क) वित्तीय देयताएं									
(i) उधार	13	38,301.8	(0.02)	(252.68)	38,049.1	15,475.8	-	-	15,475.8
(ii) देय व्यापार राशियां		213,224.95	(352.23)	-	212,872.72	184,133.86	(461.58)	-	183,672.28
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	3,6 और 7	28,710.7	(1.30)	154.46	28,863.8	28,477.1	(7.54)	438.45	28,908.0
ख) अन्य चालू देयताएं	6 और 7	1,592.39	(57.56)	8.45	1,543.28	4,262.77	(29.18)	51.51	4,285.10
ग) प्रावधान		3,547.85	(1.58)	-	3,546.27	2,100.86	(1.84)	-	2,099.02
घ) चालू कर देयताएं (निवल)		0.16	(0.16)	-	-	-	-	-	-
कुल चालू देयताएं (III)	-	**285,377.96**	**(412.85)**	**(89.77)**	**284,875.34**	**234,450.45**	**(500.14)**	**489.96**	**234,440.27**
iv. कुल चालू (II+III)	-	**375,621.85**	**(414.39)**	**(367.85)**	**374,839.61**	**353,262.53**	**(501.30)**	**(475.14)**	**352,286.09**
कुल इक्विटी और देयताएं (I+IV)	-	**437,012.41**	**(414.39)**	**4,105.65**	**440,703.67**	**412,174.44**	**(501.30)**	**1,420.55**	**413,093.69**

GAAP आंकड़ों का, इस टिप्पणी के प्रयोजन से Ind AS पेश करने की अपेक्षाओं के अनुरूप पुनर्वर्गीकरण किया गया है.

तुलन-पत्र के समाधान के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1 **पट्टाधृत भूमि का पुनर्वर्गीकरण**: पूर्व : GAAP के तहत, पट्टाधृत भूमि के लिए प्रदत्त पेशगी प्रीमियम रकम को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में लेखाबद्ध किया गया है. Ind AS के तहत पट्टाधृत भूमि का, जहां भूमि का स्वामित्व, पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. फलस्वरूप, संक्रमण दिनांक को, ` 6.96 दशलक्ष की रकम का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से पुनर्वर्गीकरण करते हुए Ind AS के अधीन पूर्व भुगतान के रूप में दर्शाया गया है. इसी प्रकार, ` 6.88 दशलक्ष की रकम, 31 मार्च, 2016 को पूर्व भुगतान के रूप में दर्शाई गई है. इस पुनर्वर्गीकरण का, संक्रमण दिनांक को इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा.

सहायक कंपनी, OMPL ने पूर्व GAAP के तहत, पट्टाधृत भूमि के लिए प्रदत्त पेशगी प्रीमियम रकम को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में लेखाबद्ध किया गया है. Ind AS के तहत पट्टाधृत भूमि का, जहां भूमि का स्वामित्व, पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. फलस्वरूप, संक्रमण दिनांक को, ₹ 2,469.98 दशलक्ष की रकम का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से पुनर्वर्गीकरण करते हुए Ind AS के अधीन '' अन्य आस्तियों अधीन पूर्व भुगतान '' के रूप में दर्शाया गया है. इसी प्रकार, ₹ 2,414.78 दशलक्ष की रकम, 31 मार्च, 2016 को पूर्व भुगतान के रूप में दर्शाई गई है. इस पुनर्वर्गीकरण का, संक्रमण दिनांक को इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा.

2 **संपत्ति,संयंत्र और उपकरण से संबंधित समायोजन**: पूर्व GAAP के अंतर्गत, कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को संयंत्र और उपकरण के बही मूल्य की रकम को ₹ 138,226.10 दशलक्ष के रूप में दर्शाया. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II की अपेक्षाओं की पूर्ति करने की खातिर ₹ 499.67 दशलक्ष का समायोजन किया. इसी रकम को, 1 अप्रैल, 2015 को प्रतिधारित अर्जन के प्रति तदनुरूपी समायोजन के साथ संयंत्र और उपकरण की प्रारंभिक शेषराशि के रूप में लिया गया है. तदनुसार, ₹ 137,726.43 दशलक्ष (₹ 138,226.10 दशलक्ष घटाएं ₹ 499.67 दशलक्ष) को संक्रमण दिनांक को मानी गई लागत रूप में लिया गया है. इस समायोजन के कारण आस्थगित कर पर ₹ 172.93 दशलक्ष का असर पड़ा.

3 **लेन-देन लागत**: पूर्व GAAP के तहत, ECB ऋण से संबंधित लेन-देन लागत का संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत के साथ पूंजीकरण किया गया था (जो पूंजीकरण के लिए पात्र लागत थी). Ind AS के तहत, उधार को, प्रारंभ में लेखाबद्ध करने पर निवल लेन-देन लागत के रूप में दर्शाया गया है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा गया है. संक्रमण दिनांक को, लेन-देन लागत के प्रति ₹ 416.20 दशलक्ष की रकम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से घटाने के बाद ECB ऋण से तदनुरूप काटी गई. संक्रमण दिनांक के बाद, लेन-देन लागत का, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए ऋण की अवधि में परिशोधन किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास का परिकलन, शेष उपयोगी आयु में घटाई गई रकम पर किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेन-देन लागत का परिशोधन, लाभ-हानि विवरण में वित्त लागत रूप में दर्शाया गया है फलस्वरूप वित्त लागत में ₹ 139.43 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित उक्त समायोजन के निमित्त मूल्यह्रास के प्रति 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 17.64 दशलक्ष की रकम काटी गई.

सहायक कंपनी, OMPL ने पूर्व GAAP के तहत, ECB ऋणों और रुपया सावधि ऋणों से संबंधित लेन-देन लागत का संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत के साथ पूंजीकरण किया (जो पूंजीकरण के लिए पात्र लागत थी) और गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों से संबंधित लेन-देन लागत को लाभ-हानि में प्रभारित किया. Ind AS के तहत, उधार को, प्रारंभ में लेखाबद्ध करने पर निवल लेन-देन लागत के रूप में दर्शाया गया है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा गया है. संक्रमण दिनांक को, ECB ऋण और रुपया सावधि ऋण से संबंधित लेन-देन लागत का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) से समायोजन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप ECB ऋण से मूल्यह्रास और तदनुरूप कटौती की गई है. संक्रमण दिनांक के बाद, लेन-देन लागत का, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए ऋण की अवधि में परिशोधन किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेन-देन लागत का परिशोधन, लाभ-हानि विवरण में वित्त लागत रूप में दर्शाया गया है, फलस्वरूप वित्त लागत में ₹ 53.73 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है. 31 मार्च, 2016 को गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों से संबंधित लेन-देन लागत का, लाभ-हानि विवरण में ₹ 5.84 दशलक्ष तक समायोजन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुल इक्विटी में बढ़त हुई है और गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों में तदनुरूप कमी हुई है, जिसका बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों की अवधि में परिशोधन किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेन-देन लागत का परिशोधन, लाभ-हानि विवरण में वित्त लागत रूप में दर्शाया गया है, फलस्वरूप वित्त लागत में ₹ 0.30 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है. ₹ 3.5 दशलक्ष की लेन-देन लागत को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान के रूप में लेखाबद्ध किया गया है जिसे बाद में जून 2016 में अदा किया गया.

4 **दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों का पुनर्वर्गीकरण :** पूर्व GAAP के तहत, दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों के रूप में पेश किए गए पूंजीगत व्यय के प्रति प्रदत्त अग्रिम का Ind AS के तहत प्रगति में पूंजीगत कार्य के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया गया है. फलस्वरूप, ₹ 51.50 दशलक्ष की रकम का, दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों से, संक्रमण दिनांक और 31 मार्च, 2016 को प्रगति में पूंजीगत कार्य के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया गया है. इस पुनर्वर्गीकरण का, संक्रमण दिनांक को इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा.

5 **सुनाम का परिशोधन**: पूर्व GAAP के तहत, नाइट्रोजन संयंत्र से संबंधित सुनाम का, आस्तियों की उपयोगी आयु में परिशोधन किया गया था जब कि Ind AS सुनाम के तहत सुनाम का, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि में ह्रास की निगाहों से परीक्षण किया गया है जिसका परिशोधन नहीं किया गया है. फलस्वरूप, संक्रमण दिनांक को सुनाम रकम का, Ind AS के तहत ह्रास की निगाहों से परीक्षण किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2.01 दशलक्ष की परिशोधन रकम का प्रत्यावर्तन किया गया है. इस पुनर्वर्गीकरण का, संक्रमण दिनांक को इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा.

आगे, यह मान लिया गया है कि 1 अप्रैल, 2015 को सहायक कंपनी, OMPL पर Ind AS के प्रभाव का, समेकन और अल्प शेयरों पर सुनाम के प्रति समायोजन किया गया है क्योंकि यह प्रभाव, सहायक कंपनी का अधिग्रहण करने से पहले का है.

6 **वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं का पुन: मापन:** Ind AS के तहत, ली गईं कुछ जमानत और दी गई अन्य जमाराशियों का उचित मूल्यांकन करने के बाद परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया गया है. दी गई जमाराशियों और ली गईं जमानत का उचित मूल्यांकन करने पर प्रभाव, संक्रमण दिनांक को क्रमश: ₹ 5.61 दशलक्ष और ₹ 1.84 दशलक्ष तक रहा. संक्रमण दिनांक को इस समायोजन के फलस्वरूप, अन्य जमाराशियों (वित्तीय आस्तियों) और जमानत (वित्तीय देयताओं) के बही मूल्य में क्रमश: ₹ 5.61 दशलक्ष और ₹ 1.84 दशलक्ष तक अवनति हुई जिसे क्रमश: पूर्वदत्त किराया और अग्रिम किराया के रूप में दर्शाया गया. संक्रमण दिनांक के बाद, अन्य जमाराशियों (वित्तीय आस्तियों) और जमानत (वित्तीय देयताओं) को परिशोधन लागत पर लेखाबद्ध किया गया है जिसके परिणामस्वरूप क्रमश: वित्त आय और वित्त खर्च को लेखाबद्ध किया गया है. पूर्व दत्त किराए और अग्रिम किराए का जमाराशि की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधन किया गया है. इस पुन: मापन का संक्रमण दिनांक को इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा. संक्रमण दिनांक के बाद वित्तीय आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन में पाए गए अंतर को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यय में 1.33 दशलक्ष तक, ब्याज आय में ₹ 1.19 दशलक्ष तक, वित्त लागत में ₹ 0.08 दशलक्ष तक और अन्य आय में ₹ 0.13 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है. इसका निवल प्रभाव यह रहा कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में वित्तीय आस्तियों में ₹ 0.14 दशलक्ष तक, वित्तीय देयताओं में ₹ 0.05 दशलक्ष तक और कुल इक्विटी में ₹ 0.09 दशलक्ष तक अवनति हुई.

7 **वित्तीय देयताओं का पुन: मापन:** Ind AS के तहत सहायक कंपनी, OMPL की आस्थगित भुगतान देयताओं का उचित मूल्यांकन किया गया है और तदनंतर, उधार के अंतर्गत अप्रचलित अंश में और चालू अंश को अन्य वित्तीय देयताओं में पृथक्करण करने के बाद परिशोधन लागत पर लेखाबद्ध किया गया है. संक्रमण दिनांक को आस्थगित भुगतान देयता के उचित मूल्यांकन का प्रभाव, ₹ 52.91 दशलक्ष तक रहा जिसे '' अन्य देयता '' के रूप में पेश किया गया है. इस पुन: मापन का, संक्रमण दिनांक को कोई प्रभाव नहीं होगा. संक्रमण दिनांक के बाद, आस्थगित भुगतान देयता को परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वित्त खर्च को लेखा बहियों में दर्शाना पड़ा. ₹ 52.91 दशलक्ष का ऋण की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधन किया गया है. संक्रमण दिनांक के बाद देयताओं के मूल्यांकन में पाए गए अंतर को PPE में ₹ 1.84 दशलक्ष तक और लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप वित्त आय में ₹ 1.84 दशलक्ष तक और ब्याज खर्च में ₹ 49.45 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है.

8 **कुछ ऐसी सुविधा पाने की खातिर, जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ हो, प्रदत्त रकम को लेखाबद्ध करना**: ETP सुविधा पाने के लिए प्रदत्त ₹ 265.17 दशलक्ष को संक्रमण दिनांक को " पूर्व भुगतान " के रूप में लेखाबद्ध किया गया जिसे पूर्व GAAP के तहत लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया गया. इससे संक्रमण दिनांक को प्रतिधारित अर्जन में वृद्धि हुई. संक्रमण दिनांक के बाद, इस रकम का, ETP सुविधा की शेष उपयोगी आयु में परिशोधन किया गया. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए परिशोधन से संबंधित लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम, ₹ 8.95 दशलक्ष है.

9 **उपचित रीबेट का पुनर्वर्गीकरण** : पूर्व GAAP के तहत, ग्राहकों (वर्तमान) को दिए गए रीबेट के मामले में उपचय को व्यापार संबंधी प्राप्तियों से कटौती के रूप में दर्शाया गया है. Ind AS के तहत, इसका पुनर्वर्गीकरण करते हुए चालू देयताओं के अधीन '' अन्य वित्तीय देयताओं '' के रूप में दर्शाया गया है. इसलिए, रीबेट के उपचय के प्रति 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 93.47 दशलक्ष और 31 मार्च, 2016 को ₹ 262.16 दशलक्ष कर राशि को , '' अन्य वित्तीय देयताएं '' में पुनर्वर्गीकरण किया गया है.

10 **नकद और नकदी समतुल्य और अन्य बैंक शेषराशियों का पुनर्वर्गीकरण :** पूर्व GAAP के अधीन, बैंक जमाराशियों का वर्गीकरण, तुलन-पत्र की तारीख को बैंक जमाराशियों की शेष परिपक्वता अवधि के आधार पर किया गया था. Ind AS के तहत, बैंक जमाराशियों का वर्गीकरण, बैंक जमाराशि की मूल परिपक्वता अवधि के आधार पर किया गया है. तदनुसार, ₹ 27468.71 दशलक्ष और ₹ 81,560.00 की रकम का, संक्रमण दिनांक और 31 मार्च, 2016 को, नकद और नकदी समतुल्य से '' अन्य बैंक शेषराशियां '' में पुनर्वर्गीकरण किया गया है.

पूर्व GAAP के अंतर्गत, सोने के सिक्कों को नकद और नकदी समतुल्य के रूप में दर्शाया गया था. Ind AS के तहत, सोने के सिक्कों को '' अन्य आस्तियां '' के रूप में वर्गीकृत किया गया है. तदनुसार, ₹ 0.94 दशलक्ष और ₹ 0.91 की रकम का, संक्रमण दिनांक और 31 मार्च, 2016 को, क्रमश: नकद और नकदी समतुल्य से '' अन्य चालू आस्तियां '' में पुनर्वर्गीकरण किया गया है.

पूर्व GAAP के तहत, चालू खाते से बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में आहरित अप्रयुक्त पूंजीगत परिव्यय निधि को नकद और नकदी समतुल्य के रूप में दर्शाया गया. Ind AS के तहत, इसका, निर्बंधित नकद के रूप में '' अन्य बैंक शेषराशियां '' में इसलिए पुन:वर्गीकरण किया गया कि इस खाते से आहरण, सिर्फ पूंजीगत व्यय की पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है. तदनुसार, ₹ शून्य दशलक्ष और ₹ 8,078.42 दशलक्ष की रकम का, संक्रमण दिनांक और 31 मार्च, 2016 को, क्रमश: नकद और नकदी समतुल्य से '' अन्य बैंक शेषराशियां '' में पुनर्वर्गीकरण किया गया है.

पूर्व GAAP के तहत सहायक कंपनी, OMPL की, बाह्य वाणिज्यिक उधार के प्रति धारणाधिकार के तहत बैंक जमाराशियों को '' नकद और नकदी समतुल्य '' के रूप में दर्शाया गया था. Ind AS के तहत, इसका, '' अन्य बैंक शेषराशियां '' में पुन:वर्गीकरण किया गया है. तदनुसार, ₹ 950 दशलक्ष की रकम का, 31 मार्च, 2016 को,नकद और नकदी समतुल्य से '' अन्य बैंक शेषराशियां '' में पुनर्वर्गीकरण किया गया है. इस पुनर्वर्गीकरण का, 31 मार्च, 2016 को इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा.

11 **बिक्री के लिए धारित आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण** : संक्रमण दिनांक को, ₹ 77.96 दशलक्ष की रकम का, अन्य चालू आस्तियों से बिक्री के लिए धारित में पुनर्वर्गीकरण किया गया था. पुनर्वर्गीकरण का इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा.

12 **वित्तीय गारंटी:** Ind AS के तहत, सहायक कंपनी की तरफ से नियंत्रण कंपनी द्वारा, कोई गारंटी शुल्क लिए बगैर दी गई वित्तीय गारंटी का उचित मूल्यांकन किया गया है. तदनुसार, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 26.05 दशलक्ष की रकम को अतिरिक्त प्रदत्त पूंजी के रूप में दर्शाया गया है और गारंटी प्रभार के लिए पूर्व भुगतान खाते में तदनुरूप नामे डाला गया है. गारंटी प्रभार का पूर्व भुगतान, गारंटी अवधि में परिशोधित किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ 18.37 दशलक्ष की रकम का गारंटी शुल्क के रूप में परिशोधन किया गया है जिसे लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया गया है.

13 **परिशोधित लागत पर मापे गए वाणिज्यिक पत्र:** सहायक कंपनी, OMPL ने पूर्व GAAP के तहत वाणिज्यिक पत्र पर बट्टे को अन्य चालू आस्तियों के रूप में दर्शाया था. Ind AS के तहत, उधार को, प्रारंभ में लेखाबद्ध करने पर निवल लेन-देन लागत के रूप में दर्शाया गया है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा गया है. तदनुसार, ₹ 252.68 दशलक्ष की रकम का, " अन्य चालू आस्तियां " से समायोजन किया गया है और वाणिज्यिक पत्रों(उधारों) की रकम से काटा गया है. इस पुनर्वर्गीकरण का, 31 मार्च, 2016 को इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा.

14 **आस्थगित कर:** आस्थगित कर को Ind AS लागू करने के कारण किए गए समायोजन के निमित्त लेखाबद्ध किया गया है. इन समायोजनों के परिणामस्वरूप, आस्थगित कर देयता में 31 मार्च, 2016 को ₹ 34.73 दशलक्ष तक वृद्धि हुई.

सहायक कंपनी, OMPL ने पूर्व GAAP के तहत, आस्थगित कर आस्तियों को वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में सिर्फ़ आस्थगित कर देयताओं तक लेखाबद्ध किया गया था. Ind AS 12 की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी ने अब वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं को लेखाबद्ध किया है. तदनुसार, देयता, 1 अप्रैल, 2015 को आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं का निवल प्रभाव, ₹ 4,289.44 दशलक्ष रहा जिसका प्रतिधारित अर्जनों में समायोजन किया गया है, नतीजतन कुछ इक्विटी में बढ़त हुई है और आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं(निवल) में तदनुरूपी वृद्धि हुई है. आगे, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वृद्धिशील निवल आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं को, जिसकी रकम ₹ 2,308.23 दशलक्ष है, लेखाबद्ध किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष की कुल इक्विटी में और आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं (निवल) में तदनुरूपी वृद्धि हुई है.

15 संयुक्त उद्यम (शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड) में निवेश से संबंधित Ind AS समायोजन.

16 **मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड में निवेश का वर्गीकरण**: सहायक कंपनी, OMPL ने, पूर्व GAAP के तहत, मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड में निवेश का वर्गीकरण, " सहयोगी कंपनी में निवेश " के रूप में वर्गीकरण किया था. Ind AS के तहत इसे " निवेश " के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

51.2 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 को कुल इक्विटी का समाधान

विवरण	देखें टिप्पणी 51.1	यथा 31 मार्च, 2016 (पूर्व GAAP के तहत प्रस्तुत पिछली अवधि की समाप्ति)	यथा 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण दिनांक)
पूर्व GAAP के तहत कुल इक्विटी (शेयरधारकों की निधि)		61,390.56	58,911.91
समायोजन:			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित समायोजन	2	-	(499.67)
लेन-देन लागत पर वित्त प्रभार का मोचन	3	(191.11)	-
अन्य	6	(2.14)	
ECB लेन-देन लागत के निमित्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास से संबंधित समायोजन	3	24.13	-
सुनाम के परिशोधन का प्रत्यावर्तन	5	2.01	-
ETP सुविधा, निवल परिशोधन के लिए पूर्व भुगतान को लेखाबद्ध करना	7	256.22	265.17
वित्तीय गारंटी शुल्क, निवल परिशोधन को लेखाबद्ध करना	11	7.68	26.05
Ind AS के तहत तुलन-पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आस्थगित करों को लेखाबद्ध करना	13	(34.73)	-
आस्थगित कर को लेखाबद्ध करना	13	4,410.06	2,101.83
संयुक्त उद्यम (शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड) में निवेश से संबंधित समायोजन.		1.38	2.31
इक्विटी में कुल समायोजन		**4.473.50**	**1.895.69**
Ind AS के तहत कुल इक्विटी		**65,864.06**	**60,807.60**

51.3 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लाभ-हानि विवरण पर Ind AS अपनाने का प्रभाव

विवरण		टिप्पणियां	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष (पूर्व GAAP के तहत प्रस्तुत नवीनतम अवधि) पूर्व GAAP का Ind AS में संक्रमण का प्रभाव			
			पूर्व GAAP	JV के लिए इक्विटी लेखा पद्धति लागू करना	Ind AS	Ind AS
i.	परिचालन से राजस्व	1	509,914.62	(291.33)	-	509,623.29
II.	अन्य आय	7, 9	8,525.45	(21.17)	50.77	8,555.05
iii.	**कुल आय (I + II)**		**518,440.07**	**(312.50)**	**50.77**	**518,178.34**
iv.	**व्यय:**					
	खपाई गई सामग्री की लागत		340,855.56	(227.69)	-	340,627.87
	तैयार माल, प्रक्रिया में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन		7,945.73	2.89	-	7,948.62
	वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		112,321.37	-	-	112,321.37
	कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	2	3,252.58	(23.49)	(0.87)	3,228.22
	वित्त लागत	3,4,7 व 9	10,547.02	(1.26)	257.57	10,803.33
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	3, 5 व 6	10,214.77	(2.95)	(81.41)	10,130.41
	अन्य खर्च	3,5,7 और 8	28,408.72	(34.28)	69.04	28,443.48
	कुल खर्च (IV)		**513,545.75**	**(286.78)**	**244.33**	**513,503.30**
V.	**अपवादात्मक मदों से पूर्व लाभ और कर (III-IV)**		4,894.32	(25.72)	(193.56)	4,675.04
	अपवादात्मक मदें (आय/ खर्च (निवल)		1,829.94	-	-	1,829.94
vii.	**संयुक्त उद्यम के लाभ का अंश**		**-**	**(25.72)**	**19.94**	**19.94**
VIII.	**कर पूर्व लाभ (V - VI-VII)**		**3,064.38**	**(219.28)**	**(173.67)**	**2,865.04**
IX.	**कर संबंधी खर्च:**					
	(1) वर्तमान कर		2,349.75	(4.17)	-	2,345.58
	(2) आस्थगित कर	10	(2,091.74)	(0.33)	(2,446.12)	(4,538.19)
	कुल कर संबंधी खर्च (IX)		**258.01**	**(4.50)**	**(2,446.12)**	**(2,192.61)**
X	**कर उपरांत लाभ (VIII - IX)**		**2,806.37**	**(21.22)**	**2,272.50**	**5,057.65**
XI	**अन्य व्यापक आय**					
	ऐसी मद जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा					
	(क) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	2	-	-	(2.13)	(2.13)
	(ख) नकदी प्रभाव बचाव में बचाव लिखतों पर प्राप्त अभिलाभ (उठाई गई हानियों) का प्रभावी अंश		-	-	0.02	0.02
	(ग) उक्त से संबंधित आय कर		-	-	0.92	0.92
	कुल अन्य व्यापक आय (XI)		**-**	**-**	**(1.19)**	**(1.19)**
XII	**वर्ष की कुल व्यापक आय (X+XI)**		**2,806.37**	**(21.22)**	**2,271.31**	**5,056.46**
XIII	**इनके कारण वर्ष का लाभ**					
	कंपनी के मालिक		7,095.59	-		8,237.13
	गैर-नियंत्रक हित		(4,289.22)	-		(3,179.48)
XIV	**इनके कारण वर्ष की अन्य व्यापक आय**					
	कंपनी के मालिक		-	-		0.67
	गैर-नियंत्रक हित		-	-		(1.86)
XV	**इनके कारण वर्ष की व्यापक आय**					
	कंपनी के मालिक		7,095.59	-		8,237.80
	गैर-नियंत्रक हित		(4,289.22)	-		(3,181.34)

वर्ष 2015-16 के लिए लाभ का समाधान करने से संबंधित टिप्पणियां:

1 **प्रचालन से राजस्व: उत्पाद शुल्क**: पूर्व GAAP के तहत, उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को पेश करते समय उत्पाद शुल्क को शामिल नहीं किया गया था. Ind AS के तहत, उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को पेश करते समय उत्पाद शुल्क को समाविष्ट किया गया है और प्रदत्त उत्पाद शुल्क को खर्च के रूप में अलग रूप से दर्शाया गया है. इसके परिणामस्वरूप, कुल राजस्व में बढ़त हुई है और कुल राजस्व में, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में ₹ 112321.37 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है.

2 **कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च :** पूर्व GAAP के तहत, सेवानिवृत्ति उपरांत परिभाषित लाभ योजनाओं के कारण बीमांकिक अभिलाभ और हानियों को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया था. Ind AS के तहत, इसे '' अन्य व्यापक आय '' के अधीन दर्शाया गया है.

3 **लेन-देन लागत**: पूर्व GAAP के तहत, ECB ऋण से संबंधित लेन-देन लागत का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत के साथ पूंजीकरण किया गया था (जो पूंजीकरण के लिए पात्र लागत थी). Ind AS के तहत, उधार को, प्रारंभ में लेखाबद्ध करने पर निवल लेन-देन लागत के रूप में दर्शाया गया है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा गया है. संक्रमण दिनांक को, लेन-देन लागत के प्रति ₹ 416.20 दशलक्ष की रकम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से घटाने के बाद ECB ऋण से तदनुरूप काटी गई. संक्रमण दिनांक के बाद, लेन-देन लागत का, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए ऋण की अवधि में परिशोधन किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास का परिकलन, शेष उपयोगी आयु में घटाई गई रकम पर किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेन-देन लागत का परिशोधन, लाभ-हानि विवरण में वित्त लागत रूप में दर्शाया गया है फलस्वरूप वित्त लागत में ₹ 139.43 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित उक्त समायोजन के निमित्त मूल्यह्रास के प्रति 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 17.64 दशलक्ष की रकम काटी गई.

सहायक कंपनी, OMPL ने पूर्व GAAP के तहत, ECB ऋणों और रुपया सावधि ऋणों से संबंधित लेन-देन लागत का संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत के साथ पूंजीकरण किया था (जो पूंजीकरण के लिए पात्र लागत थी) और गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों से संबंधित लेन-देन लागत को लाभ-हानि में प्रभारित किया था. Ind AS के तहत, उधार को, प्रारंभ में लेखाबद्ध करने पर निवल लेन-देन लागत के रूप में दर्शाया गया है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा गया है. संक्रमण दिनांक को, ₹ 152.41 दशलक्ष के ECB ऋण और रुपया सावधि ऋण से संबंधित लेन-देन लागत का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) से समायोजन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप ECB ऋण से मूल्यह्रास और तदनुरूप कटौती की गई है. संक्रमण दिनांक के बाद, लेन-देन लागत का, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए ऋण की अवधि में परिशोधन किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेन-देन लागत का परिशोधन, लाभ-हानि विवरण में वित्त लागत रूप में दर्शाया गया है, फलस्वरूप वित्त लागत में ₹ 53.73 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है. 31 मार्च, 2016 को गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों से संबंधित लेन-देन लागत का, लाभ-हानि विवरण में ₹ 5.84 दशलक्ष तक समायोजन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुल इक्विटी में बढ़त हुई है और गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों में तदनुरूप कमी हुई है, जिसका बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों की अवधि में परिशोधन किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेन-देन लागत का परिशोधन, लाभ-हानि विवरण में वित्त लागत रूप में दर्शाया गया है, फलस्वरूप वित्त लागत में ₹ 0.30 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है. ₹ 3.5 दशलक्ष की लेन-देन लागत को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान के रूप में लेखाबद्ध किया गया है जिसे बाद में जून 2016 में अदा किया गया.

4 **वित्तीय गारंटी प्रभार का परिशोधन :** जैसे कि टिप्पणी 3.20.2(क) में उल्लेख किया गया है, वित्तीय गारंटी प्रभार को संक्रमण दिनांक को पूर्वदत्त गारंटी प्रभार के रूप में लेखाबद्ध किया गया है. इन गारंटियों को गारंटी अवधि में लाभ-हानि विवरण में परिशोधित किया गया है, परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्त लागत में ₹18.37 दशलक्ष की वृद्धि हुई है.

5 **पट्टाधृत भूमि का पुनर्वर्गीकरण**: पूर्व GAAP के तहत, पट्टाधृत भूमि को, संयंत्र और उपकरण के भाग के रूप में दर्शाया गया था और पट्टा अवधि में मूल्यह्रास किया गया था. Ind AS के तहत पट्टाधृत भूमि का, जहां भूमि का स्वामित्व, पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है और इसलिए पट्टा अवधि में पूर्व भुगतान और परिशोधित के रूप में दर्शाया गया है. इस पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप, मूल्यह्रास खर्च में ₹ 0.08 दशलक्ष तक अवनति हुई और अन्य व्यय में तदनुरूपी वृद्धि हुई.

सहायक कंपनी, OMPL ने पूर्व GAAP के तहत, पट्टाधृत भूमि के लिए प्रदत्त पेशगी प्रीमियम रकम को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में लेखाबद्ध किया गया है. Ind AS के तहत पट्टाधृत भूमि का, जहां भूमि का स्वामित्व, पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. फलस्वरूप, संक्रमण दिनांक को, ₹ 2,469.98 दशलक्ष की रकम का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से पुनर्वर्गीकरण करते हुए Ind AS के अधीन '' अन्य आस्तियों अधीन पूर्व भुगतान '' के रूप में दर्शाया गया है. इसी प्रकार, ₹ 2,414.79 दशलक्ष की रकम, 31 मार्च, 2016 को पूर्व भुगतान के रूप में दर्शाई गई है. इस पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप, मूल्यह्रास खर्च में ₹ 55.10 दशलक्ष तक अवनति हुई और अन्य व्यय में तदनुरूपी वृद्धि हुई.

6 **सुनाम के परिशोधन का प्रत्यावर्तन**: पूर्व GAAP के तहत, सुनाम का, आस्तियों की उपयोगी आयु में परिशोधन किया गया था जब कि Ind AS सुनाम के तहत सुनाम का, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि में ह्रास की निगाहों से परीक्षण किया गया है जिसका परिशोधन नहीं किया गया है. फलस्वरूप, संक्रमण दिनांक को सुनाम रकम का, Ind AS के तहत ह्रास की निगाहों से परीक्षण किया गया है. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2.01 दशलक्ष की परिशोधन रकम का प्रत्यावर्तन किया गया है.

7 **वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं का पुन: मापन:** Ind AS के तहत, ली गईं कुछ जमानत और दी गई अन्य जमाराशियों का उचित मूल्यांकन करने के बाद परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया गया है. दी गई जमाराशियों और ली गईं जमानत का उचित मूल्यांकन करने पर प्रभाव, संक्रमण दिनांक को क्रमश: ₹ 5.61 दशलक्ष और ₹ 1.84 दशलक्ष तक रहा. संक्रमण दिनांक को इस समायोजन के फलस्वरूप, अन्य जमाराशियों (वित्तीय आस्तियों) और जमानत (वित्तीय देयताओं) के बही मूल्य में क्रमश: ₹ 5.61 दशलक्ष और ₹ 1.84 दशलक्ष तक अवनति हुई जिसे क्रमश: पूर्वदत्त किराया और अग्रिम किराया के रूप में दर्शाया गया. संक्रमण दिनांक के बाद, अन्य जमाराशियों (वित्तीय आस्तियों) और जमानत (वित्तीय देयताओं) को परिशोधन लागत पर लेखाबद्ध किया गया है जिसके परिणामस्वरूप क्रमश: वित्त आय और वित्त खर्च को लेखाबद्ध किया गया है. पूर्व दत्त किराए और अग्रिम किराए का जमाराशि की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधन किया गया है. इस पुन: मापन का संक्रमण दिनांक को इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा. संक्रमण दिनांक के बाद वित्तीय आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन में पाए गए अंतर को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यय में 1.33 दशलक्ष तक, ब्याज आय में ₹ 1.19 दशलक्ष तक, वित्त लागत में ₹ 0.08 दशलक्ष तक और अन्य आय में ₹ 0.13 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है. इसका निवल प्रभाव यह रहा कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में वित्तीय आस्तियों में ₹ 0.14 दशलक्ष तक, वित्तीय देयताओं में ₹ 0.05 दशलक्ष तक और कुल इक्विटी में ₹ 0.09 दशलक्ष तक अवनति हुई.

8 **कुछ ऐसी सुविधा पाने की खातिर, जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ हो, प्रदत्त रकम को लेखाबद्ध करना**: ETP सुविधा पाने के लिए प्रदत्त ₹ 265.17 दशलक्ष को संक्रमण दिनांक को '' पूर्व भुगतान '' के रूप में लेखाबद्ध किया गया जिसे पूर्व GAAP के तहत लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया गया. इससे संक्रमण दिनांक को प्रतिधारित अर्जन में वृद्धि हुई है. संक्रमण दिनांक के बाद, इस रकम का, ETP सुविधा की शेष उपयोगी आयु में परिशोधन किया गया. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए परिशोधन से संबंधित लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम, ₹ 8.95 दशलक्ष है.

9 **वित्तीय देयताओं का पुन: मापन:** Ind AS के तहत, आस्थगित भुगतान का उचित मूल्यांकन और बाद में परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया गया है. संक्रमण दिनांक को आस्थगित भुगतान देयता के उचित मूल्यांकन का प्रभाव, ₹ 52.91 दशलक्ष तक रहा. आस्थगित वित्त खर्च को अल्पावधि उधार के रूप में लेखाबद्ध किया गया है. इस पुन: मापन का, संक्रमण दिनांक को कोई प्रभाव नहीं होगा. संक्रमण दिनांक के बाद, आस्थगित भुगतान देयता को परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वित्त खर्च को लेखा बहियों में दर्शाना पड़ा. आस्थगित वित्त खर्च का ऋण की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधन किया गया है. संक्रमण दिनांक के बाद देयताओं के मूल्यांकन में पाए गए अंतर को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप वित्त आय में ₹ 49.45 दशलक्ष तक और ब्याज खर्च में ₹ 51.50 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है.

10 **आस्थगित कर:** आस्थगित कर को Ind AS लागू करने के कारण किए गए समायोजन के निमित्त लेखाबद्ध किया गया है. इन समायोजनों के परिणामस्वरूप, आस्थगित कर में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 140.03 दशलक्ष तक वृद्धि हुई है.

सहायक कंपनी, OMPL ने पूर्व GAAP के तहत, आस्थगित कर आस्तियों को वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में सिर्फ़ आस्थगित कर देयताओं तक लेखाबद्ध किया था. Ind AS 12 की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी ने अब वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं को लेखाबद्ध किया है. तदनुसार, देयता, 1 अप्रैल, 2015 को आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं का निवल प्रभाव, ₹4,289.44 दशलक्ष रहा जिसका प्रतिधारित अर्जनों में समायोजन किया गया है, नतीजतन कुछ इक्विटी में बढ़त हुई है और आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं(निवल) में तदनुरूपी वृद्धि हुई है. आगे, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वृद्धिशील निवल आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं को, जिसकी रकम ₹ 2,308.23 दशलक्ष है, लेखाबद्ध किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष की कुल इक्विटी में और आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं (निवल) में तदनुरूपी वृद्धि हुई है.

51.4 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का समाधान

विवरण	देखें टिप्पणी 51.3	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016 (पूर्व GAAP के तहत प्रस्तुत नवीनतम अवधि)
पूर्व GAAP के अनुसार कर पूर्व लाभ		**2,806.37**
समायोजन:		
पूर्वदत्त वित्तीय गारंटी शुल्क का परिशोधन	4	(18.37)
सुनाम के परिशोधन का प्रत्यावर्तन	6	2.01
पूर्व भुगतान का परिशोधन	8	(8.95)
लेन-देन लागत पर वित्त प्रभार का मोचन	3	(191.11)
कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ का पुनर्वर्गीकरण	2	0.87
ECB लेन-देन लागत के निमित्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास से संबंधित समायोजन	3	24.13
अन्य	7	(0.09)
आस्थगित वित्त खर्च का मोचन	9	(2.05)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर अनुसूची II से संबंधित आस्थगित कर समायोजन	10	172.93
Ind AS के तहत तुलन-पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आस्थगित करों को लेखाबद्ध करना	10	(33.03)
आस्थगित कर को लेखाबद्ध करना	10	2,306.22
संयुक्त उद्यम (शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड) में निवेश से संबंधित समायोजन.		(1.28)
Ind AS की तरफ संक्रमण का कुल प्रभाव		**2,251.28**
Ind AS के अनुसार वर्ष का निवल लाभ		**5,057.65**
वर्ष की अन्य व्यापक आय, (निवल आय कर)		
कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ का पुनर्वर्गीकरण (निवल कर)	2	(1.21)
संयुक्त उद्यम (शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड) में निवेश से संबंधित समायोजन		0.02
Ind AS के तहत कुल व्यापक आय		**5,056.46**

टिप्पणी: पूर्व GAAP के तहत, कुल व्यापक आय के बारे में रिपोर्ट नहीं किया गया था. इसलिए, उक्त समाधान, पूर्व GAAP के तहत कर उपरांत लाभ से शुरु होता है.

51.5 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण पर Ind AS अपनाने का प्रभाव

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष (पूर्व GAAP के तहत प्रस्तुत नवीनतम अवधि)		
	पूर्व GAAP	Ind AS	Ind AS
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	76,009.21	(61,724.16)	14,285.05
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(867.18)	3,900.25	3,033.07
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(16,637.25)	(798.88)	(17,436.13)
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अवनति)	**58,504.78**	**(58,622.79)**	**(118.01)**
अवधि के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य	72,063.76	(58,392.57)	13,671.19
विदेशी मुद्राओं में धारित नकद की शेषराशि पर विनिमय दर में हुए परिवर्तन का प्रभाव			
अवधि के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**130,568.54**	**(117,015.36)**	**13,553.18**

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 गत विधि की समाप्ति पूर्व GAAP के तहत पेश किया गया	यथा 1 अप्रैल 2015 संक्रमण दिनांक
पूर्व GAAP के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन से नकद और नकदी समतुल्य	130,568.54	72,063.76
बैंक ओवरड्राफ्ट, जो नकद प्रबंधन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है		
नकद और नकदी समतुल्य के रूप में इससे पहले मानी गई अन्य बैंक शेषराशियां		
3 महीनों से अधिक परंतु 12 महीनों तक की मूल परिपक्वता के साथ बैंक जमाराशियाँ	108,439.09	58,019.61
निर्बंधित बैंक शेषराशियां	8,078.42	-
सोने के सिक्के	0.91	0.94
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड के नकद और नकदी समतुल्य	496.33	371.39
MRSL के नकद और नकदी समतुल्य	0.61	0.63
	117,015.36	**58,392.57**
Ind AS के तहत नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन से नकद और नकदी समतुल्य	13,553.18	13,671.19

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : : 003324S

हस्ता/-
सी.ए.कुमार भट्ट
साझेदार

सदस्यता सं. 022041

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : : 003957S

हस्ता/-
सीए.वी.सुरेश
साझेदार

सदस्यता सं. 026525

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17/05/2017

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN: 06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

दस वर्ष के निष्पादन की एक झलक

	Ind AS	IGAAP	IGAAP	IGAAP	IGAAP	IGAAP	IGAAP	IGAAP	IGAAP	IGAAP
	(₹ दशलक्ष में)	(₹ दशलक्ष में)	(₹ दशलक्ष में)	(₹ दशलक्ष में)	(₹ दशलक्ष में)	(₹ दशलक्ष में)	(₹ दशलक्ष में)	(₹ दशलक्ष में)	(₹ दशलक्ष में)	(₹ दशलक्ष में)
	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
हमारी देयताएं										
शेयर पूंजी	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,572.57	17,618.50	17,618.50	17,618.31	17,618.21
आरक्षित निधि	83,178.11	46,677.80	35,522.95	53,162.08	47,150.26	54,719.37	47,670.51	38,347.02	29,675.68	20,211.22
निवल मालियत	**100,704.75**	**64,204.44**	**53,049.59**	**70,688.72**	**64,676.90**	**72,291.94**	**65,289.01**	**55,965.52**	**47,293.99**	**37,829.43**
उधार	85,409.61	81,028.40	90,324.65	97,927.21	75,576.54	61,831.10	15,569.75	16,963.97	19,868.04	20,580.68
आस्थगित कर देयता / (आस्ति)	4,766.63	806.31	-	4,702.69	7,343.28	4,531.40	3,471.64	6,602.22	5,685.53	5,307.79
कुल	**190,880.99**	**146,039.15**	**143,374.24**	**173,318.62**	**147,596.72**	**138,654.44**	**84,330.40**	**79,531.71**	**72,847.56**	**63,717.90**
हमारी स्वाधिकृत पूंजी										
अचल आस्तियां (पूंजी सहित) WIP)	157,688.90	226,935.30	223,190.91	208,025.23	188,929.44	161,134.49	130,871.85	92,954.50	78,390.04	75,053.07
घटाएं: मूल्यह्रास	13,884.30	75,889.89	68,323.33	62,595.55	55,578.31	49,644.32	45,301.36	41,428.08	37,661.38	33,988.12
	143,804.60	151,045.41	154,867.58	145,429.68	133,351.13	111,490.17	85,570.49	51,526.42	40,728.66	41,064.95
निवेश	13,496.42	13,496.73	13,496.73	150.02	150.02	422.80	948.25	16,236.62	6,428.93	6,451.36
अन्य निवल चालू और गैर चालू आस्तियां	33,579.97	(18,502.99)	(24,990.07)	27,738.92	14,095.57	26,741.47	(2,188.34)	11,768.67	25,689.97	16,201.59
कुल	**190,880.99**	**146,039.15**	**143,374.24**	**173,318.62**	**147,596.72**	**138,654.44**	**84,330.40**	**79,531.71**	**72,847.56**	**63,717.90**
आय										
बिक्री (निवल उत्पाद शुल्क)	431,924.35	396,320.40	574,381.45	718,104.96	656,915.16	537,633.43	389,566.73	318,851.74	382,437.41	325,751.28
अन्य आय	4,386.38	8,725.24	8,101.56	3,244.67	1,160.36	3,543.09	2,171.83	2,915.12	1,866.41	740.73
विनिमय में घट-बढ़ (निवल) अभिलाभ	-	-	-	-	-	-	184.48	3,903.97	-	1,374.86
स्टॉक में वृद्धि/(गिरावट)	2,883.03	(6,831.66)	(18,861.34)	6,740.75	11,161.53	1,502.05	8,152.71	2,958.77	(5,968.56)	1,048.01
कुल	**439,193.76**	**398,213.98**	**563,621.67**	**728,090.38**	**669,237.05**	**542,678.57**	**400,075.75**	**328,629.60**	**378,335.26**	**328,914.88**
व्यय										
कच्चा माल	374,887.61	346,504.26	558,860.55	707,406.32	654,001.82	512,367.50	372,193.37	302,308.74	345,127.66	300,840.43
इन पर बिक्री कर और उत्पाद शुल्क	(675.16)	1,588.96	916.85	199.63	217.99	(606.16)	647.77	894.23	559.01	2,242.82
वेतन और अन्य खर्च	3,520.06	3,061.41	2,407.42	2,154.74	1,845.60	1,606.42	1,845.35	958.95	1,130.30	1,248.17
विनिमय में घट-बढ़ (निवल) हानि	(15,379.74)	11,902.67	6,835.01	19.03	5,364.91	6,482.20	-	-	6,104.96	-
अन्य खर्च	9,575.86	10,519.18	7,103.78	3,935.12	3,245.56	3,221.08	3,056.42	2,500.98	2,039.09	1,997.56
ब्याज	5,171.74	5,778.35	4,070.88	3,214.41	3,285.53	2,066.77	1,043.73	1,154.98	1,434.51	1,475.89
मूल्यह्रास	6,779.19	7,124.05	4,986.10	7,064.17	6,044.10	4,338.73	3,914.19	3,893.27	3,823.16	3,778.18
कुल	**383,879.56**	**386,478.88**	**585,180.59**	**723,993.42**	**674,005.51**	**529,476.54**	**382,700.83**	**311,711.15**	**360,218.69**	**311,583.05**
कर पूर्व लाभ	**55,314.20**	**11,735.10**	**(21,558.92)**	**4,096.96**	**(4,768.46)**	**13,202.03**	**17,374.92**	**16,918.45**	**18,116.57**	**17,331.83**
कराधान के लिए प्रावधान	18,877.33	253.51	(4,436.58)	(1,914.86)	2,800.65	4,116.25	5,608.59	5,794.68	6,191.13	4,609.55
कर उपरांत लाभ	**36,436.87**	**11,481.59**	**(17,122.34)**	**6,011.82**	**(7,569.11)**	**9,085.78**	**11,766.33**	**11,123.77**	**11,925.44**	**12,722.28**
कुल व्यापक आय	**36,386.53**									
लाभांश (देखें टिप्पणी)	10,515.59	-	-	-	-	1,752.60	2,103.13	2,103.13	2,103.49	2,103.49
लाभांश वितरण कर	2,140.73	-	-	-	-	284.32	341.18	349.30	357.49	357.49
GRM ($/bbl)	7.75	5.20	(0.64)	2.67	2.45	5.60	5.90	4.58	6.56	6.59

(आंकड़ों का, जहां कहीं ज़रूरी हो पुन:समूहन और पुन: आयोजन किया गया है)

नोट: वर्ष 2016-17 के दौरान, AGM में निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ ₹ 6 प्रति शेयर की दर से लाभांश की सिफ़ारिश की है जिसे Ind AS के अनुसार भुगतान आधार पर लेखाबद्ध किया जाएगा.

तीन वर्ष के निष्पादन की एक झलक

	($ दशलक्ष में)	($ दशलक्ष में)	($ दशलक्ष में)
	2016-17	2015-16	2014-15
हमारी देयताएं			
शेयर पूंजी	270.26	267.77	286.57
आरक्षित निधि	1,282.62	713.14	580.83
निवल मालियत	**1,552.89**	**980.91**	**867.40**
उधार	1,317.03	1,237.95	1,476.87
आस्थगित कर देयता	73.50	12.32	-
कुल	**2,943.42**	**2,231.18**	**2,344.27**
हमारी स्वाधिकृत पूंजी			
अचल आस्तियां (पूंजीगत WIP सहित)	2,431.59	3,467.10	3,649.33
घटाएं: मूल्यह्रास	214.10	1,159.44	1,117.13
	2,217.50	2,307.66	2,532.19
निवेश	208.12	206.20	220.68
अन्य निवल चालू और गैर चालू आस्तियां	517.81	(282.69)	(408.61)
कुल	**2,943.42**	**2,231.18**	**2,344.27**
आय			
बिक्री (निवल उत्पाद शुल्क)	6,438.94	5,981.74	9,190.10
अन्य आय	65.39	131.69	129.62
विनिमय में घट-बढ़ (निवल) : अभिलाभ	-	-	-
स्टॉक में वृद्धि/(गिरावट)	42.98	(103.11)	(301.78)
कुल	**6,547.31**	**6,010.32**	**9,017.95**
व्यय			
कच्चा माल	5,588.66	5,229.86	8,941.77
स्टॉक पर बिक्री कर और उत्पाद शुल्क (निवल)	(10.06)	23.98	14.67
वेतन और अन्य खर्च	52.48	46.21	38.52
विनिमय में घट-बढ़ (निवल) : हानि	(229.27)	179.65	109.36
अन्य खर्च	142.75	158.77	113.66
ब्याज	77.10	87.21	65.13
मूल्यह्रास	101.06	107.52	79.78
बट्टे खाते लिखे गए विविध व्यय			
कुल	**5,722.71**	**5,833.20**	**9,362.89**
कर पूर्व लाभ	824.60	177.12	(344.94)
कराधान के लिए प्रावधान	281.42	3.83	(70.99)
कर उपरांत लाभ	**543.19**	**173.29**	**(273.96)**
Ind AS के अनुसार कुल व्यापक आय	542.43	-	-
लाभांश (देखें टिप्पणी)	156.76	-	-
लाभांश वितरण कर	31.91	-	-
-GRM ($/bbl)	**7.75**	**5.20**	**(0.64)**

(आंकड़ों का, जहां कहीं ज़रूरी हो पुन:समूहन और पुन: आयोजन किया गया है)

नोट: वर्ष 2016-17 के दौरान, AGM में निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ ₹ 6 प्रति शेयर की दर से लाभांश की सिफ़ारिश की है जिसे Ind AS के अनुसार भुगतान आधार पर लेखाबद्ध किया जाएगा.

एमआरपीएल का निष्पादन

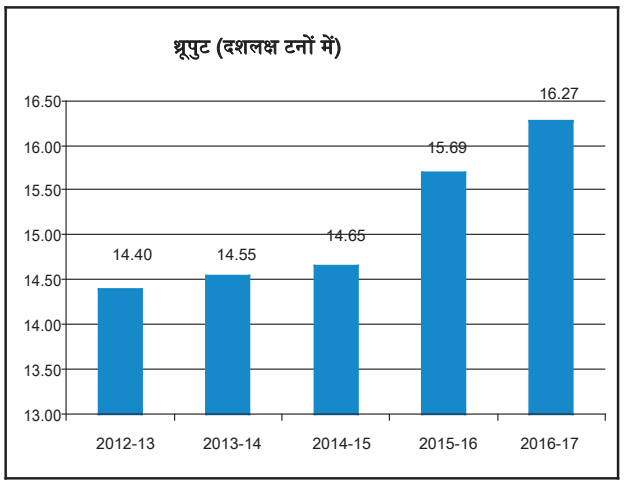

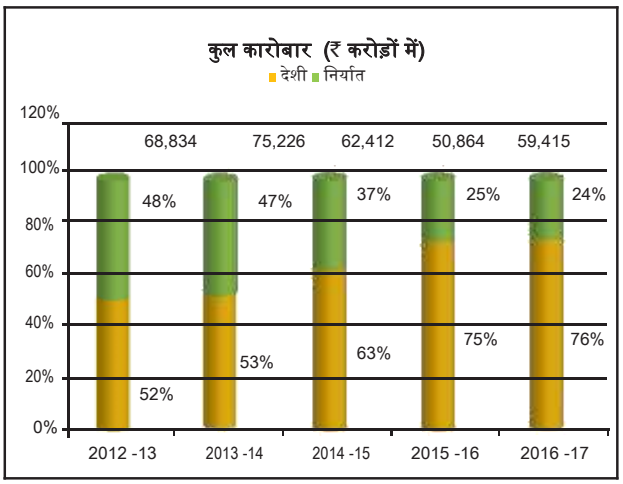

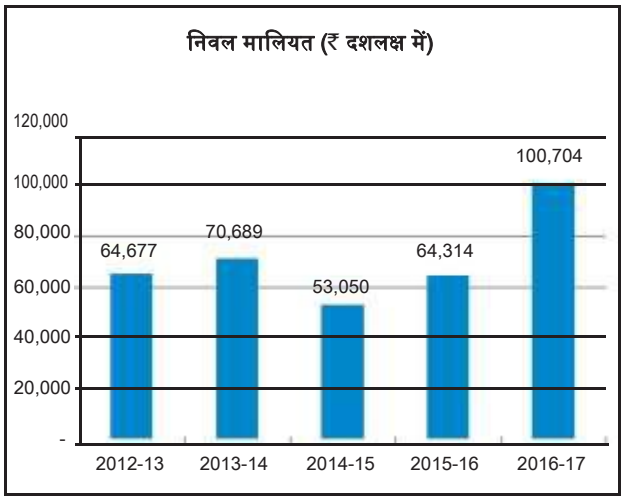

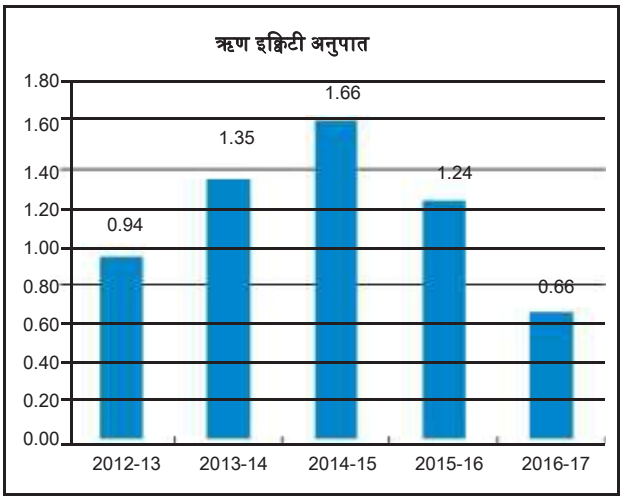

बुक-पोस्ट

मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि
सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग,
विख्रोली (प), मुंबई- 400083
टेलीफोन: 022-49186270 फैक्स: 022-49186060
ई-मेल: mrplirc@linkintime.co.in
वेबसाइट: www.linkintime.co.in

www.sapprints.com

www.mrpl.co.in